(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 6] सप्तम विधान सभा के षष्टम सत्र का तैंतीसवां दिवस [संख्या 24

बृहस्पतिवार,

दिनांक 21 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 633

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, एक घंटे की चर्चा रखी है रूल 127 में, इसलिये इस प्रश्न को.....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

वित्त निगम की उद्योगों में बकाया राशि

634. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य वित्त निगम से सहायता एवं ऋण प्राप्त कितने उद्योग हैं तथा इन उद्योगों को वित्त निगम द्वारा कितना ऋण व अनुदान दिया गया है ?

(2) उक्त उद्योगों में कितने उद्योग कार्यरत हैं, कितने बीमार हैं तथा कितने उद्योग पूर्णतः बन्द हो गये हैं ? बीमार एवं बन्द उद्योगों में वित्त निगम का कितना रुपया फंसा हुआ है और इस संबंध में वित्त निगम क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(3) कितने उद्योगों को एक साल में नीलाम करके या बेच करके रुपया वसूल किया गया है ? कृपया उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) राजस्थान वित्त निगम ने अपनी स्थापना से 31-12-82 तक 15596 औद्योगिक इकाइयों को 223.37 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि स्वीकृत की है और जिसमें से करीब 11 हजार इकाइयों को 138.28 करोड़ रुपये की ऋण राशि का वितरण किया है। इसी प्रकार वर्ष 1976-77 से दिसम्बर, 1982 तक 4605 औद्योगिक इकाइयों को 22.09 करोड़ रुपये का केन्द्रीय व राज्य सरकार का विनियोजन अनुदान स्वीकृत तथा 16.92 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(2) राजस्थान वित्त निगम से सहायता प्राप्त उक्त औद्योगिक इकाइयों में से 226 औद्योगिक इकाइयां 31 जनवरी, 1982 को बन्द थीं एवं इन इकाइयों में निगम का 282.45 लाख रुपया नियोजित था। निगम द्वारा इन इकाइयों में पुनः उत्पादन शुरू करने के लिये निम्न सहायता एवं सुविधायें दी जाती हैं।

किश्तों का पुनर्निर्धारण (रिशिड्यूलमेंट), अतिरिक्त वित्तीय सहायता, बैंकों से कार्यशील पूंजी हेतु सिफारिश, राज्य सरकार के विभागों से सम्पर्क कर सुविधायें दिलवाना तथा दण्डनीय ब्याज की माफी।

इसके अतिरिक्त निगम बीमार एवं बन्द इकाइयों में पुनः उत्पादन शुरू करने हेतु इण्डस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के सहयोग से रिवाइवल स्कीम के तहत सहायता प्रदान करता है। यह सहायता कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन, स्टार्ट अप खर्चे, कैश लॉसेज की पूर्ति आदि के लिये दी जाती है। इन सहायता एवं सुविधाओं के पश्चात् भी यदि ऋणी स्वयं इकाई में पुनः उत्पादन शुरू करने में असमर्थ होता है तब निगम स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 की धारा 29 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इकाई की अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सार्वजनिक नीलामी अथवा मूल ऋणी की सहमति से इच्छुक व्यक्तियों को हस्तान्तरण कर देता है।

(3) निगम ने वर्ष 1982–83 (जनवरी, 83 तक) 35 औद्योगिक इकाइयों की अचल सम्पत्ति का बेचान किया जिनका बेचान मूल्य 41.41 लाख रुपये है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न का जवाब आया है, जवाब के आधार पर मैं कुछ प्रश्न आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। 35 उद्योगों का बेचान किया गया आपने बताया। क्या यह सही है कि जिन उद्योगों को बेचा गया है उनका कोई सेल एग्रीमेंट निगम के पास नहीं है? आपने बेचान का कोई सेल एग्रीमेंट नहीं किया है, ऋण ट्रांसफर कर दिया है। दूसरा, क्या यह सही है कि नीलामी का उद्देश्य एक मुश्त रकम की वसूली होता है जब कि इन इकाइयों से 25 प्रतिशत ऋण की वसूली की। जो ऋण दिया जा रहा था क्या उसका उपयोग हुआ? क्या यह भी सही है कि वसूली के लिये निगम ने एक जनरल मैनेजर, तीन डिप्टी जनरल मैनेजर, 30 मैनेजर का प्रावधान कर रखा है जिन पर दो लाख रुपये का खर्चा होता है? क्या यह भी सही है कि 286 उद्योग ही बन्द नहीं 286 जमा 200 बीमार उद्योग बन्द पड़े हैं और जिनकी कीमत चार करोड़ की बनती है जब कि आपने 282.45 लाख रुपये की कीमत बताई, यह सही नहीं है। क्या यह सही है कि 60 प्रतिशत इकाइयां जो बेची गई हैं, ये वित्त निगम के अधिकारियों के संबंधियों को बेची गई हैं, सारा काम फर्जी हुआ है और जो इनकी वास्तविक कीमत थी उससे कम पर बेची गई हैं। अध्यक्ष महोदय, आप अगर कागजात देखना चाहें तो प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें। इनका उत्तर आने दीजिये उसके बाद अन्य प्रश्न।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कई इकाइयां बीमार हो जाती हैं, किसी हालत में उद्यमी उसको चलाने में असमर्थ रहता है उसी हालत के अन्दर उसको नीलामी के द्वारा बेच दिया जाता है। जो सूची मैंने आपको पेश की है, वह सूची सही है। उसमें कहीं किसी बात को छिपाने की चेष्टा नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के अन्दर यह पूछा है कि क्या कार्पोरेशन का रुपया डूब गया है ? सवाल यह रहता है, उनको हस्तान्तरित कर दिया। जो स्माल स्केल यूनिट्स और प्लान्ट्स हैं जिनको 20 लाख रुपये तक की मंजूरी देते हैं वह हमारी एस. एस. आई. यूनिट्स कहलाती हैं और आर. एफ. सी. 30 लाख रुपये तक का ऋण देती है। एस. एस. आई. यूनिट्स जो होती हैं वह सब इन्श्योर्ड होती हैं they are all insured. 1961 का इंश्योरेंस है वह अब आकर बन्द हो जाती हैं तो नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद उसको कार्पोरेशन को देते हैं कि यह जो फर्म है यह बैठ रही है, यह चलने के लायक नहीं है। इससे हमें 10 प्रतिशत रुपया प्राप्त हो जाता है। जब यूनिट का ऑक्शन होता है तो अपना रुपया वापस ले लेते हैं। जो यह प्रश्न है कि रुपया सुरक्षित है, उसका उत्तर है कि वह रुपया सुरक्षित इस प्रकार से हो जाता है। आपने एक बात कही, यह पिन पाइंट प्रश्न पूछ लेते कि इनको किसी रिश्तेदारों को बेच दिया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने सेल एग्रीमेंट के लिये पूछा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नियम यह है कि जिस वक्त जिस यूनिट को ऑक्शन के द्वारा बेच दिया जाता है उस वक्त 25 प्रतिशत रुपया ले लिया जाता है। मान लीजिये, कोई यूनिट तीन लाख रुपये से अधिक की है तो 75 हजार रुपया उसी वक्त जमा करवा लेते हैं और पांच साल के बाद that unit is treated as a new unit जिसने लिया, वह नया उद्योग, पांच साल के बाद ट्रीट किया जाता है। किश्तों का रिशिड्यूलमेंट करा कर उसको पांच साल में रुपया लौटाना पड़ता है। उसमें 6 महीने का पीरियड भी शामिल होता है। तो माननीय सदस्य का यह कहना कि सभी रुपया नहीं लिया जाता, सेल एग्रीमेंट नहीं किया जाता, इसकी आवश्यकता नहीं है that unit is treated as a new unit and facilities are provided to them.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कह रहे हैं कि मूल ऋण को वापस देते हैं वह सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो ये बेची गई हैं वह वास्तविक कीमत से भी कम में बेची गई हैं। जो ऋण दिया गया है उससे भी कम कीमत पर बेची गई हैं इसलिए ऋण को वापस देने का तो सवाल ही नहीं है। जब आपने कम कीमत पर बेच दी तो वित्त निगम को वापस पैसा मिलने का सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नीलामी के अन्दर तो कीमत कम भी आ सकती है और ज्यादा भी हो सकती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको ऐसी 16 यूनिटों के नाम बता सकता हूं जो कम कीमत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
पर बेची गई हैं । जोधपुर की इम्प्लीमेंट्स प्रोडक्शन की वास्तविक कीमत 1.87 लाख रुपये थी और बेची गई है 1.45 लाख में । प्रभूलाल बेगानी की फैक्ट्री की वास्तविक कीमत 45 हजार थी और बेची गई है 18 हजार में ।

श्री अध्यक्ष : नीलामी में बोली कम भी तो आ सकती है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्थिति यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय । ये सारी इकाइयां निगम के अधिकारियों की या उनके रिश्तेदारों की हैं वास्तविक कीमत से 15 लाख रुपये कम में बेची गई हैं । यह मेरे पास लिस्ट है 16 इकाइयों की ।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, बोली तो जो मिनिमम फिक्स कर देते हैं उसके आगे लगेगी । जो बोली आएगी वह मिनिमम फिक्स कर रखा है उससे कम में तो दे ही नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं 16 इकाइयों के नाम बता सकता हूं जो 17.16 लाख निगम की मूल पूंजी से कम में बेची गई हैं । सब की सब निगम के अफसरों के रिश्तेदारों की है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर पहले दे दूं तो बेहतर रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का एप्रिहेंशन ही मैं कहूंगा, जो अन्दाजा लगाया है माननीय सदस्य ने, उसमें कोई सेल ही नहीं हुआ है । कारण क्या है कि अखबारों में विज्ञापन शाया किया जाता है । जो लोग इसके अन्दर इंट्रेस्टेड होते हैं वह लोग बोली लगाते हैं । जो हाइएस्ट बिडर होता है उसके पक्ष में बोली जाती है इसके बाद भी यह चेष्टा की जाती है कि नेगोशियेट करके जो बोली उसने बोली है उससे भी अधिक राशि प्राप्त की जाय । उसमें समान शर्तें होती हैं, इसके नियम बने हुए हैं । आपकी अनुमति हो तो मैं उनको पढ़ कर सुना दूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर बेचान की शर्तें दी गई हैं । उसकी प्रक्रिया निर्धारित की हुई है । उसके बाद बंगलिंग करने का कोई अवसर ही नहीं रह जाता है । माननीय सदस्य ने जो अधिकारियों के रिश्तेदारों की बात कही है, तो यह सभी के लिये ओपन है, कोई भी आकर नेगोशियेशन कर सकता है । जिसकी हाइएस्ट बिड होगी उसी के नाम पर बेचान होगा । इसके बाद भी मैं माननीय सदस्य को निमंत्रण देता हूं कि अगर उनके ध्यान में कोई स्पेसिफिक केस है, जिसमें हाइएस्ट बिड वाले को नहीं बेच कर कम वाले को बेची गई है तो आप स्पेसिफिक यूनिट के बारे में बतावें, उसकी जांच की जावेगी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने आपको 16 यूनिट के बारे में कहा है । इनकी मेरे पास लिस्ट है । अभी-अभी का केस बताता हूं । निवाई आयल मिल की कीमत 3 लाख 10 हजार थी उसकी 2 लाख 58 हजार में बोली छोड़ी गई है जबकि उसका बिडर 3 लाख 8 हजार, 3 लाख 5 हजार वाला मौजूद था । आपको स्पेसिफिक केस और बताऊं । आपने मुझे जवाब दे दिया कि अखबारों में विज्ञापन निकाल देते हैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेकिन मैं आपको कहता हूं कि वहां सुविधा भोगियों का एक ग्रुप बना हुआ है। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसको तो पहले ऋण लेने वाला खा जाता है। वह अपनी यूनिट बेचता नहीं है बल्कि दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर देता है। जैसे एक यूनिट है उसको रीको से जमीन मिली हुई है, ऋण और सब्सिडी भी मिली हुई है, तो बेचान के बाद लोन तो ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन जमीन उसी लीज होल्डर के नाम पर रहती है। राजस्थान वित्त निगम को पैसा मिलता नहीं है। यह सारा बेचान फर्जी होता है, सब्सिडी का पैसा मिल कर खा जाते हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जावे। राजस्थान वित्त निगम की इतनी बड़ी पूंजी लगी हुई है। ये सारे के सारे बेचान के मामले फर्जी मामले हैं। कोई बेचान नहीं है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, संबंधियों के नाम से बेनामी बेचान इस तरह से करते हैं कि उसमें निगम का पैसा डूब जाता है। कैमिकल एण्ड मिनरल जोधपुर की फर्म है और एक मिसेज शक्ति री-रोलिंग मिल गंगानगर की है, इन दोनों फैक्ट्रियों का ब्याज माफ कर दिया गया है। इसमें निगम की बड़ी-बड़ी पूंजी लगी हुई है, उसका ब्याज ही माफ कर दिया। जिस व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई उसका तो पच्चीस पर्सेंट खत्म हो गया, आपको मूल पूंजी से कम मिला और उसकी जमीन जो रीको से मिली वह जमीन ट्रांसफर नहीं होगी, केवल लोन ट्रांसफर होगा। यह सब फर्जी कार्यवाही है, आप इसकी जांच करवायें। यहां पर टोप हैवी एस्टेब्लिशमेंट है जो सुविधाओं का उपभोग कर रहा है....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस निवाई की फैक्ट्री का माननीय सदस्य ने कहा है कि उसकी बोली अधिकतम 3 लाख 5 हजार की आई और उसको 2 लाख 58 हजार में डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, मैं इसकी निश्चित रूप से जांच करवा लूंगा। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैं निवेदन कर दूं कि उत्तर भारत के जितने प्रान्त हैं, जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है आर. एफ. सी. नम्बर वन पर है। आपने यहां के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जिक्र किया कि हैवी एस्टेब्लिशमेंट है, अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न आया तो मैंने इसको एग्जामिन किया है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वह रिक्वायरमेंट के अनुरूप है इसलिये माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि यहां पर हैवी एस्टेब्लिशमेंट है। जहां तक उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज निवाई की आयल मिल के बारे में लगाया है, मैं निश्चित रूप से इसकी जांच कराऊंगा और कोई दोषी पाया गया, जिसने गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, एक नहीं मैं 16 यूनिट्स के नाम बता सकता हूं। वास्तविकता से कम कीमत पर यूनिट्स बेची गई हैं और उसमें 17 लाख 16 हजार की मूल पूंजी का नुकसान आर. एफ. सी. को हुआ है, उसमें मालिक का 25 पर्सेंट तो गया ही। इन सब में अधिकारियों के संबंधी हैं। क्या आप इन सब की जांच करायेंगे?

श्री प्रद्युम्नसिंह : नीलामी उन्हीं यूनिट्स की की जाती है जो यूनिट सिक हैं और चलने के

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
बाद सिक होती हैं। सिक यूनिट की कीमत मूल कीमत से तो कम आएगी ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वित्त निगम के अधिकारियों ने अपनी तरफ से इसमें गड़बड़ कर के कम कीमत पर बेची है। इसमें 17 लाख का नुकसान हुआ है निगम को। मैं 16 यूनिट्स के नाम बता सकता हूं जिनमें निगम के अधिकारियों के रिश्तेदार शामिल हैं। मैं एक एक नाम बता सकता हूं। आप क्या इन सब की जांच कराने को तैयार हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें घपला होने की सम्भावना नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सम्भावना क्या है, उन्होंने घपला किया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या आप जांच करायेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसके अन्दर घपला होने के चांसेज इसलिए नहीं हैं कि जिस आदमी ने लोन लिया है, जिस आदमी ने कर्जा लिया है अगर वह आदमी चाहे तो सीधे भी नेगोशियेशन कर सकता है······

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 16 यूनिट्स थीं जिनकी कीमत ऊंची थी लेकिन बेनामी बेचान कर···

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, या तो ये अपनी बात कह लें या फिर मेरी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले के अन्दर जो ऋणी हैं, जिसने कर्जा लिया है उसको इस बात की छूट है कि वह स्वयं नेगोशियेशन कर सकता है और अपनी मशीनरी का सीधा ही बेचान कर सकता है। आखिर आर.पी. से लोन मैंने लिया है तो रेस्पोंसिबिलिटी तो मेरी है, मैं उनके पास जाऊंगा और कहूंगा कि मेरा इनसे बेचान हो गया है। वह अपना रुपया दे देता है तो कोई भी आदमी सीधे भी बेचान कर सकता है।····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या वह मिनिमम से भी कम में दे सकता है ?

श्री अध्यक्ष : बहुत समय ले लिया है, माननीय सदस्य। अब अनुमति नहीं दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसकी आपको जांच कराने में क्या आपत्ति है ? अगर वह बात सही है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें। मैं अनुमति नहीं दूंगा। कृपया।

श्री भंवरलाल शर्मा : जांच कराने में क्या आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : कृपया। श्री कैलाश मेघवाल और भगवानदास शास्त्री।

(7)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग का स्थानान्तरण

635. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व), **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर, मुख्यालय भीलवाड़ा स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी (श्री जयकृष्ण शर्मा) : जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप एक वृत्त अजमेर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़ जिलों को मिला कर गठित किया गया। इस वृत्त में भीलवाड़ा केन्द्रीय स्थान होने के कारण वृत्त का मुख्यालय भीलवाड़ा रखा गया।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जो यह उत्तर आया है, मुख्यालय भीलवाड़ा रखें, चित्तौड़ रखें, कहीं पर रखें मुझे ऐतराज नहीं है लेकिन कम से कम जनगणना को आधार आप नहीं मानें तो राजस्व वसूली मानें मैं कहता हूं रेवेन्यू 235 भीलवाड़ा 25 हजार ···

श्री अध्यक्ष : 25 लाख होना चाहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : 25 लाख रेवेन्यू नागौर में 42 लाख, भीलवाड़ा 341 ये 128 और भीलवाड़ा में 18 इस तरह यह 1.87 करोड़ और यह 84,6061 आप अन्दाजा लगायें, आपने किस भावना से चित्तौड़, भीलवाड़ा और अजमेर को केन्द्र माना ? सेन्टर में भीलवाड़ा पड़ता है। भीलवाड़ा का सवाल नहीं है। जहां भी सेन्टर लगाना चाहते हैं वहां कम से कम इस प्रकार की स्थिति हो कि राज्य कोष में बचत हो, सेन्टर होने के नाते जितनी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनके साथ जल वितरण की सुविधा को मद्देनजर रखना चाहिये। भीलवाड़ा उचित स्थान माना जाता है। विभागीय सुविधा के अनुकूल है। अधिशासी अभियन्ता ने तकनीकी लिहाज से भीलवाड़ा को उचित माना है। क्या यह सही है, वहां रीजनल योजना आने वाली है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इससे चिन्तित हैं। जोधपुर, वाड़मेर और जैसलमेर को तो दे देंगे राजस्थान कैनाल का पानी ऐसे नगर के बिलकुल सेन्टर पश्चिमी कोने में पड़ने वाले हैं, इनके पेयजल के लिये रीजनल योजना आने वाली है, क्या भीलवाड़ा बनास के बिलकुल नजदीक पड़ता है ? मेरे कहने का मतलब है, यह निर्णय बिलकुल राजनैतिक है, 1982 में जजमेंट आया था माननीय सदस्य अजमेर से चुने हुए हैं ··

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका है।

उसमें साफ साफ माननीय जस्टिस लोढ़ा ने कहा है। भीलवाड़ा एक माननीय मुख्य मंत्री का चुनाव क्षेत्र है, जिला है, प्रापर भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा उनका चुनाव क्षेत्र है, इसका मतलब है भीलवाड़ा आता है। इसमें साफ-साफ लिखा है, पूरा राजस्थान प्रदेश, जिसके 27 जिले हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का एक चुनाव क्षेत्र माना जायेगा। उनके क्रिया-कलाप का स्थान पूरा राजस्थान होना चाहिये। मेरे पास, माननीय अध्यक्ष महोदय, जजमेंट

(8)

(श्री भगवानदास शास्त्री)

हैं । मैं उसमें नहीं जाना चाहता । किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय परसराम जी मदेरणा साहब से ऐसी उम्मीद नहीं थी । जो उम्मीद थी । माननीय मदेरणा साहब को मेरी बात समझ में आ रही है । यह इनकी बिलकुल नाकामयाबी है ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य । आपने बात कह दी ।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, तकनीकी हिसाब से उचित स्थान नहीं है, सुविधाओं के हिसाब से उचित स्थान नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कौन से लोढ़ा जी का बता रहे थे ?

मन्त्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री परसराम मदेरणा) : जन अभियांत्रिकी विभाग· · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : दो हैं लोढ़ा जी ।

श्री परसराम मदेरणा : जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के वृत्त स्तर पर, खण्ड स्तर पर पुर्नगठन कर कायम किया गया, वह इसलिये किया गया, जैसा आपको मालूम है, एक-एक जिले के अन्दर प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक से चल रहा था और दो जिले में एक एक्स. ई एन. था । यही स्थिति दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में थी । अजमेर में एक एक्स. ईएन. था, नागौर और अजमेर दोनों का था । पूरा रिआर्गेनाइजेशन इसलिये किया गया, मेन्टीनेन्स का काम, एक्जीक्यूशन का काम और आॅपरेशन का काम, यह सब एक ही एक्स. ईएन. के पास रहने चाहियें । राज्य भर में पुनर्गठन खण्डों का किया गया । पहले अजमेर के पास चार डिवीजन थे और उदयपुर के पास सात डिवीजन थे । चार डिवीजन अजमेर के पास होने से उसका हैडक्वार्टर वहीं था । नागौर के लोग तकलीफ में थे इसलिये उसको रिआॅर्गेनाइज्ड किया गया । 'चार बातें उसमें थीं, जल उपभोक्ताओं को सुविधा, न्यूनतम कोआॅर्डिनेशन, भौगोलिक क्षमता और जन प्रतिनिधियों का उसके अन्दर सिंहावलोकन हो उस संबंध में एक ही एक्स. ईएन. पूरे क्षेत्र के अन्दर उत्तरदायी हो । इसके साथ साथ भौगोलिक दृष्टि से भी उपभोक्ताओं को और जन प्रतिनिधियों को दूर नहीं जाना पड़े । उसके साथ-साथ इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन हो । एक डिवीजन वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम है । चूंकि डिवीजन वर्ल्ड बैंक के नाम से था इसलिये उसको डीडवाना हस्तान्तरित कर दिया, नागौर को ट्रांसफर किया गया । नागौर और मेड़ता दो थे इसलिये उसको उदयपुर कर दिया । वर्ल्ड बैंक का काम बांट दिया । अजमेर के पास तीन डिवीजन रह गये, और एक उदयपुर के पास आ गया । एडिशनल चीफ इंजीनियर का हैड क्वार्टर अजमेर में है । भीलवाड़ा और उदयपुर के लोगों, उपभोक्ताओं और जन प्रतिनिधियों के लिये दूरी और असुविधा हो जायेगी इसलिये नागौर वाले को बदल दिया । सात और चार की जगह दस डिवीजन रह गये । पांच अजमेर वृत्त के साथ हैं । और पांच ही उसके साथ रह गये । चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर हैं चित्तौड़ को उसके साथ लगा दिया । इसका मतलब

(श्री परसराम मदेरणा)

चित्तौड़ और भीलवाड़ा को सुविधा हो गई, उसके साथ-साथ अजमेर को सुविधा हो गई इसलिये हमने कोई पक्षपात मुख्य मंत्री की वजह से नहीं किया। वृत्त का हस्तान्तरण उसमें हुआ है। आप कह रहे हैं प्रशासन गांवों की ओर के लिये प्रशासन गांवों की ओर का कम्पेन तो अभी चला है। मैंने सोचा, बनास के मामले के अन्दर सबसे बड़ी बात इस योजना से पानी देने उसको एग्जीक्यूट करने की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पी. एच. ई. डी. की जल सेवा उपलब्ध कराने की है। बिजली और पानी के मामले में भेदभाव नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से एक तरफ तो गांवों की ओर जायेंगे तो यह बीच में पड़ता है, इससे चित्तौड़ और भीलवाड़ा के उपभोक्ताओं को सुविधा है। एडिशनल चीफ इंजीनियर को जो सर्टेन पावर्स थे यहां की सुविधा के लिये उसमें साथ-साथ आदेश निकाले जिससे यहां के लोगों को असुविधा नहीं हो। आदेश हैं वह 24-12-82 को निम्न बिन्दुओं पर दिये। निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर सीधी कार्यवाही करेंगे व उनके अधीन अजमेर के अधिशासी अभियन्ता इन मामलों में अधीक्षण अभियन्ता को निर्णय हेतु पत्र न भेजकर सीधे आपको भेजेंगे:—

1. आधा इंच से ज्यादा के जल संबंधों की मंजूरी देना।
2. 500 रुपये से ज्यादा बकाया राशि की किश्तें करना।
3. अजमेर के जल वितरण योजनाओं में किसी प्रकार की बाधा आने पर आवश्यक निर्देश देना।

इसके लिये उनको एस. ई. की पावर दी। यह पावर एस. ई. के पास न रखकर एडिशनल चीफ इंजीनियर को दे दी। जब मुख्यालय अजमेर में है तो राजनीति कहां है?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से सीधे-सीधे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मसला बहुत गंभीर है, एक बात तो माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार की है, उपभोक्ताओं को सुविधा, सुविधा के लिये नियंत्रण और चौकसी-निगरानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं पुनर्गठन किया भीलवाड़ा में, एक नया डिवीजन स्थापित कर देते तो कोई ऐतराज नहीं था लेकिन क्या अजमेर में कार्यालय नहीं खुलता? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अजमेर में 1967 में एस.ई. कार्यालय स्थापित हुआ और 1970 में उसको जोधपुर ले गये। अजमेर की असुविधा को देखते हुए 1971 में वह कार्यालय वापिस स्थापित करना पड़ा अजमेर में। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, उदयपुर का खण्ड है उसमें चार उप-खण्ड थे, दो नागौर के और दो अजमेर के। मैं यह पूछना चाहता हूं क्या आप पुनः अजमेर में स्थापित करना चाहते हैं? इससे भीलवाड़ा को सुविधा नहीं है, अजमेर को, चितौड़ को नहीं है। मैं पूछना चाहता

(श्री कैलाश मेघवाल)

हूं, विभाग के अधिकारियों का ध्यान है ? जो प्रोग्राम है उसका कारण है । अजमेर के जल की बहुत बड़ी समस्या है, 70-70 मील से, दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है । दूसरे, जो अजमेर नगर की जल वितरण व्यवस्था है वह बड़ी टिपीकल है । अध्यक्ष महोदय, ब्यावर की वितरण व्यवस्था है वह नगरपालिका कर रही है और ब्यावर में नगरपालिका से विभाग ने लेने का निर्णय ले रखा है । क्या इसके आधार पर भी चार खण्ड हो जायेंगे ? मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप पुनर्गठन करें लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, अजमेर के साथ निश्चित तौर पर अन्याय किया गया है । आप स्वयं भी इस बात को मान चुके हैं कि अजमेर में एस. ई. कार्यालय रहना चाहिये । एक, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आदेश निकाला है जिसमें एस. ईज. के स्थानान्तरण किये हैं उसमें मि. रूपराज को बीकानेर से भीलवाड़ा कार्यालय में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये । सभी तथ्य सामने आ गये हैं । इसमें भाषण नहीं होगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की रिपोर्ट है जिसमें 10 जिलों को लिया गया है उनमें अजमेर कहां रह गया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, एक हाई कोर्ट में रिट के संबंध में बात चल रही थी । मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध कोई ऑब्जर्वेशन या स्ट्रिक्चर हाई-कोर्ट में पास नहीं किया गया है । एस.ई. कार्यालय और डिवीजन्स का रिऑर्गेनाइ-जेशन करना है वह एक-एक जगह में दो-दो एक्स. ई. एन. काम कर रहे थे इसलिये यह निर्णय मैंने पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर की हैसियत से लिया है । जो सीकर में था, नीम-का-थाना में हुआ है । चूरू में दो थे जिनमें एक तारानगर में किया है । सोजत, सूरत-गढ़, बलोतरा, कांकरोली और फिर डीडवाना में अलग डिवीजन हुआ । यह जो डिवीजन किये गये हैं यह प्रशासनिक, भौगोलिक और उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए और साथ ही व्यवस्थित काम हो सके सर्वे का, मेन्टेनेंस का इसलिये किये गये हैं । आप अजमेर के बारे में कह रहे हैं यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय, अजमेर ब्रिटिश शासन काल में अलग टैरीटरी रहा है और हमेशा अजमेर का अलग से प्रशासन चलता था । उसकी इम्पार्टेंस कम नहीं होती. है । रेवेन्यू बोर्ड का मुख्यालय वहां है, टैक्सेशन ट्रिब्यूनल वहां बनाया गया है । यों तो हाई-कोर्ट भी जोधपुर में रहना चाहिये था उसकी बैंच जयपुर में लाई गई । इसलिये यह कोई वजूहात नहीं है । इसके अलावा जो कह रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, कंटूर है, तो इनके पहाड़ी क्षेत्र में कंटूर तो बनेंगे । आज हमारे यहां पर 1700 सर्किल्स हैं और डिवीजन 90 के आस-पास हैं । ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ वृत्त कम हैं इसके लिये विभाग ने कुछ प्रस्ताव बना कर स्टाफ कमेटी, बोर्ड ने प्रस्तुत किये हैं, जिसमें सैक्रेटरी मैम्बर होता है उसमें विचार होगा । उसके बाद राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड मैनेजमेंट, जिसके चेयरमैन पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर

(श्री परसराम मदेरणा)
हैं, के सम्मुख मागला आयेगा । तो यह सब मद्दे नजर रखते हुए यदि अजमेर का हक बनता है तो अजमेर के साथ इन्साफ होगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : एक बात, अध्यक्ष महोदय·····

श्री अध्यक्ष : अब भाषण नहीं होगा। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : केवल एक बात कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की जानकारी के लिये, अजमेर में अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर का मेला होता है और अजमेर में दरगाह का उर्स होता है उस दृष्टि से···

श्री अध्यक्ष : यह सभी ध्यान में रखेंगे । ऑर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें । मंत्री महोदय, आप भी बैठ जायें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा, कंज्यूमर्स की सुविधा के लिये । लेकिन क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री जी की सुविधा के लिये भीलवाड़ा को लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय, री-ऑर्गेनाइजेशन के बारे में । जब ए. ई. एन. और जे. ई. एन. को भी पूरे राजस्थान में री-ऑर्गेनाइज किया है तो इसमें मुख्य मंत्री जी की सुविधा का प्रश्न ही नहीं है । जब चित्तौड़, कोटा, झालावाड़ के चीफ इंजीनियर अजमेर में हैं और बांसवाड़ा, डूंगरपुर में नहीं हैं तो उनको कितनी असुविधा होगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर यही बात है तो मैं अपना सप्लीमैंट्री प्रश्न वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री बालचन्द्र आर्यवीर, श्री अनंगकुमार जैन ।

निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के अरनोदा ग्राम में अध्यापकों की कमी

636. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग), **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरा पाटन) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के अरनोदा ग्राम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में लगभग 340 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये केवल दो अध्यापक हैं ? क्या अरनोदा के विद्यालय में छात्र संख्या के आधार पर पर्याप्त अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, पंचायत राज (श्री शीशराम ओला) : जी नहीं । ग्राम अरनोदा के प्राथमिक विद्यालय में 5 अध्यापक कार्यरत हैं । 1:49 के मापदण्ड से 5 अध्यापकों की कमी है । वर्ष 83–84 में राज्य सरकार द्वारा कुछ अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया जा चुका है । शिक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त होते ही पंचायत समिति को उपलब्ध पदों के अनुपात में पद आवंटित कर दिये जावेंगे ।

श्री रामचन्द्र आर्यवीर : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि यह पद सृजित किये जायेंगे, तो उसकी कोई अवधि है क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसका तो पूरक प्रश्न में कई बार उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये जो 5 अध्यापक वहां पर नियुक्त किये गये, वह कब से कार्यरत हैं ?

श्री शीशराम ओला : यह मैं पहले बता चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्रीमती विद्या पाठक ।

राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड के गठन में अनियमितता

637. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था व इसके क्या कार्य हैं ? वर्ष 1982–83 में सरकार ने इस बोर्ड पर किस-किस को मनोनीत किया है ? इसके अन्य सदस्य कौन-कौन हैं ? कृपया समुचित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या वर्ष 1983 में बोर्ड के चुनावों में गड़बड़ियां होने और चुनाव अधिकारी द्वारा पक्षपात करने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत की सरकार ने जांच करवाई ? यदि हां, तो उस जांच पर आगे क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी): (1) होम्योपैथिक चिकित्सा मंडल का गठन राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को प्रारम्भ करने एवं उत्थान करने के लिये किया गया था । मंडल के मुख्य कार्य होम्योपैथिक चिकित्सा के अन्तर्गत पंजीयन करना एवं मंडल द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसन एण्ड सर्जरी—4½ वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षायें आयोजित करना है । राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 8 (26) आयुर्वेद/82, दिनांक 17-1-83 के तहत जिन सदस्यों को मनोनीत किया गया एवं बोर्ड के अन्य निर्वाचित सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) वर्ष 1983 में बोर्ड के कोई चुनाव नहीं हुए, अतः गड़बड़ी या शिकायत का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को कोई शिकायत प्राप्त हुई ? बोर्ड के लिये जो चुनाव हुए हैं अक्टूबर, 1982 में उसकी शिकायत 82 और 83 में भी प्राप्त हुई है ? उसके चुनाव जो हुए थे उसमें अजमेर में अवैध मतपत्रों के विषय में शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई और केस चल रहा है ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि 1983 के पहले कोई चुनाव नहीं हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : टैक्निकल प्रश्न है । चुनाव तो एक बार ही हुए हैं ।

श्री दिनेश डांगी : 1983 का पूछा है। 1983 में चुनाव हुए हैं अक्टूबर, 1982 में तो चुनाव डिक्लेयर हुये थे, उसमें जिस डॉक्टर ने हाई कोर्ट के अन्दर रिट की उसका मामला पैंडिग है। जब तक कोई निर्णय नहीं होता तब तक केस सबजुडिस है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है चोपड़ा साहब ने रिट की हाई कोर्ट में की परन्तु वह एपीलेन्ट नहीं थे, वह इनवोल्व्ड नहीं थे, स्वयं पार्टी नहीं थे इस शिकायत पर केस को टर्न डाउन कर दिया। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में कहा कि अजमेर में इलेक्ट्रोरल कॉलेज है, अवैध तरीके से जो विभाग के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी थे उन्होंने 16 तारीख व 17 तारीख के बीच पांच एडिशनल कोर्ट बढ़ाने के लिए रात को कार गाड़ी में जाकर एफीलिएशन होने की सूचना दी जिसको जुलाई में एक साल समाप्त हो जाता है। उस एफीलिएशन को विदड्रा कर लिया गया उसके अजमेर के जो पांच वोटर्स थे उन्होंने गलत वोटिंग की कि नहीं ?

श्री दिनेश डांगी : वैसे तो यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन इसका एफीलिएशन रद्द नहीं किया गया है रोका गया था जिसको चुनाव के बाद उसको विदड्रा कर लिया गया है। जहां तक प्रश्न हाई कोर्ट का है वह मामला जब तक तय नहीं होता मैं नहीं बता सकता कि क्या स्थिति है और शिकायत के क्या तथ्य हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने तो टर्न डाउन कर दिया कि अपीलकर्ता पार्टी नहीं है इसलिए सुनवाई नहीं की जाय। माननीय मंत्री महोदय, आपने एफीलिएशन प्रोविजनल एक साल के लिए दिया जिसका लैटर मेरे पास है। 82 जुलाई में वह एक साल समाप्त हो जाता है और इलेक्टोरल कॉलेज, जिसका एफीलिएशन एक साल के लिए था, के बाद में पांच वोटर्स को आपने कैसे वैलिड माना ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें 90 प्रतिशत वोटिंग हुआ है। इनकी जो शिकायत है कि 200 लिफाफों के अन्दर मतपत्र नहीं थे। जहां तक अजमेर के कॉलेज का प्रश्न है उसका एफीलिएशन रद्द नहीं किया गया है, उसको रोका गया है किन्हीं कारणों से।

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्री महोदय, चार साल एडमिनिस्ट्रेशन को हो गये। पांच वोट बढ़ाना चाहता है उसकी सारी एक्टीविटी कोर्ट में चैलेन्ज की जा चुकी है।

श्री दिनेश डांगी : यह प्रश्न अलग है। एफीलिएशन समाप्त नहीं हुआ था।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : मेरा प्रश्न है कि आपने नोमिनेट किए हैं चार व्यक्ति। क्या वे चार नोमिनेटेड क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं ?

श्री दिनेश डांगी : जी हां। मैंने लिस्ट दी है चार आदमियों की जिसमें डॉक्टर श्री किशन गोपाल राजवंशी क्वालीफाइड डॉक्टर हैं, और एच.आर. चौहान, यह शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी हैं इसलिए उसके लिए आपको ऐतराज हो रहा है। मेरा यह अर्ज है कि एक्ट के अन्तर्गत धारा 4 में चार आदमियों

(श्री दिनेश डांगी)
के सरकार ने नोमीनेशन प्राप्त किए हैं। उसमें जो दो रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर होने चाहिए। मैंने तीन आदमी किये हैं एक आदमी ज्यादा किया है।

श्री अध्यक्ष : जब नियमों में प्रावधान है कि अमुक नोमीनेशन किए जाने वाले व्यक्ति का जब विद्यालय संस्था आदि जहां कहीं भी नॉमीनेशन होता है तो नोमिनेशन कानून और नियमों के अन्तर्गत उसका प्रावधान किया जाता है उसमें यह आवश्यक है कि मैडिकल कोई पार्टी बने उसमें सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर का नॉमिनेशन किया जाता है। अगला प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री चन्द्र-वीर सिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 फरवरी, 1983)

अरबन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि

195. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अरबन सीलिंग एक्ट के तहत जयपुर में कितने व्यक्तियों/संस्थाओं ने रिटर्न भरे हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगर में सीलिंग से अधिक किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं की भूमि का अधिग्रहण किया गया है? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नगर में सीलिंग से अधिक भूमि धारण करने वाले किन-किन व्यक्तियों को, संस्थाओं को छूट दी गई व किस-किस आधार पर? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) 6263 रिटर्न प्राप्त हुए हैं। सूची परिशिष्ट (क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नामवार सूची परिशिष्ट (ख) सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) राज्य सरकार ने धारा 20 के तहत जयपुर संकुलन में— औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में एवं प्रार्थना-पत्रों पर भूमियों को छूट दी है। सूचियां परिशिष्ट (ग), (घ) सदन के पटल पर रख दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी समस्त कृषि भूमि, जिनके आवासीय प्रयोजन के लिये किये गये हस्तान्तरण के करारनामे या ऐसे विक्रय 20 अगस्त, 1981 से पहले किये गये हों और यदि वे राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के अन्तर्गत नियमन के योग्य हों, उस भूमि को छूट दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, यह जमीन किस कानून के अन्तर्गत अधिग्रहित की गयी है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (2) के तहत, जिन संस्थाओं, व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनकी नामवार सूची सदन में रख दी गयी है। यह सूचना मोटी पुस्तिका के रूप में इस सदन में रख दी गयी है। माननीय सदस्य को भी यह सूची दे दी गयी है। अभी इसका जोड़ लगाना संभव नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस जमीन का अधिग्रहण करने के पश्चात् आपने क्या किया है?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : सीलिंग के अन्तर्गत जो भूमि अवाप्त की गयी है उसका क्या किया गया?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो भूमि अवाप्त की गयी है, किस प्रकार उसका उपयोग किया जाएगा, किसे दी जाएगी, क्या किया जायगा – यह प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अधिग्रहण किये कितने दिन हो गये? आपने ले ली। इसको अवाप्त किये कितने दिन हो गये हैं और कब से आपके पास पड़ी है?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न।

श्री प्रद्युम्नसिंह: मैंने पूरे प्रश्न का उत्तर विस्तृत रूप से दे दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सीलिंग के अन्तर्गत जो जमीन अवाप्त की है उस पर लोगों ने मकानात बना लिये हैं। अब आप क्या इसमें संशोधन लाना चाहते हैं, यह अभी तक सरकार के विचाराधीन है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को टालना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर प्रश्न के भाग (2) के तहत दे दिया है। आप भाग (3) का उत्तर भी पढ़ लें। जिनको छूट दी है उनकी सूची अलग से दी है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (3) में यह पूछा गया है कि किन-किन व्यक्तियों को छूट दी गई है और किस-किस आधार पर दी गयी है? मैं वह आधार जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप स्वयं जानते हैं कि इतनी लम्बी सूची है, इसमें किस-किस आधार पर छूट दी गयी है मेरे ख्याल से····

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची में आधार भी लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष : इतनी लम्बी सूची है।

श्री राजबहादुर : मैं आधार जानना चाहता हूं। टेबिल पर रख दी है तो बात दूसरी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां। टेबिल पर रख दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हंसराज शर्मा।

टाइगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर

301. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि टाइगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर में जनवरी, 1983 में एक टाइगर और बघेरा का शिकार किया गया था? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो जो बघेरा व शेर मारा गया था उसकी खाल किसके द्वारा कितने रोज बाद निकाली गई थी?

(2) क्या ऐसी शिकायत है कि टाइगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर में कर्मचारियों द्वारा जानवरों की देख-रेख की व्यवस्था भली प्रकार नहीं की जाती है?

(3) क्या उक्त टाइगर व बघेरा के शिकारी व शिकार के स्थान की जांच कर चालान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि गत वर्षों में भी एक बघेरा मारा गया था जिसका केस कोर्ट में किया गया था? यदि हां, तो उसका आज तक क्या हुआ? मृत बघेरा की खाल व नाखून आदि अब तक किसके पास जमा हैं?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर): (1) जी नहीं। एक टाइगर दिनांक 15-1-1983 को कोटा जिले के पापड़ा वन खण्ड में मृत पाया गया था तथा एक बघेरा दिनांक 22-1-1983 को सवाई-माधोपुर के पटवा बावली क्षेत्र में मृत पाया गया था। इस नाजायज शिकार का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, तफतीश जारी है। शेर की खाल दिनांक 16-1-1983 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, इन्द्रगढ़ द्वारा पोस्ट-मार्टम के बाद तथा बघेरे की खाल दिनांक 23-1-1983 को श्री भादिया लाल गेम वाचर द्वारा मृत पाये जाने के एक दिन बाद निकाल कर सुरक्षित रख ली गयी है।

(2) जी नहीं।

(3) जांच अभी जारी है।

(4) जी हां। वर्ष 1975 में एक बघेरा मारा गया था। इसका मुकदमा अतिरिक्त मुंसिफ व न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर की कोर्ट में चल रहा है। जिसकी अगली पेशी दिनांक 5 अप्रेल, 1983 को नियत हुई है। मृत बघेरे की खाल व नाखून क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर के स्टोर से चोरी चले गये हैं। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो पापड़ा वन खण्ड कोटा है जहां आदमियों को भी प्रवेश बिना अनुमति के नहीं करने दिया जाता है। बिना अनुमति के प्रवेश करने पर चालान कोर्ट में किया जाता है। इतनी सख्ती होने के बावजूद टाइगर, बघेरा का शिकार किस आधार पर हुआ। जब कोई टाइगर मर जाता है या मारा जाता है तो उसकी सूचना राजस्थान सरकार को दी जाती है। शिकार होने के बाद जब टाइगर मारा गया तो सम्बन्धित अधिकारियों ने कब सूचना दी? क्या यह सूचना देना जरूरी था? यदि हां, तो कब सूचना दी? क्या यह सही है कि बघेरा मृत पाया गया तो उसकी सूचना डाईरेक्टर

(17)

(श्री हंसराज शर्मा)
को कब मिली ? क्या यह सही है कि वहां के डाइरेक्टर फतेसिंह ने पत्रकारों के……

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं लिया जाए माननीय सदस्य …

श्री हंसराज शर्मा : वहां के वन विभाग के डाइरेक्टर ने पत्रकारों को कोई स्टेटमेन्ट दिया है कि जो शेर मारा गया है, सूअर के गोली लगाते समय शेर के गोली लग गयी…

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो पहला प्रश्न किया गया शिकार के सम्बन्ध में कि क्या आधार है । शिकार करने का कोई आधार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बन्दूक चाहिये, हिम्मत चाहिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अवैध रूप से शिकार करने पर 6 महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना किया जाता है ।

दूसरी बात यह पूछी गयी है कि कब-कब सूचना दी गयी और किन-किन तारीख को शिकार की रिपोर्ट की गयी दिनांक 22-1-1982 छगन सिंह, वन रक्षक ने रिपोर्ट की थी । वन खण्ड पापड़ा में जो शेर मारा गया था उसके सम्बन्ध में वहां के वनपाल ने 15-1-1983 को सूचना दी थी । इस पर मुकदमा दर्ज किया गया । इसकी तफतीश जारी है, कौन शिकारी था, किस प्रकार शिकार हुआ, इस सबकी जानकारी की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : गोली सूअर पर चला रहे थे और शेर मारा गया……

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, शेर के लग गयी ।

श्री हंसराज शर्मा : धारा 144 का उल्लंघन करने पर चालान किया जाता है फिर इस अपराध में चालान क्यों नहीं किया गया ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, चालान तो तब किया जाता है जब मुल्जिम का पता हो । इन दोनों केस में मुल्जिम का पता नहीं है ।

श्री हंसराज शर्मा : जो शेर और बघेरा मारे गये हैं उनको मारने वाले का अब तक पता नहीं लगा सके हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : जिस शेर का जिक्र किया जा रहा है, क्या यह सही है कि गांव वालों ने शिकायत की थी कि कोई शेर वहां पर नरभक्षी हो गया है और पशु मार रहा है, आदमियों को मार रहा है ? डी. एफ. ओ., कोटा ने इसी दौरान कोई शूट करने के लिये लायसेंस दिया क्या ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री नाथूसिंह !

श्री हंसराज शर्मा : मेरा प्रश्न तो रह गया । डाइरेक्टर स्वयं ने स्टेटमेंट दिया है कि सूअर का शिकार करते समय शेर

(18)

(श्री हंसराज शर्मा)
को गोली लग गयी तो सूअर का शिकार करने वाला कौन था, अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को मैं पूछ लेता हूं।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : आप यह बतायें कि क्या धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने यह किया है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

सूअर को मारने का कोई परमिट दिया हुआ था क्या ?

सिंचाई मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): एफ. आई. आर. में तो नहीं है। यह तो प्रेस नोट की बात है··········

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : जवाब आना चाहिये।

सूअर मारने का परमिट बसन्त पंचमी को दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : सूअर की जगह पर शेर मारा गया, यह आपके डायरेक्टर का बयान है। इसका मतलब आपने सूअर मारने की इजाजत दी ?

श्री अध्यक्ष : अगर प्रश्न में इस तरह का मुद्दा बनाकर देते कि सूअर को मारने की इजाजत दी गयी, सूअर मारने के लिए गये थे और गोली उसके बजाय शेर को लग गयी तो उत्तर आ जाता। अखबारों के वक्तव्य के आधार पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। समय जायेगा।

अगला प्रश्न श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठ जायें।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आइटम संख्या तीन·······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन की अवहेलना करके पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

प्रश्न का जवाब नहीं आयेगा····

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के आइटम संख्या 3 पर ·········

श्री अध्यक्ष : यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है। अंकित न हो ·····ऑर्डर प्लीज।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(19)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री नाथूसिंह !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 व 14 मार्च, 1983)

खेलकूद विभाग

310. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या खेल-कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य में खेल विभाग की स्थापना कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और इसकी क्या रूपरेखा है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खेल मंत्री बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब व आजकल वे खेल विभाग के अतिरिक्त कौनसा विभाग देख रहे हैं ?

राज्य मन्त्री, खेल-कूद (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) खेल विभाग सृजित करने की घोषणा कर दी गई है। रूपरेखा विचाराधीन है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के दिनांक 17-10-82 के आदेश से स्पोर्ट्स के नये विभाग का राज्य मंत्री को स्वतन्त्र चार्ज दिया गया है। जिसका स्वयं जवाब दे रहे हैं।

इसके अलावा वे भेड़ व ऊन विभाग; मत्स्य पालन विभाग तथा परिवार कल्याण विभाग का कार्य भी देख रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : पैसा तो दिया नहीं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो इस बात से स्पष्ट है कि खेल विभाग की घोषणा की गयी, खेल विभाग बना नहीं और मंत्री महोदय ने विभाग का चार्ज ले लिया, या उनको बना दिया गया। मैं जवाब दे रहा हूं, यह बात है मेरा प्रश्न यह है कि एक तो बिना विभाग के मंत्री कैसे हो गये ?

दूसरा जो खेल विभाग बनाने की घोषणा की गई है उसकी रूपरेखा क्या बनायी गयी है।

श्री अध्यक्ष : योजना विचाराधीन है।

श्री नाथूसिंह : उसका बजट कितना है ?

श्री अध्यक्ष : योजना बनेगी तभी तो बजट की जरूरत होगी ?

श्री नाथूसिंह : बजट ऑलरेडी बना हुआ है इसलिये तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि कितना बजट है, खेल के विकास की योजना क्या है ?

कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के खेलों में आप कैसे समन्वय करेंगे ? वर्तमान में जो खेल विभाग का गठन किया गया है उससे खिलाड़ियों को क्या लाभ मिलेगा ?

श्री रामकिशन वर्मा : इन सबका समन्वय किया जा रहा है। बजट में इसके लिये अलग से प्रावधान रखा गया है। मैं मुख्य मंत्री जी स्वयं से बात करूंगा अभी जो बजट रखा गया है उससे मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं राजस्थान को देखते हुए 5 लाख का बजट बहुत थोड़ा सा है उसको बढ़वाने का प्रयास करूंगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, छोटा स्टेट है हरियाणा उसका बजट 80 लाख का है ………

श्री अध्यक्ष : कितने का है ?

श्री नाथूसिंह : 80 लाख का। दूसरी जो स्टेट्स हैं उनका भी ज्यादा है, कई एक का तो एक करोड़ का है। राजस्थान के खेल विभाग का बजट रखा गया है पांच लाख रुपये। आप जानते हैं कि एक-एक के पास पांच-सात रुपये आयेगा तो उससे क्या होगा। तो क्या मंत्री महोदय यह समझते हैं कि इससे निश्चित रूप से राजस्थान में खेल का विकास होगा ?

स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में अलग-अलग खेल होते हैं तो इसका समन्वय किस प्रकार से करेंगे ? आप बजट को कितना बढ़ायेंगे ? कितनी जल्दी, इसकी घोषणा करेंगे ? घोषणा तो कर दी लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : स्पोर्ट्स कौंसिल का बजट 40 लाख का है।

श्री नाथूसिंह : 37 लाख का है।

सिंचाई मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): मुझे बताया गया है कि 40 लाख का है। विभाग की रूपरेखा विचाराधीन है। माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं उनका उस समय भी ध्यान रखा जायेगा उस समय रूरल और अरबन की तमाम बातें आयेंगी। बजट के अन्दर कन्टीनजेंसी फण्ड से लेंगे, कितना लेंगे उस पर विचार होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश !

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सही है कि आपने खेल विभाग का गठन करके खिलाड़ियों के साथ धोखा किया है।

श्री नाथूसिंह : कब होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : शीघ्रातिशीघ्र।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, आजकल क्या कार्य कर रहे हैं, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं या खाली बैठे हैं ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : खेल, खेल रहे हैं।

श्री राजबहादुर : यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिना किसी योजना के, बिना किसी रूपरेखा के, बिना किसी बजट के क्या कोई विभाग स्थापित किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि मंत्री महोदय काफी सक्रिय हैं। योजना बना रहे हैं। अभी एशियाड हुआ, कई दफा पुरस्कार वितरण हुआ तो उनके आपने चित्र देखे होंगे। वर्तमान में विधान सभा सदस्यों की कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं उनमें इन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया। यह काम कर रहे हैं। जब योजना बनकर सम्पूर्ण हो जायेगी, इस पर काम शुरू किया जायेगा। स्पोर्ट्स कौंसिल है।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी केवल उन्हीं विभागों का वितरण कर सकते हैं, जो विभाग एग्जिस्ट करते हों ? क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने बिना विभागों को एग्जिस्ट किये ही खेल मंत्री के नाम से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
संबोधित किया है, यह नियमों और व्यवस्थाओं के विपरीत है ?

श्री अध्यक्ष : कानून की व्याख्या का प्रश्न पूरक प्रश्न से नहीं पूछा जा सकता।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के लिये आर्टिकल 166 के अन्तर्गत रूल्स बने हुए हैं, यह प्रश्न उनसे संबंध रखता है एनवायरमेन्ट डिपार्टमेन्ट बना, डिपार्टमैन्ट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी सैंटर में बना, उसके बाद फिर नॉन-कन्वैन्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिपार्टमेंट बना सैंटर में। हमारे यहां भी रिलीफ डिपार्टमेंट.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बन जाये, उसके बाद में मंत्री बनायें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। विभाग बना ही नहीं, उसके पहले मंत्री उस विभाग का कैसे बन जाता है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री बनते ही विभाग बन जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बन कहां गया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी बन गये, जब विभाग बन गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल्स में साफ व्यवस्था है कि अमुक-अमुक विभाग हैं, उन विभागों को किस-किस मंत्री को दिया जाये, यह मुख्य मंत्री जी स्वयं का अधिकार है। जब कोई विभाग ही नहीं है तो मुख्य मंत्री जी वितरण किस विभाग का करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह कानून के इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है। जो पूरक प्रश्न के माध्यम से उठाया नहीं जा सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं।

श्री राजबहादुर : योजना होनी चाहिए, रूपरेखा होनी चाहिये, व्याख्या होनी चाहिये, बजट होना चाहिये, विभाग होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : यह हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी मेरे पास यह जानकारी नहीं है। आरबिट और परव्यू से संबंधित प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने प्रश्न पूछा है। जो रूल्स कन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल के.........

श्री अध्यक्ष : उसके लिये अलग प्रश्न पूछें।

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह): मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं, पहले मोटर गैराज विभाग का काम जी. ए. डी. विभाग देखता था, उसको अलग करके.........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी. ए. डी. विभाग में नहीं, जी. ए. डी. में....

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसी तरह से एज्यूकेशन के अन्दर स्पोर्ट्स विंग था, उसके हैड में, उस काम को अलग करके, बाइफरकेट करके अलग बनाया जा सकता है। इसी तरह मैं निवेदन करूं, टूरिज्म का काम जी. ए. डी., स्टेट गैराज का काम जी. ए.डी. देखता था उसको अलग करके अलग मंत्री बना दिया है, इसमें कानून की व्याख्या का सवाल नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): प्रश्न इस बात का नहीं है कि विभाग अथवा

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
बिना विभाग का मंत्री हो । किसी विभाग का मंत्री हो, विभाग का पैसा है तो सारे डिपार्टमेंट की स्थापना कब तक हो जायेगी?

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिना रंगों के चित्र बन रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री पहले पैदा होना चाहिये या विभाग पहले पैदा होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

राज्य मन्त्री, पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : अक्ल बड़ी कि भैंस ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो खर्चा किया जा रहा है, किस विभाग को होगा । किस विभाग में जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिकराय में कृषि मण्डी द्वारा सड़क निर्माण

781. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिकराय ग्राम में कृषि उपज मंडी, बांदीकुई द्वारा सड़क मंजूर की गई थी ? यदि हां, तो कितनी लागत की ?

(2) अब तक निर्माण नहीं होने के क्या प्रमुख कारण हैं ?

(3) इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । सिकराय सड़क हेतु वर्ष 1980-81 में 1,20,000.00 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

(2) सड़क निर्माण से पूर्व बरसाती नाले का निर्माण आवश्यक था । मंडी समिति के पास धन के अभाव के कारण बरसाती नाला बनवाना संभव नहीं हो सकता था । अतः सड़क का भी निर्माण संभव नहीं हो सका ।

(3) मंडी समिति के पास धन के अभाव में अभी संभव नहीं है ।

कृषि विभाग अलवर द्वारा कीटनाशक दवाइयों की खरीद

782. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1978 में कीटनाशक दवा ((डायमक्रोम) किस-किस सहकारी संस्था अथवा फर्म से कितनी मात्रा में खरीद की गई ? पूर्ण विवरण मय बिल संख्या माप एवं राशि सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दवाओं का वितरण सीधा कृषकों को न दिया जाकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों को किया गया जो नियमों के अनुकूल नहीं है ? यदि हां, तो उक्त सुपरवाइजरों ने उक्त दवाओं का वितरण किन-किन कृषकों को किस-किस

(श्री जीतमल जैन)

मात्रा में किया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) अलवर कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1978 में डाइमक्रोम कीटनाशक दवा ग्राम सेवा सहकारी समिति, चनखोटी, जिला भरतपुर से 192 लीटर, बिल सं. 8, दिनांक 1-5-78 द्वारा रु. 34,560.00 की क्रय की गई।

(2) हां, यह सही है कि डाइमक्रोम दवा का वितरण सीधा कृषकों को न किया जाकर विभाग ने कृषि सुपरवाइजरों के माध्यम से कृषकों के सरसों प्रदर्शन पर प्रयोग किया गया है, जो नियमानुसार है। कृषकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

सांगानेर में स्वतन्त्र कृषि मंडी की स्थापना

783. **श्री रामकंवार बेरवा** (फागी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सांगानेर में कृषि मंडी, जयपुर की कृषि मंडी के अन्तर्गत है ?

(2) यदि हां, तो जयपुर की कृषि मण्डी ने सांगानेर के नागरिकों की भलाई के लिये कितनी सड़कें व अन्य कार्य किये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सांगानेर में स्वतन्त्र कृषि मंडी की स्थापना की जायेगी ?

(4) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कृषि उपज मंडी समिति, जयपुर के अधीन सांगानेर में गौण मंडी यार्ड दिनांक 28-4-77 से कार्यरत है।

सड़कों के निर्माण सम्बन्धी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार के निर्णयानुसार स्वतन्त्र मंडी समिति स्थापित करने हेतु संबंधित क्षेत्र की मंडी शुल्क से वार्षिक आय कम से कम 3 लाख रुपये होना आवश्यक है। गौण मंडी यार्ड सांगानेर की मंडी शुल्क से आय निर्धारित मापदण्ड से काफी कम है जैसा कि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट होगा :—

1978-79	3,506.75
1979-80	4,483.97
1980-81	5,260.30
1981-82	4,432.98
1982-83 (फरवरी, 83 तक)	16,647.82

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

गत वर्षों में रबी एवं खरीफ की फसलों का उत्पादन

784. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1979-80, 80-81 एवं 81-82 में रबी और खरीफ की फसलें क्रमशः कितने-कितने हैक्टेयर भूमि में बुवाई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
की गई और कितना-कितना उत्पादन हुआ, एवं क्या लक्ष्य रखा गया था ?

(2) रबी और खरीफ फसलों में अलग वस्तुओं का लाख टनों में कितना-कितना उत्पादन हुआ ? इसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, दलहन, गन्ना एवं कपास का अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन की सूची उक्त वर्षों की क्रमशः सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त वर्षों में फसलों के लिये रसायनिक खाद कितना उपलब्ध कराया गया तथा कितनी-कितनी खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया था ?

(4) उक्त वर्षों में भिन्न-भिन्न किस्म के कितने उन्नत किस्म के बीज का वितरण किया गया एवं लक्ष्य क्या रखा गया था ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80, 80-81 एवम् 1981-82 में खरीफ की फसलें कितने हैक्टेयर भूमि में बुवाई की गई तथा कितना उत्पादन हुआ एवं जो लक्ष्य रखे गये वह सूचना परिशिष्ट 'क' में प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) उपर्युक्त वर्षों में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, दलहन, गन्ना एवं कपास का अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन की सूची परिशिष्ट 'ख' में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उपर्युक्त वर्षों में विभिन्न फसलों के लिए रसायनिक खाद के वितरण एवं उपलब्धि की तालिका परिशिष्ट 'ग' में प्रस्तुत कर दी गयी है।

(4) उपर्युक्त वर्षों में विभिन्न फसलों के विभिन्न स्रोतों से उन्नत किस्म के बीज वितरण के विभागीय अभिलेखानुसार लक्ष्य एवं उपलब्धि की सूचना परिशिष्ट 'घ' में प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राष्ट्रीय मरु उद्यान योजना

785. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राष्ट्रीय मरु उद्यान योजना के तहत जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के कितने ग्राम आते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों की आबादी भूमि बढ़ाने का प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त गांवों की आबादी भूमि के विस्तार के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय मरु उद्यान योजना के तहत जैसलमेर जिले में 33 ग्रामों का राजस्व क्षेत्र तथा बाड़मेर जिले के 9 ग्रामों का राजस्व क्षेत्र आता है। इनमें से जैसलमेर जिले में 21 ग्रामों का क्षेत्र अंशतः व 12 ग्रामों का क्षेत्र पूर्णतः आता है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले में 5 ग्रामों का राजस्व क्षेत्र अंशतः व चार ग्रामों का राजस्व क्षेत्र पूर्णतः आता है।

(वन मन्त्री)

(2) राष्ट्रीय मरु उद्यान के अन्तर्गत अस्थाई रूप से घोषित 3162 वर्ग क्षेत्र किलोमीटर है, जो कि प्रश्न सं. 1 में अंकित ग्रामों के अन्तर्गत आता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 35 उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल पार्क बनाए जाने के आशय की घोषणा की गई है। तदुपरान्त, जिलाधीश जैसलमेर/बाड़मेर द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत जनसाधारण से इस बारे में आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। उन पर सुनवाई के पश्चात् जिलाधीश अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेंगे तथा राज्य सरकार उन सभी पहलुओं पर विचार कर अंतिम निर्णय लेगी। आबादी एवं इसके विस्तार का ध्यान रखा जावेगा।

कोटा नगर के बाहर की तारबन्दी पर हुआ व्यय

787. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर के बाहर टंकियों के दोनों ओर नयागांव आंवली, रोझड़ी, गैपुरनाथ जी तक तारबंदी व बाड़ाबंदी की गई थी? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय कब-कब हुआ?

(2) क्या वर्तमान में वह तारबंदी व बाड़ाबंदी कायम है?

(3) तारबंदी व बाड़ाबंदी करने के पूर्व उपरोक्त बीड़ में कितने पेड़ थे? क्या यह सही है कि अब समस्त वृक्षावली समाप्त हो गई है? व तार एवं एंगिल आयरन चोरी हो गये हैं? यदि हां, तो विभाग ने इस हेतु क्या कार्यवाही की? और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या ऐसी शिकायतें हैं कि नियमित रूप से इसी मार्ग से कम से कम 100 साइकिलों पर सरेआम लकड़ी कोटा नगर में आ रही है, व विभागीय कर्मचारियों को इसका पता है? यदि हां, तो इस हेतु गत वर्षों में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां, कोटा नगर के बाहर कोटा बैराज जल ग्रहण क्षेत्र में नदी घाटी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत पेडोग्स का निर्माण कराया गया था। इन पर किये गये व्यय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) बाड़ाबन्दी के पश्चात पेडोग्स आड़िया पेड़ों की शक्लों में बदल गई है। इनकी गणना नहीं की गई है। यह सत्य नहीं है कि पेडोग्स के समस्त वृक्ष समाप्त हो गये हैं व तार एवं एंगल आयरन चोरी हो गये हैं। केवल अंकेलगढ़ पेडोग्स में तार व एंगल चोरी हुए थे। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(4) बोरावास कोटा सड़क द्वारा साइकिलों पर लकड़ी लाने की शिकायतें हैं। इस अवैध कार्य को रोकने हेतु परियोजना कोटा के अन्तर्गत एक विभागीय गश्ती दल गठित है। वर्तमान में गश्ती दल व आर्म्ड

(वन मन्त्री)
पुलिस फोर्स नया गांव फोरेस्ट चौकी पर ही वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु कैम्प लिये हुए है। इस क्षेत्र में वर्षवार पंजीकृत वन अपराध निम्नानुसार है:—

1979- 0	394
1980-81	222
19 1- 2	321
1982- 3	438

इसके अतिरिक्त कोटा वन मंडल में भी गत तीन वर्षों में साइकिलों द्वारा लकड़ी लाने के 402 मुकदमें दर्ज किये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

तेन्दू पत्ता एकत्र करने पर पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी प्रक्रिया

789. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्रमिकों को व्यापारियों के शोषण से मुक्ति दिलाने एवं तेन्दू पत्ता उत्पादन में वृद्धि और सुधार के लिये तेन्दू पत्ते का राज्य में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था ? यदि हां, तो व्यापारियों द्वारा प्रति माणक बोरा कितना पारिश्रमिक दिया जाता था और राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वन विभाग किस दर से भुगतान कर रहा है ?

(2) तेन्दू पत्ता एकत्र करने पर पारिश्रमिक निर्धारण के लिये क्या-क्या प्रक्रियाएं प्रति वर्ष अपनाई जाती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारियों द्वारा तेन्दू पत्ता संग्रहण हेतु श्रमिकों को रु. 13/– से रु. 15/- प्रति मानक बोरा चुकाया जाता था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वन विभाग द्वारा तेन्दू पत्ता संग्रहण हेतु श्रमिकों को वर्षवार निम्नानुसार प्रति मानक बोरा संग्रहण दर चुकाई गई:–

वर्ष	चुकाई गई दर प्रति मानक बोरा
1974	18/- से 27/- रु. प्रति मानक बोरा
1975	20/- से 28/- रु. ,,
1976	20/- से 28/- रु. ,,
1977	20/- से 25/- रु. ,,
1978	20/- से 25/- रु. ,,
1979	22/- से 28/- रु. ,,
1980	24/- से 30/- रु. ,,
1981	30/- से 35/- रु. ,,
1982	35/- से 45/- रु. ,,
1983	40/- से 50/- रु. ,,

नोट : वर्ष 19 3 की दरें राज्य सरकार द्वारा अभी तक राजपत्र में प्रकाशित नही की गई हैं।

(2) राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार व विनयमन) अधिनियम, 1974 की धारा (6) के अनुक्रम में राज्य सरकार प्रति वर्ष तेन्दू पत्ता संग्रहण की दर निर्धारण हेतु एक सलाहकार समिति का गठन करती है। जिसके अध्यक्ष–वन संरक्षक (प्रादेशिक) वृत्त, संयोजक–उप वन संरक्षक, पत्ता तेन्दू योजना एवं सदस्य सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक और एक तेन्दू पत्ते का व्यापारी होता है। उक्त समिति प्रति वर्ष संग्रहण दर निर्धारित कर राज्य सरकार को सूचित करती है। तत्पश्चात् राज्य सरकार उक्त संग्रहण दर को राजपत्र में प्रकाशित करवाती है। उक्त निर्धारित पारिश्रमिक ही विभाग द्वारा श्रमिकों को चुकाया जाता है।

जिला बीकानेर में डेयरी के माध्यम से पशु आहार का वितरण

790. **श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह** (गुढ़ा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला बीकानेर में 1980–81, 1981–82, 1982–83 में डेयरी के माध्यम से कितना पशु आहार वितरित किया गया कृपया ग्राम व समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पशु आहार में कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया गया व कितना खर्चा पशुपालक को वहन करना पड़ता है ? कृपया वर्षवार विवरण तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तरी राज. दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर द्वारा वर्ष 1980–81, 1981-82 व 1982–83 में क्रमशः 492464, 6595609 व 11228298 किलो पशु आहार बीकानेर जिले में वितरित किया गया ग्राम व समितिवार सूचना नहीं रखी जाती है वितरण केन्द्रवार सूचियां संलग्न हैं।

(2) पशु आहार वितरण हेतु राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान व पशुपालकों से प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण संलग्न है।

(सूचियों व विवरण के लिये कृपया परि-शिष्ट 8 देखें)

खादी ग्रामोद्योग द्वारा पीपल्दा, सुल्तानपुर व सांगोद में ऋण वितरण

791. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पीपल्दा, सुल्तानपुर व सांगोद क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु वर्ष 1982–83 में कुल कितने प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(2) उनमें से कुल कितने व्यक्तियों को किस किस व्यवसाय हेतु कितना ऋण व अनुदान दिया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 82–83 में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पीपल्दा, सुलतानपुर व सांगोद क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने हेतु निम्न संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं:–

पीपल्दा	48
सुल्तानपुर	23
सांगोद	47

(2) वितरित की गई उद्योगवार इकाइयों की संख्या तथा ऋण अनुदान का विवरण पत्र संलग्न है।

(विवरण पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

भवानी मण्डी क्षेत्र में मछली उत्पादन से आय

792. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी क्षेत्र में मछली पालन

(श्री हरीश शर्मा)
एवं उत्पादन काफी हो रहा है ? इससे प्रति वर्ष सरकार को कितनी आय हो जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि भवानी मण्डी रेलवे स्टेशन से रेल के द्वारा भारी तादाद में चोरी छुपे मछलियां विभाग के कर्मचारी बेचने को बाहर भेज देते हैं और उसका पैसा स्वयं हड़प जाते हैं ?

(3) क्या सरकार ऐसे स्थानों पर कोई विशेष दस्ते कायम करेगी जो इस चोरी को रोक सकें ?

उत्तर

(1) जी नहीं । भवानी मण्डी क्षेत्र में कोई मत्स्य उत्पादन स्रोत न होने के कारण आय का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी नहीं

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पशु चिकित्सालय अरनोद द्वारा आयोजित पशुपालन गोष्ठियां

793. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

क्या यह सही है कि वर्ष 1981–82 में अरनोद स्थित पशु औषधालय, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उन्नत पशुपालन की जानकारी देने के लिये पशुपालन गोष्ठियों का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो कब–कब और कहां-कहां ? उक्त गोष्ठियों में किन–किन जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया ?

उत्तर

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स फारमेडिका, अलवर पर छापा

794. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स फारमेडिका, अलवर पर दिनांक 14–12–81 को चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था ? यदि हां, तो क्यों और छापे का क्या परिणाम निकला ?

(2) क्या यह सही है कि इस फर्म का संयुक्त निरीक्षण भी किया गया था ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां दिनांक 14–12–81 को औषधि एवं प्रसाधान सामग्री अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया ।

जनरल अस्पताल, अलवर के डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ की अन्य स्थान से प्रतिनियुक्ति की समाप्ति

795. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जनरल अस्पताल में कितने डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ के लोग अपने पदस्थापन के स्थान पर होकर प्रति-नियुक्ति पर किस-किस तिथि से हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(श्री जीतमल जैन)

(2) उक्त व्यक्ति जो प्रतिनियुक्ति पर है उनका मूल पदस्थापन कहां है एवं उनका अलवर प्रतिनियुक्ति का क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या इन व्यक्तियों के अलवर में रहने का कारण उन स्थानों के मरीज सुविधा से वंचित नहीं होते हैं, जहां इनका मूल पदस्थापन है। यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने के आदेश प्रसारित करेगी ?

उत्तर

(1) अलवर जनरल अस्पताल में कोई डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है। केवल 7 नर्सिंग स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रतिनियुक्ति का कारण प्रश्न के भाग (1) के साथ संलग्न सूची में अंकित है।

(3) जी हां। इन व्यक्तियों के पुनः अपने मूल स्थानों पर पदस्थापन करने का मामला विचाराधीन है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजकीय अस्पताल सोजत का जनरेटर

796. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोजत के राजकीय अस्पताल के लिये एक दान दाता द्वारा बिजली का जनरेटर भेंट किया गया था तथा उसके साथ एक शर्त थी कि उसके खर्चे हेतु जो भी डीजल की जरूरत पड़ेगी तथा रिपेयर कराने की जरूरत पड़ेगी उसे सरकार द्वारा कराया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि काफी समय से उक्त जनरेटर डीजल उपलब्ध न होने तथा रिपेयर न किये जाने के कारण बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो इसे काम में लाने हेतु सरकार क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु उसके साथ इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी।

(2) जी नहीं, जनरेटर इस समय चालू हालत में है।

राजकीय अस्पताल, बगरू का बजट एवं अव्यवस्थाओं में सुधार

797. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बगरू राजकीय अस्पताल में किस किस स्तर पर क्या-क्या स्टाफ स्वीकृत व कार्यरत है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पताल में लेडी डॉक्टर का पद कब स्वीकृत हुआ ? इस पद पर नियुक्त लेडी डॉक्टर को कब-कब हटाया गया ? वर्तमान में यहां कौन लेडी डॉक्टर कार्यरत है ?

(3) उक्त अस्पताल में दवाइयों का बजट कितना है ? क्या यहां मरीजों

(श्रीमती विद्या पाठक)
की संख्या के अनुपात में बैड संख्या, स्टाफ संख्या, कमरे आदि पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो इस अव्यवस्था में सुधार की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) लेडी डॉक्टर का पद मई, 1981 में स्वीकृत हुआ ।

डॉ. भारती बजाज 8–5–81 से 27–7–81 तक कार्यरत रहि ।

डॉ. सतनाम कौर 3–10–81 से 22–11–81 तक ।

डॉ. सुशीला खुटेटा 2–10–82 से लगातार कार्यरत हैं ।

दवाओं का बजट 10,000–रु. का है ।

(3) उपलब्ध सुविधा पर्याप्त है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर द्वारा विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई हेतु आमन्त्रित निविदाएं

798. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में भोजनशाला में प्रयोगार्थ आटा, दाल, मसाले आदि सप्लाई करने हेतु दिसम्बर, 1982 में निविदायें आमन्त्रित की गई थीं ? यदि हां, तो किस-किस ने किस-किस भाव पर ये सामग्रियां सप्लाई करने की निवादायें प्रस्तुत कीं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि निविदाएं खोली जाने वाले दिन निविदाएं खोली जाकर उपस्थित निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के सामने प्राप्त निविदाओं के आधार पर उनकी रेट्स की घोषणा कर दी गई थी ।

(3) क्या यह भी सही है कि निविदाएं खोली जाकर उनकी रेट्स की घोषणायें करने के बाद उनमें से कई निविदा प्रपत्रों में रेट्स की कांट-फांस कर पक्षपात किया गया और वह तथ्य ज्ञात हो जाने पर पुनः निविदायें आमन्त्रित की जाने की कार्यवाही की जा रही है ?

(4) इस काट-फांस के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर

(1) जी हां ।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) जी. हां । निविदा प्रपत्रों में रेट्स की काट-फांस अधीक्षक, जे. एल. एन. हास्पिटल, अजमेर के नोटिस में लाई गई थी । तथा उसके पश्चात् पुनः निविदा आमन्त्रित की गई ।

(4) इस मामले की जांच की जा रही है । जांच के बाद दोषी व्यक्तियों क विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

टी. बी. हॉस्पिटल सवाई माधोपुर की एक्स-रे मशीन

799. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर नगर के टी. बी. हॉस्पिटल के एक्स-रे मशीन का कमरा जीर्ण-शीर्ण हो चुका ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत न कराने की जिम्मेवारी किसकी है ?

(2) क्या टी. बी. हॉस्पिटल को किसी अन्य जगह हस्तान्तरित करने की मांग जनता ने की थी ? यदि हां, तो इस हॉस्पिटल को कब तक हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ?

(3) क्या उक्त हॉस्पिटल के भवन के बारे में मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, इसके मरम्मत की जिम्मेवारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है।

(2) जी हां, समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य स्थान पर स्थानान्तरण करना संभव होगा ।

(3) जी नहीं ।

पेन्शनरों को चिकित्सा सुविधा

800. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य के पेशनरों को चिकित्सा रियायत देने की योजना गत दिनांक 15-5-82 से लागू की गई है ।

(2) यदि हां, तो क्या इस योजना के पैरा 11 की प्रक्रिया के अधीन प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर ऐसी एलोपेथी दवाइयों की दुकानों को मान्यता दी जा चुकी है जहां से पेन्शनर्स बिना पैसा दिये दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं ?

(3) दिनांक 15-5-82 से 15-2-83 तक इन दुकानों से कितने रुपयों की दवाइयां प्रतिमाह पेंशनरों को दी गई हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) इस योजना के तहत पेंशनरों की चिकित्सा हेतु कौन-कौन सी दवाई बिना पैसे के दी जाने हेतु सूचीबद्ध की गई है ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एवं अधिकांश तहसील मुख्यालय पर ऐसी दुकानों को मान्यता दी जा चुकी है । कुछ तहसील मुख्यालयों पर कोई दुकानदार मान्यता प्राप्त करने को उत्सुक नहीं है ।

(3) 15-5-82 से 31-1-83 तक दवाइयों पर हुए खर्च की जिला कोषालय एवं माहवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है । माह फरवरी, 83 के आंकड़े माह मार्च, 83 के अन्त तक प्राप्त होंगे ।

(4) पेंशनरों की चिकित्सा हेतु दी जाने वाली दवाइयां सूचीबद्ध नहीं हैं । उन्हें वे सारी दवाइयां मिलती हैं जिनका पुनः भरण राज्य सरकार के कर्मचारियों को होता है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पोलियो की रोकथाम

801. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पोलियो रोग की रोकथाम हेतु राज्य में क्या क्या प्रयास किये गये ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने हर जिले में पोलियो रोग की बीमारी की रोकथाम के लिए चिकित्सक दलों का गठन किया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से जिले में कितने-कितने ?

उत्तर

(1) पोलियो रोग की रोकथाम हेतु चिकित्सा केन्द्रों, जहां पोलियो वैक्सीन रखने की सुविधा है, के द्वारा पोलियो वैक्सीन पिलाने की सुविधा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ चयनित खण्डों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चला कर शिविर के माध्यम से भी पोलियो वैक्सीन पिलाने का कार्य किया गया है।

(2) जी नहीं।

पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं सिणधरी में चिकित्सा सुविधा

802. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा-मालानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, धोरीमन्ना एवं सिणधरी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की क्या-क्या सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं ?

(2) पंचायत समिति सिणधरी एवं धोरीमन्ना के कितने ग्रामों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है व कितने ग्रामों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है और यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, धोरीमन्ना में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दो डिस्पैन्सरी एवं 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

(2) पंचायत समिति, सिणधरी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक डिस्पैंसरी एक एडपोस्ट और 9 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र है।

कुल 26 गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। शेष गांवों में ग्राम स्वास्थ्य रक्षकों (प्रति हजार की आबादी पर एक) द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।

टौंक शहर के योजनाबद्ध विकास की योजना

803. श्री महावीर प्रसादजैन (टौंक) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टौंक शहर का योजनाबद्ध विकास करने की दृष्टि से एक सर्वे हुआ है ? यदि हां, तो कृपया सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) टौंक शहर के समुचित विकास पर कितना व्यय प्रस्तावित है, एवं यह राशि

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
कौन-कौन से वर्षों में कितनी-कितनी खर्च की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । टौंक शहर के योजनाबद्ध विकास हेतु सर्वे नगर नियोजन विभाग द्वारा दिसम्बर, 1981 से अप्रेल, 1982 तक किया गया । सर्वे किया गया एरिया 680 एकड़ है, जो टाउन मैप पर दर्शाया गया है । इस टाउन मैप की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) चूंकि सर्वे रिपोर्ट पूरी होकर नगर परिषद्, टौंक में प्राप्त नहीं हुई है, अतः यह बताना संभव नहीं है कि टौंक शहर के समुचित विकास पर कितना व्यय होगा और अभी इस स्तर पर यह भी नहीं बताया जा सकता कि उक्त राशि कौन-कौन से वर्षों में कितनी कितनी खर्च की जावेगी ।

(मैप की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाये गये घूघरा घाटी के लोगों को बसाने की योजना

804. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् सीमा अजमेर में घूघरा घाटी में रह रहे लोगों के मकानों को अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान गिरा कर, उन्हें बेघर कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब, कितने मकान गिराये गये ?

(2) क्या यह सही है कि यहां बसे गरीब लोगों के प्रदर्शन एवं आन्दोलन करने पर नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष ने घूघरा घाटी को विकसित बस्ती बनाने का कार्य प्राथमिकता से कराने का आश्वासन दिया था ?

(3) यदि हां, तो इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है बेघर लोगों में से किन-किन को आवासीय भू-खण्ड कब-कब दे दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां । घूघरा घाटी पर राजकीय सिवाय चक न्यास को हस्तान्तरित भूमि में अवैध निर्मित कच्चे/पक्के 40 मकानों को दिनांक 21-8-82 को न्यास द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान में हटवाया गया था ।

(2) जी हां ।

(3) शीघ्र ही इन्हें आवासीय भूखण्ड आवंटित कर दिये जायेंगे ।

बूंदी क्षेत्र की नगरपालिकाओं के प्रशासकों द्वारा भू-खण्डों का बेचान

805. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नैनवा केशवरायपाटन, लाखेरी, बूंदी और कापरेन नगरपालिकाओं में सन् 1974 से अब तक प्रशासकों द्वारा कितने आवासीय भू-खण्डों का बेचान किया गया ? कृपया पालिका वार सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें ।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) क्या उक्त अवधि में प्रशासकों द्वारा बेचे गये भू-खण्ड पालिकाओं की सम्पत्ति थे ? यदि नहीं तो क्या ये भू-खंड अवाप्त कर आबादी में परिवर्तित किये गये ?

(3) उक्त भू-खंड किस दर पर दिये गये ?

उत्तर

(1) नगरपालिका लाखेरी, नैनवा, बूंदी, कापरेन और केशवरायपाटन में सन् 1974 से अब तक प्रशासकों द्वारा आवासीय भू-खण्डों का बेचान किया गया है। उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विक्रय किये गये भू-खण्डों की भूमि पालिका की सीमा में होने के कारण अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गई थी।

(3) उक्त नगरपालिकाओं द्वारा निम्नांकित दर से भू-खण्ड दिये गये थे:—

(क) नगरपालिका नैनवा द्वारा 90 आवासीय भू-खण्ड आम नीलामी द्वारा विक्रय किये गये थे।

(ख) नगरपालिका बूंदी ने 29 भू-खण्ड नीलामी से 149 क्राउन ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत 1/- रु. प्रति पट्टा की दर से 109 भू-खण्ड नियमन की निर्धारित दर 2/- रु. व 3/- रु. प्रति वर्गगज की दर से दिये गये।

(ग) नगरपालिका केशवरायपाटन द्वारा 21 भू-खण्ड नीलामी द्वारा दिये गये।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

नगरपालिका सांगानेर के अधिकारी/कर्मचारी

806. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका, सांगानेर में किस किस स्तर के कितने कितने कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं ? इनमें चतुर्थ श्रेणी के कितने हैं ?

(2) उपरोक्त में 5 वर्ष से अधिक ठहराव वाले कर्मचारी प्रत्येक स्तर पर कितने-कितने व कौन-कौन हैं ? उनके ठहराव की अवधि, तारीख, पद आदि का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) वर्ष 1982-83 में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कब कब भर्ती किये गये ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) पालिका में सफाई कर्मचारियों की संख्या पिछले 3 वर्षों में क्या-क्या रही ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) नगरपालिका सांगानेर में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का स्तरवार विवरण निम्नानुसार है। इनमें 61 चतुर्थ श्रेणी के हैं :—

(क) राज. नगरपालिका सेवा

1. अधिशासी अधिकारी 1

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(ख) राज. नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा :—

1.	वरिष्ठ लेखक	1	(निलम्बित चल रहा है)
2.	कनिष्ठ लिपिक	4	
3.	कार्यालय मोर्हरिर	1	
4.	कनिष्ठ अभियन्ता	1	
5.	नाकेदार	8	
6.	सब नाकेदार	14	
7.	नाका मोर्हरिर	2	
8.	ड्राइवर	1	

(ग) राज. नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी

1.	जमादार	1	
2.	चपरासी	1	
3.	नाका गार्ड	13	
4.	भिश्ती	1	
5.	सफाई कर्मचारी	21	(1 निल.)
6.	सफाई स्त्री	24	(1 निल.)

(2) 5 वर्ष से अधिक ठहराव वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्तरवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ?

(3) वर्ष 82-83 में भर्ती किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(4) पालिका में सफाई कर्मचारियों की संख्या का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

807. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा अपने अधीनस्थ किन-किन कर्मचारियों को सस्ती दरों पर प्लाटों का आवंटन किया गया है ? सूची मय नाम, प्लाट का क्षेत्रफल, मूल्य एवं आवंटन का स्थान सहित सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या किसी कर्मचारी को एक से अधिक प्लाट का आवंटन या बिक्री स्वयं कर्मचारी, उसके माता-पिता, पत्नी, पुत्र या पुत्री एवं भाई के नाम किये गये हैं ? ऐसे कर्मचारियों की सूची कर्मचारी से रिश्ते एवं प्लाट का पूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(3) न्यास की उक्त कार्यवाही से न्यास को कितना नुकसान हुआ है ? विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा अपने अधीनस्थ किसी भी कर्मचारी को सस्ती दरों पर भू-खण्ड आवंटन नहीं किये गये हैं केवल दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अलाट किये हैं, जिनका नाम व स्थान निम्न प्रकार है:—

1. श्री बलराम चपरासी अनु. जाति क्वार्टर नं. 11, क्षेत्रफल 70 वर्गगज, कीमत 13,142/- रुपये कोली कॉलोनी, अलवर ।

(नगर आयोजना मन्त्री)

2. श्री रामेश्वर दयाल मीणा, अनु. जनजाति भू-खण्ड नं. 271 योजना नं. साउथ वेस्ट ब्लाक (कालाकुआ), क्षेत्रफल 213 वर्ग गज, दर 52.50 रुपया प्रति वर्ग गज, कुल राशि 11,182.50 पैसा।

(2) न्यास में कार्यरत कर्मचारियों ने नीलामी के माध्यम से भू-खण्ड खरीद किये हैं जिनका ब्यौरा निम्न है एक से अधिक प्लाट किसी भी कर्मचारी ने खरीद नहीं किया है।

1.	श्री शुकदेव प्रसाद, स्टेनो प्रथम	प्लाट नं. 89	स्कीम नं. 7		अलवर
2.	श्री भोला राम लेखाकार	,, 90	,, ,,		,,
3.	श्री भगवत प्रसाद शर्मा, क. लेखा.	,, 123	,, 2	सी.ई.बी.	,,
4.	श्री घनश्याम दत्त माथुर, ड्राइवर	,, 124	,, ,,	,,	,,
5.	श्री भगवत स्वरुप जैन, अधीक्षक	,, 137	,, 10		,,
6.	श्री देवी सहाय गुप्ता, क. लि.	,, 82	,, 10		,,
7.	श्री ओमप्रकाश शर्मा, क. लि.	,, 87	,, 5		,,
8.	श्री पूरण मल सैनी, क. लि.	,, 140	,, 10		,,
9.	श्री निहाल सिंह, व. लि.	,, 146	,, 5		,,
10.	श्री कन्हैया लाल, क. लि.	,, 135	,, 5		,,
11.	श्री सुभाष रस्तोगी, स. अभि.	,, 228	,, 3		,,
12.	श्री श्याम सुन्दर अरोड़ा, क. अभि.	,, 219	,, 3		,,

(3) न्यास द्वारा आवंटन में किसी भी कर्मचारी को भू-खण्ड नहीं दिया गया है इसलिए न्यास को वित्तीय नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के तहत निर्माण कार्य

810. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में सन् 1978 से 1982 तक काम के बदले अनाज योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्दर कुल कितने पक्के कार्य स्वीकृत हुए उनमें से कितने पूर्ण हुए और कितने अधूरे हैं ? सूची पंचायत समिति वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में कुल कितने स्कूल, कितने पंचायत भवन, कितने औषधालय, कितनी धर्मशाला उक्त अवधि में बनाये गये ? पंचायत समिति वाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में उक्त अवधि में अधूरे कितने स्कूल, कितने पंचायत भवन, कितने औषधालय और कितने

(श्री अमीन खां)
टांके रहे पंचायत समिति वाइज संख्या बताने की कृपा करें ?

(4) काफी समय से जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनको कब तक पूर्ण करने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में सन् 1978 से 1982 तक काम के बदले अनाज योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल पक्के स्वीकृत, पूर्ण एवं अधूरे कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" व "ख" पर पंचायत समिति वाइज सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में उक्त अवधि में जो स्कूल भवन, पंचायत भवन, औषधालय, धर्मशाला बनाये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "क" व "ख" में पंचायत समिति वाइज सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) उक्त अवधि में जिला बाड़मेर जैसलमेर में कुल अधूरे रहे स्कूल पंचायत भवन औषधालय व टांके की सूची परिशिष्ट "क" व "ख" पर पंचायत समिति वाइज सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(4) जो कार्य अधूरे पड़े हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के आदेश दिये गये हैं ।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राज्य में छोटी सीमेंट फैक्ट्रियों हेतु लाइसेन्स

811. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में छोटी सीमेन्ट फैक्ट्रियों के लगाने के लिए भारी संख्या में प्रार्थना-पत्र केन्द्र एवं राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इनकी कितनी संख्या है ?

(2) क्या सरकार छोटी सीमेन्ट फैक्ट्री के लाइसेन्स दिये जाने के खिलाफ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य में अब तक कुल कितनी छोटी सीमेन्ट फैक्ट्री को लाइसेन्स दिये गए हैं ? इनमें कितनी पूंजी का नियोजन होगा तथा कितने लोगों को काम मिलेगा ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । भारत सरकार/राज्य सरकार के पास मिनि सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु केवल क्रमशः 3 व 6 आवेदन पत्र विचाराधीन है । लघु उद्योग इकाइयों के तहत पंजीकृत की जाने वाली मिनी सीमेन्ट इकाइयों के पंजीकरण हेतु कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है ।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) राज्य में नौ मिनि सीमेन्ट इकाइयों को आशय-पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं । इनके संबंध में विस्तृत विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इसके अतिरिक्त लघु उद्योग इकाइयों के तहत

(उद्योग मन्त्री)

दिनांक 31-1-1983 तक कुल 163 अस्थाई तथा 2 स्थाई मिनि सीमेन्ट इकाइयों को पंजीकृत किया गया है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

राज्य में मिनी सीमेंट प्लान्ट्स हेतु सर्वेक्षण

812. श्री टाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार द्वारा राज्य में मिनि सीमेंट प्लान्ट्स की आवश्यकता व उपादेयता पर कोई अध्ययन या सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में और कहां-कहां ऐसे सीमेंट प्लान्ट्स लगाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा राज्य में मिनी सीमेंट प्लान्ट्स की आवश्यकता व उपादेयता पर कोई अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है । यद्यपि सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया ने आधार भूत सुविधाएं एवं चूने के पत्थरों की उपलब्धता के आधार पर मिनि सीमेंट परियोजनाओं के लिये कुछ स्थानों का चयन किया है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के खनिज विभाग द्वारा सीमेंट ग्रेन लाइम स्टोन के भण्डारों का अनुमान लगाने के लिये समय-समय पर सर्वेक्षण करवाया जाता रहा है । राज्य में जिन स्थानों के लिये राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आशय पत्रों के आधार पर मिनी सीमेंट प्लान्ट् लगाया जाना प्रस्तावित है उनके विस्तृत विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

अजमेर शहर में पुलिस इन्सपेक्टर, सब-इन्सपेक्टर का पदस्थापन

813. श्री सैयद मोहम्मद अय्याज महाराज (मसूदा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर शहर में पुलिस सब इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर कितने हैं तथा कितने-कितने समय से व किन-किन थानों पर रह चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ का गृह जिला होने के बाद भी अजमेर में पदस्थापन हैं ? यदि हां, तो नियमों के विपरीत ऐसा क्यों हुआ तथा इस पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर शहर में कुल 5 इन्सपेक्टर पुलिस (सिविल) व 23 सब-इन्सपेक्टर पुलिस (सिविल) हैं, जिनमें एक इन्सपेक्टर व सब-इन्सपेक्टर पुलिस स्टेशनों पर तैनात है । इनके पूर्व में शहर के पुलिस स्टेशनों पर रहने संबंधी विवरण संलग्न सूची में है ।

(2) जी हां । सब-इन्सपेक्टर (सिविल) व उससे उच्च पुलिस अधि-

(गृह मन्त्री)
कार्मियों का गृह जिलों में पदस्थापन न करने संबंधी राज्य सरकार का नीतिजन्य निर्णय है। कभी-कभी प्रशासनिक कारणों से अपवाद स्वरूप किसी को गृह जिले में भी रखना पड़ जाता है अजमेर शहर में पदस्थापित 4 सब-इन्सपेक्टरों का गृह जिला अजमेर होने से दिनांक 14-2-83 के आदेश से इनके स्थानान्तरण जिले से बाहर कर दिये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

प्रदेश में बसों व ट्रेनों में लूट की घटनायें

814. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1 अप्रेल, 82 से लेकर 31 जनवरी, 83 तक प्रदेश में कितनी बस और ट्रेनें लूटी गईं? इस लूट में कितने रुपये का माल गया, कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, कितने घायल हुए? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितनों का चालान किया गया? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

इस अवधि में प्रदेश में बसें और ट्रेनें लूटने की कुल 14 घटनायें हुई हैं, जिनमें 1,01,338 रुपये का माल गया है। किसी को जान से हाथ नहीं धोना पड़ा है। पांच व्यक्ति घायल हुए हैं। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11 का चालान किया गया है।

पीपल्दा क्षेत्र में जिला विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न मदों में खर्च

815. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में वर्ष 1982-83 में जिला विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न मदों पर कुल कितना पैसा खर्च किया जाना था, तथा कितना रुपया खर्च किया?

(2) उक्त बजट के सही तौर से खर्च नहीं होने का क्या कारण है?

(3) पीपल्दा क्षेत्र में उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर कुल कितनी राशि खर्च हुई?

उत्तर

(1) कोटा जिले में वर्ष 82-83 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न मदों में कुल 138.37 लाख रुपये खर्च किया जाना था। जनवरी, 83 तक विभिन्न मदों में 56.04 लाख व्यय किया गया है।

(2) उक्त बजट सही तौर पर खर्च किया गया है।

(3) पीपल्दा क्षेत्र में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने विभिन्न मदों में 3.51 लाख रुपया व्यय किया गया है।

परिवहन निगम की जयपुर-इन्दौर बस में डकैती

816. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में 3 अक्टूबर, 1982 की रात्रि को राज-

(श्री हरीश शर्मा)
स्थान राज्य पथ परिवहन निगम की इन्दौर जा रही बस को दरा के जंगलों में कुछ लुटेरों ने लूट लिया था ?

(2) क्या लुटरों ने बस ड्राइवर की कनपटी पर पिस्तोल टिका कर अमझार महल के रास्ते में ले जाकर बस को खड़ा कर दिया था ? क्या यह लुटेरे युवक थे और छावनी चौराहे से बस में बैठे थे ?

(3) इस मामले में कितने रुपये का माल लूटा गया ? क्या आज तक यह लुटेरे पकड़े नहीं गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार लुटेरों को पकड़ने हेतु क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पिस्तौल दिखा कर बस को लूटा गया। लुटेरे कोटा से बस में बैठे थे।

(3) इस घटना में करीब 10 हजार रुपयों की सम्पत्ति लूटी गई। अभियोग में 4 मुलजिमान नामजद किये गये हैं जिनमें से श्री सत्येन्द्र सिंह को दिनांक 3-3-83 को गिरफ्तार कर लिया गया है शेष 3 भरतसिंह, राकेश व नन्दकिशोर की तलाश जारी है। जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर तफतीश की जायेगी।

ग्राम पंचायत, सिकन्दरा के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

817. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सिकन्दरा, पंचायत समिति, सिकराय के सरपंच को भूतपूर्व सरपंच श्री रामलाल पालीवाल ने अभी तक भी चार्ज नहीं दिया है, यदि हां तो चार्ज दिलाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री रामलाल पालीवाल के विरुद्ध लगभग 40 हजार रुपये के गबन व राजकीय राशि के दुरुपयोग का मामला चल रहा है ? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा कराई जा रही है तथा अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जांच में यह सिद्ध हो गया है कि श्री पालीवाल द्वारा गबन किया गया है, यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट व गबन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, सिकन्दरा से वर्तमान सरपंच को चार्ज दिलाने के लिये तहसीलदार, सिकराय को नियमानुसार कार्यभार का हस्तान्तरण कराने के निर्देश दिये गये थे। तहसीलदार सिकराय ने राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत भूतपूर्व सरपंच को कार्यभार संभलाने के लिये निर्देशित किया परन्तु भूतपूर्व सरपंच द्वारा पालना नहीं की गई। अतः तहसीलदार, सिकराय ने भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत न्यायालय अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक दण्डनायक, बांदीकुई

(श्री पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री) में दिनांक 23-4-82 को इस्तगासा दायर कर दिया गया है, जो विचाराधीन है ।

(2) जी हां । श्री रामलाल पालीवाल के विरुद्ध पंचायत कोष का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग, अनियमिततायें बरतने आदि आरोप प्राइमाफेसी सही पाये जाने पर सरपंच को आरोप-पत्र जारी कर राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 21 (2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया एवं सरपंच को दिनांक 5-12-81 को निलम्बित भी किया गया । सरपंच द्वारा आरोपों का खण्डन किये जाने पर उपरोक्त नियमों के-नियम 21 (3) के अन्तर्गत उप जिलाधीश, दौसा को दिनांक 23-2-82 को विस्तृत जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(3) पूर्व सरपंच के विरुद्ध विस्तृत जांच विचाराधीन है । विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं पूर्व सरपंच के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

पंचायत समितियों में ग्रामसेवकों का पदस्थापन

818. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समितियों में ग्रामसेवक जनवरी, 1983 में भेजे गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई पंचायत समितियों द्वारा उक्त कर्मचारियों को 31 जनवरी, 1983 तक भी किसी स्थान पर नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति द्वारा और क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मामले की विभाग के पास कोई शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया पूर्ण विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कृषि विभाग में रिवर्स डेपूटेशन पर कार्य कर रहे ग्रामसेवकों को संबंधित पंचायत समितियों में वापस भेजा गया है ।

(2) पंचायत समिति, नादौती से 4 ग्रामसेवक पंचायत समिति, बामनवास में फरवरी, 83 में आने से एवं कृषि विभाग द्वारा पंचायत समिति, खण्डार में 5 ग्रामसेवक, फरवरी, 83 में व एक ग्रामसेवक मार्च, 83 में रिवर्स डेपूटेशन से वापस लौटाये जाने पर पदस्थापित किये गये ।

(3) जी नहीं ।

बाठेड़ा (कलां) में मेघवाल समाज हेतु कुए का निर्माण

819. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभ नगर): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पं. स., भीण्डर के अन्तर्गत पंचायत बाठेडा (कलां) में मेघवालों के लिये कोई नई कुई निर्माण हुई ? यदि

(श्री कमलेन्द्र सिंह)
हां, तो क्या यह कार्य सरपंच द्वारा कराया गया ?

(2) उक्त कुई के लिये कितनी स्वीकृत राशि किसने ली तथा इसके निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) क्या इस कार्य के लिये यू. सी. प्राप्त किया गया है ?

(4) क्या मेघवाल समाज ने इस कुई के निर्माण के बारे में कोई शिकायत की है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां । यह कार्य पंचायत समिति, भीण्डर द्वारा कराया गया है ।

(2) यह कार्य पंचायत समिति द्वारा कराया गया जिस पर दस हजार रुपये का व्यय होना बताया गया है ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां । मेघवाल समाज की ओर से एक प्रार्थना-पत्र पंचायत समिति में दिनांक 14-2-83 को प्राप्त हुआ है जिसकी जांच के आदेश दिये जा चुके हैं राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ?

सीमांत प्राथमिक विशालयों का शिक्षा विभाग को हस्तान्तरण

820. श्री कनक राज मेहता (सांचौर): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्यादेश से अक्टूबर, 1966 में सीमांत प्राथमिक विद्यालयों को पंचायती राज से शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त सीमांत विद्यालयों को जून, 1973 में पुनः पंचायती राज को सुपुर्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 में संशोधन कर सीमांत पाठशालायें शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित की गई थीं ।

(2) जी हां । राज्य सरकार के निर्णयानुसार शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 31-1-73 के अनुसार सीमांत पाठशालायें वापस पंचायत समितियों के अधीन हस्तान्तरित की गई हैं ।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बांसवाड़ा द्वारा माल का क्रय

821. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, बांसवाड़ा द्वारा गत दि. 26-2-1980 को स्लूस वाल्व (Sluice Valve) 80 एम. एम. के 11 नग, 100 एम. एम. के 9 नग एवं 150 एम. एम. के 5 नग सभी क्लास द्वितीय के क्रमशः रु. 425, रु. 540/- एवं रु. 945 की दर से क्रय किये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह खरीद एक ही दिन में एक ही फर्म मैसर्स एम. के

(श्री कैलाश मेघवाल)
सप्लायर्स, जयपुर से तीन अलग-अलग आदेश देकर की गई, क्योंकि 5000/- से कम की खरीद एन. आई. टी. से व इससे अधिक होने पर व्यापक विज्ञापन द्वारा ही की जा सकती है ?

(3) क्या यह सही है कि इसी तरह का माल लगभग इन्हीं दिनों अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, उदयपुर द्वारा भीलवाड़ा के लिये खरीदा गया जिसकी रेट 80 एम.एम. रु. 235/-, 100 एम.एम. 319/- एवं 150 एम.एम. रु. 446/- 10 प्रति नग थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस माल की खरीद हेतु डाइरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल, नई दिल्ली ने रेट कान्ट्रेक्ट घोषित कर रखा था, जिसके अनुसार खरीद की जानी चाहिये जैसा कि अधीक्षण अभियन्ता, उदयपुर द्वारा भीलवाड़ा के लिये किया गया ?

(5) क्या राज्य सरकार बांसवाड़ा के लिये खरीद में हुई भ्रष्टाचार की जांच करा दोषी अधिकारी को दंडित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सभी वाल्व क्लास प्रथम के क्रय किये गये न कि क्लास द्वितीय के।

(2) जी हां।

(3) अधीक्षण अभियन्ता, उदयपुर द्वारा क्लास द्वितीय के स्लूस वाल्व मैसर्स जिस्बन कृष्णा डे हावड़ा से भीलवाड़ा खण्ड के लये निम्न दरों से खरीदा गया :

80 मि. मी. साइज	231.10 रु. प्र. नग
100 मि. मी. साइज	319.25 रु. प्र. नग
150 मि. मी. साइज	446.10 रु. प्र. नग

(4) जी हां।

(5) जांच के बाद ही आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

तहसील छबड़ा के विभिन्न ग्रामों में लिफ्ट सिंचाई योजना

822. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम बटावड़ापार, गोडिया मेहर, तीतरखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला कोटा में पार्वती नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना का सर्वेक्षण होकर विभाग द्वारा उसकी स्वीकृति दे दी गई थी ?

(2) क्या यह भी सच है कि विभाग द्वारा इन तीनों स्थानों पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था ? यदि हां, तो यह योजनाएं अब क्यों बन्द कर दी गई हैं ?

(3) उपरोक्त तीनों लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर कितनी धन राशि व्यय होना अनुमानित था तथा उनसे कितने एकड़ भूमि सिंचित होना प्रस्तावित है ?

(4) क्या सरकार इन योजनाओं को शीघ्र ही प्रारम्भ करेगी ?

(श्री सिंचाई मन्त्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल इन योजनाओं का सर्वेक्षण किया गया था परन्तु विभाग द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गई।

(2) जी नहीं। केवल तीतरखेड़ी योजना पर कार्य प्रारम्भ किया था। मजदूरों के कार्य पर नहीं आने के कारण कार्य बन्द हो गया।

(3) बटावडा पार, गोडियामेहर, तीतरखेड़ी ग्रामों की लिफ्ट योजनाओं में आंकलनों की अनुमानित लागत क्रमशः 65,400, 56,380 एवं 60,600 रुपये है। प्रत्येक योजना से लगभग 3,200 एकड़ भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं।

सोम कामला अम्बा डैम प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा में रेडियल गेट्स बनाने का ठेका

823. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचाई विभाग के जिला डूंगरपुर में निर्माणाधीन सोम कामला अम्बा डेम प्रोजेक्ट के रेडियल गेट्स बनाने एवं लगाने का ठेका किस फर्म को, किस तारीख को, किन शर्तों पर दिया गया? कृपया एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस ठेके की अनुपालना में अब तक कोई गेट बन कर साइट पर पहुंचा है और लगा दिया गया है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) सोम कामला अम्बा परियोजना के बांध के रेडियल गेट्स बनाने एवं लगाने का ठेका मैसर्स ग्रोम मैटल्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोटा को दिनांक 22-6-81 को दिया गया। ठेके की शर्तें सदन के पटल पर रखे गये एग्रीमेन्ट के पृष्ठ 5 से 163 पर दर्शायी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(एग्रीमेंट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विजयनगर, अजमेर में पेयजल व्यवस्था

824. **सैय्यद मोहम्मद अय्याज महाराज** (मसूदा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विजयनगर, अजमेर में आबादी के अनुसार पानी की व्यवस्था नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि विजयनगर को जिस स्थान से पानी मिलता है, वह भीलवाड़ा जिले में है और यह भी कम पानी मिलने का एक कारण है?

(3) विजयनगर की पानी की समस्या के निराकरण की क्या योजना है? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उपलब्ध स्रोत से जितना पानी सम्भव है, विजयनगर को सुलभ कराया जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

(3) समस्या के निवारण हेतु नगर की पुनर्गठित योजना बनाई गई है, जिसकी लागत 21.30 लाख रुपये है ।

जिला भरतपुर में मस्टररोल पर मजदूरी का भुगतान

825. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भरतपुर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1982-83 में 31-1-83 तक मस्टररोल पर मजदूरी के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है और कितनी राशि की मस्टररोल अभी भुगतान की बाकी है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1982-83 में 31-1-83 तक मस्टरोल पर मजदूरी के रूप में रुपये 23,09,939.45 की राशि का भुगतान किया गया है तथा 2,65,487.00 रुपये की राशि का भुगतान करना शेष है ।

आबकारी से राज्य को आय

826. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की आबकारी से आय के मुख्य स्रोत क्या-क्या हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) आबकारी स्रोतों से प्रति वर्ष कितनी आय होती है ? कृपया वर्ष 1977-78 से 1982-83 तक का वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) आबकारी आय का वर्ष 1977-78 से अब तक का मानचित्र सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(सूची व मानचित्र के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ में बस्सी सिंचाई योजना

827. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में बस्सी सिंचाई योजना के निर्माण का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उसके नक्शे एवं अनुमान सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इस सिंचाई योजना के बांध स्थल फाउण्डेशन की जियोलोजिकल स्टडीज आदि अभी पूरी नहीं हुई है और इस कारण बांध का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बांध निर्माण स्थल के बारे में निर्णय होने के पूर्व ही वहां पर नहरें खुदाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब से चालू किया गया है, कितनी लम्बी नहरें खुदाई गयी हैं और उस पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ? पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या राज्य सरकार यह मानती है कि जब मुख्य बांध की आधार शिला ही नहीं

(श्री गजी मीणा)

रखी गयी है और उसका स्थल ही अन्तिम रूप से चयन नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में ये नहरें कालान्तर में यदि बांध स्थल में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया गया तो बेकार हो जायेंगी और इस पर किया गया खर्चा भी बेकार जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बस्सी परियोजना के स्वीकृत आकलन एवं नक्शों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। कुल 39.9 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर एवं वितरिकाओं में से जनवरी, 1983 तक 12.00 किलोमीटर लम्बाई में खुदाई की गयी है तथा उस पर 38.72 लाख रुपया व्यय हुआ है।

(4) जी नहीं।

(नक्शे विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

(आकलन के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा रिगों का उपयोग

828. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विभाग के पास कितने प्रकार की कितनी-कितनी रिगें उपलब्ध हैं ? उन रिगों द्वारा विभिन्न प्रकार की जमीन में प्रति घण्टे कितनी खुदाई की जा सकती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में सन् 1981-82 तथा 82-83 तक उन रिगों द्वारा कितने हैण्ड पम्प के नलकूप तथा अन्य प्रकार के कुए खोदे गये तथा कितने कुए किस-किस रेट पर निजी पार्टियों द्वारा खुदवाये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग के पास तीन प्रकार की कुल 90 कार्यशील रिगें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) राज्य में 81-82 तथा 82-83 (दिसम्बर, 82 तक) उन रिगों द्वारा क्रमशः 6062 व 3656 हैण्ड पम्प एवं 234 व 249 नलकूप खोदे गये हैं। निजी पार्टियों द्वारा 81-82 तथा 82-83 में (माह दिसम्बर, 82 तक) क्रमशः 8434 व 6086 हैण्ड पम्प के कूप बनाये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

होडू-भाटाला ग्रामीण जलप्रदाय योजना

829. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि ग्राम होडू में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है ?

(2) क्या उक्त ग्राम को नियमित रूप से पानी पहुंचाने के लिए होडू-भाटाला ग्रामीण जल प्रदाय योजना के सुधार हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना से ग्राम होडू में पानी नियमित देने के लिए भाटाला में अतिरिक्त कुआं आज से करीब डेढ़ साल पूर्व तैयार करवाया गया था ?

(4) क्या उक्त कुए को उक्त योजना के ग्रामों को नियमित एवं पर्याप्त मात्रा में पानी देने के लिए काम में लिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि यदि उक्त कुएं को उक्त योजना के ग्रामों को पानी पहुंचाने के लिये काम में लिया जावे तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है ? यदि हां, तो उक्त कुएं को काम में क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) बिजली की कमी से जल का कम उत्पादन होने के कारण ग्राम होडू में पानी की समस्या रहती है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

(2) जी हां। बिजली अगर 16 घण्टे उपलब्ध हो तो ग्राम होडू को नियमित रूप से पेयजल वितरित किया जा सकता है। योजना के सुधार हेतु धन उपलब्धि के अनुसार कुएं को और गहरा कर काम में लिया जा सकेगा।

(3) जी हां।

(4) कुएं को माह अप्रेल, 81 में चालू किया गया था, लेकिन पानी कम होने के कारण सितम्बर, 81 में बन्द कर दिया गया। इसके बाद पुन: मिट्टी निकालकर चालू करने के प्रयत्न किये गये किन्तु उचित मात्रा में पानी न होने के कारण उसे चालू नहीं किया जा सका।

(5) जी हां। धन उपलब्धि के अनुसार कुंए को और गहरा कर काम में लिया जा सकेगा।

जिला जैसलमेर में पेयजल सुविधा

830. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले के कितने नगरों एवं ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है व किस-किस माध्यम से? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सुविधा किन-किन वर्षों में कहां-कहां की गई व कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई? कृपया योजनावार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) शेष गांवों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार के पास क्या योजना है?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के दो नगरों एवं 192 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) की सूची में विवरण दे दिया गया है।

(3) धन उपलब्धि के अनुसार विभिन्न योजनाओं से पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

चौमू में अग्नि शमन सेवा चालू करना

831. श्री तेजपाल यादव (चौमू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अग्नि दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए चौमू में अग्नि शमन सेवा चालू करना आवश्यक है?

(2) यदि हां, तो उक्त कस्बे की नगरपालिका को अग्नि शमन सेवा वाहन कब तक उपलब्ध करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) चौमू नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह अग्नि शमन सेवा चालू करना अभी संभव नहीं है।

(स्वायत शासन मन्त्री)

(2) प्रश्न के भाग (1) में उत्तर आ गया है ।

कोटा नगर की सीवरेज योजना

832. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर के लिये बनी सीवरेज योजना का कार्य कब प्रारम्भ किया गया है ? उस योजना पर कितना व्यय अनुमानित था एवं कितनी राशि अब तक व्यय हो चुकी हैं ? व्यय का व्यौरा वर्षवार दें ?

(2) उक्त योजना के निमित्त नगरपालिका, कोटा राज्य सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि दी जा चुकी है ?

(3) क्या वर्तमान में इस योजना का कार्य बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो कब से एवं क्यों ? इस कार्य को कब तक पुनः प्रारम्भ किया जायेगा एवं कब तक यह पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) सीवरेज योजना कोटा का कार्य वर्ष 1978–79 में प्रारंभ किया गया था । इस योजना की अनुमानित लागत 158 लाख रुपये थी । व्यय की गई राशि निम्नानुसार है:—

1978–79	4.16 लाख रुपये
1979–80	40.13 लाख रुपये
1980–81	41.22 लाख रुपये
1981–82	33.09 लाख रुपये
1982–83 (फरवरी तक)	13.60 लाख रुपये

(2) नगरपरिषद, कोटा एवं जीवन बीमा निगम से क्रमशः 54.16 लाख व 83.00 लाख रुपये प्राप्त हुए । विश्व बैंक द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई ।

(3) योजना का कार्य प्रगति पर है। कुछ कार्य जमीन अवाप्ति व अन्य जांच के कारण रुके पड़े हैं । योजना का कार्य वर्ष 84 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

अजमेर में शराब पर चुंगी सहित एक्साइज ड्यूटी की वसूली

833. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के शराब विक्रेताओं ने चुंगी दर को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कराने के लिए न्यायालय की शरण ली थी और न्यायालय का निर्णय उनके विपरीत रहा ?

(2) उक्त निर्णय के अनुसार क्या वर्तमान में अंग्रेजी शराब पर ली जा रही चुंगी एक्साइज ड्यूटी सहित कीमत पर ली जा रही है ? यदि हां, तो निर्णय के पश्चात् कितनी चुंगी कितनी कीमत की शराब के पश्चात् ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । न्यायालय से अंतिम निर्णय नहीं हुआ है केवल दिनांक 30–6–82 को अस्थाई स्थगन आदेश था जिसे दिनांक 9–7–82 को वैकेट कर दिया गया है ।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) जी हां। दिनांक 9-7-82 के पश्चात् नगर परिषद की सीमा में 1,23,82,565.96 रुपये कीमत की अंग्रेजी शराब आयात हुई जिस पर 3,71,469.56 पैसे की चुंगी वसूल की गई।

आयुर्वेद विभाग द्वारा वैद्यों/उप-वैद्यों एवं लिपिकों के किये गये स्थानान्तरण

834. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आयुर्वेद विभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1983 से 15 फरवरी, 1983 तक कितने वैद्य, उप-वैद्य तथा लिपिकों के स्थानान्तरण किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थानान्तरण में से कई बाद में निरस्त भी किये गये ? यदि हां, तो स्थानान्तरण किन कारणों से निरस्त किये गये ?

उत्तर

(1) इस अवधि में 394 वैद्यों, 188 नर्स/कम्पाउण्डरों एवं 20 लिपिकों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

(2) जी हां। बाद में कुछ स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से निरस्त करने पड़े।

नगर परिषद, उदयपुर की आय

835. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगरपरिषद ने 1-4-81 से 1-4-82 तक एवं 1-4-82 से 31-1-83 तक चुंगी से कितनी आय प्राप्त की ? कृपया आय का माहवारी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यह कि वर्तमान प्रशासक एवं इनके पूर्व के प्रशासक के कार्य काल में चुंगी की अलग अलग आमदनी कितनी-कितनी हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त समय में संबंधित कमिश्नर या प्रशासक ने चुंगी नाके कभी चैक किये ? यदि हां, तो कब-कब तथा क्या जांच रिपोर्ट है ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सच है कि नाके पर जो लोग लगे हैं वे पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं ? क्या प्रशासक ने नाके पर लगे कर्मचारियों को हटा कर परिषद के ही अन्य कर्मचारियों को लगाया है ? यदि हां, तो कब व किस किस को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर नगर परिषद में 1-4-81 से 1-4-82 तक 1,35,73,247.95 पैसे एवं 1-4-82 से 31-1-83 तक 1,34,83,308.63 पैसे चुंगी की आय हुई है। आय का माहवारी विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्तमान प्रशासक एवं उनके पूर्व के प्रशासक के कार्यकाल में चुंगी की आय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। प्रशासक द्वारा दिनांक 15-9-81 व 19-9-82 को

(स्वायत्त शासन मन्त्री)
तथा आयुक्त द्वारा दिनांक 12-1-82 15-10-82, 19-10-82 व 9-3-83 को चुंगी नाके चैक किये गये थे। जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। प्रशासक ने नाके पर लगे हुए चुंगी स्टाफ में से किसी भी कर्मचारी को हटा कर परिषद के अन्य कर्मचारी को नहीं लगाया है।

(विवरण, सूची व जांच रिपोर्ट की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

जिला कोटा में शराब से आय

836. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में शराब से गत एक वर्ष में कुल कितनी आय हुई ?

(2) जिले में कुल कितनी दुकानें कहां-कहां, कितने-कितने में ठेके पर दी गई हैं ? देशी व विदेशी ठेकों की दुकानों के नाम, पते व ठेकेदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व जिला कोटा में गत वर्ष 1981-82 में 2,10,56,620.74 पैसे की आय हुई।

(2) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

जिला कोटा में हैण्ड पम्पों की मरम्मत एवं हस्तान्तरण

837. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के अन्तर्गत कोटा जिले में कितने हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गई एवं कितने हैण्ड पम्प पंचायतों को हस्तान्तरित किये गये ?

(2) कोटा जिले में कितने हैण्ड पम्प अधूरे पड़े हैं और उनको कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के अन्तर्गत कोटा जिले में 162 हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गई एवं 482 हैण्ड पम्प पंचायतों को हस्तान्तरित किये गये।

(2) कोटा जिले में जनवरी, 83 तक 72 हैण्ड पम्प अधूरे हैं। उन्हें शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही जारी है।

राज्य के भूतपूर्व सैनिकों, स्वतन्त्रता सेनानियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण

838. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व सैनिकों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा तथा राज्य कर्मचारियों में से किन-किन को दवाओं के शुल्क के पुनर्भरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रही है ? और कब से, तथा किन नियमों के तहत ?

(2) उक्त पुनर्भरण राशि क्या प्रति माह प्रति कर्मचारी से वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो कितनी राशि प्रति कर्मचारी प्रति माह तथा कब से ?

(3) उक्त कोष में प्रति माह कितना रुपया जमा हो जाता है तथा जनवरी, 1983 तक उक्त मद में सरकार के पास कितना रुपया एकत्र हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या रुपया जनवरी में भी प्रति कर्मचारी वसूला गया है ? यदि हां, तो उक्त पुनर्भरण कब से और क्यों बन्द है ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व सैनिकों की दवाओं के शुल्क का पुनर्भरण नहीं किया जाता है। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी अधिनियम, 1959 के नियम 7(1) ख के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अनुदान के रूप में रु. 1000 तक दिये जाने का प्रावधान है।

राज्य कर्मचारियों को दवाओं के क्रय मूल्य का पुनर्भरण राजस्थान सामान्य सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958–1970 के द्वारा सन् 1958 से किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

असहाय विधवा महिलाओं की पेंशन में आयु सीमा

839. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या असहाय विधवा महिला पेंशन की कोई उम्र की सीमा रेखा बांधी है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(2) क्या सरकार कम उम्र की असहाय विधवा को पेंशन देने में आयु सीमा नहीं रखने के बारे में विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। विधवा महिला के के लिये वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है जब कि अन्य साधारण महिला के लिये आयु सीमा न्यूनतम 55 वर्ष है। इसका मूल कारण विधवाओं को आयु सीमा में छूट देने का है।

(2) अभी कोई विचार नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 मार्च, 1983)

निगमों, संघों व मण्डलों के अध्यक्षों की नियुक्ति

258. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 1981 में निगमों, संघों व मंडलों के अध्यक्ष पदों

(श्री भगवानदास शास्त्री)
पर नियुक्तियां की गई थीं ? यदि हां, तो किस-किस को किस-किस पद पर नियुक्त किया गया है ? कृपया नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उनके द्वारा जुलाई, 1981 से जनवरी, 1983 तक भत्ता, सुविधायें व पैट्रोल आदि की जो राशि प्राप्त की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । जुलाई, 1981 में निगमों, संघों व मंडलों में अध्यक्ष पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की गई । श्री भैरूंलाल भारद्वाज को राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि., जयपुर में अध्यक्ष पद पर दिनांक 11-6-81 को नियुक्त करने के आदेश प्रसारित किये गये थे जिसकी अनुपालना में उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार दिनांक 6 जुलाई, 1981 को संभाला गया था ।

(2) श्री भैरूंलाल भारद्वाज के द्वारा जुलाई, 1981 से जनवरी, 1983 तक भत्ता, सुविधायें व पैट्रोल आदि पर जो राशि व्यय की गई उसका विवरण निम्नानुसार है:—

क-भत्ता	1,447.25
ख-वाहन (पैट्रोल)	52,885.82
ग-अतिथि सत्कार	1,235.00
घ-दूरभाष निवास	10,173.50
ङ-दूरभाष कार्यालय	7,175.55

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 मार्च 1983)

ग्राम पंचायत रूपनगढ़ (अजमेर) के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

307. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रूपनगढ़, पं. स., सिलोरा, जिला अजमेर के भूतपूर्व सरपंच श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन के विरुद्ध आर्थिक अनियमितताओं, गबन एवं भ्रष्टाचार के मामलों की तफतीश हेतु पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण पंजीबद्ध होकर तफतीशें चालू हुई थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ये प्रकरण पंजीबद्ध होकर तफतीश चालू होने पर अभियुक्त ने माननीय सत्र न्यायालय, अजमेर में गिरफ्तारी के पूर्व जमानत (बेल बिफोर अरेस्ट) के दो-दो बार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये और दोनों ही बार वे खारिज हो गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन प्रकरणों की तफतीश फाइलें पुलिस अधीक्षक, अजमेर के माध्यम से गृह विभाग में तलब कर ली गई हैं जिससे इनकी तफतीश रुक गई है और अभियुक्त स्वतन्त्र घूम रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये फाइलें कब तक वापस भिजवा दी जायेंगी ताकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सके ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(गृह मंत्री)

(2) दिनांक 19-11-82 को जमानत की दरख्वास्त सैशन कोर्ट, अजमेर में पेश की जो दिनांक 26-11-1982 को खारिज हुई ।

(3) पत्रावली राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 मार्च, 1983)

कृषि सुपरवाइजरों की नियुक्ति

514. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सर्वश्री लखनलाल, चरणसिंह, सोदान खां, बलवीर सिंह एवं लखन सिंह (सभी कृषि सुपरवाइजर), जो आजकल कृषि कार्यालय, अलवर में कार्यरत हैं, की उक्त पदों पर नियुक्ति किस-किस तिथि को किस-किस अधिकारी द्वारा की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या उक्त व्यक्तियों की नियुक्तियों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई ? यदि हां, तो कौनसी प्रक्रिया चयन के लिये अपनाई गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) निर्धारित प्रक्रियाओं में से कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो उसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

(4) क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्री चरणसिंह व श्री सोदान खां की नियुक्ति उप निदेशक, कृषि (तिलहन व गन्ना) राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 31-10-77 से तथा श्री लखन सिंह की 1-11-77 से व लखनलाल व बलवीरसिंह की 30-11-77 से सहायक, निदेशक कृषि (तिलहन) अलवर के द्वारा की गई ।

(2) श्री चरणसिंह, श्री सोदान खां की नियुक्ति उप निदेशक, कृषि (तिलहन एवं गन्ना) द्वारा कृषि पर्यवेक्षक के पद पर अस्थाई तौर पर दो माह के लिए की गई थी । श्री लखन सिंह की नियुक्ति एक माह के लिए अस्थाई तौर पर की गई थी । श्री बलवीरसिंह एवं श्री लखनलाल ने कृषि पर्यवेक्षक के पद का कार्यभार दिनांक 1-12-77 को संभाला था ।

(3) इसकी जांच की जा रही है ।

(4) जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री हरीश शर्मा—गत 10-11 मार्च की रात्रि में ग्राम अमरपुरा, तहसील रामगंज मंडी में कुछ लड़कों द्वारा श्रीमती पार्वती बाई, जाति धाकड़ पर घातक हमले के विषय में,

(2) श्री हीरालाल आर्य व श्री चुन्नीलाल जेलिया—पीपल्दा क्षेत्र के बागली ग्राम के वार्ड नं. 2 में पेयजल के लिये हैण्ड पम्प नहीं लगाने के विषय में,

(3) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन—जिला झालावाड़ की हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्प न लगने के विषय में,

(4) श्री समर्थलाल—जिला अलवर के निवासी तीन व्यक्तियों को 12 दिनों से अजमेर सदर थाने में हिरासत में लेने के के विषय में,

(5) श्री रामकंवार बैरवा—ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में बैरवा समाज के लोगों को जन उपयोगी वस्तुएं बाजार में जानबूझ कर न देने के विषय में,

(6) श्री महावीर प्रसाद जैन—टौंक जिले की निवाई तहसील में जमीनों के आवंटन के दौरान एक मृत व्यक्ति को आवंटन करने तथा अन्य अनियमितताओं के विषय में,

(7) श्री गुलाबचन्द कटारिया व श्री बंशीलाल पटवा—भीलवाड़ा नगर में गत 15 मार्च को कलेक्टर तथा एस. पी. के मना करने के बावजूद पुलिस द्वारा अनधिकृत रूप से लाठी चार्ज करने के विषय में,

(8) श्री नाथूसिंह—सवाई रामसिंह रोड, जयपुर में सूचना केन्द्र के पास अनियमित रूप से बने हुए होटल के बारे में जयपुर के मास्टर प्लान में फेरबदल करने के विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

(9) श्री हंसराज शर्मा — सवाई-माधोपुर महाविद्यालय में संस्कृत भाषा का विषय न होने के विषय में ।

माननीय सदस्य, कल शिक्षा विभाग की अनुपूरक मांगों के समय इस पर चर्चा उठा सकते हैं ।

(10) श्री मेघराज तावड़ व श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह—राणावास, जिला पाली के सुमति शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर चलती ट्रेन में गुण्डों द्वारा हमला ।

इस प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है ।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) श्री महावीर प्रसाद जैन–टोंक जिले के मोती बांध से सिंचाई के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न कराने के विषय में।

इस पर सदन में गत 19 मार्च को व्यवस्था दी जा चुकी है। इस विषय पर माननीय सदस्य 2 मिनट के लिये चर्चा कर सकते हैं।

(2) श्री भगवानदास शास्त्री–अजमेर नगर में आवासीय मोहल्लों में जुआ व अवैध शराब का निर्माण।

सरकार ने सूचित किया है कि अवैध शराब की बिक्री के लिये आबकारी विभाग समय-समय पर जांच करता रहता है और अन्य आरोपों के संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(3) श्री गुलाबचन्द कटारिया–कांकरोली, जिला उदयपुर के मन्दिर की संपत्ति के लिये ट्रस्ट बनाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि प्रन्यास की अचल सम्पत्ति के विषय के संबंध में एक वाद सत्र न्यायालय में विचाराधीन है जिसको ध्यान में रखते हुए आइन्दा कार्यवाही की जायेगी।

(4) सर्वश्री यदुनाथ सिंह, हाजी चाव खां, राज बहादुर–नगरपालिका, कामां के चुनाव में विजयी दो उम्मीदवारों द्वारा चुनाव याचिका करने वाले श्री रामचन्द्र शर्मा पर कातिलाना हमला।

सरकार ने सूचित किया है कि संबंधित मामले में आवश्यक रिपोर्ट दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया है और जिला पुलिस को एक सप्ताह में जांच पूरी करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(5) श्री मेघराज तावड़–गत 18 दिसम्बर को बेकरिया थाना, जिला उदयपुर के केलसाइड खान के मालिक की ट्रक दुर्घटना के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि अन्वेषण के दौरान ट्रक ड्राइवर की गफलत या लापरवाही नहीं पाई गई और इस मामले में अन्तिम प्रतिवेदन दिया जा चुका है।

(6) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन,–ग्राम छोटी बकानी, जिला झालावाड़ में मोहन बाई की उसके पति व बड़ी औरत द्वारा कथित हत्या।

सरकार ने सूचित किया है कि जांच के दौरान मृतका का मिर्गी के रोग से ग्रसित होना पाया गया है और जांच जारी है।

(7) श्री कमलेन्द्र सिंह–ग्राम इब्राहिम थाना रूपवास, जिला भरतपुर में गत 3-3-83 को सरपंच द्वारा गोली चलाने से 4 आदमियों के घायल होने के विषय में।

सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार इस प्रकरण में क्रास केसेज दर्ज हुए हैं और एक सप्ताह में जांच पूरी करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(8) सुश्री पुष्पा जैन–ग्राम मोरोली डाग, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर के निवासी हट्टी जाटव की पुत्री माया को भगा कर ले जाने के विषय में।

इस मामले में सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तफतीश हो रही है, संबंधित लड़की को बरामद कर लिया गया है तथा मुलजिम फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

(श्री अध्यक्ष)

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर, हीरालाल आर्य, छीतरलाल आर्य व अनंग कुमार जैन–बाड़मेर जिले में रात्रि के समय गायों की तस्करी।

इस प्रस्ताव पर तथा अन्य कई स्थगन प्रस्तावों पर जो तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है, उनका अध्ययन किया जा रहा है और उन पर निर्णय बाद में दिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अब मैं माननीय सदस्य श्री मेघराज तावड़ को उनके स्थगन प्रस्ताव, जो राणावास के प्रधानाध्यापक के बारे में था और दूसरा केलसाइड खान के मालिक की ट्रक से किसी व्यक्ति द्वारा की गई मृत्यु के संबंध में था, पर संक्षेप में विचार व्यक्त करने के लिये आमन्त्रित करता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने दिया था, कुछ स्थगन प्रस्ताव भी आये हैं–शेरगढ़ तहसील के गांव सोलंकिया में 55 आदमियों की मृत्यु के बारे में अज्ञात बीमारी से ......

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी मंगा रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 4 दिन हो गये। आज सूचना मिली है कि 2 सौ लोगों की और मृत्यु हो गयी है फिर भी कलेक्टर महोदय 6 से 12 मार्च तक वहां नहीं पहुंचे, 15 मार्च को वहां पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय का क्षेत्र है, उन्हें कोई चिन्ता नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं चिन्तित हैं। इसमें जानकारी निश्चित रूप से मंगवाई जायेगी। ये तो यहां कार्य में फंसे हुए हैं इसलिये पधार नहीं सके वरना तत्काल पहुंच जाते।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जी, 2 सौ लोगों की मृत्यु हो गयी और 15 तारीख को कलेक्टर महोदय यह कहते हैं कि वहां पर गरीबी है, खाने को नहीं मिल रहा है इसलिये भूख के कारण इस प्रकार की स्थिति हो रही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अज्ञात बीमारी के कारण मरे हैं। आप इसके बारे में सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलावें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : उधर मृत्यु हो रही है और यह मुस्करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस बारे में जानकारी मंगवा दूंगा। आप कृपया ....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, इस पर आज वक्तव्य दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हैं वीरेन्द्र प्रतापसिंह जी !

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : वक्तव्य दिला दीजिये आज ही ।

श्री अध्यक्ष : आज ही ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जी हां ।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैंने उदयपुर ग्रामीण में सिटी बस बन्द होने के कारण ......

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । ऐसा है, माननीय सदस्यगण, जब मैंने निवेदन किया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि आदि, इस तरह के जो अन्य प्रस्ताव हैं, जिनके बारे में यहां व्यवस्था नहीं दी गई हो और माननीय सदस्यों को कोई शिकायत हो तो कृपया मेरे वेश्म में मिलने का कष्ट करें ताकि मैं उसमें आगे कार्यवाही कर सकूं । यहां पर इस तरह की मांग करने से तत्काल मैं कोई व्यवस्था कर सकूं, ऐसी स्थिति में मैं नहीं होता हूं । आप कुछ कहना चाहते हैं शेरगढ़ वाले मामले में ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप फरमायें तो मैं स्टेटमेंट देने को तैयार हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): आज ही दिला दीजिये ।

श्री यदुनाथ सिंह : आज ही दिला दीजिये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आज ही दिला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये समय निश्चित करना पड़ेगा ।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): 3 बजे रख दीजिये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आज इस पर वक्तव्य देंगे ।

श्री मेघराज तावड़ । संक्षेप में ।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से मिल लें ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कई दफा आपसे मिल लिया हूं । जिस दिन से विधान सभा की बैठक चली है मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उनकी सूची मेरे पास है उसे आप देख लीजिये ......

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! ऐसा है कि आप कृपया····

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि चैम्बर में भी मिल लिया हूं, आपके द्वारा व्यवस्था भी दी जा चुकी है कि सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त हो गई है उसका अध्ययन किया जा रहा है । तो हमारे क्षेत्र की समस्या रखने का, उन पर बोलने का हमको अवसर मिलना चाहिये ......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री हंसराज शर्मा : आप मौका भी नहीं दे रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि कोई मुकम्मिल जानकारी तो दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज । अंकित न हो.......

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करूंगा । माननीय सदस्य, अगर कोई माननीय सदस्य इतनी मेहनत करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में प्रस्ताव देते हैं तो उन पर विचार करके शिकायत रफा हो सके उसकी मैं कोशिश करूंगा ।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपने अवसर ले लिया । उसमें कुछ नहीं किया जायगा । अंकित न हो ।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । श्री मेघराज तावड़ ।

(व्यवधान)

मैं स्थगन प्रस्ताव या प्रस्तावों के बारे में उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, हम तो हरदम नियमों में रहते हैं । आपके जैसे आदेश होते हैं उसका पूरा-पूरा पालन करते हैं । मैं आपसे स्थगन प्रस्ताव या प्रश्नों के उत्तर की बात नहीं कहूंगा, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भेड़-पालकों के बारे में दिया था, उसके संबंध में कृपया एक मिनट सुन लें कि ....

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी मंगवाई है ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले की हजारों भेड़ें जयपुर से गुजर रही हैं । उसकी जानकारी बिलकुल नहीं आई । जो थानेदार था उसने लोगों को उकसा करके भेड़पालकों पर अटेक करवाया ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । मैं देख लूंगा, उत्तर प्राप्त कर रहा हूं । यदि उसके बाद में आवश्यकता होगी तो आपसे तथ्यों की जानकारी कर लूंगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन ।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक क्षण के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं..........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री बन्सीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप एक मिनट के लिये सुन लें। मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं बोलूंगा। मैंने एक प्रस्ताव भीलवाड़ा के संबंध में दिया था। नयी स्थिति पैदा हो गई है, इस संबंध में इतना ही निवेदन है कि वहां क्रमिक हडताल चल रही है, आज भी महिलाओं का जलूस इस मांग को लेकर निकल रहा है। दोषी कर्मियों को सजा मिले। इस तरह की स्थिति और हो गई है......

श्री अध्यक्ष : आपका यह नया प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव आज ही प्राप्त हुआ है। उसे सरकार के पास जानकारी हेतु भेजा गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन। मोती बांध से सिचाई।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मोती बांध से सिंचाई के लिये स्थगन प्रस्ताव दिया, उसका सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है, मैं चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : जो आपकी शिकायत थी वह तो आपने स्थगन प्रस्ताव में लिखी नहीं। बाद में यह सूचित किया कि मोती बांध का पानी तालाब में जाकर एकत्रित हो रहा है। माननीय सदस्यों को चहिये कि जितनी भी शिकायतें हों उनका विवरण पूरा दें। अगर आप प्रस्ताव में लिख देते तो उत्तर उस हिसाब से मंगा लेते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शिकायत की कि तीसरा पानी रोक लिया गया है। सरकार की तरफ से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें यह बताया गया है कि तीसरा पानी रोका नहीं गया है, 27-2-1983 को नहर खोल दी गयी है और जब तक नहर बन्द नहीं होगी, खुली रहेगी। इस प्रकार से छल और कपट का जवाब दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस पर वक्तव्य दिया जाय क्योंकि 3 हजार 73 बीघा जमीन में पानी नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, यह पानी क्यों नहीं आयेगा? कि जब 1955–56 में मोती बांध बना, उसके पहले मोती तालाब वहां पर बना हुआ था, उस मोती तालाब का एकीकरण उसस मय कर लिया गया और उसको तोड़ दिया गया। वह उसके कैचमेन्ट एरिया में आ गया और तालाब का अस्तित्व खतम कर दिया। उसके बाद कुछ लोगों से मिलकर पंचायत सतवाड़ा से मिट्टी डलवा कर उस पाल को बांध लिया गया उसके कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खसरा नम्बर 338 में 71 बीघा और 1 बिस्वा में पानी भरा हुआ है, खसरा नम्बर 339 में 9 बीघा 12 बिस्वा में पानी भरा हुआ है, खसरा नम्बर 346 में 4 बीघा और 9 बिस्वा पर पानी भरा हुआ है, खसरा नम्बर 347 पर 118 बीघा पर पानी भरा हुआ है, 348 नम्बर पर 1 बीघा और 13 बिस्वा में पानी भरा हुआ है, 349 नम्बर पर 4 बीघा और 2 बिस्वा में

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
पानी भरा हुआ है, 350 खसरा नम्बर पर 3 बीघा 3 बिस्वा में पानी भरा हुआ है और 5 फीट, 5 फीट से भी ज्यादा, गांव वालों का यह कहना है, हाथी डूब जाय, इतना पानी उसमें भरा हुआ है, 3 हजार 73 बिस्वा जमीन में से दासिकों को 744 बीघा में तीसरा पानी नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि नहर खुली हुई है लेकिन क्योंकि वह छोटा तालाब है इसमें पानी रुक जाने के कारण उसका कोई उपयोग नहीं है, न पानी का पीने के लिये उपयोग है ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपकी शिकायत थी तो यह शिकायत अपने स्थगन प्रस्ताव में अंकित कर देते तो उस तरीके से उसका जवाब मंगा लेते जब जवाब आ गया है उसके बाद आपको यह शिकायत रह गयी कि नहर तो चालू है लेकिन वह नहर का पानी जाकर अन्य स्थान पर एकत्र हो जाता है और फसलों के लिये खेतों में पहुंचता नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी काफी बुद्धिमान हैं, आप भी किसानों के प्रति काफी सहानुभूति रखते हैं ......

श्री अध्यक्ष : इसलिये तो मुझे दुःख होता है कि किसानों की तकलीफ को जिस ढंग से रखना चाहिये उस ढंग से आप नहीं रखते है। इसीलिये मुझे दुःख है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने गलत जवाब देकर सदन का अपमान किया है। यह कहा है कि तीसरा पानी दिया जा रहा है और सम्पूर्ण क्षेत्र में पिलाई की जा रही है। उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 हजार बीघा जमीन पर ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इसको संशोधित रूप में भेजना चाहता था लेकिन आपकी इच्छा यह थी कि आप स्वयं कुछ तथ्य सदन में रखेंगे....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं बोलूंगा इस पर ......

श्री अध्यक्ष : आपने अतिरिक्त सूचना दी है उस पर सरकार से जानकारी प्राप्त करूंगा ताकि इस फसल पर नहीं तो अगली फसल पर ......

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस फसल पर भी दिया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात तो इतनी सी ही है।

श्री अध्यक्ष : फसल का समय चला गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी 15-20 दिन बाकी हैं। यदि वह दे दिया जायगा तो अनाज पक जायगा।

श्री अध्यक्ष : 80–90 वर्ष का कोई व्यक्ति हो जाय उसको घी खिलाओ, शक्कर खिलाओ, कुछ भी अंग नहीं लगेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी टाइम है, अध्यक्ष महोदय, गांव वालों का यह कहना है, अभी भी उस पाल को तोड़ कर पानी दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी लेऊंगा, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह अनधिकृत रूप से रोका गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। कांकरोली के मंदिर के बारे में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, द्वारकाधीश जी के मन्दिर के बारे में मैंने पिछले मार्च के सत्र में भी स्थगन प्रस्ताव के द्वारा यह बात रखने की कोशिश की थी ....

श्री अध्यक्ष : अब काफी कार्यवाही हो रही है, मैंने सरकार का उत्तर देखा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इसमें और कुछ भी नहीं चाहता, मैं यह चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो सैशन कोर्ट का स्टे है, उसको वह नहीं मान रहे, हाई कोर्ट का 15 तारीख को स्टे उनको सर्व हो गया।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि हम इसमें पूरे प्रयत्नशील हैं। जिन व्यक्तियों ने अदालत का आश्रय लिया है उसको भी कानूनी ढंग से किस तरह से निरस्त कराया जा सकता है, मन्दिर की सम्पत्ति को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, स्वयं सरकार उसके लिये प्रयत्नशील है

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जानकारी है, मेरी जो जानकारी है, हाई कोर्ट का स्टे का फैसला था वह मैंने तो आपको पेश किया था। 15 तारीख को हाई कोर्ट का यह स्टे मिला कि जब तक इसमें कोई व्यवस्था न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का बेचान नहीं होगा। लेकिन स्टे 15 तारीख को 11 बजे उनको सर्व हुआ और उसके बाद ढाई बजे उसी दिन रजिस्ट्री अलग-अलग प्लॉटों की हुई। इसलिये मेरा आपसे निवेदन केवल इतना ही है कि लाखों रुपयों की प्रोपर्टी तो बेची जा चुकी है और लाखों रुपयों की प्रोपर्टी वेचकर वह यहां रहते ही नहीं हैं, वह रहते हैं बड़ौदा.....

श्री अध्यक्ष : बड़ौदा में खर्चा भी ज्यादा होता है इसलिये जब कभी पैसे की कमी आई, यहां बेच देते होंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वही निवेदन कर रहा हूं :...

श्री अध्यक्ष : इसलिये यहां बेच देते हैं कि बड़ौदा में पैसों की कमी न हो। सरकार प्रयत्नशील है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : तो आपसे इतना ही आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम उस स्टे का तो पालन करवाइये। उसके बाद अगर उन्होंने इरेगुलेरिटीज़ की हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें लेकिन......

श्री अध्यक्ष : सरकार करवा सकती है, अगर स्टे के खिलाफ कर रहे हैं या उसकी अवहेलना हो रही है तो उसके लिये तो अन्य तरीके से कार्यवाही की जा सकती है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जनता का आदमी कहां तक लड़ेगा साहब, किस सीमा तक।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि वह इसमें सजग है और कार्यवाही कर रही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: अगर आपको विश्वास हो:....

श्री अध्यक्ष : सरकार कहे तो एक दफा तो उसका विश्वास कर ही लेना चाहिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पिछले साल भी किया, इस साल और लाखों रुपयों की प्रोपर्टी बिक गई । अगले सैशन में आयेंगे तो और कहेंगे कि और दस-बीस लाख की बेच दी ।

श्री अध्यक्ष : सर्वश्री यदुनाथसिंह, हाजी चाव खां, राज बहादुर, नगरपालिका, कामां के बारे में ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है, जहां चुनाव हुए, दो व्यक्ति हारे चार वोट से और दस वोट से, दो व्यक्ति जीते चार वोट से और 10 वोट से, याचिका हुई, याचिका होने के बाद कोशिश यह की गई, किस प्रकार से इनको रास्ते से निकाला जाय । जब मत-पत्र खोले गये तो मालूम पड़ गया कि जिन लोगों ने वोट दिये थे या तो वह वोटर नहीं थे या दूसरे की जगह वोट डाल आये थे । उनके वोट अवैध थे इसलिये, यह मालूम पड़ गया, अदालत में सारी बात आ गई । जब यह बात आ गई उनको रिमूव करने के लिये साइड से उनके मकान पर हमला किया गया । कौन ? नगरपालिका का चेयरमैन जो पार्टी था इसमें । उसने अपने अस्थाई कर्मचारियों के साथ स्थाई कर्मचारियों ने तो मना कर दिया कि हम नहीं जायेंगे, उस पर हमला किया । उस पर कातिलाना हमला हुआ, उसका सिर फटा डॉक्टर की रिपोर्ट में यह है कि फ्रेक्चर हुआ । फ्रेक्चर सिर पर मौजूद है। ऐसी हालत में अब सवाल यह होता है कि जो आदमी याचिका के जरिये से न्याय भी प्राप्त करना चाहता है और न्याय प्राप्त होने वाला हो, क्योंकि वोटों के बण्डल खुलने के बाद सब चीजें सामने आ जाती हैं तो क्या सरकार इस संबंध में कोई आश्वासन देगी खास तौर से तब जब कि मुख्य मंत्री के पास गये ये लोग, और उनसे कहा गया कि 19-20 तो हो ही जाता है, यह जवाब मिला, मैं इसलिये रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि क्या याचिका के जरिये से जो एक न्याय मिल सकता है हारे हुए उम्मीदवार को, जहां गिनती कितनी है 4 और 10 की, चार वोट से जीता आदमी अपने स्थान को सुरक्षित करने के लिये इस तरह कातिलाना हमला करे ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े वोटों से जीतना और हारना दोनों ही बड़ा खतरनाक होता है, यह मेरा अनुभव है ।

श्री राजबहादुर : खतरनाक तो होता है ।

श्री अध्यक्ष : थोड़े से वोट से हार जाता है वह चार साल तक यही कोशिश करता है कि थोड़ी कोशिश और की होती तो जीत जाते....

श्री राजबहादुर : कोशिश यह हो, बण्डल खोले और बण्डल में आ जाय, हाँ यह वोट अवैध है और अवैध गिने गये हैं तो फिर क्या होगा ।

श्री अध्यक्ष : यही तो मैं कह रहा हूं वह व्यक्ति आशान्वित रहता है कि शायद गिनती में चार वोट बढ़ जायं, घरवालों से

(श्री अध्यक्ष)
लड़ता है कि आप चार गैरहाजिर रह गये इस तरह के मामले होते हैं इसलिये कम मतों से हारना जीतना खतरनाक जरूर है ।

श्री राजबहादुर : आप तो वहुत वोटों से जीते थे । मुझे भी कुछ कम वोट नहीं मिले थे । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां कम वोट मिल जाते हैं, और जहां वोट खुल जाते हैं, खुलने के बाद सिद्ध हो जाता है कि यह वोट गलत गिना गया है, वहां क्या कानून हाथ में लिया जा सकता है । कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष : वह सभी तथ्य सामने आ गये । उनका अध्ययन करके आसन ने यह व्यवस्था दी है ।

श्री राजबहादुर : उनसे एक स्टेटमेंट दिलवाइये । एस्योरेन्स दें ।

श्री अध्यक्ष : वयोवृद्ध नेताजी ने कह दिया ।

श्री यदुनाथसिंह !

श्री यदुनाथसिंह (नदवई) : मेरे पास तो फोटो मैडिकल रिपोर्ट सब रखी है, लेकिन मुझे पता नहीं था, अध्यक्ष महोदय, मेरे को आज बोलना है इसलिये मेरे पास तो जानकारी पूरी है नहीं ।

श्री राजबहादुर : वयोवृद्ध मुझे तो कहिये एक दफा नहीं हजार दफा । अगर इससे सेटिस्फैक्शन होता हो तो मुझे वयोवृद्ध कहिए एक दफा नहीं हजार दफा, मुझे तो सन्तुष्टि होती है अगर आप भी वयोवृद्ध कहें । लेकिन इस आधार पर इनके अधिकार को मत छीनिये ।

श्री अध्यक्ष : मैंने अध्ययन किया है । नहीं, आप भी कह दें । श्री यदुनाथसिंह ।

श्री यदुनाथसिंह : मैं अभी तैयार नहीं हूं । मैं तो सब कागजात, फोटो, एफ. आई. आर., मैडिकल रिपोर्ट लाया नहीं । मेरे को नहीं मालूम था कि आज बोलना है ।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने उत्तर यह भेजा है कि अतिक्रमण किया हुआ है ।

श्री यदुनाथसिंह : वह सुन लिया मैंने अध्यक्ष महोदय, जवाब गलत है लेकिन अब क्या किया जाय । मैं तो लाया नहीं । हाफ इन्फोर्म्ड बोलना उचित नहीं समझता ।

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से एप्रोप्रिएशन बिल पर इस तरह के सभी प्रश्न आ सकते हैं ।

श्री यदुनाथसिंह : एप्रोप्रिएशन बिल पर इकॉनामी पर बोलेंगे, अध्यक्ष महोदय, इस पर क्यों बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : सभी जो कोई भी शिकायत हो क्यों कि उसमें तो चर्चा बड़ी व्यापक तरीके की होती है ।

श्री मेघराज तावड़ !

उपस्थित नहीं है ।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर !

श्री अनंगकुमार जैन ! ग्राम छोटी बकानी ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : जांच जारी है ।

श्री अध्यक्ष : आंच जारी है ।

श्री कमलेन्द्र सिंह !

सुश्री पुष्पा जैन !

प्रतिवेदनों का उपस्थापन, सभापति राजकीय उपक्रम समिति, 1982-83 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे ।

व्यवस्था का प्रश्न

उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में लगभग दस दिन पूर्व यह निवेदन किया था कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो रहा है । जो कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोविजन है उसकी निरन्तर अवहेलना हो रही है ।उस समय भी ग्रापने सदन को यह ग्राश्वासन दिया था कि इस संबंध में जल्दी व्यवस्था की जायगी । यह सरकार का प्रश्न नहीं है । मैं सरकार से इस संबंध में निवेदन नहीं करना चाहता हूं कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवायें, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं ग्रौर इस ग्राधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि · · ·

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय, मुझे क्षमा करें बीच में बोलने के लिये, वह प्रावधान मेरे ध्यान में है । मैं इस पर ग्राज कल में ही विचार करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, ग्राज कल के विचार का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, 2-3 दिन तो लगते ही हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने दस दिन पहले निवेदन किया था कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव · · ·

श्री अध्यक्ष : पीठासीन व्यक्ति पिछले दस दिनों में कितना व्यस्त था, काफी व्यवस्था · · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह इसी कारण से कि डिप्टी स्पीकर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मैं ग्राज ग्रापसे बात करूंगा, पक्ष ग्रौर विपक्ष दोनों पार्टियों से ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, बात करने का तो सवाल ही नहीं है । मैं इसीलिये कॉन्स्टीट्यूशन को कोट कर रहा था, रूल्स को इसीलिये कोट कर रहा था ······

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह तो सही है······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें बात करने का सवाल नहीं है, इसमें तो ग्रापको डेट निश्चित करनी है, इसमें सरकार की सुविधा या हमारी ग्रसुविधा का सवाल नहीं है, इसमें सवाल है कॉन्स्टीट्यूशन का पालन कराने का । यह काम केवल ग्रापका है ।

श्री अध्यक्ष : मैं ग्रभी चैम्बर में जाकर अध्ययन करूंगा उसके संबंध में ।

श्री राजबहादुर : सरकार की ग्रोर से कहलवाइये ।

श्री यदुनाथसिंह : सरकार को बोलना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार डिसीडेन्ट्स के कारण इतनी घबराई हुई है कि नाम लेने की स्थिति में नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : डिसीडेन्ट्स तो आपकी पार्टी में····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अरे साहब, आपको चिन्ता क्यों हो रही है डिसीडेन्ट्स के नाम पर ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं इसलिये बोलता हूं, मुझे लगता है कि डिसीडेन्ट्स जो है आपकी पार्टी में उनसे आप घबरा रहे हैं । थोड़ा ध्यान रखिये, कोई रीजनल पार्टी नहीं बनानी पड़ेगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दुबारा आने की तैयारी करो ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हम तो फिर आ जायेंगे, चिन्ता मत करो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाटीजी, आपके के लिये अच्छा होता, यदि आप डिसीडेंट का रोल प्ले करना चाहते हैं तो डिप्टी स्पीकर के लिये नोमिनेशन भरवा दें तो आपकी ताकत का अंदाजा लग जाए । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी इस संबंध में व्यवस्था हो । मैं तो केवल एक आश्वासन चाहता हूं कि विधान सभा की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो जाए ।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा की कार्यवाही तो एक दिन के लिये स्थगित होती है । है । सत्रावसान·········

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सत्रावसान से पहले डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर माइंड लगाकर जल्दी ही······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माइन्ड का सवाल नहीं है । इसमें माइंड लगाने की मेहनत आप क्यों कर रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में संविधान की खुल कर अवहेलना हो रही है, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोविजन है, विधि मंत्री बैठे हैं इनको पूरी जानकारी है । संविधान की धारा 178 में लिखा है :

"Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the Office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be."

श्री अध्यक्ष : As far as possible.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप इसका यह इन्टरप्रिटेशन लेते हैं, आपको पूरा अधिकार मिल गया, 4 वर्ष तक नहीं करें या 4 महीने तक नहीं करें या 40 दिन तक नहीं करें तब तो कॉन्स्टीट्यूशन की किताब बन्द करने की आवश्यकता है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस आधार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
पर लेना चाहें तो मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, संविधान की खुली अवहेलना अध्यक्ष महोदय के नाम से नहीं होनी चाहिये। सरकार करेगी तो हम सरकार से संघर्ष करेंगे लेकिन हम आपसे संघर्ष नहीं करना चाहते। आसन के माध्यम से यदि संविधान की अवहेलना होती है तो हमारे लिये चिन्ता का विषय है। इसलिये पुरजोर शब्दों में आपसे आग्रह करूंगा कि विधान सभा के सत्रावसान से पहले डिप्टी स्पीकर का चुनाव निश्चित रूप से होना चाहिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): सत्रावसान होने जा रहा है और आप इतना जल्दी चाहते हैं.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जो अभी पढ़कर सुनाया शायद आपके ध्यान में नहीं आया।

श्री राजबहादुर : सत्रावसान जब तक गवर्नर डिक्लेयर नहीं करता तब तक नहीं होता।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): विरोधी पक्ष के नेता ने जो आर्टिकल 178 की ओर आसन का ध्यान आकर्षित किया। आसन स्वयं इस प्रावधान से परिचित है। वह इस संबंध में उचित समय पर निर्णय ले लेंगे, जैसा अभी उन्होंने कहा, दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, तो मैं समझता हूं उसके बाद में कहां इण्टरप्रिटेशन का सवाल रहता है? अध्यक्ष महोदय की तरफ से कहां संविधान की अवहेलना हो रही है? सब बातों पर विचार करके जो निर्णय होगा वह ले लेंगे और अपने चैम्बर में आपसे भी बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि सदन में एक पीठासीन व्यक्ति और खास तौर से अध्यक्ष विधान सभा के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को विश्वास में लेकर.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस बात के लिये ?

श्री अध्यक्ष : कौन पीठासीन व्यक्ति होगा.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिसका नोमिनेशन होगा उसका होगा आप तो रिटर्निंग अधिकारी होंगे। इसलिये आप उन्हीं से बात शुरू कर देंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष से तो रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजुडिस हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रस्तावों पर विचार करना पड़ेगा, वह मनःस्थिति हो तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस आसन पर आप बैठते हैं ऐसा मान कर चलते हैं कि हमेशा के लिये आपकी मनःस्थिति निष्पक्ष होगी। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को सीरियसली लें। आप डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करायेंगे तो संविधान की अवहेलना होगी। आपको डेट निश्चित करने का अधिकार रूल्स के अन्तर्गत दिया हुआ है। आप उसके अन्तर्गत समय निश्चित नहीं करेंगे तो आसन की तरफ से संविधान की अवहेलना होगी। यह हमारे लिये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर आपसे निवेदन करूंगा कि आप विचार करें। यदि चुनाव की तारीख निश्चित नहीं होगी तो मजबूर होकर हर रोज हमें यह प्रश्न उठाना पड़ेगा। संविधान की अवहेलना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
हम नहीं देखना चाहते। शासन की तरफ से अवहेलना होने की आप इजाजत देंगे तो सदस्य सहन नहीं करेंगे।

श्री राजबहादुर: लैटर एण्ड स्प्रिट ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन को देखते हुए और रूल्स को देखते हुए क्या इस सत्र के गुजरने के बाद इस सवाल को पैंडिंग रखा जा रहा है?

श्री अध्यक्ष: मैं सब प्रश्नों के उत्तर तत्काल आपकी सेवा में उपस्थित नहीं कर सकता। क्यों कि विपक्ष के नेता ने यह बात कही है इसलिये यह और भी महत्वपूर्ण है। यह संवैधानिक प्रश्न है, सभी बातों पर विचार करके विनिश्चय किया जाएगा, यह निवेदन कर दिया।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति, 1982-83 का चौथा प्रतिवेदन

श्री माणकमल मेहता (पाली) (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति): अध्यक्ष महोदय, राजकीय उपक्रम समिति, 1978-79 के आठवें प्रतिवेदन में ट्रेड सैंटर-कम-इंडस्ट्रियल म्यूजियम के संबंध में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 1982-83 के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापना करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

समिति सभापति द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही समिति प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अनुमति देने से पूर्व मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय सदस्य कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत हैं?

श्री माणकमल मेहता: मुझे सभापति ने अधिकार दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: सभापति तो दूसरे हैं।

श्री अध्यक्ष: इस सदन में पूर्व में भी परम्परा रही है कि यदि सभापति सदन में उस समय उपस्थित न हों तो कोई भी माननीय-सदस्य, जो कमेटी के सदस्य हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत: समिति की तरफ से अधिकृत सदस्य ही पेश कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: वह कह रहे हैं कि उनको अधिकृत किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: बताया नहीं, लैटर ऑफ अथोरिटी कहां है?

श्री माणकमल मेहता: सेक्रेटरी साहब के पास भेजा है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य की सेवा में रूल 225 प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है:—

"225. Presentation of reports:—The report of the Select Committee on a Bill together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the House by the Chairman or, in his absence, by any member of the committee".

श्री माणकमल मेहता : इसमें तो ऑथोराइजेशन का भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : क्षमा करें । संबंधित नियम 204 है ।

"The report of a Committee shall be presented to the House by the Chairman or, in his absence, by any member of the Committee."

श्री परसराम मदेरणा : There is no question of authorisation.

श्री अध्यक्ष : "In presenting the report, the Chairman or, in his absence, the member presenting the report, shall, if he makes any remarks, confine himself to a brief statement of facts, but there shall be no debate on that statement at this stage."

इसलिये आप जो..........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये रूल्स तो अब बने हैं । अब तक सदन में व्यवस्था यह रही है कि कोई भी रिपोर्ट यदि पेश करेंगे तो या तो चेयरमैन करेंगे या चेयरमैन जिनको ऑथोराइज करेंगे वह करेंगे । ऑथोराइजेशन की एक व्यवस्था है । आज पहाड़िया जी एबसेंट हैं तो एबसेंट होने की सूचना आपके पास होनी चाहिये । एबसेंट होने की सूचना मिल गई तो पहाड़ियाजी द्वारा इनको अधिकृत करने की सूचना आपके पास लिखित रूप में होनी चाहिये । आज मेहता साहब रिपोर्ट पेश कर रहे हैं । मेहता साहब की जगह कमेटी का कोई भी मैम्बर, जो इधर बैठे हैं, भी सदन में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं । उनको किसने रोका है । दो मैम्बर्स के बीच में ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड वर्क कौनसा है जिसको चेयरमैन ऑथोराइज करे । चेयरमैन कोई जुबानी ऑथोराइज नहीं कर सकते । पहले आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि मैं एबसेंट रहूंगा । दूसरी आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि मेरी तरफ से रिपोर्ट पेश करने का अधिकार मैं माणकमल मेहता को देता हूं । यहां पर ये दोनों बातें नहीं हैं । आज इस कमेटी के सदस्य दाऊदयाल जोशी भी हैं । वह भी खड़े होकर रिपोर्ट पेश कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: कोई भी माननीय सदस्य तो, अध्यक्ष महोदय, फिर आपस में झगड़ा करेंगे । ये माणकमल जी भी खड़े हो जायेंगे और दूसरे भी खड़े हो जायेंगे कि मैं यह रिपोर्ट पेश कर रहा हूं । उनमें रूल्स के हिसाब से, रूल्स के लैटर और स्प्रिट, रूल्स की व्यवस्था के अनुसार कोई अन्तर नहीं किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, आज तक यहां पर ऐसी व्यवस्था थी कि जो माननीय चेयरमैन होते थे किसी भी समिति के, वह अपनी तरफ से अध्यक्ष महोदय को सूचना देते थे कि मैं इनको अधिकृत करता हूं । अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बाद में वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते थे । अब कोई दूसरी व्यवस्था आप अगर करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी माननीय सदस्य जब चाहें तब सदन में आकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे । इस प्रकार जो रिपोर्ट की सैंक्टिटी होती है वह सैंक्टिटी नहीं रहेगी और जो महत्व होता है रिपोर्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का वह नहीं रहेगा । इसके अलावा उस रूल में यह भी लिखा हुआ है कि जो रिपोर्ट पेश करेंगे वह माननीय सदस्य चाहें तो उस पर स्टेटमेंट भी दे सकेंगे। इसलिये इसकी सीरियसनैस खतम होती है । अध्यक्ष महोदय, तो मैं इस आधार पर निवे- करना चाहता हूं कि जो भी चेयरमैन हों वह चेयरमैन जिस किसी को भी ऑथोराइज करें, ऑथोराइजेशन के लिये पहले आपकी अनुमति लें । फिर आपके द्वारा अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री माणकमल मेहता : अध्यक्ष महोदय, रूल 204 यह है:—

"The report of a Committee shall be presented to the House by the Chairman or, in his absence, by any member of the Committee."

एनी सदस्य के लिये है । इसमें तो ऑथोराइजेशन की बात भी नहीं है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो यह भी मान रहे हैं लेकिन वह यह बता रहे हैं कि अगर रिपोर्ट पेश करें और उस पर वक्तव्य दे दें ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछले तीस सालों से यह परम्परा रही है कि चेयरमैन भी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर देते हैं और कभी किसी माननीय सदस्य, जो कि उस समिति के सदस्य हों, को भी अधिकृत कर देते हैं । अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त करके उस कमेटी को रिपोर्ट को सदन की मेज पर प्रस्तुत करते रहे हैं । पर यहां एक हाई-पोथेटिकल क्वेश्चन विपक्ष के नेता महोदय ने उठाया कि माननीय सदस्य दाऊदयाल जी जोशी, जो कि दीगोद से आने वाले हैं, भी उस कमेटी के सदस्य हैं। वह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें और उस रिपोर्ट पर स्टेटमेंट दे दें । तो समिति में जिस तरह की सदस्य की भूमिका रहती है, जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा है उसके लिये मेरा यह कहना है कि जब कोई माननीय सदस्य किसी भी समिति के सदस्य हो जाते हैं और समिति में जब बैठते हैं तब पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं रहती है, वहां तो सभी माननीय सदस्यों का सामुहिक दायित्व होता है और सब का एक ही फंक्शन होता है, जो भी रिपोर्ट आती है कमेटी की वह यूनानीमसली आती है । यह विपक्ष के नेता महोदय ने भी देखा होगा कि इन समितियों की जो भी रिपोर्ट आती है वह सर्वसम्मत रिपोर्ट आती है । नोट ऑफ डिसेंट जो है वह सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में तो आता है पर दूसरी कमेटियों की रिपोर्ट में नहीं आता है । मेरा यह निवेदन है कि जो हाइपोथेटिकल प्रश्न पैदा किया गया है, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है जब कि यहां पर यह वैल एस्टेब्लिश्ड कनवेन्शन है और कनवेन्शन ठीक भी है कि आपकी अनुमति हो तो वह रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है । आपकी अनुमति लेना अनिवार्य है । आप रूल 204 के अन्तर्गत अनुमति देते रहे हैं । यह सदन की परम्परा रही है ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी विनती करना चाहता हूं कि आज की जो लिस्ट ऑफ बिजनेस सर्क्यूलेट की गई है, कार्य सूची दी गयी है उसमें समिति के चेयरमैन का नाम है, वह रिपोर्ट पेश करेंगे ।

(श्री राजबहादुर)

अगर बाद में किसी का नाम सब्सटीट्यूट किया है तो पहले आपसे परमिशन ली जानी चाहिये। जब आपकी परमिशन हो जाती है तो ही नाम सब्सटीट्यूट हो सकता है। आज जो लिस्ट ऑफ बिजनेस सर्क्यूलेट हुई है उसमें तो माननीय सदस्य जगन्नाथ पहाड़िया जी का नाम है। हम उनसे कुछ सवाल भी करना चाहते थे। उन्होंने खुद नहीं आकर इनको भेजा है। अगर लिस्ट आफ बिजनेस में उनका नाम नहीं है तो भी अगर आपसे परमिशन ली हुई होती तो यह माना जा सकता था कि इनको अधिकार दिया गया है सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये। इसमें आपकी परमिशन तो आवश्यक ही होगी रूल 204 के अन्तर्गत।

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत दे दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इजाजत कहां दे दी ? लिस्ट ऑफ बिजनेस सर्क्यूलेट की गई है उसमें जगन्नाथ पहाड़ियाजी का नाम है। फिर आपने कहां अनुमति दी ? अगर आपने अनुमति दी होती तो इनका नाम आता।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि जब कभी माननीय सदस्य अनधिकृत रूप से बोलते हैं उस वक्त मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर देता हूं कि आप कृपया इस विषय पर चर्चा सदन में न करें। मैंने मौन रह कर जब उनको इसको प्रस्तुत करने की........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपके मौन का पता भी तो नहीं नहीं लगता है न।

श्री अध्यक्ष : अनुमति दे दी तो यही माना जायगा कि उन्होंने अनुमति मांगी है और मैंने अनुमति दे दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपने इस पर आपत्ति की है इसलिये वह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं इस पर अध्यक्षीय व्यवस्था दे रहा हूं।

माननीय सदस्य मानकमल मेहता ने नियम 204 के अन्तर्गत समिति के सभापति की ओर से समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को इस मायने में प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गयी कि आसन ने उनको इसके लिये मना नहीं किया। लेकिन विपक्ष के नेता महोदय और अन्य दो माननीय सदस्यों ने एक आपत्ति उठायी कि माननीय सदस्य, जिन्होंने समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, सभापति नहीं है और समिति के सभापति का लिखा हुआ कोई अधिकार-पत्र भी उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया। आज की सदन की कार्य सूची जो है उसमें भी माननीय श्री पहाड़िया जी का नाम है। यदि नियम 204 को ध्यान से पढ़ें तो उससे ऐसा लगता है कि सभापति अथवा अन्य कोई माननीय सदस्य, जो इस समिति का सदस्य हो, किसी भी प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि ऐसी अवस्था में तो एक या एक से अधिक माननीय सदस्य प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर सकते हैं, और नियमों में इस संबंध में यह भी व्यवस्था है कि जो माननीय सदस्य प्रस्तुत करते हैं वह वक्तव्य दे सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि दोनों माननीय सदस्य का वक्तव्य एक दूसरे से विरोधी या कान्ट्रेडिक्टरी न हो। मैं समझता हूं कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो सदन में बिना आपत्ति किये

(श्री अध्यक्ष)

चलते रहते हैं : लेकिन जब उस संबंध में आपत्ति उठ जाती है तो उस पर विनिश्चय देना अथवा उसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो जाता है । तो, इस नियम के संबंध में मैं यह अध्यक्षीय व्यवस्था दे रहा हूं कि जब सभापति के अलावा कोई अन्य माननीय सदस्य विधान सभा में किसी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तो सभापति के लिये आवश्यक होगा आसन को यह सूचित करना कि वह समिति के अमुक माननीय सदस्य को अधिकृत करने जा रहे हैं, प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये । अब यह नियम इस व्यवस्था के साथ में पढ़ा जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप अधिकृत होकर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आज तो प्रस्तुत कर दिया । इसकी अनुमति दे दी । अब आप प्रस्तुत कीजिये ।

समिति का प्रतिवेदन
राजकीय उपक्रम समिति, 1982-83 का चौथा प्रतिवेदन

श्री माणक मल मेहता (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्राधिकृत करने पर मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1978-79 के आठवें प्रतिवेदन में ट्रेड सैंटर कम इण्डस्ट्रियल म्यूजियम के संबंध में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 1982-83 का चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

शासकीय वक्तव्य
पीपाड़ शहर नगरपालिका अध्यक्ष को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगा कर बाजार में घुमाना

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ।

श्री शिव चरण माथुर, मुख्य मंत्री पीपाड़ शहर के नगरपालिका के अध्यक्ष को गत आठ मार्च को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर पुलिस द्वारा बाजार में घुमाने के संबंध में जो स्थगन प्रस्ताव श्री कैलाश मेघवाल और श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी द्वारा दिया गया है, उस के ऊपर वक्तव्य देंगे । । मंत्री जी द्वारा वक्तव्य देने के बाद स्पष्टीकरण के रूप में माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, पीपाड़ सिटी के नगरपालिका अध्यक्ष श्री बचनाराम को गत 8 मार्च को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर हथकड़ी लगा कर पुलिस द्वारा बाजार में घुमाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश मेघवाल एवं श्री ललित किशोर चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के संबंध में वक्तव्य निम्न प्रकार है:--

श्री जेसाराम पुत्र कानाराम, गोदारा नगरपालिका, पीपाड़ सिटी के अधिशासी अधिकारी ने एक एफ. आई. आर. दिनांक 9-11-82 को धारा 454 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना पीपाड़ शहर में सर्वश्री बचनाराम अध्यक्ष, नगरपालिका पीपड़ शहर, श्री सोहनलाल सेठिया, सदस्य नगरपालिका

(1.01 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पीठासीन)

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

पीपाड़ शहर एवं श्री घेवरराम चौकीदार के विरुद्ध पंजीवद्ध करायी । एफ. आई. आर. में चोरी गये सामान में कपड़े, बक्स सूटकेस, राजकीय सोफा और पलंग मय बिस्तर लिखाया गया । साथ ही यह लिखाया गया कि पूरे सामान की लिस्ट बाद में याद करके दे दी जायेगी ।

एस. एच. ओ., पीपाड़ सिटी द्वारा मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने बताया कि उक्त गेस्ट हाउस, जिसमें वह निवास कर रहा था और उसका सामान रखा हुआ था, उसके कब्जे में था, जिसको खाली कराने का काम उसकी अनुपस्थिति में किया गया । गेस्ट हाउस का दरवाजा बन्द था जिसे खोल कर अनधिकृत रूप से खाली कर दफ्तर का सामान रखवा दिया गया ।

इस पर मुकदमा नं. 94/82 धारा 454 भारतीय दंड संहिता कायम किया गया । बाद में दिनांक 10-11-82 को एक लिखित तहरीर में श्री जैसाराम ने एस. एच. ओ., पीपाड़ शहर को यह व्यक्त किया कि दो टार्च जीप, तीन सैल की, एक व दो सैल की एक, नहीं मिली तथा दो कैसेट, जो सोनी इण्डिया की हैं, नहीं मिली हैं ।

एस. एच. ओ., पीपाड़ सिटी श्री अर्जुनदाससिंह ने इस केस में श्री शिवचरण पुत्र शंभूराम, डॉ. रणवीरसिंह व जस्साराम पुत्र प्रतापराम माली आदि के बयान लिये थे । दिनांक 19-11-82 से अभियुक्तगण द्वारा एस. पी. को प्रतिवेदन देने पर तफतीश श्री आईदानाराम इंसपेक्टर, जोधपुर ने संभाल ली थी ।

उपर्युक्त तीनों व्यक्ति अर्थात अध्यक्ष, नगरपालिका, सोहनलाल सेठिया, सदस्य एवं एक चौकीदार घेवरराम को इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर द्वारा अपराध सिद्ध पाये जाने पर दिनांक 8-3-83 को श्री आईदानाराम द्वारा गिरफ्तार कर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया जहां उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया । गिरफ्तारी पर रोष प्रकट करने पर डी. आई. जी. ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जांच करायी ।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ने इस विषय में अपने जांच प्रतिवेदन में निम्न प्रकार व्यक्त किया है:—

(1) श्री वचनाराम, श्री सोहनलाल सेठिया व श्री घेवरराम चौकीदार को अधिशासी अधिकारी द्वारा बदले की भावना से सरासर झूठे मुकदमे में फंसाना साबित नहीं हुआ है ।

(2) उक्त तीनों को हथकड़ी लगाना सही पाया गया मगर नगर से फिराते हुए कोर्ट ले जाना सही नहीं पाया गया ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य में कई बिन्दु निराधार कहे हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, 2-3-82, इस घटना के एक वर्ष से भी पहले, को नगर पालिका ने प्रस्ताव पास हुआ । यह जो ई. ओ. महोदय हैं, नगरपालिका के भवन के साथ ही लगा हुआ भवन है जो रेस्ट हाउस कहलाता है, उस रैस्ट हाउस में उसके पहले एक वर्ष से रह रहे थे । नगरपालिका के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
सदस्यों ने प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव पर निर्णय हुआ, उस फैसले, जो नगरपालिका का फैसला हुआ, के अनुसार निर्णय हुआ कि 10-3-82 तक यह कमरा खाली करा लिया जावे । यह 2-3-82 का निर्णय है, नगरपालिका के सदस्यों की मीटिंग का, उसमें यह निर्णय हो गया कि 10-3-82 तक यह कमरा खाली करा लिया जावे । माननीय सभापति महोदय, उसके बाद 21-4-82 को, दो महीने और 10-11 दिन बाद अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका, पीपाड़ शहर ने अधिशासी अभियन्ता नगरपालिका, पीपाड़ शहर को एक पत्र लिखा है । छोटा सा पत्र है जो मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"विषय:— पालिका रैस्ट हाउस खाली कराने हेतु ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि जब से आप इस पालिका में अधिशासी अभियन्ता के पद पर आये हैं तब से आप नगरपालिका का रैस्ट हाउस निजी उपयोग में ला रहे हैं । रैस्ट हाउस को खाली कराने बाबत बोर्ड, की साधारण बैठक दिनांक 2-3-82 को प्रस्ताव हो चुका है, जिसके बारे में कई बार आपको सूचना दी जा चुकी है ।

अत: नोटिस के मिलते ही तीन दिन के अन्दर पालिका का रैस्ट हाउस खाली कर दें तथा जितने माह रैस्ट हाउस को आपने निजी उपयोग में लिया है उसका किराया नियमानुसार जमा करा दें ।"

माननीय सभापति महोदया, यह जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव के 2 माह और 11 दिन के पश्चात् यह पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय ने अधिशासी अभियन्ता को लिखा है । इसके पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं की अधिशासी अभियन्ता ने । माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य देते हुए बताया कि हमने जांच करवा ली और जांच में कोई पाया नहीं गया । मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि 21-4-82 के पश्चात् 27-9-82, को पांच महीने के पश्चात् का क्षेत्रीय सहायक निदेशक, जोधपुर का पत्र है, नोटिस है । यह पांच महीने के बाद का है, यह और किसी का नहीं है वहां के अधिकारी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, डायरेक्टर हैं, एडीशनल डायरेक्टर हैं जो जोधपुर में बैठते हैं, का यह पत्र मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं:—

"आपको नगरपालिका का रैस्ट हाउस खाली करने हेतु पूर्व में अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका, पीपाड़ शहर द्वारा कई बार लिखित में आदेश दिये गये किन्तु आपने रैस्ट हाउस खाली नहीं किया और उसमें निवास कर रहे हैं । दिनांक 18-9-82 को आपने मेरे से वायदा किया था कि रैस्ट हाउस खाली कर देंगे किन्तु आपका निजी सामान अभी भी रैस्ट हाउस में रखा हुआ है और आपने रैस्ट हाउस खाली नहीं किया है । आपको अन्तिम रूप से आदेश दिया जाता है कि इस पत्र की प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर रैस्ट हाउस से अपना निजी सामान हटा कर रैस्ट हाउस खाली कर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।"

यह तीन दिन का निर्णय है 27-9-82 का, क्षेत्रीय निदेशक, जोधपुर का । इसके पश्चात् 6-11-82, दो महीने के पश्चात्

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
नगरपालिका, पीपाड़ शहर की ओर से अध्यक्ष महोदय ने एक पत्र लिखा है:—

"रैस्ट हाउस की जगह चुंगी शाखा लिपिक का कार्यालय लगाने हेतु ।

खास तौर से देखने में आया है कि लिपिकों को बैठने की जगह नहीं होने से आपको यह आदेश दिया जाता है कि रैस्ट हाउस का फर्नीचर लाइब्रेरी के पीछे जहां पर श्री रामकुमार सब-नाकेदार रहता है उसी जगह लगाया जावे। श्री रामकुमार रहना चाहता है तो नगरपालिका का बना हुआ मकान, जो पुराने बस स्टेण्ड पर स्थित है, किराये पर उसे दे दिया जावे, अन्यथा वह स्वयं अपने रहने की व्यवस्था करे। कार्यालय सोमवार तक लगाया जावे।"

स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है, इसके दो महीने के पश्चात्। एक वर्ष का समय गुजर गया।

माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय को इसलिये बताना चाहता हूं कि यह जो 6-11-82 का पत्र है, इसके बाद 8-11-82 को अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था कर दी कि उस रैस्ट हाउस, जो कि नगरपालिका के भवन से लगा हुआ है, में कौन-कौन जाएगा। गैस्ट हाउस के लिये उन्होंने लिखा है कि गृह कर शाखा के श्री ओमप्रकाश जायेंगे। जन्म मृत्यु के आवक जावक जनरल लाइसेंस के कालूसिंह जी जायेंगे। राशन कार्ड सीमेंट स्टोर वाले ओमप्रकाश नाकेदार जायेंगे। इन सब के बैठने की व्यवस्था 4-11-82 को कर दी है। माननीय मंत्री महोदय, यह इतिहास है एक वर्ष का। उस मकान को खाली कराने के लिये तीन दिन का नोटिस दिया। उन्होंने तीन दिन का नोटिस दिया। लगातार उन्होंने दूसरे नोटिस दिये। एक वर्ष का समय हो गया। जब 8 तारीख को ई. ओ. साहब चले गये, जब ई. ओ. साहब चले गये तो उनकी अनुपस्थिति में इस प्रकार का ऑर्डर था। मैं एक बात और आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं, जो एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है उस एफ. आई. आर. पर पीपाड़ शहर के थानेदार ने रिपोर्ट की है वह रिपोर्ट भी मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं।

"ई. एस. सी. रिपोर्ट," वह अपनी रिपोर्ट लिखते हैं एफ. आई. आर. पर, जो उन्होंने इन्वेस्टीगेशन की उसकी यह रिपोर्ट है।

"श्री जसाराम पुत्र थानाराम उम्र 32, साकिन बीड़वी, पी. एस. मुल्तवा नागौर हाल अधिशासी अभियन्ता नगरपालिका, पीपाड़ शहर ने प्रस्तुत की। मजीद दरियाफ्त में बताया गया कि गैस्ट हाउस में मेरा सामान कहीं पास ही रखवा दिया हो तो मैंने नहीं संभाला। ताला जो दरवाजे पर लगा हुआ था वह नगरपालिका का ही था।"
यह रिपोर्ट है। नगरपालिका का ताला चाबी वहीं की। इस सारी रिपोर्ट में है उस ताले की चाबी खोल कर, जो कि नगरपालिका का ताला है, उस सामान को कहीं रखवा दिया गया। इस सारी व्यवस्था में चोरी का केस दर्ज हो गया। क्यों हुआ ? इसलिये हुआ चोरी का केस क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटना चल रही है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को और बताना

(75)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

चाहता हूं, इतनी ही बात नहीं है, इन सारी शिकायतों के कारण और इनकी हठधर्मी के कारण नगरपालिका के जो ई. ओ. महोदय हैं 19-1-83 को उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। 19-1-83 को उन्हीं की शिकायतों पर, उन्हीं के कार्यकलापों पर, उन्हीं की लगातार हुकम उदूली के कारण, लगातार आज्ञा नहीं मानने के कारण 24-1-83 को उनको रिलीव भी कर दिया गया। 1-2-83 को पुनः स्थानान्तरण वापस स्थगित करने का ऑर्डर गया यहां से, ऐसी इन्टेन्शन है राज्य सरकार के लोगों की। कुछ वहां वैस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग बैठे हुए हैं जो शील्ड करना चाहते हैं ई. ओ. महोदय को भी और जलील करना चाहते हैं नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय को भी। हाई कोर्ट में चले गये वहां के अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जब हाई कोर्ट में चले गये तो जो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने दिये हैं वह मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। जो ऑब्जर्वेशन दिये हैं हाई कोर्ट ने, वह लिखते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में:—

"The petitioner's second grievance is that he is not competent to hold the office of the Executive Officer"

यह 'सी' श्रेणी की नगरपालिका है और यह 'बी' श्रेणी के ई. ओ. को लगा रखा है। सिरोही में भी यही किया, राजगढ़ में भी यही किया, कुचामन में ए. ए. ओ. को लगा रखा है। 'सी' क्लास की नगरपालिका है और 'बी' श्रेणी के लगाये हुए हैं। अंत में उन्होंने ऑब्जर्वेशन देते हुए लिखा है :—

"It is expected from the authorities that they will appoint a person within a reasonable time if such circumstances exist and should not give any chance of making complain specially when the petitioner submits that the work of the local body has been held up and the development programme is suffering on account of proper person not being appointed".

माननीय सभापति महोदया, इसकी सारी हिस्टरी बताने का कारण यह है कि लगातार वही ई. ओ. है। ई. ओ. क्या कहते हैं कि मेरे पास तो फोटो टंकी हुई है। मेरे पास तो श्री परसराम जी के दो चित्र हैं कमरे में। उनके चित्रों को बताकर लगातार इस बात का प्रयास करता रहा है। इतनी बात और कहना चाहता हूं कि यही ई. ओ. इनवाल्व्ड है दिलीपसिंह काण्ड में, जिसको जान से हाथ धोना पड़ा इस जयपुर में। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदया, कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक प्रक्रिया इस प्रकार की चल पड़ी उसको शील्ड करने की बात और यह सारी घटनायें हो गयीं। इस घटना में कहा गया कि चोरी किया माल है। अंत में जो रिपोर्ट आपने बताई उसमें क्या है। बाकी सामान तो मिल गया लेकिन दो केसेट्स और एक टार्च नहीं मिले। यह केसेट भी किसके हैं? यह केसेट्स नगरपालिका के हैं जिनको उसने गुम होना बताया है। इसकी तफतीश की गयी जोधपुर में। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मण्डल मिला। कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, नहीं कोई खास बात नहीं है, कोई बात नहीं है यह तो।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

और इसके लिये जगह थी लगातार इस प्रकार के आॅर्डर्स हैं तो उन आॅर्डर्स के आधार पर उससे खाली कराया जायेगा । आप फिक्र मत करिये । लोग चले आये, प्रसन्न हो गये कि कोई बात नहीं है । आईदाना राम आते हैं 8 तारीख के दिन और यहां आकर बैठते हैं । यह आईदाना राम कौन है, मैं उनकी चर्चा यहां नही करना चाहता हूं । यह कौनसा स्केन्डल इस प्रकार का बनता है कि जन प्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश करती है राज्य सरकार । आईदाना राम आकर क्या कहते हैं वहां । उन्होंने बुलाया कि आप लोग चलिये, अध्यक्ष महोदय, चाय पीने के लिये । कुछ तफतीश के बारे में बात करना चाहते हैं । दोनों नगरपालिका के सदस्यों के नाम माननीय मंत्री महोदय ने बताये हैं उन दोनों को भी बुलाया गया । इन तीनों को बुलाया गया । 12 बजे आये और 3 बजे तक बैठे रहे । चर्चा चलती रही, चाय पीते रहे, कुर्सी पर बैठे रहे आराम से, कुछ पता ही नहीं चला । वहां जो प्रकाशमल है जब इतनी देर हो गयी तो वह आये । आने के बाद उन्होंने पूछा तो ई. ओ. क्या कहते हैं, थानेदार क्या कहता है, आप फिक्र मत कीजिये हम आ रहे हैं कोर्ट में वहां जमानत हो जायेगी कोई खास बात नहीं है । सामान्य रूप से समझे कि वहां जाकर जमानत हो जायेगी । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस आईदाना राम सी. ओ. ने, सर्किल इन्सपेक्टर ने हथकड़ियां डालीं तीनों के और इस प्रकार की प्रक्रिया की इलेक्टेड मैम्बर के साथ who is the first citizen of Pipad. पीपाड़ के प्रथम नागरिक हैं । वहां नगरपालिका के अध्यक्ष हैं । शायद वह चुनाव लड़े वहां । जोधपुर में इस प्रकार की प्रक्रिया लगातार होती चली जा रही है । यह वही ई. ओ. हैं जिन्होंने एक सेठिया को धमकी दी थी कि तुम कांग्रेस (आई) जो इन-कर लो नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा । वहां एक प्रक्रिया चल पड़ी है कि किसी प्रकार से नगरपालिका को समाप्त कर दिया जाये ।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि विद्वेष की भावना से इस प्रकार की प्रक्रिया की । आईदाना राम 4 बजे हुकम देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं जाओगे । प्रकाशमल तो चला गया था बेचारा कि आ रहे हैं कोर्ट में, इनकी जमानत वहां करा देंगे । सब बात हो जायेगी । सामान्य रूप से प्रथम नागरिक हैं । उनके हथकड़ी डाली गयी । मंत्री महोदय कह रहे हैं कि घुमाकर नहीं लाये । आप चलिये पीपाड़ मेरे साथ । वहां से बस स्टेण्ड ले जाया गया पहले । बाद में मुंसिफ कोर्ट लाया गया । मुंसिफ कोर्ट लाया गया वहां से घुमाकर । इसको घुमाना नहीं कहते हैं आप ? चलिये पीपाड़ मेरे साथ, मैं कल जा रहा हूं । आप पीपाड़ चलिये मेरे साथ । आपको देखने का मौका मिलेगा । केवल लीपापोती नहीं करें ।

मैं, माननीय सभापति महोदया, बहुत दुखित होकर कहना चाहता हूं, इतना होने के पश्चात्, इस प्रकार की बात करने के पश्चात् भी इन्होंने इलेक्टेड लोगों का अपमान किया है । सारी चुनी हुई जो संस्थायें हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका अपमान करने की राजस्थान सरकार ने कोशिश की है और इनके अधिकारियों ने कोशिश की

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

है । मेरी मांग है कि ई. ओ. सस्पेण्ड होना चाहिये । उसने लगातार आज्ञा की हुकुम-उदूली की है । मेरी मांग है कि सी. ओ., जिसने हथकड़ी डाली, को अविलम्ब रूप से सस्पेण्ड करने की आवश्यकता है और फिर इन्क्वायरी हो, जो दण्ड देना है वह दोषी को दण्ड मिले । इन दोनों बातों की मैं मांग करता हूं । मैं बड़े कष्ट से और दु:ख से कहना चाहता हूं, मन की पीड़ा से मंत्री महोदय कहना चाहता हूं कि इसको सामान्य विषय के रूप में मत लीजिये । यह बड़ा दुखद विषय है । आज राज्य सरकार पुलिस के हाथों में खेल रही है । पता नहीं क्यों डर लगता है आपको पुलिस से । कोई भी एक्शन लेते घबराते हैं आप । अच्छा होता, मुख्य मंत्री जी होते तो मैं बात करता । क्योंकि इसमें दो विभाग ही इनवाल्व्ड हैं स्वायत्त शासन और पुलिस । जिस प्रकार की प्रक्रिया की है उसके लिये मैं सरकार की भर्त्सना करता हूं, मैं राज्य प्रशासन की भर्त्सना करता हूं, मैं मंत्री महोदय आपकी भर्त्सना करता हूं कि आपने गलत बयान यहां दिया है । जन प्रतिनिधि के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार किया है और जिस प्रकार उनको घुमाया गया है, उनका अपमान किया है उसकी भर्त्सना करता हूं । इसलिये जो मैंने मांग की दोनों के बारे में वह पूरी कीजिये । आप करें या नहीं करें, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि जवाब देते समय आप उनको अविलम्ब सस्पेण्ड कीजिये क्योंकि राजस्थान में, हिन्दुस्तान में प्रक्रिया बनाई है, कई आॅर्डर्स है, सर्क्यूलर्स है राजस्थान सरकार के जिनमें कहा गया है कि जन प्रतिनिधियों को हथकड़ियां नहीं लगाई जायें । सुप्रिम कोर्ट के आॅर्डर हुए हैं कि जन प्रतिनिधियों के हथकड़ियां नहीं लगाई जायें । वह तो विद्वेष की भावना थी जिस भावना में आकर इस प्रकार की प्रक्रिया की गयी । इसलिये मैंने यह मांग की है । मैं निवेदन करना चाहता हूं जो घटना आपने बताई है, उसमें यह घटना जोड़ लीजिये मेरे तथ्यों को वेरीफाई कर लीजिये । आज उसको सस्पेण्ड करने की घोषणा कीजिये तब तो मुझे लगेगा कि राज्य सरकार कुछ ठीक रूप से निर्णय करना चाहती है वरना राज्य सरकार केवल साधारण प्रक्रिया की बात है उसके द्वारा लीपापोती करके सारी बात समाप्त करना चाहती है ।

श्री सभापति : माननीय श्री मेघवाल जी । आप भी इसके अतिरिक्त कुछ तथ्य बतायें या प्रश्न पूछें तो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, सभापति महोदया, बीच में एक निवेदन करना चाहता हूं कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है । मैं कोई धमकी के रूप में नहीं कहता लेकिन आसानी से इस बात को पचा नहीं पाया । उचित है कि मुख्य मंत्री जी इस सदन में आ जायें उसी समय इस पर चर्चा की जाये । मैं राज्य मंत्री का अपमान नहीं करना चाहता हूं । उन्होंने सारे लोकतन्त्र का अपमान किया है । हम इस सदन में बैठकर अपमान नहीं करना चाहते लेकिन लोकतन्त्र की जिस प्रकार से हत्या की है यह हमारी सहन शक्ति के बाहर है । यही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुख्य मंत्री जी को बुला लीजिये चर्चा से पहले । यह एक ऐतिहासिक चर्चा होगी । सरकार को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
भी हम मजबूर करें कि ऐतिहासिक मसले पर वह ईमानदारी से सदन में अपने निर्णय की घोषणा करे वरना हम इसको सहन नहीं करेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : किसी भी वक्तव्य को देने के संबंध में राज्य गृह मंत्री जी सक्षम हैं । वह वक्तव्य दे सकते हैं और उन्होंने वक्तव्य दे दिया है......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कानूनी बात नहीं है । यह भावनाओं का सवाल है । यह कानूनी बात नहीं है ......

श्री अहमद बख्श सिंधी : यह कानूनी बात भी है ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह कानूनी मसला नहीं है....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : .... उनके हथकड़ियां लगा दीं । XXX

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : सभापति महोदया, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं ....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदया, यह राजनैतिक विद्वेष के कारण हुआ है । सभापति महोदया, राज्य सरकार के निदेशानुसार हथकड़ियां लगायी गयीं, मेरा यह आरोप है । इनमें हिम्मत नहीं, इस तरह से जन प्रतिनिधियों के हथकड़ी लगायें । मेरा यह आरोप है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार, उनके कहे अनुसार उनके हथकड़ी लगाकर घुमाया । यह भी मेरा चार्ज है । यह सरकार जवाब दे कि आखिर किन कारणों और किस बात के आधार पर हथकड़ी लगाई ? कौन सा वह डकैत है ? कौन सा उसने डाका डाला है जिसके आधार पर हथकड़ी लगाकर घुमाया गया ? मेरा यह चार्ज है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार, इनके कहे अनुसार उस व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर घुमाया । सरकार जवाब दे इसका.....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 5 बजे जमानत हो गई दो हजार में जमानत हो गई ....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी: आप क्या कहेंगे....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : सभापति महोदया, उनको भी आप समय दें । असलियत तो यही बतायेंगे ....

श्री दाऊदयाल जोशी : गोटेवाला जी, जन प्रतिनिधि हैं, उनके हथकड़ी लगाकर घुमाया है क्या यह उचित है ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री रामनारायण डूडी : मैं आपसे निवेदन करता हूं ....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : लज्जा है, शर्म है आप जैसे पुराने व्यक्ति ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं । माननीय सदस्य । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, ऐसा प्रतीत होता है कि दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य आक्रोश में हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आक्रोश की बात है, माननीय परसराम जी, ××××

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य । ऑर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : लज्जा आनी चाहिये, परसरामजी, राजनैतिक कार्यक्रम ....

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन(झालरापाटन):××× उस वक्त पता चलेगा । गृह राज्य मंत्री जी, हथकड़ी डालेंगे, ××× उस समय पता चलेगा यह राजस्थान की पुलिस मंत्रिमण्डल के संरक्षण के अन्दर किस प्रकार क्रूर कार्य कर रही है ....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री अनंगकुमार जैन : आप यहां जवाब दे रहे हैं, पुलिस के द्वारा तैयार किया हुआ गलत बयान यहां पर पढ़ रहे हैं । राजस्थान के अन्दर दिन प्रतिदिन चुने हुए जन प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है । आप यहां आकर आराम से बयान दे देते हैं । गलत स्टेटमेंट के आधार पर कहां तक आप पुलिस को बचाते रहेंगे ....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ....

श्री अनंगकुमार जैन : क्यों आप इनसे मिले हुए है । आप इनके गलत कार्यों को संरक्षण देते हैं......

श्री सभापति : माननीय सदस्य......

श्री अनंगकुमार जैन : ×××

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहते थे ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता था कि आपने आरोप लगाया, आप का अधिकार है । लेकिन कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, प्रतिपक्ष के उपनेता ने उस एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के रेजीडेंस, जो उसके पास स्थान था, में कोई मेरी कोई फोटो का उल्लेख किया ।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री परसराम मदेरणा)

फोटो के संबंध में शायद पब्लिक रिलेशन का पूरा डिपार्टमेंट जानता है, न तो मैं कभी फोटोग्राफर को फोन करता हूं, न फोटो मैं लटकवाता हूं, मेरा पत्थर भी शायद राजस्थान में कहीं लगा हुआ एक दो जगह मिलेगा। मैं जिस कब्रिस्तान में जाना चाहता हूं उसके ऊपर भी मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम वहां पर रहे। लेकिन यह बात तथ्य है, हकीकत है कि किसी ने कोई मेरा एक फोटो जब मैं भोपालगढ़ में 15 अगस्त को किसी जलसे में गया था, डाकबंगले में भोपालगढ़ में लगा हुआ था, जनता पार्टी के शासन में उस फोटो को बाहर फिकवाया वहां काफी तनाव भी हुआ। जब मैं गया एज एम. एल. ए. और लीडर अपोजीशन तो मैंने कहा, भई, अपने को फोटो के संबंध में इस प्रकार कोई भी बात नहीं करनी चाहिये। मुझें पता नहीं, क्या फोटो है, क्या नहीं है। फोटो हर जगह खिंच जाती है। इसलिये इस फोटो के संबंध में माननीय सदस्य मेरा नाम खींच रहे हैं और येन केन प्रकारेण घसीटना चाहते हैं, उसका क्या अर्थ है। कोई अर्थ नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, विषय और जो मसला है, वह इतना आसान नहीं है जितना राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखा। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय..........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पर्सनल एक्सप्लेनेशन माननीय मंत्री जी ने दिया, इन्होंने जिक्र क्यों किया, आपकी फोटो से आकर्षित नहीं हुए लेकिन आपकी फोटो गायब हो गई उसका जिक्र एफ. आई. आर. में है। इसलिये जिक्र किया। कोई पर्सनल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इसका पता नहीं। फोटो की बात कही उससे यह मालूम हो रहा था कि मैं किसी को उकसा रहा हूं, मैं किसी को शील्ड कर रहा हूं। मेरी फोटो कहीं पर खिंच गई है, मुझे पता ही नहीं, जानकारी नहीं, कब किसकी फोटो खिंची, कब नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक इसमें लिखा है, सिर्फ एक आले में रखी दो तसवीर मेरे साथ, श्री परसराम मदेरणा के साथ खिंची हुई है तथा किसान केसरी श्री बलदेवराम मिर्धा की फोटो कांच, कघा, तेल, पाउडर आदि मिला बाकी कपड़ा, बक्सा, सूटकेस आदि गायब थे। इसलिये आपका जिक्र किया। और इसके पीछे और पर्पज नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : कल भी फोटो मेरी आपके साथ आई है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, मुझे बड़े खेद के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि आज का जो वक्तव्य इस महान् सदन के सामने आया है, यह वक्तव्य किसी भी रूप में उचित नहीं है। मसला इतना छोटा नहीं है जैसा गृह राज्य मंत्री जी ने एक पुलिस सब इंसपेक्टर के हिसाब से, तकनीकी आधार पर कुछ

(श्री कैलाश मेघवाल)

तथ्य बताकर के और किसी कृत्य के औचित्य अनौचित्य के बारे में अपना एक मन्तव्य प्रकट कर दिया । मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुने हुए लोगों के प्रति जनतंत्र में क्या व्यवहार हो और विशेष तौर से विपक्ष के जो चुने हुए लोग आते हैं, विपक्ष के जहां कहीं भी प्रतिनिधि बैठते हैं, विपक्ष की नगरपालिका के चेयरमैन, पार्षद, सरपंच, पंच इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये, इसका सीधा संबंध इस घटना से है, माननीय सभापति महोदया, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, कल ही यहां बहुत बड़ा भाषण कराया गया हमारे सामने, हमारे देश की महान लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय यहां कल पधारे थे । उन्होंने जो कुछ भी भाषण दिया, माननीय गृह राज्य मंत्री जी उस भाषण से थोड़ा बहुत सबक लेकर आज अपने वक्तव्य को सुधार कर इस सदन के सामने रखते तो आप अपनी गरिमा बढ़ाते, इस सदन की गरिमा बढ़ाते । आज आपने चुने हुए प्रतिनिधियों के नाम पर जिस तरह का वक्तव्य दिया मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, घटना क्या है । वह भी इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, एक बड़ा षड्यंत्र है । जनतंत्रीय शासन प्रणाली है और वह शासन प्रणाली सहिष्णुता के आधार पर, टालरेंस के आधार पर, अकोमोडेशन के आधार पर, विपक्ष को सहन करने की मर्यादा और शक्ति के आधार पर बहुत ही एक डैलीकेट शासन व्यवस्था है यह चल सकती है । आज धीरे-धीरे किस तरह विपक्ष के चुने हुए लोगों को बदनाम किया जाये, प्रताड़ित किया जाये, उनको नीचा दिखाया जाये, उनके प्रति अनादर प्रकट किया जाये इस बात को यह घटना प्रकट करती है । मैं एक मसला पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, जब तक अध्यक्ष नहीं हैं तब तक तो ठीक है । यह विधान सभा का गठन हो गया और गठन हो जाने के बाद अध्यक्ष इस विधान सभा के चुन लिये गये यहां बैठे हुए सभी सदस्यों द्वारा, उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं गृह राज्य मंत्री जी जवाब दीजिये, यह जो सचिव बैठे हैं, क्या इन सचिव को अध्यक्ष के विरुद्ध इस तरह की कोई रिपोर्ट करने का अधिकार है कि यह तो कुर्सी हटा दी, यहां मेरा थैला पड़ा था वह हटा दिया, यहां मेरा बक्सा पड़ा था उसको हटा दिया । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं यह भी आज तय हो जाना चाहिये कि आपका जो एक्ट है, म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, उस म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट के तहत नगरपालिका की जो इमारत है, नगरपालिका का जो दफ्तर है और नगरपालिका की जितनी सम्पत्ति है उसका वैध मालिक, लीगल ओनर, उसका लीगल कीपर कौन व्यक्ति है ? यह इसलिये महत्वपूर्ण है कि सारा घटना चक्र जिस रूप में सामने आया है वह उतना आसान नहीं है । नगरपालिका का चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन है । बोर्ड बना हुआ है, सारी नगरपालिका की सम्पत्ति उस बोर्ड में निहित होती है, बोर्ड के द्वारा उस नगरपालिका के चेयरमैन में निहित होती है, वह सारी इमारत का मालिक है नगरपालिका का चेयरमैन होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिये माननीय गृह राज्य मंत्री जी जवाब दीजिये, यह तर्क मैं आपके सामने इसलिये रखना चाहता हूं कि जो प्रशिक्षाथी अधिकारी रह रहा था, उस कमरे में रहने का उसने कोई किराया

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिया है ? क्या यह कमरा उसको किराये पर दिया गया है ? क्या यह कोई नियम बने हुए हैं कि यह निवास के लिये व्यवस्था की हुई है और यहां पर अधिशासी अधिकारी निवास करेगा ? अगर ऐसी व्यवस्था की हुई नहीं है, अलग से कोई आदेश नहीं है, उस कमरे को निवास के लिये किराये पर लेने का किसी तरह का कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अपने आप में एक रिपोर्ट कराई गई, यह षड्यंत्रपूर्वक रिपोर्ट की गई थी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो वकील रहे हैं, किसी भी अपराध के अनुसंधान में मेनसुरिया प्रमुख रूप से देखा जाता है । सभापति महोदया, यह मेनसुरिया एक कानूनी टर्म है । यहां पर जितने वकील हैं वे कम से कम इस मेनसुरिया की टर्म को समझते होंगे कि जो कार्य किया गया है, उसके पीछे कार्य करने वाले......

(व्यवधान)

हो, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : Mansaria is a latin word. इसका इंगलिश में ट्रान्सलेशन क्या है Criminal intent. No body is above the law whether elected or non-elected. If any body commits a cognizable offence than there is criminal intent.

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने मेनसुरिया की व्याख्या की, क्रिमिनल इन्टैन्ट । माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री को तो यह सबसे ज्यादा मालूम होना चाहिये था कि हर अपराध के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले मेनसुरिया देखता है, क्रिमिनल इन्टैन्ट देखता है । अब इसमें क्रिमिनल इन्टैन्ट देखा गया या नहीं, मेनसुरिया कोई था या नहीं ? मेरे से पूर्व बोलने वाले कोटा से आने वाले विधायक महोदय ने जिस तरह के तथ्य रखे, उन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि जिस इमारत के एक कमरे में अधिशासी अधिकारी अपना निवास बना करके रह रहे थे, उस कमरे में बोर्ड के कार्यों को ठीक ढंग से संचालन करने के लिये, उस कमरे को नगरपालिका पीपाड़ का कार्य ठीक ढंग से चले और नगरपालिका पीपाड़ के नागरिकों की सेवा ठीक ढंग से हो सके, उस प्रयोजन के लिये वहां पर एक क्लर्क को बैठाना था । अन्य स्थान कम पड़ रहा था । क्लर्क को बैठाने के लिये जिस तरह के आदेश दिये गये, उन आदेशों को देने के बाद एक अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, बोर्ड के आदेश पालन नहीं कर रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई किरायेदारी नहीं थी । एक अज्यूम्ड लाइसेंस भी मान लिया जाय तो नगरपालिका के अध्यक्ष को पूरा अधिकार था कि उसकी इमारत में कहीं पर भी किसी तरह की भी कोई घुसपैठ करता है, अतिक्रमण करता है उस अतिक्रमणकारी को वह जबरदस्ती हटा दें, उसको निकाल दें । नगरपालिका अध्यक्ष ने पीपाड़ के नागरिकों के दिये हुए विश्वास के आधार पर यही किया कि अधिशासी अधिकारी

(श्री कैलाश मेघवाल)

अतिक्रमणकारी हैं, यह अधिशासी अधिकारी नगरपालिका के कार्यों में रोड़े अटका रहे हैं और ठीक ढंग से नहीं चलने देने के लिये यहां कब्जा किये बैठे हैं, उन्होंने उसको निकाल दिया। क्या क्रिमिनल इन्टेन्ट था, क्या मेनसुरिया था ? आज राजस्थान की पुलिस जिस ढंग से चल रही है, सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर पुलिस को हम किस सीमा तक ले जाना चाहते हैं ? पुलिस की नाजायज हरकतों को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे ? पुलिस की जो तानाशाही और आर्बीट्रेरी जो कन्डक्ट होता चला जा रहा है उसको कब तक बर्दाश्त किया जायगा ? 454 बनता कैसे है ? 454 की परिभाषा माननीय गृह राज्य मंत्री जी आई. जी. से अगर लाये हैं तो आप 454 की परिभाषा पढ़ कर सुनाइये, क्या आपने देखा है कि 454 इसमें बनता है ? क्या आपने देखा है कि 380 इसमें बनता है? मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं वह कैसेट और एक बैटरी, दो कैसेट और एक बैटरी की चोरी के इल्जाम पर, वह दो कैसेट भी नगरपालिका के थे, बैटरी कहां की थी, मैं नहीं कह सकता हूं मैं याद दिलाना चाहता हूं, सभापति महोदया, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जी को अगर आई. पी. सी. का वह सैक्शन याद है The law will not take notice of trifle matters सीधी-सीधी एक बहुत प्रामाणिकता से, अलग से एक धारा इस बात की रखी गई है कि ट्राइफल, छोटे-मोटे मामले-बैटरी चोरी चली गई, कैसेट चोरी चले गये, पांच-दस रुपये की बैटरी होगी, कैसेट होंगे, तो उस धारा को ध्यान में रखते हुए यह सारा षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र करने के बाद सभापति महोदया, विपक्ष के नेता महोदय भी यहां के बहुत पुराने सदस्य हैं, माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री जी भी पुराने सदस्य हैं, इसी सदन में एक बार नहीं अनेक बार घोषणा हुई हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को हथकड़ी नहीं लगाई जायगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पुलिस विभाग से भी इस तरह के आदेश प्रसारित किये गये हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को हथकड़ी नहीं लगायी जायेगी। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत एक्ट में भी प्रावधान है कि निर्वाचित जो प्रतिनिधि है पंच, सरपंच उनको हथकड़ी नहीं लगेगी। इस तरह के प्रावधान सारे कानूनों में किये हुए हैं। बार-बार विधान सभा में आश्वासन दिये गये हैं। यहां इस प्रकार के आदेश निकाले गये हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि उन आदेशों की खुली अवहेलना करने की हिम्मत पुलिस के एक अदने से अधिकारी की कैसे हुई ? राजस्थान के लोकतन्त्र को चुनौती देने की हिम्मत पुलिस के अधिकारी की कैसे हुई ? लोकतान्त्रिक संस्थाओं की मर्यादा, और उन मर्यादाओं का पालन करने के लिये यह जो कार्यकलाप होते हैं उनको चुनौती करने की हिम्मत कैसे हुई ? सभापति महोदया, इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह वतीरा चालू रहा, बड़ा चिन्तन का विषय है, कल बाहर इस मैदान में जो भाषण हुए, लान में जो भाषण हुए उन भाषणों से हमने कोई सीख ली है, उन भाषणों से हमने कोई सीख ली है, उन भाषणों से हमने कोई दिशा निर्देश किये हैं, उन भाषणों से हमारी कार्य प्रणालिका कोई आधार बनता

(श्री कैलाश मेघवाल)

है तो, माननीय सभापति महोदया, राज्य के गृह मंत्री जी से मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सारे केस की सारी स्थिति का अध्ययन किया है ? कोई केस नहीं है। बनता ही नहीं है। अध्यक्ष, जिसके कब्जे में सारी इमारत है, हमारी विधान सभा के अध्यक्ष अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आज उस विधान सभा के अध्यक्ष के खिलाफ यहां के सचिव जाकर कह दें कि चोरी की, और चोरी में पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी, उस रोज यह लोकतन्त्र की इमारत ढह जायगी। पीपाड़ में जो कुछ हुआ है देखने में तो घटना बहुत छोटी है कि साहब, गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ी डाल दी किन्तु यह छोटी घटना नहीं है, यह लोकतन्त्र के सारे ढांचे पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। कुठाराघात होने की वजह से जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी यहां होना चाहिये था, इस विषय में खुल कर चर्चा होनी चाहिये थी और इसलिये होनी चाहिये थी कि यह तो इक्की दुक्की घटनायें सामने आती हैं लेकिन इनके पीछे जो एक सिद्धान्त तय होना चाहिये, वह सिद्धान्त हमेशा के लिये तय हो जाय और इस सख्ती के साथ तय हो, आज अगर लोकतन्त्र में रक्षा करने की राजस्थान सरकार की इच्छा है, लोकतान्त्रिक संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधियों को आदर देने की राजस्थान सरकार की इच्छा है तो मैं चाहता हूं राज्य के गृह मंत्री जी और केबिनेट स्तर के दूसरे मंत्री, जो बैठे हैं, इस बात की घोषणा करें कि उनकी मंशा क्या है। नहीं करते हैं, सभापति महोदया, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में तानाशाही लाने के कुछ तौर तरीके चल रहे हैं, तानाशाही तौर तरीकों से शासन चलाने की बात की जा रही है और तानाशाही तौर तरीके से जो शासन चलाने की जो बात की जा रही है, तानाशाही तौर तरीके लाये जाने का एक षड्यन्त्र इस देश में चल रहा है, उस षड्यन्त्र की कड़ी के रूप में भी अगर इसको लिया जायगा, अगर राजस्थान की सरकार आज इस पर अपना खुला मन्तव्य प्रकट नहीं करती है और इस बात की घोषणा नहीं करती है तो निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है कि देश में तानाशाही का एक षड्यन्त्र रचा जा रहा है। आपने जांच करा ली, अभी कहा गया, क्या स्टेटमेंट पढ़ा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इन्सिडेन्स होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ह्यूमन अन्डरस्टेन्डिंग होता है क्या उसकी कसौटी पर भी आपका एक वक्तव्य कसा जा सकता है ? माननीय सभापति महोदया, इसलिये कह रहा हूं कि माननीय गृह राज्य मंत्री, जो वकील रहे हैं, वकालत में ये हमेशा इस तरह के तर्क रखते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ह्यूमन कन्डक्ट के यह बात खिलाफ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिहेवियर के यह बात खिलाफ है। जिस व्यक्ति ने गिरफ्तारी की और जिसने शिकायत की, वे यह जानते थे कि इस अध्यक्ष को अपमानित करना है। बैटरी के लिये कौन जाता है, आपकी और हमारी भी रोज चीजें गुमती हैं, कभी थैला गुम जाता है, कभी क्या गुम जाता है, न तो छोटी-मोटी बातों के लिये कानून नोट लेता है और न कोई शिकायत करने जाता है। लेकिन, सभापति महोदया, यह सारा षड्यंत्र था। उस सारे षडयंत्र में अधिशासी अधिकारी मिला हुआ है, उस अधिशासी अधिकारी से पुलिस मिली हुई है। उनको आज प्रोटेक्शन राजस्थान की

(श्री कैलाश मेघवाल)

सरकार दे रही है, इससे ज्यादा शर्म की ओर खेद की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर आपका ममत्व जागता है, अगर आपकी आत्मा आपको झकझोर करती है, लोकतन्त्र और लोकतान्त्रिक संस्थाओं, चुने हुए प्रतिनिधियों का आपके मन में जरा सा भी ख्याल है तो, सभापति महोदया, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिये, एक स्पष्ट घोषणा कीजिये नीति की और उस नीति के आधार पर जो कुछ भी हुआ है उन लोगों को कठोर से कठोर दण्डित करने की घोषणा कीजिये। तभी विश्वास जमेगा राजस्थान में। बाकी धीरे-धीरे बहुत सी इस तरह की घटनायें सामने आई हैं, माननीय सभापति महोदया, उनसे लोकतन्त्र का ढांचा चरमरा रहा है, इसलिये कि विपक्ष को सहन करने की, विपक्ष के साथ तालमेल बैठाने की, विपक्ष के साथ डायलॉग करने की आपकी कहीं किसी तरह की कोई भावना नजर नहीं आती। जितनी ऐसी घटनायें सामने आई हैं विधान सभा में, विपक्ष के चुने हुए नगरपालिका के स्तर के हों, पंचायत के स्तर के हों, सरपंच हों, चेयरमैन हों, उनको पुलिस के हाथों, अधिशासी अधिकारी के हाथों जिस तरह जलील कराया जा रहा है, वह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, सभापति महोदया। माननीय सभापति महोदया, इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि पीपाड़ की जनता का एक निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी को उसने वहां नगरपालिका दी चुनाव में, उस नगरपालिका को, पीपाड़ की जनता के महान निर्णय को, जो चुनाव का अधिकार उसको संविधान के अन्तर्गत मिला हुआ है उस अधिकार का पालन करके एक उसको अधिशासी अधिकारी के द्वारा यहां झुठला देने का षड़यन्त्र चल रहा है, यह राजस्थान सरकार का चरित्र है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, चला लीजिये आप राज थोड़े दिन। अभी तर्क-वितर्क में यह भी कह देंगे लेकिन राजस्थान की जनता आपके इस विवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो आपको कहीं सिर छिपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार गृह राज्य मंत्री से कहना चाहता हूं अपनी आत्मा को टटोलने के लिये, आप वक्तव्य एक बार और पढ़ लीजिये, मैं जो तथ्य बोला हूं, उन तथ्यों की पृष्ठभूमि में पढ़ लीजिये और उसके बाद अपने आपको एक सुदृढ़, एक सच्चे, एक स्पष्ट, राजस्थान की कानून और व्यवस्था, राजस्थान की लोकतान्त्रिक संस्थाओं का संरक्षण करने वाले गृह मंत्री के रूप में प्रकट कीजिये, यही आपके लिये उपयुक्त होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय.......

श्री रामनारायण डूडी: सभापति महोदय, इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी से संबंधित मामला है। इसमें जो कुछ भी कहा गया है यह सरासर माननीय सदस्य ने असत्य कथन यहां सदन में पेश किया है। पीपाड़ सिटी का जो मामला है, 1980 के अन्दर जब लोक सभा का चुनाव हुआ, सभापति महोदया, वहां थानेदार के सरेआम सोल उतार कर फेंक दिये थे, आर. एस. एस. के लड़कों ने। सभापति महोदया, जब जून के अन्दर वहां एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ उस साम्प्रदायिक दंगे के अन्दर यह

(श्री रामनारायण डूडी)
सब लोग, इन्वाल्व्ड थे, इनके तीन-तीन चार-चार केस चले हैं। सभापति महोदय, यह जो लोग हैं मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सुन लें

(व्यवधान)

आप अपनी बात कह देना।

श्री परसराम मदेरणा: Let him say,

श्री सभापति : आप जारी रखिये।

श्री रामनारायण डूडी: अध्यक्ष महोदय, चाहे पार्षद और दूसरे अन्य, म्यूनिसिपैलिटी के ई. ओ. आज से नहीं जब से यह म्यूनिसिपैलिटी पीपाड़ सिटी बनी उसके साथ ही ई. ओ. का रेजिडैन्शियल क्वार्टर इस लिहाज से रखा गया कि कोई आवश्यक काम हो तो अध्यक्ष या प्रशासक के एवसैन्ट के अन्दर कार्य किया जा सके। यह कोई नया क्वार्टर नहीं था कि वहां ई. ओ. नहीं रहे। पहले के ई. ओ. जितने थे पीपाड़ सिटी के वह भी इसी क्वार्टर में रहते थे और रहते आये हैं। उसी भांति जो वर्तमान ई. ओ. है, वह भी वहीं रह रहा है.........

श्री सभापति : यह रेजिडैन्शियल क्वार्टर है क्या, ई. ओ. का ?

श्री रामनारायण डूडी : नहीं। एक कमरा है। हमेशा रहते आये हैं वहां के ई. ओ. इसी क्वार्टर में। इतनी जगह है। मेरा निवेदन यह है कि क्या हम चुने हुए आदमी या वहां की म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन, हो पार्षद या अन्य लोग, जिनकी सहायता से कोई किसी के ताला लगा हुआ कमरा हो उस ताले तोड़ कर सामान बाहर फेंकने का अधिकार है क्या ? तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात उसकी पीपाड़ सिटी में जो रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, वहां के थानेदार, एस. एच. ओ. ने तफतीश की। उस तफतीश से वह लोग बहुत संतुष्ट नहीं हुए तो एस. पी. और कलेक्टर के यहां गये। उन्होंने तफतीश चैक करवायी और आई-दानाराम जी को तफतीश दी, उन्हीं के प्रतिवेदन पर। तफतीश चल रही थी, सभापति महोदय, जिस वक्त का यह वाकया है, जैसी कि मुझे वहां से सूचना मिली है और मुझे जैसा बताया गया, इनको थाने पर बुलाया गया कि भई इस प्रकार मामला है। वहां थाने में 50-60 आदमी आ गये, उन्होंने थाने को घेरा और कहा हम बीच में इनको पकड़कर ले जायेंगे। जब कानून की अवहेलना हो रही हो, कानून लोगों ने अपने हाथ में ले लिया हो, ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे। पीपाड़ के अन्दर 30 जून, 1981 को इसी प्रकार का माहौल पैदा किया गया और देखते ही देखते 50 अल्पसंख्यकों की दुकानें जला दी गयीं, लाखों रुपयों का नुकसान हुआ, साम्प्रदायिक दंगा हुआ। 1 एक महीने में जाकर वहां शान्ति हुई। ऐसी स्थिति में यह लाजिमी था। वहां 50-60 लोगों ने घेराव कर लिया शायद अशान्ति फैल सकती है, उस हिसाब से देखते हुए उनको न तो हथकड़ी डालकर घुमाया गया, न कहीं ले जाया गया, केवल थाने के बाहर मुंसिफ कोर्ट तक पहुंचे। वहां वह ले गये और उनकी वहां पर जमानत हो गयी। इसके अलावा कोई मामला नहीं था। वहां हल्ला किया, दूसरे दिन पीपाड़

(श्री रामनारायण रेड्डी)

शहर को बन्द रखा, जबरदस्ती बन्द रखा। दुकानें और जलाने की कोशिश की गयी, स्कूलों में जाकर हड़ताल कराई। इस तरह आये दिन दंगों में लिप्त रहते हैं, वहां गुण्डागर्दी, तानाशाही और टैन्शन क्रिएट करते हैं और अपने हाथ में कानून लेते हैं अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हुए उनके द्वारा ताला तोड़कर किसी के सामान को बाहर फेंक देना, बाहर घसीटकर निकाल देना क्या उचित है? इसी संबंध में मेरा निवेदन है कि जो कुछ हुआ, वह कानून के तहत किया गया है और नियमों के तहत किया गया है यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरे दिन, जैसे 30 जून, 1981 को पीपाड़ जला, 4-4 केस में आज भी इन्वाल्व्ड हैं यह सभी लोग, और दंगा कराने में हमेशा से बड़े माहिर रहे हैं।

श्री माणकमल मेहता : सभापति महोदया, मैं दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं इसी पर।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री माणकमल मेहता : हां, बहुत संक्षेप में।

यह जो अभी आपके सामने कैलाश जी मेघवाल ने बहुत ही अतिरंजित रूप में कानून की समीक्षा करके विचार रखा और यह बताया कि 454 का केस बनता है या नहीं बनता है, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, उनको हथकड़ी डालनी चाहिये या नहीं डालनी चाहिये, इस विषय पर मेरा यह निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति को जनतंत्र में इस बात का आदेश नहीं है कि यदि वह चुन लिया जाय तो उसको इसके लिये लाइसेंस मिल जाय कि वह चाहे जिस तरह का क्रिमिनल अपराध कर सके। यहां पर जो एफ. आई. आर. हमारे विपक्ष के नेता महोदय के समक्ष थी और जो यहां दी गयी पीपाड़ थाने में, उसमें स्पष्ट दिया, उस एक्जिक्यूटिव ऑफिसर ने यह लिखा है कि मेरे मकान से मैं बाहर गया हुआ था वहां से वापस आता हूं ताला तोड़ा हुआ और मेरा सामान गायब मिलता है। तो आप यह बताइये कि एक अध्यक्ष जो म्यूनिसिपैलिटी का है, उसको किस प्रकार की अपनी तस्वीर जनता के सामने रखनी चाहिये। यदि वह कानून को हाथ में लेकर उसके मकान का ताला तोड़कर उसका सारा सामान ले जाते हैं और उसके बाद उसके खिलाफ अगर एक केस पुलिस में रजिस्टर किया जाता है, उसकी तफतीश होती है, चालान होता है तो उसमें हम तो जनतन्त्र के सामने और जनता के सामने यह चीज रख रहे हैं कि एक आदमी, जो चुना हुआ भी हो, ऐसा कोई घृणित अपराध करता हो कानून क्रिमिनल लॉ और इण्डियन पैनल कोड के ऑफेन्स में कानून को हाथ में लेकर इस प्रकार की कार्यवाही करने का उसका मन था तो उसके साथ कानून का जो कुछ भी हो Law should take its own course. उसका चालान किया गया। उसका यह फर्ज था, जब यह बनाया गया है कि यह तमाम कार्यवाही की गयी, लिखा पढ़ी की गयी तो इनको कहां आवश्यकता थी कि यह कानून अपने हाथ में लेकर उसका ताला तोड़ते। जो कुछ भी वहां का असिस्टेन्ट डायरेक्टर, लोकल बॉडीज, जो भी कार्य कर रहे थे, के अनुसार अगर उसको निकालने की बात थी, वह प्रक्रिया

(श्री माणकमल मेहता)
थी तो उस तरह से उसको कानून के अनुसार, राज्य के आदेशों से निकाला जा सकता था, वहां नहीं रखा जा सकता था। मैं इस बात को भी, इसके औचित्य को नहीं मानता था, इसको नहीं कहता, जो कुछ भी आदेश होता, उसकी पालना होती लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि वह जनता के चुने हुए थे, तो अपनी तस्वीर इस तरह की जनता के सामने स्वच्छ रखनी चाहिये थी जिससे जनता को यह मालूम होता कि यह वास्तव में कानून का पालन कर रहे हैं। उसके विपरीत उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर ताले को तोड़ा और तमाम सामान को ले गये, तो यह थैफ्ट का केस नहीं बनता है या 454 का केस नहीं बनता है तो किसका केस बनता है ? इण्डियन पैनल कोड की धारा 454 और 457 को माननीय मेघवाल जी साहब पढ़ लें, उसके अन्दर अगर यह आता है, उसके अनुसार अगर कार्यवाही की गयी है तो मेरा यह निवेदन है कि इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है और ऐसा उत्तेजनापूर्ण वातावरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रही।

श्री सभापति : संक्षेप में। माननीय श्री तिवाड़ी। संक्षेप में रिपीट बिना किये हुए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की घटना हमारे सामने आयी है, माननीय सदस्यों ने भी बताया। दो बात बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक बात यह है कि नगरपालिका ने प्रस्ताव पास करके उनको वहां से खाली करने का आदेश दिया, एक साल पहले, दो बार लगातार आदेश दिया, फिर डिप्टी डायरैक्टर ने भी यह लिखा कि तीन दिन में आप यह खाली कर दें नहीं तो आपके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जायेगी। नम्बर तीन, इसके बाद में म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष ने आदेश दिया और जब रिपोर्ट में लिखा कि ताला जो था वह नगरपालिका का था, जो सामान उसमें था वह नगरपालिका का था, हो सकता है वहां तेल, साबुन, कांच, कंघा उनका भी हो, नगरपालिका के अध्यक्ष के आदेश से जब वहां के चौकीदार ने ताले को खोला है और सामान नगरपालिका में ले जाकर रख दिया है या दूसरी जगह ले जाकर रख दिया है। साथ-साथ यह भी आदेश किया जाता है कि इस स्थान पर यह कर्मचारी बैठेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर दर्ज करने वाला, सांख्यिकी अधिकारी और नगरपालिका के इस रूम में यह दफ्तर खुलेगा। जब इस प्रकार की कार्यवाही कर दी और साथ में यह लिख दिया कि इसके साथ ई. ओ. अगर चाहे तो जो पुराना कमरा है, उसमें रह जायं, नहीं तो स्वयं की व्यवस्था करें। तो मैं कहना चाहता हूं इसके बाद पुलिस को कोई अधिकार नहीं था। यहां पर बैठकर, इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि वहां का एम. एल. ए. हमारा है, वहां के आने वाले मिनिस्टर यहां पर सत्ता में, पावर में बैठे हुए हैं, गृह मंत्री हमारे हैं और मैं कहना चाहूंगा अगर गृह मंत्री के बल पर और पुलिस के बल पर यह सरकार यह चाहेगी कि हम विरोधी दल की नगरपालिका के सदस्यों को, विधायकों को या सरपंचों को इस प्रकार से पकड़-पकड़ कर बेइज्जत करना चाहेंगे तो यह बेइज्जती हमारी नहीं है, यह बेइज्जती उस जिले के मंत्री की है, उस जिले के विधायक की है और इस सरकार की है जिसने इस प्रकार का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शर्मनाक काम किया है । मैं तो कहना चाहूंगा, परसराम जी मदेरणा साहब, अगर आप जैसा व्यक्ति खड़ा होकर इस विधान सभा में इस कृत्य का प्रोटेक्शन करेगा तो इससे काला दिन राजस्थान की विधान सभा में कोई नहीं होगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस ई. ओ. को हथकड़ी नहीं डाली गयी है, यह हथकड़ी परसराम जी मदेरणा को और गोविन्द सिंह जी गुर्जर को डाली गयी है, यह हथकड़ी प्रत्यक्ष रूप से उनके हाथों में पड़ी है । अगर वह आज ईमानदारी से, नैतिकता से और प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर यहां पर खड़े हो कर कहेंगे तो यह गलत है और उनको गलत कहना पड़ेगा, अगर इनमें थोड़ी भी ईमानदारी की टिंच है तो । क्या नगरपालिका के अध्यक्ष ने कर दिया, उसको अधिकार है खाली कराने का, उसने खाली कराया । उस पर आपने चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया और यहां पर गृह मंत्री खड़े होकर वक्तव्य देते हैं । मैं कहता हूं, केवल पुलिस के कृत्य छिपाने की आवश्यकता नहीं है । पुलिस द्वारा कारनामे कराये गये हैं, उन्होंने पुलिस को टूल बनाया है, जैसा इमर्जेन्सी में बनाया था । आप चाहते हैं कि पुलिस द्वारा हमको डरायें, धमकायें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम उस मिट्टी के नहीं बने हुए हैं कि उनकी पुलिस की ××× से डरते रहें, जिनका सारा का सारा मकान कांच का बना हुआ है । कांच के मकान में बैठने वाले लोग, शीशे के महलों में रहने वाले पर पत्थर फेंकना छोड़ दें और जैसा उन्होंने कहा ×××

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: आप क्या बात करते हो । इस प्रकार के कारनामे से अगर डराने की कार्यवाही करते हो, अगर धमकाने की कार्यवाही करते हो, ××× जो भाषण पढ़ा है पुलिस का ××× जिस प्रकार का यहां वक्तव्य दिया है, उससे यह मालूम होता है कि राजस्थान के गृह राज्य मंत्री का पद इन्होंने कलंकित किया है ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आवश्यकता नहीं थी इसकी । और इसी का कारण था कि गृह मंत्रालय की मांगों के समय इनको जवाब देने का अधिकार नहीं दिया गया । इसी का कारण था कि उद्योग मंत्री होते हुए उद्योगों के प्रश्नों का जवाब देने का अधिकार नहीं दिया गया ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और ऐसे प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो, इनके गले में डालना चाहते हैं । मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कारनामे किये तो मैं चेतावनी देता हूं, पीपाड़ बन्द नहीं होगा, सारा राजस्थान बन्द होगा । एक के बाद प्रश्न होंगे, जब तक मुख्य मंत्री नहीं आयें तब तक इस घटना का स्पष्टीकरण नहीं होगा हम चाहेंगे कि एक-एक बात का जवाब दिया जाय । इस प्रकार से डरा धमकाकर और ……

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आधार पर इसको दबाया तो हम नहीं दबेंगे, हम उस मिट्टी के नहीं बने हुए हैं। एक-एक बात रखी जायेगी और इस प्रकार के कार्य को पर्दाफाश किया जायेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय मंत्री जी कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ऑर्डर प्लीज।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री): माननीय सभापति महोदया, मैं केवल जो कानूनी मुद्दे इसमें इन्वाल्व्ड हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस सदन का। रिपोर्ट जो की गयी है, उसमें जेर दफा 454 आई. पी. सी. है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बता रहे हैं?

श्री अहमद बक्श सिंधी : ठहरियेगा आप। मुझे कहने दीजिए। I have a right to say, you can not inforce in my speech, please.

(व्यवधान)

हमने आपको सुन लिया शान्ति से। आप भी सुनिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अरे सुनो तो सही।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जो कागनी-जेबल, नॉन बेलेबल ऑफेन्स है, तीन साल की इसमें सजा रखी है और अगर थैफ्ट इसके साथ हो तो 10 साल की सजा इसमें प्रोवाइड की गयी है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह मालूम है हम सबको, यह तो जो बुलवा रहे हैं वह बोल रहे हैं, पता इनको कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं। इनको कह दिया इसलिये बोल दिया।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैंनसुरिया की बात कही गयी, यहां क्रिमिनल इन्टैन्ट मैंनसुरिया.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ××× इनको कह दिया गया।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैंनसुरिया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई माइक्रोस्कोप से देख लिया जाय दिमाग में। यह जो ओवर टेक्ट्स हैं, उससे इन्फर किया जाता है मैंनसुरिया।

एक माननीय सदस्य : 454 पढ़िये आप पहले तो।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जो मकान, जो कमरा कहा जाता है म्यूनिसिपैलिटी का था उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिहायश करता था, उसमें रहता था। ताला म्यूनिसिपैलिटी का हो सकता है, चाबी म्यूनिसिपैलिटी के पास नहीं थी इसलिये पजेशन उस शख्स का समझा जायगा...

एक माननीय सदस्य : था ?

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अहमद बक्श सिंधी : उसका समझा जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : किसका था ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : जिसके पास चाबी हो । उसका कब्जा नहीं समझा जायेगा । मेरा ताला ले के मैं आपको दे दूं और आप किसी पर लगा दें तो आप उसको तोड़ने के अधिकारी नहीं हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जबरन घुसा रहा । डाका डालो और उसके बाद रिपोर्ट करो।

श्री सभापति : व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : शान्ति से सुनिये । कानूनी बात कह रहा हूं, कोई वाकयाती बात नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह कौन नहीं जानता है । यह आज कारण बता रहे हैं । यह तानाशाही है । राजस्थान का विधि मंत्री नहीं बता रहा है

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं आप । म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया कि खाली कर दीजिये, ठीक है, उसको साल भर गुजर गया । उसका यह मतलब नहीं है कि कानून हाथ में लेकर खुद ताला तोड़ दें और सामान बाहर निकाल लें, गवर्नमेंट प्रिमिसेज (इक्विशन ऑफ अनॉथोराइज्ड पर्सन) एक्ट राजस्थान में लागू है, उस पर स्टेट ऑफिसर का कब्जा हो रहा है वह खाली करा के गवर्नमेंट ×××

(व्यवधान)

बैठ जाइये । अपनी ही बात सुना देते हैं । कोई हक नहीं है किसी को कानून के अनुसार । सारी म्यूनिसिपैलिटी का प्रश्न है, यह निश्चित है कि सामान के लिये दरख्वास्त देनी पड़ती है····

(व्यवधान)

तो खाली कर दीजिये तो खाली नहीं करो । उसका काम है, उस आदमी को कानून के अनुसार कोई अधिकार नहीं है कि·····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री अहमद बक्श सिंधी : अब रहा सवाल यह·······

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री अहमद बक्श सिंधी : बैठ जाइये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री अहमद बक्श सिंधी : इनकी हिम्मत देखिये ······

(व्यवधान)

आप चाहते हैं ×××

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : राजस्थान का दुर्भाग्य है आप जैसे X X X व्यक्ति को विधि का काम सौंपा, जो विधि समझता नहीं। ये नियम तो थाने वाला भी जानता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। बात यह बताइये, क्या आप इसे उचित मानते हैं ?

(व्यवधान)

श्री भेरूंसिंह गुर्जर (खारची) : विधि मंत्री।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : जिन्दाबाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस प्रकार लोगों को हथकड़ियां लगें, हमको हथकड़ियां लगने से कोई डर नहीं है, X X X इन ताकतों से फांसी लगा देना। हम X X X हथकड़ी और फांसी से नहीं डरते। सवाल इस बात का है, इस लोकतन्त्र में क्या होगा.......

(व्यवधान)

जो आपने बताया है, यह आप उचित समझते हैं ? ये हम हथकड़ी की आपसे भीख नहीं मांगते। हथकड़ी और लगा देना, हम हथकड़ी से नहीं डरते हैं X X X उस इमर्जेन्सी के टाइम में हमने हथकड़ी का खूब अच्छी तरह से जवाब दिया है। उससे फर्क नहीं पड़ता है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इससे हमारा सम्मान नहीं मिटता, हमारा तो सम्मान बढ़ता है। X X X

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो चुने हुए प्रतिनिधियों के राजनैतिक द्वेषता के कारण राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार हथकड़ी डाली गई............

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : X X X

श्री गुलाबचन्द कटारिया : X X X

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : मंत्री बन गये, बोलने की सभ्यता नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : X X X

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : X X X म्यूनिसिपैलिटी के कानून.....

(व्यवधान)

ये इन्टरनल लेते रहे पुलिस का.........

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन है कि चेयर के गुड ऑफिसेज को यूज करिये और उन्हीं को प्रेस करके बोलिये। प्रवोकेटिव जो भाषा है.........

श्री वंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : उत्तेजना फैला रहे हैं.........

X X X शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अमरराम चौधरी (पचपदरा): पॉइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय सदस्य का अपमान कर रहे हैं । विधि मंत्री बन गये पर इनको ×××

(2.00 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अमरराम चौधरी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर, ऑर्डर । माननीय सदस्य, बैठ जायें । आवेश में ....

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : पहले ट्रेनिंग लेकर आइये बोलने की ।

श्री अमरराम चौधरी : ×××

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : कैसे बोलते हैं माननीय सदस्यों को । माननीय सदस्य कोई.....

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री अध्यक्ष : बीच में पाइन्ट ऑफ ऑर्डर आया है । माननीय सदस्य, कृपया...

श्री अमरराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वाकया बताया गया है जिस घटना के संबंध में, वह 8-11-82 का है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : 8-11 ?

श्री अमरराम चौधरी : 8-3-82 का है । जो चालान पेश हुआ है वह 8-3-83 को, यानी करीब एक महीने के बाद पेश हुआ है ।

(व्यवधान)

तो मेरा निवेदन है कि प्राइमाफेसी केस जब उनको मेड आउट हुआ कि 454 का यह केस बनता है....

(व्यवधान)

454 का यह केस बनता है । इसलिये चाहे अध्यक्ष हो, चाहे कोई साधारण आदमी हो, उस रूल की परिधि के अन्दर......

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर माननीय सदस्य.....

श्री अमरराम चौधरी : कानून के अनुसार, उस व्यक्ति का चालान किया गया था । इस बारे में उनको पहले कोई आपत्ति नहीं थी । जब केस बन गया, उसके बाद एवीडेंस कलेक्ट की गई । एवीडेंस लेने के बाद उसका चालान किया गया । उस व्यक्ति के, अध्यक्ष महोदय, प्रीवियस कन्डक्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, आपको पाइन्ट ऑफ.....

श्री अमरराम चौधरी : प्रीवियस कण्डक्ट के बारे में कई ऐसे उदाहरण हैं कि वह ऐसी घटना कर सकता है या नहीं कर सकता है.........

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। ऑर्डर प्लीज। पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यहां पर कानून की व्याख्या करने के लिये नहीं उठाये जाते हैं। यदि हमारे कार्यों का संचालन करने के संबंध में संविधान के अनुच्छेदों अथवा प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन हो रहा हो तो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाये जाते हैं।

माननीय सदस्य, आपका पाइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि अभी जब बहस चल रही थी उस समय माननीय विधि मंत्रीजी ने प्रोहिबिट करते हुए × × ×

अनेक माननीय सदस्य : नहीं। गलत कहा है।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या माननीय विधि मंत्रीजी को यह अधिकार है ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, क्या इनको यह अधिकार है मंत्री जी को कहें कि × × × शब्द, मैं कहता हूं, कार्यवाही से निकलवा दें आप।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में जितनी भी प्रोसीडिंग्स है सदन की, वह देख लूंगा। कोई आपत्तिजनक अथवा असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है तो उस पर व्यवस्था मैं बाद में दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, × × × माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोहिबिट करना भी नहीं आया होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न
न्यायिक विनिश्चय लम्बित विषय पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री के बोलने के अधिकार को तो मैं चुनौती नहीं देता.....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : दे भी नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात आप सुनिये। लेकिन विधि मंत्रीजी जिस प्रसंग में बोले हैं वह प्रसंग नियमों के अनुसार उचित नहीं है, अनुचित है। जो कुछ वह बोले हैं उसको प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जाय, यह मेरी मांग है। मैं समझता हूं, विधि मंत्रीजी अगर वास्तव में विधि मंत्री है.....

श्री दीपेन्द्रसिंह : वह तो हैं ही।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वास्तव में पोर्टफोलियो उनको मिला हुआ है......

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप क्या खेल मंत्री की तरह समझ रहे हैं ?

श्री दीपेन्द्रसिंह : विधि का ज्ञान उनको है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बैठे बैठे ना बोलें।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में विधि विभाग उनको मिला हुआ है, विधि विभाग मिलने के साथ उनका उत्तरदायित्व कितना बढ़ जाता है यदि इस बात को ठीक प्रकार से समझें तो, मैं निश्चित रूप से कहूंगा, वास्तव में विधि मंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह है कि एक केस रजिस्टर हो जाय, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाय, गिरफ्तारी के बाद जैसा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि मुकदमे का चालान कर दिया गया, जो मेरी जानकारी में नहीं है, अभी अमरारामजी बोल रहे थे, उस मुकदमे का चालान कर दिया। चालान करने की स्थिति में या इनवेस्टीगेशन की स्थिति में क्या विधि मंत्री उस एफ. आई. आर. के जस्टिफिकेशन में यह कह सकते हैं कि 454 में केस बनता है? यह इस हाउस में कह सकते हैं? क्या विधि मंत्री का कहा गया शब्द उनके मातहत जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा? इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह उनसे कन्सर्न नहीं है। इस डिबेट में प्रश्न दूसरा था जिसका वह जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब यह दे रहे हैं कि 454 जस्टिफाई है। अगर किसी मजिस्ट्रेट ने यदि कह दिया कि 454 जस्टिफाई......

(व्यवधान)

आप बैठिये, बीच में मत खड़े होइये। बैठिये, बीच में मत खड़े होइये.........

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं बता रहा था, अगर किसी को जस्टिफाइड नहीं है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनमें यह भी कमी है।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इनको यह भी ज्ञान नहीं है कि पाइन्ट ऑफ ऑर्डर के बीच में खड़े नहीं होते। इसलिये मैं कहता हूं कि आप वास्तव में विधि मंत्री नहीं हैं। इसलिये मैं कह रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : विधि मंत्री को ×××

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन सीधा है, क्या विधि मंत्री एफ. आई. आर. को हाथ में लेकर, कानून की किताब हाथ में लेकर एक डिस्प्यूटेड मैटर के बारे में अपनी इस प्रकार की ओपीनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं जिस ओपीनियन का प्रभाव निश्चित रूप से नीचे के कोर्ट्स पर पड़ेगा? क्या विधि मंत्री मेरी एक चुनौती को स्वीकार कर लेंगे? क्या किसी मजिस्ट्रेट ने आपके इस वर्शन के अगेन्स्ट में, अगर फैक्ट्स के आधार पर यह फैसला कर दिया कि 454 का केस नहीं बनता तो क्या, विधि मंत्री जी, आप इस कुर्सी पर जमे रहेंगे? मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इसमें व्यवस्थायें देख लें। विधि मंत्रीजी ने एक-एक शब्द जो इस सदन में कहा है वह इस मामले को प्रिजुडिस करता है, जजेज को प्रभावित करता है। इसलिये जो कुछ उन्होंने कहा

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
है वह सदन की प्रोसिडिंग्स से निकाला जाय ।

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी: विधि मंत्री ने सिर्फ डेफिनेशन बतायी है । 454 की डेफिनेशन क्या होती है, यह बताया है ।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, आर्डर ।

श्री परसराम मदेरणा (सिचाई मंत्री): जो व्यवस्था का प्रश्न प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने यहां पर उठाया है उस संबंध में मुझे निवेदन करना है । अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, मुझे इस बात का यकीन है, अध्यक्ष महोदय, आप अक्सर चैम्बर में हाउस की प्रोसीडिंग्स सुनते भी रहते हैं ताकि किसी वक्त भी आपको व्यवस्था देनी पड़े तो दे दें । उन्होंने यहां जो मेनसुरिया, 454 के आफस की इन्ग्रेडिएंट्स, ऑर्डिनरी कोड्स आफ ह्यूमन कंडक्ट किसी ऑफेंस के बारे में क्या होना चाहिये, और अन्य प्रकार की बातें कहीं जो एवीडेंस एक्ट से रिलेट करती हैं । कन्डक्ट सब्सिकुएंट एण्ड कण्डक्ट प्रिसिडेंस ऑफ द आफेंस, यदि इस प्रकार के कानूनी मुद्दे माननीय सदस्य यहां पर उठाते हैं, उनके उठाने के बाद में केवल उनका विश्लेषणात्मक तरीके से विधि मंत्री यहां पर वर्णन करें कि पर्टीक्यूलर सैक्शन क्या है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, प्राइमाफेसी ऑफेंस कब बनता है, बनता है या नहीं बनता है, उसमें कन्विक्शन या दूसरी बातें एवीडेंस और यह, यह कोर्ट का सब-जुडिस मैटर है । दूसरी बात यहां पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यह भी कही कि यह विधि मंत्री हैं इसलिये जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनके द्वारा यहां पर व्याख्या करने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनफ्लुएंस हो जायेंगे । अगर कोर्ट के अन्दर यह ऑफेंस जो है beyond wills. तो उस वक्त यह क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के सरमाईसेज के ऊपर कोर्ट आफ लॉ फैसला नहीं कर सकता ।

श्री परसराम मदेरणा : If it fails to bring home to the accused

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो हम भी मानते हैं कि कोर्ट नहीं कर सकता ।

श्री परसराम मदेरणा : यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि Judiciary is the independent of the executive. जुडिशियरी, एक्जीक्यूटिव से कम्प्लीटली इण्डिपेंडेंट है । न तो उस पर इन्फ्लुएंस होता है इस प्रकार की व्याख्या करने से विधि मंत्री जी द्वारा उनकी निर्भीकता में, उनकी इम्पार्शियलिटी में, उनकी फेयरनैस में किसी प्रकार डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते । इसलिये जब इस प्रकार के मैटर, लीगल मैटर और लीगल नाइसिटीज का अगर एनेलेटिकल विवेचन यहां पर होगा तो इस सदन का कोई भी लॉ मिनिस्टर खड़ा होकर इसकी व्याख्या निश्चित तौर पर करेगा ।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी कुछ कह रहे थे ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कानून जानने के ऊपर कुछ टिप्पणियां की गईं । मैं बताना चाहता

(श्री अहमद बक्श सिंधी)
हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट में चालीस साल से प्रेक्टिस करता रहा हूं। यह बहुत आसान है कह देना कि विधि मंत्री किसको बनाया जाना चाहिये। यह आपका काम नहीं, मेरे लीडर का काम है। ज्यादातर बात जो कही गई वह यह कही गई कि एक इलेक्टेड प्रेसीडेंट को हथकड़ी क्यों पहनाई गई......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। तथ्य सब सदन के सामने हैं। आपने, हमने, सबने सुने हैं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : सवाल यह नहीं है। अभी तक चालान ही पेश नहीं हुआ है। 23-3-83 को चालान पेश होना है। अभी मामला अण्डर इन्वेस्टीगेशन है। मैंने कानून की व्याख्या की, 454 के इन्सीडेंट्स पढ़ कर बताये। मैंने मैंनसुरिया की व्याख्या की कि मैनसुरिया इन पर किया जाता है। ओवर टैक्ट्स अगर ऐसा हैं जिसका उसको अधिकार है तो कोई जुर्म नहीं बनता है। लेकिन अगर उसको अधिकार नहीं है कोई एक्ट करने का तो फिर कानून अपना काम करता है। मैंने एक बात अर्ज की थी Government premises (Eviction of unauthorised Persons) Act राजस्थान का है उसमें एस्टेट ऑफिसर्स की ड्यूटीज और रेस्पांसिबिलिटीज बताई गई हैं। अगर गवर्नमेंट प्रोपर्टी या म्यूनिसिपल या वक्फ या पंचायत की प्रापर्टी पर कोई नाजायज कांबिज है तो यह नहीं हो सकता है, जैसा कि कहा जा रहा है, कोई म्यूनिसिपल चेयरमैन या कोई और अधिकारी जाकर ताला तोड़ कर सामान बाहर फेंक दे। मैं कानूनी पोजीशन बता रहा था XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : पालियामेंट्री है XXX

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज किया जाय XXX शब्द।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। समाप्त करने दीजिये, माननीय सदस्य, विधि मंत्री जी को। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था.........

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, XXX

यह विचार कर लें।

XXX अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : X X X यह आप मानते नहीं हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, रूलिंग तो दीजिये जरा।

एक माननीय सदस्य : X X X

श्री अध्यक्ष : इन शब्दों का उद्गम क्या है और किन परिस्थितियों में ये प्रयुक्त किये जाते हैं इनका मैं अध्ययन करके आपकी सेवा में व्यवस्था निवेदन कर दूंगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था, यह कहा गया कि चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड को अधिकार है कि वह ताला तोड़कर सामान बाहर निकाल सकते हैं। यह कहा गया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इनको रोकें। यह इस केस को डील कर रहे हैं जिसको डील करने का अधिकार विधि मंत्री को नहीं है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है कानूनी रूप से। अध्यक्ष महोदय, यह पाइंट ऑफ ऑर्डर है मेरा।

श्री अध्यक्ष : थ्योरिटिकली चूंकि अदालत फैसला करती है, वह कुछ तथ्य और साक्ष्य सामने आते हैं उस पर फैसला करती है। किसी दण्ड संहिता में कोई सैक्शन हो उसमें जुर्म कब बनता है, कब नहीं बनता है इस संबंध में इस सभा में..........

(व्यवधान)

केवल केस का नाम आने से नहीं हो जाता, विपक्ष के नेता महोदय। इस केस का जिक्र आने से नहीं, उसके मेरिट्स और डी-मेरिट्स के ऊपर पहले कानूनी व्याख्या क्या है, जो अपराध बताया जा रहा है वह क्या है, अपराध कब बनता है, इस संबंध में तो सदैव कहा जा सकता है। लेकिन तथ्यों को सही हकीकत मान कर कोई यह कहे कि यह तथ्य भी सही है और उसके बाद यह अपराध भी बनता है तो उस स्थिति में हम यह मान कर चल सकते हैं कि कोई विशेष अपराध हुआ है उसके बारे में यहां पर व्याख्या की जा रही है और उससे निर्णय देने वाले प्रभावित होंगे, वे प्रभावित हो जायेंगे। वैसे तो विधान सभा है, सभी परिस्थितियों पर विचार करके उस पर थ्योरिटिकल और एकेडेमिक डिस्कशंस सदैव हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से पक्ष हमारे समक्ष रख रहे हैं। हम सबको भी कानूनी पक्षों की जानकारी हो, यह उनका प्रयत्न है इसलिये कृपया शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ सुनने का कष्ट करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 121 की ओर दिलाना चाहूंगा। आप फिर इसकी भी व्याख्या कर दें ताकि भविष्य के बारे में सब तय हो जाय कि कौन से प्रश्न पर बोल सकते हैं, कौन से प्रश्न पर नहीं बोल सकते। रूल 120 में कण्डीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशन्स है। इसमें मोशन नहीं, मोशन्स में किन बातों का उल्लेख और जिक्र नहीं होना चाहिये, इसका उल्लेख किया

X X X अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया है । इसमें है :–

'It shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India'.

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं समझता हूं कि विपक्ष को जो कठिनाई का सामना भविष्य में करना पड़ेगा ......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमें तो अभी कठिनाई का अनुभव हो रहा है लेकिन क्या विधि मंत्रीजी किसी प्रश्न को लेकर वकील के रूप में उस विवादास्पद मामले पर ओपीनियन डिस्कस कर सकते हैं ? प्रश्न इतना सा है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, विवादास्पद मामले में तथ्यों को सही मान कर उसका स्टेण्ड लेते हुए, अदालत में विचाराधीन है और चोरी का मामला हो, चोरी को वे सही मान लें और यह कह दें कि चोरी हुई है या नहीं, इसमें अपने को यहां कुछ भेद करके चलना पड़ेगा । जिस प्रकार से आप इस नियम की व्याख्या कर रहे हैं यदि उसको उसी तरह से स्वीकार कर लिया जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि जिस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही हो उसको यहां नहीं लाया जा सकता क्योंकि थानेदार डर जायेगा कि कहीं कोई सस्पेंड नहीं हो जाऊं या कुछ और नहीं हो जाय । यह सब संभव नहीं होगा ।

(व्यवधान)

जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इसकी व्याख्या की है । आप कृपया विधि मंत्रीजी को सुन लें । कई माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति कर दी । इस मामले के तथ्यों के बारे में वे सही हैं या सरकार का स्टेंड क्या है, उससे बचते हुए कानूनी पक्ष को सदन के समक्ष रखते हैं तो मैं समझता हूं कि यह कोई अनुचित बात नहीं है । मेरा नम्र निवेदन है, आखिर में हम जनहित में सोचते विचारते हैं, कई तरह के मसले सामने आते हैं । उदाहरण के रूप में कई मसले आ जाते हैं । तो यदि नियमों की, संविधान के अनुच्छेद में जो इस तरह की कई धाराएं हैं उनकी बहुत ही कठोरता से अनुपालना करेंगे और एक संकुचित रूप से उनकी व्याख्या करेंगे तो आप कल्पना कीजिये, कभी कोई ऐसा मामला आ गया तो फिर यह सदन क्या करेगा । इसलिये कृपया धैर्य रखें । सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति की है, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उस स्थिति से बच कर स्पष्ट रूप से कानूनी स्थिति क्या है, वह बतायेंगे । कुछ माननीय सदस्यों ने जो कानूनी आपत्तियां उठायी थीं वह उन कानूनी आपत्तियों का ही उत्तर दे रहे हैं ऐसा उन्होंने बताया है । ऐसा उनको बताने का अधिकार है । इसलिये कृपया शांति से विधि मंत्रीजी को सुन लें ।

पीपाड़ शहर की नगरपालिका के अध्यक्ष को 8 मार्च, 1983 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर हथकड़ी लगा कर बाजार में घुमाना

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्याख्या कर रहा था, Government Premises (Eviction of unauthorised persons) Act की । इसमें, अध्यक्ष महोदय, सरकारी ऑफिसर चाहे कितना ही बड़ा हो, मिनिस्टर ही क्यों न हो, उसको कोई अधिकार नहीं है । यह कानून की व्याख्या कर रहा हूं ।

(श्री ग्रहमद बक्श सिंधी)

वह कोई काम कैसे करे, जो इस एक्ट में स्टेट ऑफिसर को करने का है। स्टेट ऑफिसर खाली करवा सकता है। उसके पास दरख्वास्त दी जाएगी कि साहब, फलां आदमी अनग्रॉथोराइज्ड है उससे मकान या दुकान या कमरा खाली करवा दिया जाये। वह इन्क्वायरी करेगा। बाकायदा जुडिशियल इनक्वायरी करेगा, पूछेगा, बुलायेगा। बयान लेने के बाद, एविडेंस लेने के बाद तय करेगा कि वह खाली कर दे। अगर फिर भी वह खाली न करे तो पुलिस की मदद से खाली करायेगा। यह है विधि। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि विपक्ष का चेयरमैन था, ऐसी सूरत में उसको नीचा दिखाने या अपमान करने का सवाल उठाया गया। मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि कानून की जो प्रक्रिया है, वह अमल में लाई जायेगी। चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो अगर वह कत्ल करके आयेगा तो उसको सजा दी जायेगी, उसको पकड़ा जाएगा और अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। अगर नॉन-कॉग्नीजेबल ऑफेंस है या नॉन-बेलेबल ऑफेन्स है, चाहे थेफ्ट की मात्रा कम हो, दस साल की सजा का इसमें प्रोविजन है। मैं किसी के एक्शन को कन्फर्म या उसको उचित, अनुचित बताने की पोजीशन में नहीं हूं। कानून के अनुसार पुलिस ऑफिसर के जो अख्तियारात हैं अगर उनको काम में लेकर काम किया है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यहां पर सवाल उठाने का कोई सवाल नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: अब काफी समय हो गया है। हमको मांगों पर विचार करना है। एक आपको अवसर दूंगा, एक और····

(व्यवधान)

इतने नहीं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक पाइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल): माननीय अध्यक्ष, विधि मंत्रीजी ने आई. पी. सी. के सैक्शन 454 की यहां पर परिभाषा दी है उसको पढ़ा नहीं है·······

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, परिभाषा के लिये उचित यह होगा कि आप दोनों पुस्तकें लेकर मेरे चेम्बर में आ जाएं। मैं भी लाभान्वित हो जाऊंगा·······

श्री भंवरलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आपने इनको अनुमति दे दी इसलिये मुझे भी बोलना पड़ेगा।

"Who were to commit house trespass or house breaking in order to committing of any offence punishable with the imprisonment, shall be punished with imprisonment of either for a term which may extend to three years and shall also be liable to a fine and if the offence is intended to theft the term of imprisonment may be extended to ten years".

अगर हाउस ट्रेस पास, हाउस ब्रेकिंग चोरी करने के लिये किया जाता है तो उसको दस साल की सजा होगी। यह तथ्य इस केस में हमारे सामने आये हैं······

(व्यवधान)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सुनिये आप, अब जो तथ्य हमारे सामने आये हैं, कोई भी कल्पना, इमेजिन आप कर लें उससे क्या इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह जो अध्यक्ष था वह चोरी कर रहा था ? यह जो प्रस्ताव हुआ, जो सारी कार्यवाही हुई उसमें यह तो आप कह सकते हो कि वह मकान का कब्जा लेना चाहता था। उनका एक्शन सीमित हो सकता है, लेकिन वह चोरी करने के लिये वहां पर गये और उन्होंने चोरी की, यह कोई भी बुद्धिमान आदमी, समझदार आदमी, एग्री नहीं करेगा। एग्री करेगा तो it may be insult to human imagination क्या वह चोरी करने के लिये जायेगा ? चोरी का जो सैक्शन लगाया है वह बिलकुल गलत है। यह तो आप कह सकते हैं कि कब्जा लेने का उनको अधिकार नहीं था। कब्जा लेने के लिये पुलिस कार्यवाही करती। यह सब कुछ हो सकता है। फिर आपने कब्जा लेने के साथ-साथ चोरी को भी जोड़ा है। चोरी क्या की है ? चोरी किसे कहते हैं ? चोरी है क्या यह ?

श्री माणकमल मेहता (पाली) : Dishonest removal of property.

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : इन नतीजों के आधार पर आप क्या यह मान सकते हैं, बीइंग सच ए सीनियर एडवोकेट, अगर आप यह मानते हैं कि चोरी हुई तो, चोरी किस प्रकार की है उसने ? वह अध्यक्ष सबको साथ लेकर जायेगा, दस आदमी उसके साथ रहेंगे और वह दिन दहाड़े जाकर चोरी करेगा ? रात को चोरी नहीं कर सकता था ? क्या होगी उसका इन्टेन्शन ? जो सामान उसने रिमूव कराया क्या वह चोरी करने का था ? क्या आप इसको मानेंगे कि वह चोरी करेगा ? काहे की चोरी करेगा ? आप यह कह सकते हैं कि वह कब्जा लेने के लिये गया, जो उसका अधिकार नहीं था। तो धारा 454 खतम हो जाती है। then 454 is not applicable। अगर फिर कोई यहां सैक्शन लगता है तो ज्यादा से ज्यादा 446, 448 लगता है which are bailable। तो आप उसके हथकड़ी नहीं डाल सकते थे। चूंकि आपको उसके हथकड़ी लगानी थी, आपका उद्देश्य हथकड़ी लगाने का था इसलिये आपने यह किया। जो कुछ भी अध्यक्ष ने किया वह इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी किया। एक आदमी जबरदस्ती कब्जा जमाये बैठा है, उसको निकाल कर उसने अलग कर दिया। यह उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात थी। मैं इसके डिस्कशन में नहीं जाना चाहता.....

(व्यवधान)

प्लीज, प्लीज..........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको कहना पड़ता इसलिये मैंने कह दिया। आपको तकलीफ होती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है.....

(व्यवधान)

यह तो माइक खराब था.....

(श्री भंवरलाल शर्मा)

किसी भी इमेजिनेशन से इन सारे सरकम्सटान्सेज को, इन सारे तथ्यों को एक साथ रख लिया जाय तो क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इस अध्यक्ष की कार्यवाही चोरी करने जैसी थी ? अगर चोरी करने जैसी या डकैती जैसी नहीं थी तो फिर सैक्शन 454 एप्लीकेबल नहीं है। इसलिये आपको उसके हथकड़ी डालने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता था। इसलिये जो आपने कार्यवाही की वह केवल बदले की भावना से, उस व्यक्ति के साथ राजनीतिक द्वेष के कारण की है और इसलिये मन मुताबिक, सैक्शन्स लगाये गये हैं। यह जरूरी नहीं है, रिपोर्ट करने वाला रिपोर्ट करता है। उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस केस बनायेगी, केस रजिस्टर कर लेगी। जो तथ्य एफ. आई. आर. में लिखेगी उन तथ्यों के आधार पर यह दफायें लगती हैं। जो इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर होगा वह खाली तथ्यों के आधार पर ही नहीं चलेगा। वह यह देखेगा कि वास्तव में यह घटना घटी है या नहीं। वह अपना विवेक काम में लेगा और विवेक के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचेगा कि जो एफ. आई. आर. में लिखा है क्या उसके अनुसार अपराध किया है, then he will proceed. कल को कोई आकर कह देगा कि मैंने इस आदमी को कत्ल करते देखा है, तो क्या उसको 302 में बन्द कर देंगे ? He will not do it मेरा निवेदन यह है कि 454 का जो सैक्शन है वह इस केस पर नहीं लगता है। यह केवल राजनीतिक द्वेष के कारण लगाया गया है। उस आदमी को हथकड़ी लगाकर बाजार में घुमाना था। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है चुने हुए व्यक्ति के हथकड़ी नहीं लगानी चाहिये। यह कोई हीनियस ऑफेंस नहीं था कि उस बात पर हथकड़ी लगाते। उनके भागने का डर था क्या आपको ? वे कहां भाग कर जा रहे थे ? He is chairman of the Nagarpalika. He is equally responsible and answerable as you are. इलेक्टेड मैम्बर है उसके आप हथकड़ी लगा रहे हैं। हथकड़ी लगायी, यह इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने घोषणाओं का कन्ट्रावेन्शन किया है और कन्ट्रावेन्शन करके धारा 454 लगायी। जैसा मैंने निवेदन किया; अगर इन तथ्यों के आधार पर आप स्वयं इस नतीजे पर पहुंच जायेंगे कि इस अध्यक्ष का विचार चोरी करने का नहीं था, वह माल हजम करना नहीं चाहता था, मालामाल बनना नहीं चाहता था। अगर चोरी कर ले गया है, माल क्या है ?...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बंशीलाल जी को आपने ही हथकड़ी पहनायी थी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं, जितनी हाई कोर्ट जज ने रूलिंग नहीं दी उससे ज्यादा रूलिंग आपने यहां बैठ कर फर्माई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अध्यक्ष की कार्यवाही चोरी करने की थी ? चोरी करने की नीयत उसकी नहीं थी। उसकी नीयत थी, एट दी मोस्ट मान लिया जावे तो उस बिल्डिंग का कब्जा लेने की जिस पर नाजायज कब्जा किये वह अधिकारी बैठा था। मेरा आपसे निवेदन यह है कि सैक्शन 454 की जो आप दलील दे रहे हैं उसको थोड़ा और पढ़ लेते तो आपकी 40 साल की वकालत पर कम से कम यहां आंच नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : आपकी कितने साल की वकालत है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो बहुत छोटा हूं, साहब, इनसे। फिर भी बात जोर की कही है इनसे। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गोविन्द सिंहजी ने जो वक्तव्य नगरपालिका के अध्यक्ष के हथकड़ी लगाने के संबंध में दिया है, मुझे दुःख नहीं होता रत्ती भर भी यदि यह वक्तव्य स्वायत्त शासन मंत्री देते। चूंकि वे बोल चुके हैं, उन्होंने यह ऑर्डर दिया था, आश्वासन दिया था कि हम किसी भी मूल्य पर किसी को नहीं हटायेंगे, वे यह तो कह सकते थे, श्रीराम जी गोटेवाला, जो पहले नगरपालिका मंत्री थे, इस प्रकार की बात कहते तो मुझे रत्ती भर भी गम नहीं होता। मेरा निवेदन करना यह है कि कोई यह वक्तव्य दे रहा है कि चोरी की, और चोरी क्या हुई, श्रीमन्, तेल, कन्घा, कांच, परसराम जी की फोटो। मेरा निवेदन करना यह है कि इतनी बढ़िया फोटो ई. ओ. की और आपकी थी जिस पर चेयरमैन साहब की तबीयत आ गई और उसे उठा कर ले गये। ऐसा कौनसा जुल्म है ? मेरी मान्यता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां विरोधी दल के लोग नगरपालिकाओं के अध्यक्ष बन कर बैठे हैं, वहां सरकार उनको अनुचित तरीके से परेशान कर रही है। मुझे भी गिरफ्तार किया गया था सैक्शन 454 में, जब मैं कोटा नगरपरिषद् का अध्यक्ष था। तब मुझे हथकड़ी नहीं लगायी गई। लगा भी नहीं सकते थे क्योंकि इससे कोटा नगर में बगावत हो सकती थी। आप कहते हैं, वहां पर दंगा हो जाता। हम जनप्रतिनिधि हैं, खून पसीना देकर जनता की सेवा करते हैं, त्याग और तपस्या के बल पर जीत कर आते हैं, चंद चांदी के टुकड़ों पर नहीं। राजस्थान की नगरपालिका, नगर निगमों में हमारा कोई भी प्रतिनिधि बैठा है तो वह केवल सेवा के बल पर बैठा है। सेवा करने वाले लोगों के हथकड़ी लगायी जाये इस राज्य में तो आखिरकार क्या होगा ? क्या यह लोकतन्त्र रहेगा ? क्या यह प्रजातन्त्र की कुर्सी रहेगी ? कानूनविज्ञों ने क्यों यह धारा बनायी कि जन प्रतिनिधियों को किसी भी मूल्य पर हथकड़ी न लगायी जाय ? और तो और नगरपालिका तो बहुत छोटी बात है पंच तक गबन कर जाते हैं। ऐसा कौनसा कानून था ? जो सामान पकड़ा गया, उसकी एफ. आई. आर. दर्ज हुई। एफ. आई. आर. दर्ज कराने वाला खुद लिख रहा है कि हो सकता है, मेरा सामान नगरपालिका के किसी कोने में पड़ा हुआ हो। उनको मालूम है, मेरे यहां चोरी हुई है, मेरे सामान को हटाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय विधि मंत्री जी ....

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप गृह मंत्री जी से पूछेंगे। गृह मंत्री जी ही स्पष्ट ....

श्री दाऊदयाल जोशी : वे तो वकालत कर रहे थे। मुझे दुःख है कि इस प्रकार की गलत वकालत इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा सामान क्या नगरपालिका ने जब्त किया ? क्या नगरपालिका पुलिस है जो तफतीश करने गई ? चोरी का माल था। चोरी का माल अगर मैं घर पर ले जाऊं तो मैं अपराधी हूं। उस

(श्री दाऊदयाल जोशी)
शानदार तस्वीर को घर ले जाऊं तो मैं अपराधी हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सारा सामान नगरपालिका के कोने में नगरपालिका का प्रशासन चलाने के लिये पड़ा है । खुद रिपोर्टकर्ता व्यक्ति कह रहा था कि चोरी का सामान, मेरा सामान नगरपालिका के किसी कोने में पड़ा हुआ है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप चूंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं अगर जन प्रतिनिधि का इस प्रकार से अपमान होता रहेगा तो ......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये, बहुत समय हो गया है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : पुष्पा जैन ने आज से चार दिन पहले विवरण दिया उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : दो घन्टे से अधिक समय हो गया है। कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र की इच्छा शायद आपको नजर नहीं आती । आपके इरादे खतरनाक हैं । माननीय गृह राज्य मंत्रीजी, हमको सबसे बड़ा अपराधी घोषित कर दिया था, इमर्जेंसी में हमको चार-चार महीने तक बच्चों से नहीं मिलने दिया था । हम तो सबसे बड़े अपराधी थे, इन्दिरा गांधी की हत्या, कतल करने वाले थे । इस प्रकार का आरोप आपकी सरकार ने लगाया था ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिये । भाषण नहीं होगा । आॅर्डर, आॅर्डर । कृपया बैठ जायं । माननीय गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं आॅर्डर, आॅर्डर । काफी समय हो गया । एक मांग पर चर्चा के बाद में मुख बन्द का प्रयोग करके शेष मांगें पारित की जायेंगी । आॅर्डर । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं । गृह मंत्रीजी अगर कुछ कहना चाहें तो ।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, बिलकुल नये तथ्य रखूंगा ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा । मेरा विश्वास है कि माननीय मदेरणा साहब मेरी बात का समर्थन करेंगे कि इस हाउस में सरकारी पक्ष की ओर से कई बार घोषणाएं हुई हैं कि निर्वाचित सदस्यों के हथकड़ी न लगाई जाय। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बात को सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि निर्वाचित सदस्यों के हथकड़ी न लगाई जाय। इस बारे में किसी की दो राय नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ......

श्री अध्यक्ष: आम जनता की तो क्या राय है निर्वाचित सदस्यों की यही राय होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आम जनता की राय तो, अध्यक्ष महोदय, वहां प्रकट हो गई। हथकड़ी लगाने के बाद पीपाड़ शहर छः दिन तक बन्द रहा । आम जनता का तो विरोध था, आम जनता की भावनाओं के आधार पर ही इस सदन में सरकारी पक्ष की ओर से इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
घोषणाएं की गई हैं, पहले भी इस प्रकार, के कई प्रसंग आये और हर प्रसंग पर सरकारी पक्ष की ओर से यह घोषणाएं की गई हैं ......

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा): नहीं मानने की बात है। केवल स्टूडेन्ट थे, 4-5 आर. एस. एस. के लड़कों ने घन्टी बजा दी और वे जुलूस लेकर आ गये। मैं खुद उनसे मिल कर आया हूं। और कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 30 जून, 1981 को जो वाका हुआ था उसकी पुनरावृति हुई.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज आर.एस.एस. की तारीफ सुनने को मिली कि आर. एस. एस. के दो लड़के पीपाड़ शहर को बन्द करवा सकते हैं। उनकी ताकत को दाद देनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था .....

श्री रामनारायण डूंडी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूंडी : स्कूल के अन्दर करीबन 1500 लड़के पढ़ते हैं। वहां से 50–60 लड़के निकल गये थे उन्होंने घन्टी बजा दी और लड़के बाहर हो गये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कृपया बैठ जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं समाचार पत्र ढूंढ रहा था। शायद लाया नहीं। आज से चार दिन पहले सुप्रिम कोर्ट से एक निर्णय हुआ है उस निर्णय के अनुसार इलेक्टेड मैम्बर्स के हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं चाहे वे लोकसभा के सदस्य हों, चाहे विधान सभा के सदस्य हों, चाहे सरपंच हों। सरपंच तक को इस प्रकार का मान दिया गया है कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं उनके हथकड़ी न लगायी जाय। मैं आपत्ति नहीं करता कि कोई भी सदस्य, जो भागने की स्थिति में हो, अपराध करके भाग जाय, के हथकड़ी न लगायी जाय। लेकिन आम तौर पर इस प्रकार की परम्परा रही है कि उसके हथकड़ी न लगायी जाय। सरकारी पक्ष इसको स्वीकार करेगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, जैसा माननीय सदस्य और माननीय विधि मंत्रीजी ने जो कहा कि धारा 454 में केस बनता है क्योंकि माल बाहर फेंका। क्या पुलिस ने दो महीने में माल बरामद किया ? क्या सरकारी पक्ष यह कहने की स्थिति में है कि जिस माल के संबंध में चोरी का मोटिव आपने इन्क्लूड किया है और जो माल उसमें निकलना बताया है, दो महीने के अर्से में पुलिस ने रत्ती भर माल बरामद किया है ? एवीडेंस एक्ट मंत्री महोदय तो जानते हैं लेकिन मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि एवीडेंस प्रिक्योर करने के लिये कि माल बाहर फेंका गया, क्या फेंके हुए माल को कस्टडी में लेकर एवीडेंस तैयार की गई ? मैं ऐसा समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि उस माल में से रत्ती भर चीज पुलिस की कस्टडी में नहीं ली गई। नहीं ली गयी तो पर्पज क्या था ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर्पज केवल यही था कि केस रजिस्टर हो जाय । अब उस केस रजिस्टर में पुलिस भी जानती थी कि हमें कुछ नहीं करना है । जिस तरह से एफ. आई. आर. रजिस्टर हुई है, मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के लोग भी यह समझते थे कि इस मामले में कुछ होना नहीं है इसलिये इस माल की रिकवरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अध्यक्ष महोदय, केस रजिस्टर हुआ है 9-11-82 को, और गिरफ्तारी 8-3-82 को चार महीने के बाद में होती है । अब यदि अध्यक्ष का आचरण सही नहीं होता, व 454 का अपराधी होता तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या डायरेक्टर, लोकल बॉडी उसको नोटिस नहीं देते कि तुमने एक अपराध किया है, तुम चेयरमैन नहीं रह सकते, तुम्हारा मिसकण्डक्ट है, क्यों नहीं तुम्हें मैम्बरशिप से हटाया जाय ? लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि डायरेक्टर, लोकल बॉडी ने भी इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की । न माल बरामद हुआ, न कार्यवाही की । मैं जानकारी करना चाहता हूं कि गिरफ्तारी की जाती है, चालान पेश करने के लिये या माल को रिकवर करने के लिये की जाती है ? कैसेट या दो बैटरी का चार्ज लगाया है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं आपने काफी वकालत की है, हमने सुना है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कारण होता कि माल बरामद किया जाय या तुरन्त कोर्ट में चालान पेश करना है इसलिये उसको गिरफ्तार करना है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं, चेयरमैन के मकान की तलाशी क्यों नहीं ली ? वहां पर बैटरी मिलती या कैसेट मिलती । मैं इसलिये कहना चाहता हूं माल की रिकवरी का प्रश्न नहीं था, चोरी के मामले में गिरफ्तार किया जाय यह प्रश्न नहीं था । प्रश्न यह था कि हथकड़ी लगा कर उनको अपमानित किया जाय । केवल सीधा-सादा एक क्वेश्चन था कि हथकड़ी लगा कर उनको अपमानित किया जाय । वरना दो महीने तक × × × वहां पर चेयरमैनशिप करता रहा, × × × भाषण देता रहा, × × × कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाय, अधिकारियों के, कलेक्टर के पास जाकर × × × शिकायत कर ले, एस. पी. के पास जाकर शिकायत कर ले, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ ज्ञापन दिया, वह कलेक्टर से, एस. पी. से मिला । अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर और एस. पी. के पास चोर चला जाय उस × × × को गिरफ्तार नहीं करे तो क्या यह डेलीक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं है ? किसी की मंशा नहीं थी कि इस व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया जाय । यह पोलिटिक्स थी । अब जैसा आपने अभी देखा, विधि मंत्रीजी के बीच में बोलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था । एक बात आपने भी नोटिस की होगी, अध्यक्ष महोदय, मदेरणा साहब उनको विश्फरिंग करके तैयार कर रहे थे कि आप बोलो ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं नहीं कर रहा था । मैं कभी विश्फरिंग नहीं कर रहा था । 40 साल बार के सामने जिसकी

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री परसराम मदेरणा)

स्टेंडिंग हो, आप समझते हैं कि उसको विश्फरिंग करूंगा । अगर इसको विश्फरिंग कहते हैं तो यह तो आप रोज ही करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही कहता हूं कि किसी जगह से पिच कर रही है । कहीं किसी जगह से मामला इस तरह का बन रहा है उसमें अहमद बक्श सिंधी को दोषी नहीं मानता, उनसे तो बुलवाया गया था, खड़े हो गये इसलिये बोल दिया । गोविन्दसिंह जी को भी दोषी नहीं कहूंगा, जिस प्रकार की रिपोर्ट आयी, प्राप्त हुई वह इन्होंने बोल दी । लेकिन मैं कहता हूं कि असली रूप से दोषी हैं तो उसके लिये परसराम मदेरणा हैं । क्यों करवाया, अध्यक्ष महोदय, उसके लिये भी विचार करना पड़ेगा । सारी पुलिस की व्यवस्था है कि 8 वर्ष तक कोई भी आदमी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकता है । लेकिन यह इंस्पेक्टर क्यों रह रहा है, किसका प्रोटेक्शन है ? केवल परसराम जी का है । जिसके कारण से उसको जिले से बाहर नहीं भेजा जा रहा है । क्यों रख रखा है, अध्यक्ष महोदय, मैं उसके फैक्ट्स में नहीं जाना चाहता । यह कोई छोटे से चेयरमैन का मामला नहीं है । चेयरमैन को हथकड़ी लगाकर यह समझें कि पूरे विरोधी दल को तहस-नहस कर दिया, विरोधी दल का अपमान कर दिया । मुझे खेद है, गृह राज्य मंत्री जी, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से कि हथकड़ी नहीं लगानी चाहिये थी, हथकड़ी लगाने का उसने दोष किया । आप इतनी सी बात मुंह से नहीं कह सकते थे ? यह हालत है । महादेवसिंह गिरफ्तार हुआ, यहां सारे लोगों ने कांग्रेस को कण्डेम किया कि महादेवसिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिये । आपसे मैं उम्मीद नहीं करता था, कांग्रेस के विधायकों से उम्मीद नहीं करता था । वे कांग्रेस के विधायक हैं, हमने इस बात का ख्याल नहीं किया कि महादेवसिंह जी कांग्रेस के सदस्य हैं बल्कि हमने इसी आधार पर कोशिश की थी कि आज महादेवसिंह की गिरफ्तारी हो रही है कल भैरोंसिंह की होगी । मैं आज आपसे कहता हूं कि बचनाराम के हथकड़ी लगाई गई; उस पर आप ताली बजायें तो कहीं एक दिन ऐसा मौका न आ जाय कि हमारे और आपके हथकड़ी लग जाय । ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं हैं, किसी के संबंधी नहीं हैं । इस धोखे में मत रहो कि पुलिस हमारे कब्जे में है । वह कभी हथकड़ी लगा सकते हैं । सिंधी जी, आपकी भी हालत मालूम है । क्या हुआ था मुझे जानकारी है । आप सदर थाने में रिपोर्ट लिखाने गये थे, गिरफ्तार कर लिया मानसिंह देवड़ा को । मैं बताना चाहता हूं..........

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये कहां ले जा रहे हैं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जब तक, भैरोंसिंह जी, शिवचरण जी मुख्य मंत्री हैं हथकड़ी नहीं लगेगी ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता समय का ध्यान रखें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष की ओर से सारी घटना के संबंध में जो मुकदमा बना, जो गिरफ्तारी हुयी यदि सरकार का थोड़ा बहुत भी दामन साफ है, मैं गारंटी दे सकता हूं, यदि बचनाराम ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चोरी की, चोरी की नीयत से उस मकान पर कब्जा किया तो दोषी है। लेकिन न चोरी का सवाल पैदा होता है, न चोरी की नियत से सामान निकालने का सवाल पैदा होता है। नगर परिषद् का निर्णय है, बहुमत का निर्णय है उसी निर्णय को एग्जीक्यूट किया। अगर वह उसका पालन नहीं करते तो सजा होती और किया है, तो सजा मिल रही है। पुलिस हथकड़ी लगा कर निकालती है। इस मसले को छोटा मत मानो, इस मसले को बाई पास करने की कोशिश मत करो, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मत तोड़ो। यदि आपमें दम है, यदि आप चाहते हैं वचनाराम को सजा हो तो हमें कोई चिन्ता नहीं है, इस मामले की वहां के सैशन जज से इन्क्वायरी करा लें। वे बता देंगे कि इसका चालान होना चाहिये तो वह होगा। अगर मामला सही पाया जाय तो आप 454 के अन्तर्गत चालान कर दें, हम हमारी पार्टी के लोगों से कह देंगे कि आपको काम करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कोई न कोई, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था होनी चाहिये वह व्यवस्था नहीं है। इस आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि जो गलती हुई है उस गलती को सरकार माने, दोषी आदमियों को सजा दे और मामले की न्यायिक जांच कराये।

श्री परसराम मदेरणा : ऑन ए पाइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन।

विपक्ष के माननीय नेता मेरा इस संबंध में मत जानना चाहते थे कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को हथकड़ी लगायी जाय या नहीं लगायी जाय। यह बात इस सदन में कही गयी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर क्या हालत थी और क्या सरकम्सटान्सेज थे यह वहां का इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर ही जान सकता है। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

एक बात कही कि इन्सपेक्टर जिसको तफतीश दी गई थी वह आईदानराम है और जाति से जाट है, इसलिये पिछले आठ साल से मैं वहीं पर रख रहा हूं। इस मामले के अन्दर कोई अगर दोषी है तो सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। इस प्रकार का मेरे पर आरोप लगाया गया है। विपक्ष के माननीय नेता, आठ साल से आईदानराम जोधपुर में पोस्टेड है तो बीच में तीन साल जब आप सरकार में थे तो उसको वहां से आपको बदल देना चाहिये था। एक बात, अगर मेरे में ईमानदारी है, जमीर है.....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इस संबंध में विपक्ष के नेता महोदय ने कह दिया कि पुलिस वाले किसी के नहीं हैं। जब जिसका शासन आ जाय उसी के हो जाते हैं। तो उस वक्त शायद कोई ऐसी......

श्री परसराम मदेरणा : एक बात कहना चाहता हूं पहले वह सदन के बाहर कहता। जो भी सत्य है सदन के अन्दर उस पर आवरण की आवश्यकता नहीं होती। पहले भी गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी थे, स्टेट गृह मंत्री थे और अब भी हैं। पहले भी इंसपेक्टर जनरल पुलिस थे और अब भी हैं। मैंने किसी भी व्यक्ति को आईदानराम को जोधपुर में रखने के लिये अगर कहा है तो मैं राजनीतिक जीवन से सन्यास लेने को तैयार हूं। मैंने कभी भी नहीं कहा। मुझे इस बात का पता नहीं था कि वे इस प्रकार

(श्री परसराम मदेरणा)
से वह अरेस्ट वगैरह हुए हैं। मुझे पता नहीं था, ईमानदारी से कह रहा हूं।

तीसरी बात, जो आप कह रहे थे कि राजनैतिक कारणों से सब कुछ कर रहे हैं। मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक कारणों से यह सरकार तो कुछ कर रही है या नहीं कर रही है लेकिन जिस वक्त मैं प्रतिपक्ष का नेता था और मेरे लड़के के विरुद्ध 302 का एक केस चल रहा था, यह बात सही है कि उसका कन्विक्शन हुआ था। 19 तारीख को जब कन्विक्शन हुआ 4 दिन में उसको जयपुर में प्रस्तुत होना था वह दूसरे दिन ही हो गया। हालांकि वह निर्वाचित नहीं था लेकिन चूंकि मेरा लड़का था इसलिये मिर्जा इस्माइल रोड पर हैंण्डकफ करके उसकी परेड करायी थी। उसके बाद जो उसके साथ दो एक्यूज और थे, जो बाद में सरेंडर हुए, उनको हैण्डकफ करके परेड नहीं करायी, यह राजनैतिक विद्वेष की भावना से आप चलते हैं। जन-प्रतिनिधियों को गिराने की बात करते हैं तो आप करते हैं, यह मेरा आरोप है। इसलिये निवेदन कर रहा हूं उस से मेरा कोई संबंध नहीं है। उस आदमी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। अगर कहा है तो दूसरे ने कहा होगा। मैंने इस बात के लिये कोई सिफारिश नहीं की, कभी रखने की बात नहीं कही। मेरे खिलाफ निराधार आरोप लगाते हैं..........

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं जवाब यह देना चाहता हूं, मंत्री महोदय यह बात स्वीकार करेंगे कि उनके लड़के को हथकड़ी लगायी गई, प्रतिपक्ष के नेता की बात की, इसका आज तक मुझे न तो मालूम हुआ, न कभी उन्होंने जिक्र किया..........

श्री परसराम मदेरणा : आप तो मुख्य मंत्री थे। प्रतिपक्ष का नेता तो मैं था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुख्य मंत्री था लेकिन आपने नहीं कहा, यह मैं पहली बार सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उन दिनों आप काफी व्यस्त रहते थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : व्यस्त रहता था लेकिन परसरामजी को मालूम है उनका दूसरा लड़का इसी तरह गिरफ्तार हुआ था उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और मेरा मुख्य मंत्री के नाते क्या व्यवहार रहा, मैंने क्या किया उससे पता लग जायेगा कि मैं बदला लेता हूं या नहीं लेता हूं अगर आप सही बात की जानकारी कराना चाहते हैं, सही बात कह रहे थे तो मैं भी सही बात कहूंगा। एक बात कहना चाहता हूं, परसराम जी, राजनीतिक आधार पर जो ओछे हथकण्डे बचनाराम के खिलाफ अपनाये हैं, चाहे वह आप करें, चाहे मैं करूं सामुहिक रूप से लोकतन्त्र की दोनों मिलकर हत्या करेंगे, आप करेंगे तो आप दोषी होंगे, हम करेंगे हम दोषी होंगे। आपने यह कहा कि मेरे लड़के के राजनीतिक आधार पर हथकड़ी लगाई। 302 का मुलजिम है। यह मुलजिम 302 का नहीं है। कोर्ट से सजा हुई। मैं उस आधार पर इसका जस्टिफिकेशन इसलिये नहीं करना चाहता कि मेरी नॉलेज में था या मेरे इन्स्टीगेशन से हुआ। मुझे तो इस बात की पहली बार जानकारी दी जा रही है कि उसके हथकड़ी लगाई गयी। मैं इसलिए कहना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, उसके हथकड़ी लगा दी इससे आपको संतोष हो गया हो, बचनाराम के हथकड़ी डालने से यदि आपको संतोष हो गया हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे तो किस्से का ही मालूम नहीं है। ईमानदारी से कह रहा हूं मुझे तो यह बात कल मालूम पड़ी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, बात इसलिए नहीं कर रहा था कि कौन बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि इस सारे मसले के पीछे कोई गोविन्दसिंह जी गुर्जर हों, अहमद बक्श सिंधी हों, यह बात नहीं है। यह मैंने पहले कहा था। इस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, इस मसले को आप देखें. मैं तो एक बात कहता हूं, चाहे राजनीतिक आधार हो, चाहे वैमनस्यता हो, मैंने परसराम जी के खिलाफ कुछ कह दिया और वे मेरे से नाराज हो गये। परसराम जी 5 मिनट इन सारे कागजात को देखकर हाउस में खड़े होकर कह दें कि किस में केस बनता है, इसके हथकड़ी लगनी चाहिए। मैं, अध्यक्ष महोदय, अपना फैसला, जो अपने आप को मेरा विरोधी बताते हैं, यह कहते हैं कि राजनीतिक आधार पर बदला लिया था उनको सौंपता हूं। मैं समझता हूं, उनमें जमीर है तो वे खड़े होकर कहेंगे कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, गलत गिरफ्तारी हुई है। मैं यह भी चुनौती देना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या सरनासरग्रोज थे, यह फैसला करने का कोई मेरा अधिकार है ? नहीं, मैं फैसला नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपका फैसला मानता हूं। आपका फैसला मानने को तैयार हूं........

(व्यवधान)

आप कर दीजिये फैसला कि गिरफ्तारी वाजिब नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : When once the criminal procedure code control the investigating officer has to come.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा हूं, आप फैसला इसलिए नहीं देंगे क्यों कि पर्दे के पीछे से कठपुतली का नाच आप करवा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, सब पर्दे के सामने है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त होने से पहले......

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर। मैं व्यवस्था पूरी दे रहा हूं, मेरी व्यवस्था तो सुन लीजिए। मैं गृह राज्य मंत्री जी को अवसर देता हूं, इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि समय काफी हो गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, वह विचाराधीन है। उसके बाद में साढ़े चार बजे मुख बंद का प्रयोग कर......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साढ़े छह, साहब.........

श्री अध्यक्ष : देखेंगे, समय आयेगा तब। अब आप, मंत्री महोदय, यदि कुछ कहना चाहें, तो कहें। उसके पश्चात् इस विषय पर चर्चा समाप्त समझी जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में बताया है, सदन में जो कुछ कहा है वह तथ्यों के ऊपर आधारित है। मैं अब भी इस बात को दोहराता हूं कि जो कुछ भी मैंने कहा है वह जो सदस्यों ने यहां तथ्य प्रकट किये हैं, उनसे मेल खाता है। मैंने कोई तथ्य छिपाये नहीं है, कोई तथ्य अपनी तरफ से लगाया नहीं है। जो कुछ घटना घटी उसका विवरण आपके सामने रखा है। मैं विपक्ष के नेता से बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरह सदस्य इल्जाम लगाते हैं, जैसे हम कोई पुलिस से मिले हुए हों और हम लोग यह काम करा रहे हों, वह बात नहीं है। नेता महोदय, यह जो कुछ भी हुआ है, अफसोसजनक घटना है लेकिन जिन हालात में यह घटी उन हालात में आपने भी माना है, नगरपालिका के चेयरमैन को कोई अधिकार नहीं था कि कानून अपने हाथ में ले।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, असत्य बात कह रहे हैं.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। इनको कहने दें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरी बात सुन लीजिए।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : सुन तो लें पहले।

श्री अध्यक्ष: कृपया धैर्य रखिये, माननीय सदस्य। ऑर्डर, ऑर्डर। मंत्री महोदय को शांति से सुनें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : सुनने में तकलीफ हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने शांति से इनको सुना......

श्री अध्यक्ष: बहुत ही धैर्य के साथ सुना।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वह अगर मेरा जवाब सुनना चाहते हैं, तो तसल्ली से सुन लें। उसके बाद जैसा अध्यक्ष महोदय आदेश देंगे, मैं उसका पालन करूंगा। मैं निवेदन यह कर रहा हूं, जो आप बराबर कह रहे थे कि आज की तारीख में हमारे आयुर्वेद मंत्री जे. डी. ए. के रेस्ट हाउस में रह रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जे. डी. ए. कल प्रस्ताव पास कर दे, परसों उनको अपने मकान से बाहर निकाल दे, यह न्यायोचित होगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पक्की बात है न कि जे. डी. ए. के मकान में रह रहे हैं?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने इल्जाम लगाया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो प्रश्न कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंशन वह कर रहे हैं। सही बात मैंशन करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के रूप में पूछा है, मंत्री महोदय ने। एक प्रश्न किया है आपके सामने।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आपने इल्जाम लगाया, उसकी बात बता रहा हूं। मान लीजिये, मैं रह रहा हूं गवर्नमेंट के बंगले में.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भागो मत। आप जल्दी भागोगे तो सारी दुनिया ही भाग जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : ..... इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नगरपालिका के चेयरमैन ने कानून के विपरीत कार्य किया। उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, सब कुछ कर दिया, डिप्टी डायरेक्टर ने लिख दिया, अगर वह मकान खाली कराने जा रहे थे तो उसके लिये कानूनी प्रक्रिया है। अभी विधि मंत्रीजी ने प्रक्रिया बतायी है और जनरल लॉ भी है, किसी मकान से बाहर आदमी को निकालने के लिये। यह बात नहीं है कि चुने हुए नुमाइन्दे होंने, उनके लिये कानून अलग हो। कानून यह नहीं है कि नगरपालिका का चेयरमैन अपनी नगरपालिका की सम्पत्ति के लिये जो चाहे कर सकता है, उसको खाली करा सकता है। मैंने केस डायरी देखी है, उन्होंने खुद माना है कि हमने इनका ताला खोलकर इनके मकान से इनका सामान बाहर निकाला।

श्री भंवरलाल शर्मा : 454 का ऑफेंस कैसे बना इससे? पहले यह बताइये, How 454 is committed?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जब इस बात की रिपोर्ट हुई उनको यह आशंका हुई कि पुलिस इसमें गलत काम कर सकती है तो चेयरमैन और ऑफिसर्स और उनके साथी सदस्य सीधे एस. पी. के पास गये। एस. पी. ने उनकी बात सुनी। उनके कहने से निष्पक्ष अधिकारी, जो वहां तैनात नहीं था जैसा कि आपने निवेदन किया था कि उस स्पेशल इन्वेस्टीगेटिंग स्क्वाड में इन्सपेक्टर तैनात है ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 8 रोज से वहीं है ना?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : किसी थाने पर नहीं है 8 रोज से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां है? डिस्ट्रिक्ट में तो रह नहीं सकता।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वह रह रहा है वहां पर उसको निष्पक्ष समझते हुए, इसकी जांच के लिए नियुक्त किया। उसकी नियुक्ति के ऊपर नगरपालिका के किसी सदस्य ने, चेयरमैन, जो इसमें कथित मुलजिम था, कोई आपत्ति नहीं की। उनके पास सारी तफतीश रहती है, एक दिन अपना समय निकाल कर वे आये। आकर उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के ऊपर भी उनका विवेक था। अध्यक्ष महोदय, मेरी या सदन की या कानून की राय क्या हो सकती है वह और बात है लेकिन उस समय उनका विवेक था। उन्होंने पाया, 454 का अपराध सिद्ध होता है। अपराध सिद्ध होने के बाद जैसा कायदा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अपराधी को कोर्ट में ले जाया जाता है। जो उन्होंने गिरफ्तारी की थी, उसके लिए भी उनका विवेक था। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस एक्ट, 1948 की धारा 268 की ओर

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है :

"In non-bailable cases the amount of restrain necessary must be left to the discretion of the officer concerned."

यह उनके विवेक की बात थी कि वह हथकड़ी लगा कर ले जाते या हथकड़ी नहीं लगा कर ले जाते। यदि मैं उनकी जगह इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर होता तो शायद हथकड़ी नहीं लगा कर ले जाता। लेकिन वहां क्या माहौल था जैसी पहले की चर्चा की गयी है, पहले का इतिहास बताया गया, पहले वहां पर कम्युनल रायट्स हो चुके थे। अगर उनको इस तरह से खुला छोड़ कर ले जाया जाता तो यह आशंका थी कि फिर कोई बलवा आदि हो जाता। इसलिए उन्होंने अपना विवेक·····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कैसे हो सकता है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हो सकता है। मेरी बात तो सुन लीजिए। एरर ऑफ जजमेण्ट हो सकता है, इस तरह का व्यवधान हो सकता है। कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गये वह स्वयं कोर्ट जाने को तैयार थे, स्वयं माननीय चतुर्भुज जी ने कहा, हम वहां जाकर जमानत करा आयें। वह गये, उनकी जमानत हो गयी। उसके बाद की सारी कहानी आपके सामने है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आप एक मिनट विराजें। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं·······

श्री अध्यक्ष : आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं या भाषण देना चाहते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आपको दो मिनट देता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फिर लीपा-पोती कर दी है। सारे सरकम्स्टान्सेज इन पत्रों के द्वारा बताये हैं। 5-5 रिमाइन्डर मैंने उनके सामने रखे। 8 तारीख को निर्णय हो गया खाली कराने का उसके बाद एस्केप कर गये ·········

श्री अध्यक्ष : वह सब तथ्य मंत्री महोदय ने कह दिये हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो चोरी वाला मामला है नितान्त असत्य है।

श्री अध्यक्ष : चोरी वाला मामला जो है, उसके संबंध में बहुत विद्वता के साथ, चतुराई से माननीय श्री बी. एल. शर्मा साहब ने और विपक्ष के नेता महोदय आदि ने उन तथ्यों को सामने रख दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इतना ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस सब गलत प्रकरण के बावजूद आईदानरामजी, जो हथकड़ी लगा कर के उनको ले गये, ने जन प्रतिनिधियों के साथ सलूक किया है, जो परम्परा प्रारम्भ की है उस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

परम्परा को शुरू करने के बाद भी राजस्थान राज्य के गृह राज्य मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उस अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई एक्शन ले सकें। ई. ओ. जिसने चार-चार बार उल्लंघन किया है, उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले सके। बैठे-बैठे केवल मात्र लीपा-पोती कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब इस सदन का बहिष्कार करते हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि 3 दिन का नोटिस देता हूं मैं 72 घंटे के बाद भूख हड़ताल करूंगा। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अगर इन दोनों के खिलाफ सजा की बात नहीं होगी तो 72 घंटे के बाद ललित किशोर चतुर्वेदी आमरण भूख हड़ताल करेगा। 72 घंटे का समय दे रहा हूं आपको। यह बात नहीं है, आपके हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा जीवन की बाजी लगाने की बात होगी।

(बहिर्गमन)

अनुदान की मांग

मांग संख्या–6 न्याय-प्रशासन

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आय-व्ययक, 1983–84 की मांगों पर विचार एवं मतदान।

विधि मन्त्री श्री अहमद बक्श सिन्धी मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन सम्बन्धी मांग प्रस्तुत करेंगे।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6, न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,19,67,000/–रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या – 6 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या –6 मुख्य शीर्षक–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

(1) सस्ता व सुगम न्याय दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(2) टौंक में न्यास प्रशासनिक सेवा के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(3) जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सस्ता न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से जमवा रामगढ़ में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर), **श्री मालाराम** (खेतड़ी):

(4) न्याय प्रक्रिया की जटिलता के कारण न्याय मिलने में विलम्ब के रोकथाम के उपायों पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची), **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर):

(5) जनता को सस्ता, सुगम व शीघ्र न्याय दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

(6) अदालतों में लम्बे समय से मुकदमों का निपटारा नहीं होने की चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

(7) भीलवाड़ा में अतिरिक्त मुंसिफ कोर्ट के विषय में चर्चा के लिये ।

(8) उदयपुर में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित की जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

(9) उदयपुर में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

(10) उच्च न्यायालयों में जजों की कमी पर शीघ्र निर्णय पर चर्चा के लिये ।

(11) उच्च न्यायालय से संबंधित सेशन जजेज के शीघ्र स्थानान्तरण पर रोक लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

(12) भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिये न्यायिक अधिकारियों के समयानुकूल वेतन, सुख-सुविधा पर चर्चा के लिये ।

(13) राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के मामलों के लिये स्थायी परामर्शदाता होने पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची),
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

(14) मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में एक मुंसिफ न्यायालय खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),
श्री माणकमल मेहता (पाली),
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर),
श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल),
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा),
श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण),
श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची),
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा):

(15) मुकदमों के निपटारे में बहुत अधिक समय लगने के कारण जनता का न्यायालयों के प्रति विश्वास कम होने पर चर्चा के लिये ।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

(16) मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के रहने के लिये क्वार्टर बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(17) न्याय की लम्बी अवधि को कम करने हेतु चर्चा के लिये ।

(18) राजगढ़ (अलवर) में अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति का न्यायालय स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

(19) न्यायालयों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को सस्ता न्याय दिलवाने के लिये सरकार की ओर से अदालतों में वकील (एडवोकेट) नियुक्त कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

(20) सुल्तानपुर, जिला कोटा में मुंसिफ कोर्ट स्थापित करने बाबत चर्चा के लिये ।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(21) न्यायिक सेवाओं के वेतनमानों की विसंगतियों को दूर कर उन्हें भरपूर वेतन देने बाबत चर्चा के लिये ।

(22) सांगोद में ए. डी. जे. कोर्ट एवं ए. सी. एम. कोर्ट खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

(23) कोटा की अदालतों में न्याय प्राप्त करने आने वाले न्यायार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये ।

(24) राजस्थान उच्च न्यायालय में कई वर्षों से पद रिक्त चले आ रहे हैं, उन्हें तुरन्त भर कर समय पर न्याय दिलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

(25) मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक न्यायालय, दौसा, जो केवल बस्सी क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई करता है, को बस्सी स्थानांतरित किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

(26) खेतड़ी में मुंसिफ न्यायालय में समुचित व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर), **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) :

(27) प्रदेश की न्यायिक सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

(28) सरकार गरीब और किसानों को त्वरित गति से न्याय उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

(29) सरकार गरीब ग्रामीणों को निःशुल्क न्याय व्यवस्था सुलभ कराने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

(30) न्यायालयों में बढ़ते बोझ को कम करने हेतु न्याय खण्ड पीठों की स्थापना एवं न्यायाधीशों की रिक्तियों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

(31) भीलवाड़ा जिले एवं देवली (टोंक) टोडारायसिंह (टोंक) में मुंसिफ न्यायालयों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

(32) जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) :

(33) सराड़ा में मुंसिफ कोर्ट खुलभ वाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना):

(34) गरीब लोगों को सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिये डी. जे. कोर्ट, सीकर का नीम-का-थाना में कैम्प कोर्ट लगाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

(35) प्रदेश की जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय दिलाने में सरकार द्वारा की गई उपेक्षा पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग), **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) :

(36) गरीब पिछड़े लोगों के मामले शीघ्र निपटाये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

(श्री बालचन्द्र आर्य वीर)

(37) कोटा डिवीजन में गरीबों को सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु विशेष न्यायालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

(38) राज्य सरकार द्वारा वकीलों को लाइब्रेरी एवं व्हीकल के लिये 15 हजार रुपये का लोन प्रदान करने का प्रावधान किया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

(39) उदयपुर जिले की एक मात्र आदिवासी तहसील सराड़ा में मुंसिफ कोर्ट नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

(40) सिकराय में मुंसिफ न्यायालय नहीं खोलने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) :

(41) गरीब तबके के व्यक्तियों को मुफ्त न्याय सुलभ कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) :

(42) ग्रामीण क्षेत्र में जन अदालत पद्धति लागू कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):

(43) आर्थिक अपराधों के लिये अलग से न्यायालय स्थापित करने एवं न्यायालयों में पेण्डिग मुकदमों पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

(44) केशवराय पाटन मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(45) छुआ-छूत संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु अस्पृश्यता निवारण न्यायालयों की स्थापना हेतु चर्चा के लिये ।

(46) न्यायिक सेवा में सेवारत हरिजन, पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यकों को पदोन्नति देने में विशेष अवसर हेतु चर्चा के लिये ।

(47) श्रमिकों को राहत पहुंचाने की भावना से श्रमिक न्यायालय को प्रभावी बनाने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) :

(48) सस्ता एवं शीघ्र न्याय जनता को उपलब्ध न होने के कारणों पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) :

(49) राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सेवा मामलों की याचिकाओं में अतिशय विलम्ब पर चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

(50) न्याय में देरी बहुत लगती है सस्ती न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) :

(51) चौमूं में अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

(52) विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति) को समाप्त कर स्थानीय न्यायालय को ही इनके मामले प्राथमिकता पर निपटाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :

(53) अनुसूचित जाति के हित में विशेष न्यायालय शीघ्र समाप्त किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :

(54) श्री माधोपुर में ए. डी. जे. कोर्ट खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

(55) भीलवाड़ा जिले को हाई कोर्ट के वाद हेतु जयपुर की बैंच से जोड़ने के बारे में चर्चा के लिये ।

(56) भीलवाड़ा नगर में एक और मुंसिफ कोर्ट खोलने के बारे में चर्चा के लिये ।

(57) उदयपुर में हाई कोर्ट बैंच स्थापित करने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी):

(58) मुंसिफ मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायाधीशों को उचित सुविधाएं एवं सुरक्षा के लिये घर पर गार्ड नहीं देने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)) :

(59) गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह दिये जाने की व्यवस्था समुचित ढंग से की जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

(60) लक्ष्मणगढ़ में एडीशनल सैशन जज की कोर्ट खोलने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

(61) न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं अकर्मण्यता के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

(62) प्रदेश की जनता को सस्ता एवं शीघ्र न्याय प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना) :

(63) देहाती क्षेत्रों में हर 10 कि. मी. के एरिया में न्यायालयों के कैम्प लगाये जाकर मुकदमों की सुनवाई कर निपटारा किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

(64) न्यायालयों में एक लम्बे समय तक फाइलों के विचाराधीन रहने के कारण जनता में बढ़ते असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

(65) पिछड़े वर्ग के नागरिकों को सस्ता न्याय दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री प्रभुलाल शर्मा (हिण्डोली) :

(66) हिण्डोली में सस्ता न्याय दिलाने हेतु मुंसिफ कोर्ट खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) :

(67) बाड़मेर जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय, बालोतरा का मुख्यालय जिला मुख्यालय बाड़मेर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) :

(68) राज्य सरकार न्याय शीघ्र व सस्ता दिये जाने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये ।

श्री चांद खां (कामां) :

(69) राज्य सरकार न्याय सस्ता और सुलभ दिलाने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये ।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा)

(70) मसूदा पंचायत समिति के मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(71) विजयनगर में लगने वाले कैम्प कोर्ट को बन्द कर दिये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

(72) न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

(73) भीलवाड़ा जिले की विभिन्न अदालतों में वर्षों से पेंडिंग पड़े मुकदमे तत्काल निपटाने के विषय में चर्चा के लिये ।

(74) भीलवाड़ा जिले में मुंसिफ तथा अन्य कोर्टों के लिये अलग से भवन बनाने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

(75) आसानी से जमानत हो जाने से अपराध प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस व्यवस्था की अवमानना करने व निरंकुशता से अपराध करने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

(76) वर्तमान अदालतों को सर्किट कोर्ट्स के रूप में कार्य करते हुए मुकदमों का निर्णय करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(77) अदालतों में चल रहे मुकदमों में बार-बार एडजोर्नमेंट देने से न्याय में विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री भेरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण), **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (सराड़ा) :

(78) उदयपुर जिले में पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए चल न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये ।

(79) सराड़ा में मुंसिफ कोर्ट खोला जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

(80) न्यायालयों में अकारण तारीख पेशी बदलने की प्रवृत्ति को रोके जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

(81) "प्रशासन गांव की ओर" की तरह 'न्यायालय गांव की ओर' समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जाने व विचाराधीन मामलों का शीघ्र निपटारा किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

(82) पुलिस थाना, बस्सी एवं चाकसू क्षेत्र के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई हेतु बस्सी में मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किये जाने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(83) न्यायालयों की गिरती प्रतिष्ठा पर चर्चा के लिये ।

(84) गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह दिये जाने की योजना की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(85) सड़क यातायात के अपराधों में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की मोबाइल सर्विस के नियोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(86) श्रमिक विवाद अधिकरण में बहुत पुराने विवादों के लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(128)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(87) बाल अपराधों के लिये अलग से जुडिशियल न्यायालयों के खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(88) अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी मुकदमे भी सामान्य कोर्टों में कुछ दिन नियत करके अर्थात् सप्ताह में 1 या 2 दिन नियत करके सुने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(89) महिलाओं से संबंधित मामलों में विशेषकर अम्ब्रेसमेंट से संबंधित सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिये स्पेशल महिला कोर्ट खोले जाने एवं उनमें महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(90) आर्थिक अपराधों के लिये अलग से न्यायालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(91) बढ़ते हुए मकान मालिक व किरायेदारों के पारस्परिक विवादों के लिये अलग से न्यायालय न होने से न्याय में देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(92) जयपुर जिले के जमवारामगढ़ तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(93) जयपुर शहर में केसों के अनुपात में नये न्यायालय न खोलने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

(94) एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल स्टाफ की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा :

(95) सरकार द्वारा योग्य वकीलों (व्यक्तियों) को सरकारी वकील के पदों पर नियुक्त न किये जाने से उचित पैरवी के अभाव में सरकार द्वारा मुकदमे हार जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(96) हाई कोर्ट में वर्षों से रिक्त पड़े जजों के पदों को न भरे जाने से न्याय में होने वाली देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(97) हाई कोर्ट में संवैधानिक बैंचें बना कर रिट याचिकाओं की तुरन्त निपटाने की व्यवस्था न होने से न्याय में हो रही देरी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

(98) सामान्य कोर्टों के अलावा विशेष कानूनों की पालना के लिये विशिष्ट कोर्ट अलग से स्थापित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(99) न्यायालयों के समीप ही न्यायाधीशों के लिये निवास की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(100) न्यायाधीश के वेतनमानों को पुनःनिर्धारण कर बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(101) औद्योगिक प्रतिष्ठान के कस्बों में लेबर ट्रिब्यूनल की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(102) राज्य के व्यापारिक प्रतिष्ठान के कस्बों में सिविल न्यायालयों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(103) राज्य में तहसील स्तर पर मुंसिफ न्यायालय जहां नहीं हैं, वहां खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :

(104)) गुढ़ागौड जी नगर (झुंझुनू) में मुंसिफ कोर्ट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भेरूं लाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

(105) उच्च न्यायालय की बैंच की बैठकें एक माह में दो बार उदयपुर में होनी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 6 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन !

(अनुपस्थित)

श्री शोभराज मल !

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)। विचार है कि नहीं।

श्री भेरूं लाल मीणा(उदयपुर ग्रामीण): विचार है साहब। अध्यक्ष महोदय, मैंने न्याय प्रशासन संबंधी मांग पर जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं वह खास कर के पिछड़े इलाके के लोगों को न्याय समय पर नहीं मिलने के कारण दिये हैं। सरकार की यह पॉलिसी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सस्ता न्याय दिलाया जाय। मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि पिछड़े लोगों के पास पैसा नहीं होता है, पैसे के अभाव के कारण पहली बात तो वह मुकदमा नहीं कर सकते हैं, चाहे उन लोगों का कुछ भी हो जाय। किसी प्रकार की आपत्ति हो जाय तो अदालतों तक जाना बड़ा मुश्किल होता है और चला भी जांय तो वकील नहीं कर सकता है। वकील इतना महंगा होता है कि उसको वह फीस नहीं दे सकता है। इस कारण बहुत से मुकदमे वैसे ही रह जाते हैं और वह मन मसोस करके घर में ही बैठे रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह जरूर निश्चित कर लिया है कि सस्ता न्याय दिलाया जाय। मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, उदयपुर कोर्ट में जब आदिवासी जाते हैं तो सुबह से शाम तक वहां बैठे रहते हैं। अदालतों में भी ऐसा भ्रष्टाचार फैल गया है ....

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : कैसा भ्रष्टाचार फैल गया है ?

श्री भेरूं लाल मीणा : मैं बता रहा हूं मेरे वहां का एक मुकदमा था किसी मसले में दो गुट उलझ गये थे। मैं मोटी बात बता रहा हूं दो गुटों में झगड़ा हो गया था जिसका जिलाधीश और यूनियन ने बीच में रह कर समझौता करा दिया। यह लिख कर भी दिया कि इस केस को कोर्ट से निकलवा दिया जाय। दोनों पार्टी राजी हो गई हैं कि केस निकाल दिया

(3.04 बजे)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

जाय। जिलाधीश महोदय ने आदेश कर दिया कि दोनों पार्टियों का राजीनामा हो गया है मामला खारिज कर दिया जाय। कलेक्टर साहब का मुंसिफ मजिस्ट्रेट साहब

(श्री भैरू लाल मीणा)

को लिखित में आदेश गया उसके बावजूद भी प्राइवेट सैक्रेटरी साहब ने हमको सुबह से शाम तक बैठाया। फिर हमारी तरफ के जो वकील थे उन्होंने मुझसे कहा कि 4 रुपये निकालो, मुकदमा जल्दी से पेश हो जायेगा नहीं तो आपको और बैठना पड़ेगा। मैंने 5 रुपयं का नोट निकाला, 4 रुपये उन्होंने लिये और 1 रुपया मुझे वापस दिया, हमारे दस्तखत करवाये फैसले पर कि समझौता आपस में हो गया। इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। कलेक्टर साहब के आदेश देने के बावजूद एक नीचे का क्लर्क बिना पैसे लिये मुकदमा नहीं निकालते हैं। ऐसी हालत में आदिवासी बेचारा जिसकी किसी चपरासी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती है, कलेक्टर साहब या मजिस्ट्रेट साहब या पी. ए. साहब से बिना वकील के नहीं मिल पायेगा। मैं चाहूंगा कि जैसी सरकार ने सस्ता न्याय दिलाने की नीति निर्धारित की है, वकील के जरिये से सस्ता न्याय दिलाया जाय।

मैं यह भी इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर क्षेत्र में काफी दूर से लोगों को आना पड़ता है, कोर्ट में। समय पर नहीं आने के कारण उनकी पेशी चूक जाती है फिर उनके गिरफ्तारी वारन्ट निकाल देते हैं। बसों के आवागमन का कोई साधन नहीं है, न और कोई आवागमन के साधन हैं। पैदल चल कर आते हैं ऐसी हालत में वह पेशी से चूक जाते हैं और उनका गिरफ्तारी वारन्ट निकल जाता है। गिरफ्तारी वारन्ट निकल जाता है तो पुलिस वाले उसके मकान पर जाते हैं और उसके घरवालों को डराते हैं कि गिरफ्तारी वारन्ट है हम तुमको पकड़ कर ले जायेंगे, हथकड़ी लगा कर ले जायेंगे। अगर उनको कोई दान दक्षिणा दे दी जाती है तो वह पास-पड़ोस वालों से जमानत ले कर उसको छोड़ देते हैं नहीं तो हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं। आदिवासियों के पास पैसे नहीं होते हैं लेकिन उस वक्त मजबूरन किसी से ले कर या कुछ करके अपनी जान बचाते हैं। मैं चाहूंगा कि चलता-फिरता मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट होना चाहिये। उसके लिये 4-5, 6-10 पंचायतों को मिलाकर स्थान निर्धारित कर दिया जाय। बड़ा कस्बा निर्धारित कर दिया जाय जिससे कि उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। इस प्रकार तो उनको सस्ता न्याय मिल सकता है। मैं सराड़ा और गिरवा, दोनों के बीच में रहता हूं। हमारे लोगों को कुछ मसलों के लिये तो सलूम्बर में और कुछ मसलों के लिये उदयपुर जाना पड़ता है। सलूम्बर में जो कोर्ट लगती है तो उसमें मुन्सिफ मजिस्ट्रेट साहब कभी नहीं होते हैं, कभी होते हैं। जब वह मजिस्ट्रेट साहब नहीं मिलें तो हमको वापस लौट कर आना पड़ता है और सारा दिन खराब हो जाता है। सराड़ा तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं होने के कारण सराड़ा क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा कि सराड़ा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित किया जाय। खैरवाड़ा में भी इसी प्रकार चलता-फिरता कोर्ट सप्ताह में एक बार दो-बार लगता है लेकिन स्थायी रूप से वहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट होना चाहिये।

मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, जैसा कि तीन-चार दिन पहले भी हाई कोर्ट का

(श्री भैरूंलाल मीणा)

मसला विधान सभा में आया था, जब मंत्री महोदय की तरफ से यह जवाब मिला कि उदयपुर में गरीब लोग रहते हैं इसलिये वहां ऐसे मुकदमे नहीं होते। यह बात सही है कि गरीब लोग रहते हैं किन्तु गरीबों का भी कोई मसला हो सकता है जो हाई कोर्ट तक जा सके। वे जोधपुर जाकर अपना मसला हल करा नहीं पाते हैं। इस कारण उनका कोई मामला होता है उसमें उनको न्याय मिल नहीं पाता है और वह अपने हाथ मल कर रह जाते हैं और जो सजा होती है वह भुगतनी पड़ती है। यदि कोई आगे बढ़ना चाहता है तो वह वहां पर कोई अपील कर नहीं पाता है। उसकी समस्या इस तरह से हल हो नहीं पाती और उसको न्याय नहीं मिल पाता है। मैं चाहूंगा कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का यह इलाका पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिये हाई कोर्ट की बैंच महीने में दो बार उदयपुर लगनी चाहिये ताकि वे गरीब हाई कोर्ट तक जाने का जो मसला है उसको वहीं निपटा सकें।

सभापति महोदय, आज से 10 वर्ष पहले न्याय पंचायतें गठित थीं। दस वर्ष पहले न्याय पंचायतें समाप्त कर दी गई लेकिन उनका गठन तो बहुत पहले किया गया था। 13-14 साल तक न्याय पंचायतों का कार्य चला। उन न्याय पंचायतों से, मेरे अनुभव से कह सकता हूं, काफी लोगों को सस्ता न्याय मिलता था। कुछ ऐसे मसले जो गांवों में होते थे वे वहीं समाप्त हो जाते थे। उनको वहीं न्याय मिल जाता था, वहीं की वहीं डिसीजन हो जाता था। और वकील भी नहीं करना पड़ता था। गांवों के अन्दर पंच वगैरह होते थे उनसे सही न्याय मिलता था। वकीलों के पास जाने से आधा मुकदमा तो झूठ बुला कर कमजोर कर दिया जाता है, झूठ को सच कर दिया जाता है। कई तरह की उसमें उलझनें पैदा होती हैं। गांवों में भी जानते हैं कौन व्यक्ति सही है कौन व्यक्ति सही नहीं है। कुछ जाने-माने भी होते हैं, जिससे उसके अन्दर न्याय सही और सस्ता मिलता है। उस प्रकार की प्रणाली लागू कर दी जाय तो कम से कम लोगों को दर-दर नहीं जाना पड़ेगा, वकीलों के पीछे-पीछे नहीं घूमना पड़ेगा और उनको सस्ता न्याय भी मिल जायगा।

श्रीमन्, मैं अधिक नहीं बोल करके इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मांग करता हूं कि उदयपुर में हाई कोर्ट की बैंच लगनी चाहिये जिससे उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों को न्याय मिल सके।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीया पुष्पाजी !

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने न्याय प्रशासन के बारे में जो बातें कही हैं मैं भी उनके समर्थन में अपनी बात कहूंगी। सभापति महोदय, जब एग्जीक्यूटिव बॉडी निरंकुश हो जाती है, फण्डामेंटल राइट्स पर आघात होता है, जब हर राह इन्सान के लिये बन्द हो जाती है उस समय अन्त में जाकर हम न्यायपालिका की शरण लेते हैं। वहां हम इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा इन्साफ के मन्दिर में हम इसी आशा के साथ जाते हैं। सभापति महोदय, मौजूदा समय में राजस्थान में न्यायापालिका की जो हालत हो गई है उस पर थोड़ी सी रोशनाई

(श्रीमती पुष्पा जैन)

डालना चाहूंगी । सभापति महोदय, अभी हाल ही में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में तारीख 3 को जो हादसा हुआ, मैं समझती हूं वह अपने आप में न्यायपालिका पर बहुत बड़ा कुठाराघात था । सभापति महोदय, चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा था मोहम्मद इब्राहिम वर्सेज अब्दुल अजीज का । इस मुकदमे की तारीख 3-3-83 वास्ते बहस दी गई । जब वकील बहस के लिये वहां गये तो रीडर ने कहा कि मुकदमे में तो फैसला लिखा जा चुका है आप काहे के लिये बहस कर रहे हैं । अन्दर बैठे हुए मजिस्ट्रेट महोदय ने भी यह बात सुन ली । वे जल्दी से बाहर आये और कहने लगे, बहस कीजिये । वकील ने कहा, पहले फाइल मंगवाइये । जैसे ही रीडर महोदय फाइल लेकर आये उसमें से फिसलता हुआ लिखा हुआ निर्णय बाहर आ गया । सभापति महोदय, जब फैसला लिखा जा चुका था तो बहस के मायने क्या थे ? इस पर सारे वकील समुदाय ने रोष प्रकट किया । अदालतें बन्द हो गई । डी. जे. सिटी को इस बात की इन्क्वायरी के लिये कहा गया, उसने फाइल मंगवाई । इन्क्वायरी चल रही थी उसी दौरान दूसरे दिन सारे मजिस्ट्रेट्स ने, जूडिशियल ऑफिसर्स ने एक मीटिंग की, ××× । सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि जिस डी. जे. के पास मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी पेंडिंग थी उसी डी. जे. के यहां जूडिशियल ऑफिसर्स ने मीटिंग की और सारी बार को कन्डेम किया । मैं समझती हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती । इन्क्वायरी अभी तक पेंडिंग है । मजिस्ट्रेट को सस्पेंड किया जाता या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता । उसके बाद हुआ क्या, मैं बताना चाहूंगी । सभापति महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, ××× चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमोट करके ए. डी. जे. बना दिये गये । इससे ज्यादा तौहीन जुडिशियरी की कोई हो नहीं सकती । यही नहीं, सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी ××× ए. डी. जे. की अदालत नम्बर 7 में मुकदमा पेंडिंग था, जीवनलाल भाटिया वर्सेज वेस्ट बिल्डिंग मैटीरियल वालों का । सभापति महोदय, पार्टी से तय कर लिया गया कि 35 हजार रुपये पार्टी देगी तो फैसला उसके हक में हो जायगा । पार्टी ने कह दिया कि समूचा पैसा एक साथ नहीं दे सकता । पांच हजार पार्टी से एडवान्स लिये गये और उसकी किश्त लगा दी गई कि इस तारीख को किश्त आयेगी और उस तारीख को जाकर फैसला सुनाया जायगा । आपको सुन कर ताज्जुब होगा, एक दिन पार्टी का भतीजा एक्सपायर हो गया लिहाजा पार्टी अपनी किश्त नहीं पहुंचा सकी । दूसरी पार्टी से बात हो गई । दूसरी पार्टी ने कहा मैं समूचा पैसा एक साथ देता हूं, शर्त मेरी यही है कि फैसला आज का आज सुना दिया जाय । आपको सुन कर ताज्जुब होगा, ××× फैसला सुना दिया और जिस पार्टी से पांच हजार रुपये लिये थे उसके खिलाफ फैसला हो गया । पहली पार्टी को पता लगा, उसने वकील से फरियाद की । खुली अदालत में वकीलों ने शोर मचाया । वहां जुडिशियरी से कहा गया कि इस तरह से जो कार्यवाही कर रहे हैं वह जुडिशियरी पर काला दाग

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्रीमती पुष्पा जैन)

है । सभापति महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । बार की इतनी पुकार करने के बावजूद हाई कोर्ट की बार कौंसिल की तरफ से पुकार के बावजूद अब सुनने में आया है उन ××× का प्रमोशन किया जा रहा है । सभापति महोदय, इन सारी बातों से दुखी होकर जयपुर बार एसोसिएशन ने एक मीटिंग की । जयपुर बार एसोसियेशन की मीटिंग की प्रोसिडिंग्स का मैं थोड़ा सा अंश सुनाना चाहूंगी । उन्होंने 4-3-83 को मीटिंग की, उसकी प्रोसिडिंग्स में लिखा है,—

"The extraordinary general meeting of the Jaipur Bar Association takes a serious note of the declining image of judiciary in general and particularly at Jaipur.

While condemning the action of Mr. Bhojak, C. J. M., this meeting demands that all those judicial officers whose integrity is doubtful, should be immediately transferred and an appropriate enquiry be made in respect of their conduct to improve and restore the image of judiciary."

सभापति महोदय, उस मीटिंग में उन्होंने डिक्लेयर किया कि यदि इन सारे हालात पर गौर नहीं किया गया, तुरन्त हाई कोर्ट के द्वारा इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो 4-4 को दुबारा मीटिंग करेंगे, मीटिंग ही नहीं करेंगे वह एक्शन अपने हाथों से करेंगे । उस समय हालत क्या हो गई, मैं पूछना चाहती हूं सरकार से ? सभापति महोदय, आज जयपुर में जो हालात हैं उनमें ×××। सभापति महोदय, जितने ए. डी. जे. बैठे हुए हैं उनकी इन्टेग्रिटी डाउटफुल है । बार-बार चीफ जस्टिस साहब से कह दिया गया कि इन सारे लोगों को आप यहां से हटाओ । अभी बीच में चीफ जस्टिस, डी. पी. गुप्ता आये थे, महामहिम डी. पी. गुप्ता साहब ने तो ऑन दी रिक्वेस्ट और ऑन दी कम्प्लेन्ट ऑफ बार इन सारे लोगों का ट्रांसफर किया । सभापति महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, ×××। मैं पूछना चाहती हूं, किस आधार पर ट्रांसफर कैंसल किये ? जब बार ने शिकायत उनके विरुद्ध की थी कि यहां भ्रष्टाचार का अड्डा खुल गया है लिहाजा इन जुडिशियल ऑफ़िसर्स का ट्रांसफर कीजिये, चीफ जस्टिस ने ट्रांसफ़र किस आधार पर कैन्सल कर दिये ? आपने जाति के आधार पर या किसी इन्ट्रेस्ट में निहित होकर उन ट्रांसफर्स को कैंसल किया ? सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं, ×××। मैं मांग करती हूं सरकार से कि जांच कराई जाय, किस-किस की कोठियां वहां बन रही हैं, किस प्रकार से बन रही हैं और पैसा, जमीन कहां से आ रही हैं ? जमीन वहां किसकी हथियाई गई ? आपको उनकी जांच करनी पड़ेगी ××× ।

सभापति महोदय, इन्साफ की उम्मीद कौन कर सकता है ? हाई कोर्ट के जजेज का अपाइंटमेंट कौन करता है ? चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस राजस्थान और गवर्नर

××× नाम एवं अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्रीमती पुष्पा जैन)

इन तीन की सिफारिश पर भारत सरकार चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की राय से हाई कोर्ट जजेज का अपाइंटमेंट करती है। लेकिन आज अपाइंटमेंट हैड कान्स्टेबल की जांच के आधार पर किये जा रहे हैं। यह मैं इस आधार पर कहना चाहती हूं कि ××× जो हाई कोर्ट जज हैं, एडवोकेट रहे उसके बाद हायर जुडिशियल सर्विस में उनका सलेक्शन हुआ और उसके बाद में उन्हें हाई कोर्ट जज अपाइंट किया गया। इस बीच उनकी इन्टेग्रिटी पर कोई डाउट नहीं किया गया। करेक्टर पर कोई आंच नहीं आई। करेक्टर पर आंच तब आई जब हाई कोर्ट जजशिप पर कन्फर्मेशन करने की बात आई। सभापति महोदय, खेद होता है कि जिस व्यक्ति का चरित्र हो उसके आधार पर वह जुडिशियरी में आया हो, बार में उसका अपना कैरियर, हो उस व्यक्ति पर एक हैड कान्स्टेबल द्वारा इल्जाम लगाये जाने पर कि इसका करेक्टर डाउटफुल है, आप कहते हैं हाई कोर्ट जजशिप के लिये उसको कन्फर्म नहीं किया जायगा। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां लॉ सैक्रेटरी का रिटायरमेंट हो चुका था उनको एक्सटेन्शन दिया गया है। किसलिये दिया गया है? इसके पीछे मन्सूबा क्या था? मन्सूबा यह था कि उनको हाई कोर्ट जजशिप प्रदान की जाये। इसी मन्तव्य को लेकर उनका रिटायरमेंट एक महीने के लिये एक्सटेंड किया। एक्सटेंशन किया गया उसके लिये जवाब यह दिया गया कि असेम्बली का सत्र आने वाला है इसलिये लॉ सैक्रेटर को एक महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, लॉ सैक्रेटरी को एक महीने का एक्सटेंशन आपने इसलिये दिया कि असेम्बली का सत्र आ रहा है ××× और उस लॉ सैक्रेटरी को आपने इसलिये रखा, एक महीने का एक्शटेंशन इसलिये दिया कि असेम्बली का सत्र आ रहा है, ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? या तो आपको लॉ सैक्रेटरी के एक्सटेंशन की बात माननी पड़ेगी या ×××। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती।

सभापति महोदय, मैंने जैसे बताया, आज न्याय बिक रहा है, ×××

(3.22 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं हाई कोर्ट जजेज के अपाइंटमेंट की बात कर रही हूं। आज हाई कोर्ट की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। जजेज के अपाइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। किसलिये? इसके पीछे खास मन्सूबा है, ××× अध्यक्ष महोदय, श्री जी. के. शर्मा को एक्सटेंशन इसलिये नहीं दिया गया, मैं आरोप लगाना चाहती हूं, एक्सटेंशन के पीछे मन्तव्य विधान सभा का सत्र आना नहीं था, ×××

व्यवस्था

न्यायाधिपति के आचरण पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आज न्याय प्रशासन की मांग पर विचार हो रहा

××× नाम एवं अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)
है इसलिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 211 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य जब इस मांग पर विचार करें और चर्चा उठायें तो इसका कृपया ध्यान रखें:—

"No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties."

सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज जब अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों तो उस संबंध में चर्चा नहीं हो सकती। माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाई कोर्ट जज का अपाइंटमेंट कैसे हो, कैसे नहीं हो, यह उनका जो अधिकार है उनके अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिये माननीय सदस्या कृपया इससे बच कर रहें और उसके बाद में चर्चा उठायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): हाई कोर्ट के जजेज का अपाइंटमेंट, it is not a question

श्री अध्यक्ष : तभी तो मैंने कहा कि बच कर रहें थोड़ा सा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्या कह रही हैं अपाइंटमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, किस प्रकार से किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी मैंने मना नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिस्कस कर सकते हैं। उनका जुडिशियल कण्डक्ट क्या है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जुडिशियल कण्डक्ट ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कण्डक्ट वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : In the discharge of his duties लेकिन मेरे खयाल से वह भी कण्डक्ट में आता है। कण्डक्ट मीन्स एज ए जज, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव जज के रूप में, चाहे न्यायिक जज के रूप में। जो वह करते हैं, दोनों ही इसमें आते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने व्यवस्था दी है कण्डक्ट में यह सवाल आता है। मान लीजिये, किसी जज का प्रमोशन चीफ जस्टिस ने गलत ढंग से कर दिया हो। क्या हम डिस्कस नहीं कर सकते ? मैं समझता हूं, मेरा राइट है कि उसको डिस्कस कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर हमको विधि मंत्री की मदद लेनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधि मंत्री तो हैं नहीं। विधि मंत्री का मत लेकर अपने आपको कन्फ्यूज क्यों करना चाहते हैं। ज्यादा अच्छा यह है कि आप अपनी ओपीनियन बना लो। उनसे ओपीनियन लेंगे तो निश्चित रूप से कन्फ्यूजन आपके मस्तिष्क में हो जायगा। आप तो अच्छे एडवोकेट रहे हैं।

(128)

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो ग्राजकल कहने लग गये हैं। एक दफा बीच में तो···

(व्यवधान)

माननीय शिक्षा मंत्री !

श्री सुरेन्द्र व्यास (राज्य मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, कण्डक्ट के अन्दर जो भी ट्रांसफर्स की चर्चा माननीय सदस्या ने की है, मैं समझता हूं, यह बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, ऐसा नहीं कहना चाहिये। इस तरह से हाई कोर्ट जजेज पर आप एस्पर्शन्स कास्ट करेंगे····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एस्पर्शन नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल एस्पर्शन है। ××× उन्होंने ट्रांसफर्स कैंसिल कर दिये। इसका क्या ताल्लुक है, क्या रेलेवेन्सी है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैंसिल इसलिये किये गये हैं कि·········

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कन्ट्रोवर्सी पैदा करते हैं। यह सदन प्रिविलेज्ड जगह है, आपको यहां प्रिविलेज है आप जो बोलते हैं उसका बाहर नोटिस नहीं ले सकते, इसलिये आप हाई कोर्ट जजेज के मामले में बैठकर कोई ऐसी बात करें, मैं इसको उचित नहीं मानता। इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये। माननीय सदस्या पढ़ रही हैं कि फलां कोर्ट के अन्दर यह हो गया, फलां कोर्ट के अन्दर यह हो गया। कान्स्टीट्यूशन में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है हाई कोर्ट जजेज और सुप्रीम कोर्ट जजेज के लिये, उससे हम ग्रोब्लाइज्ड हैं इसलिये इसको डिस्कस नहीं करना चाहिये। कण्डक्ट से क्या मतलब है? अगर आप यह समझते हैं कि सिर्फ उनके किसी केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर चर्चा नहीं कर सकते, आपका यह ध्येय है, तो मैं समझता हूं जो आप कहते हैं कि हमको राइट है, फ्रीडम है, उस एनोलॉजी पर तो आप चर्चा कर सकते हैं। उस एनोलॉजी पर तो यह भी कह सकते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट को भी जब अपील में जाते हैं तो क्रिटीसाइज करते हैं, उस पर अटैक करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कण्डक्ट के अन्दर वह भी आयेगा जो ट्रान्सफर का हिस्सा है। एज हाई कोर्ट जज जो भी उसका कण्डक्ट है उसको यहां डिस्कस नहीं करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक बात कही, मैं उससे एग्री नहीं करता। प्रोटेक्शन केवल इस बात का दिया हुआ है कि इस आलोचना का प्रभाव उनकी जजमेंट करने की विधि पर किसी प्रकार से नहीं हो। हम किसी हाई कोर्ट जज की आलोचना करें और यह अपेक्षा करें कि अमुक मामले में हाई कोर्ट जज ने इस प्रकार का फैसला कर दिया जो नहीं करना चाहिये था। ऐसे कारणों से प्रभावित हो गये हों तो, जहां तक जजमेंट का प्रश्न है, जुडिशियल डिलीवरी का प्रश्न है, मैं समझता हूं, they are fully protected and they are not liable

---

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

to be charged for anything in this House. लेकिन सवाल दूसरा है। आज सवाल यह है कि ट्रांसफर्स जिस प्रकार से जुडिशियरी में हो रहे हैं, क्या उन ट्रांसफर्स के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : Even that is an asperson.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एस्पर्शन नहीं है। ट्रांसफर्स का सवाल है। आपने इसी विधान सभा में एक सवाल एडमिट किया है। उसमें था जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसका उद्देश्य तो इन्फार्मेशन कलेक्ट करना था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सदन को इन्फार्मेशन दी जा रही है कि ट्रांसफर्स किस प्रकार से हो रहे हैं। ट्रांसफर्स का इश्यू जुडिशियल कण्डक्ट नहीं हो सकता। जुडिशियरी को हम डिस्कस नहीं कर सकते तो ग्रांट्स इस रूप में नहीं आती जैसे राज्यपाल और लेजिस्लेचर की आती हैं। फिर डिस्कशन किस बात का ? क्या हम यह डिस्कस करेंगे कि चपरासी का अपाइंटमेंट कैसे हुआ। फिर माननीय सदस्य कह देंगे कि चपरासी का अपाइंटमेंट हाई कोर्ट जज करते हैं इसलिये हाई कोर्ट के जज पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं किया जा सकता। फिर जुडिशियरी की डिमांड किस बात की हैं ? आप मुझे यह एक्सप्लेन कर दें कि गवर्नर प्रोटेक्टेड है गवर्नर के बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी डिमाण्ड वोटेड नहीं है चार्ज्ड है इस हाउस में उनकी जो डिमाण्ड है वह चार्ज्ड है। इसी प्रकार लेजिस्लेचर, विधान सभा की डिमाण्ड वोटेड नहीं है, चार्ज्ड है। जुडिशियरी की डिमाण्ड वोटेड है, चार्ज्ड नहीं है। कान्स्टीट्यूशन में जो धारा 211 है उसमें हाई कोर्ट के जजेज का कंडक्ट चर्चा का विषय नहीं बनाया जाय केवल इस बात का निर्देश है। इसके अतिरिक्त कुछ जुडिशियल डिमाण्ड चार्ज्ड डिमाण्ड होती, वोटेड डिमाण्ड नहीं होती। वोटेड और चार्ज्ड में अन्तर करना पड़ेगा। यह कान्स्टीट्यूशनल डिफरेंस है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज गवर्नर के बारे में डिस्कस करना चाहें तो नहीं कर सकते। उनका कैसा भी कण्डक्ट हो, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। इसी प्रकार से लेजिस्लेचर की डिमाण्ड है उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जुडिशियरी की डिमांड वोटेड है और उस पर आर्टिकल 211 के रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखकर हम जुडिशियरी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इस पर किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। इसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग नहीं आतीं। अध्यक्ष महोदय, आप यह कह सकते हैं कि मोटिव्स इम्प्यूट नहीं करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वोटेड इन्वाल्व्ड है, माननीय सदस्या कह रही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह फैक्ट्स आपके सामने रख रही हैं। हाई कोर्ट के जिस ऑफिसर के खिलाफ करप्शन के चार्जेज थे उसको प्रमोशन मिल गया, वह फैक्ट्स हाउस में रख रही हैं।

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट के जजेज और चीफ जस्टिस की जो तनख्वाह है वह चार्ज्ड है, वोटेड नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सी है ? हाई कोर्ट के जजेज का मैंने पहले ही निवेदन कर दिया । आज सिटी मजिस्ट्रेट कोई गड़बड़ी करता है तो क्या हम चर्चा नहीं कर सकते ? कोई चीफ जस्टिस गड़बड़ करता है तो हम चर्चा नहीं करेंगे, यह तो पहले कह दिया आर्टिकल 211 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज प्रोटेक्टेड हैं । आप यदि गहराई में जायेंगे तो उनकी जुडिशियल प्रोनाउंसमेन्ट्स और उनका जुडिशियल बिहेवियर प्रोटेक्टेड है बाकी की चीज प्रोटेक्टेड नहीं है । आप घबराओ मत, विधि मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर कोई जज चोरी कर ले तो हम उसके कण्डक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, कोई जज पैसा खा जाये या एक्सीडेंट कर दे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे ? तो हम उसको डिस्कस ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज हैं, उसको डिस्कस नहीं कर सकते । एक्सीडेंट बाहर हो जाता है, अगर कोई जज मिस बिहेव करता है तो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि वह डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं है । लेकिन ट्रांसफर पार्ट आफ ड्यूटी है, चीफ जस्टिस का काम है । वह जो भी ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा, उस पर चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कर सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके नेता महोदय कह रहे हैं कि मोटिव्ज इम्प्यूट नहीं कर सकते लेकिन आप कह रहे हैं कि कर सकते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मोटिव्ज इम्प्यूट नहीं कर सकते लेकिन मैलाफाइड है तो डिस्कस कैसे नहीं करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप दोनों पहले सलाह कर लो । दोनों की अलग अलग राय है ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का ट्रांसफर किया गया था उनको वापस किस आधार पर लगाया गया, मैं इस पर जिक्र नहीं करूंगी ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, पहले आप इस पर व्यवस्था दें फिर कुछ कहा जाये ।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं सरकार से पूछना चाहती हूं, यह आरोप किस आधार पर लगाया गया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या ।

श्री भंवर लाल शर्मा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय देंगे आप नहीं । वह "in the discharge of his duties" **नहीं है ।**

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : It is part of his duties.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं । हाई कोर्ट के अन्दर जजेज के ट्रांसफर की यहां पर चर्चा चला दी है, गुटबाजी जजेज में पैदा करें यह हमारा काम नहीं है । विपक्ष के नेता

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
महोदय इसका अन्त नहीं है अगर इस पर चर्चा चलायेंगे तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे यूनियन में झगड़ा हो रहा है वैसे ही जजों की जो यूनियन है उसमें झगड़ा हो रहा है। एक जज एक यूनियन का और दूसरा जज दूसरी यूनियन का चेयरमैन है। एक जज प्रशासनिक निर्णय देता है और दूसरी यूनियन का जज आ जाय तो वह उसको चेंज कर देता है। आखिर आपको जुडिशियरी को कहीं न कहीं डिस्कस करना पड़ेगा। हमारे फण्डामेंटल राइट्स का प्रश्न आता है तो जुडिशियरी पर ही हम निर्भर रहना चाहते हैं। यदि जुडिशियरी की यह हालत हो तो हमारी हालत क्या होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन ऑफिसर्स के खिलाफ करप्शन के चार्जेज हैं उनको अगर कहीं भी प्रोटेक्शन मिलता है तो वह और करप्शन के अन्दर इन्वाल्व हो जायेंगे, उनसे न्याय नहीं मिल सकेगा। आज मैं कह सकता हूं, आप कुछ भी कहें ××× आप इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते। मैं यह खुले आम कहता हूं कि ××× आप हमारा यहां गला घोटेंगे और माननीय सदस्य यह कहें कि बाहर बोलने से डिफेमेशन का सूट फाइल करेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं आप जिसके खिलाफ कहें, मेरी जानकारी है, मैं बोलता हूं आप डिफेमेशन का सूट उन जजेज से मेरे खिलाफ फाइल करवा दीजिये। इतना करप्शन फैल गया है; कहां बोलेंगे? इस सावरिन हाउस में यदि हम नहीं बोल सकते तो कहां जायेंगे? यहां एक फोरम है जिस फोरम के अन्दर हम जुडिशियरी पर चर्चा कर सकते हैं। आप, माननीय मंत्री, खुद जानते हैं.........

श्री अध्यक्ष : जुडिशियरी की आप चर्चा कर सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट के जजेज और चीफ जस्टिस को संविधान के आर्टिकल 211 के अन्दर प्रोटेक्शन मिला हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, मेरी एक बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : इसलिये इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, इस संबंध में मैं व्याख्या चाहता था विधि मंत्रीजी की ओर से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो खुद कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं हाउस को।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री) : यह आपकी गलत फहमी है।

श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क) : ××× वह गवर्नर आपका उस वक्त था। अब यह जरूरी है।

सुश्री पुष्पा जैन : अब कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पहले विधि मंत्री जी की राय आने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह रिकार्ड किया....

श्री अध्यक्ष : दोनों तरफ से बोले हैं वह रिकार्ड पर है।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो उन्होंने उनका नाम लिया है, जज पर आरोप लगाया है....

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर व्यवस्था दे दूंगा बाद में। पहले मुख्य प्रश्न यह है कि इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, इसमें क्या जो न्यायिक फैसले होते हैं वही आते हैं अथवा जो प्रशासनिक अधिकार हैं वह भी आते हैं ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो अर्ज कर रहा हूं, दफा 211....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ ली है, आप आगे पढ़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार नया लगता है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपकी समझ में आयेगा।

"No. discussion shall take place in the legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or High Court in the dischaige of his duties."

माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ड्यूटी क्या हैं, मैं उनका वर्णन कर देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 217 भी पढ़ लीजिये।

श्री अहमद बक्श सिंधी : हाई कोर्ट में जज जब फैसला करते हैं, बहस सुनते हैं तब वह कुछ मालूमात करने के लिये सवालात भी करते हैं, यह उनकी ड्यूटी में है, एक। दूसरा, किसी जज को हाई कोर्ट में नियुक्त करने के लिये रिकमंड करना, किसी डिस्ट्रिक्ट जज या सैशन जज, मुंसिफ जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नियुक्त करना, यह उनकी ड्यूटी में है। साथ-साथ यह भी उनकी ड्यूटी है कि वह एक जज को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें और दूसरे जज को एलीवेट कर दें, प्रमोशन दे दें, यह उनकी ड्यूटी में है। अगर हाउस में इनकी बाबत जिक्र किया जायेगा, चाहे वह आनरेबल गुप्ता जी हों या के. डी. शर्मा हों, क्या चीज है जिसको यहां पर डिस्कस करेंगे ? उन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया, उसकी नियुक्ति कर दी, या नहीं कर दिया, इस हाउस में 211 के तहत उनके कण्डक्ट की बाबत, ड्यूटी की बाबत सवाल नहीं उठाया जा सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधि मंत्रीजी ने व्याख्या की है उसे हमें दो हिसाब से देखना पड़ेगा। दो बातों को देखना पड़ेगा। एक तो जुडिशियल परफोर्मेंस है, दूसरे प्रशासनिक कार्य भी हैं उनके जिम्मे। तो प्रशासनिक कार्य के बारे में चर्चा करना एक अलग विषय होगा और जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट एण्ड एक्शन के बारे में चर्चा करना अलग विषय होगा। इस प्रकार अगर यहां डिस्कस नहीं किया जा सकता तो फिर तो उसके बारे में कहीं भी नहीं बोला जा सकता। जहां तक हमारे बोलने से जुडिशियल फंक्शनिंग में कोई डिस्टरबैंस या रुकावट आती है, उस पर कोई रिमार्क पास होता है, उसके लिये तो डिबार किया जा सकता है, लेकिन जो उनका डे टू डे फंक्शनिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की

(श्री भंवरलाल शर्मा)
जा सकती ? फर्क यह है कि एक सैशन जज के लिये एक बिल्डिंग चाहिये किराये पर और टेण्डर काल कर लिये कि हमें यह मकान किराये पर चाहिये और लोएस्ट टेण्डर वाले को नहीं देकर हाईएस्ट टेन्डर वाले को, अपने रिश्तेदार को किसी को .....

श्री अहमद बक्श सिंधी: यह उनका फंक्शन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह हाई कोर्ट के जजेज और सुप्रीम कोर्ट के जजेज की बात है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं हाई कोर्ट के जजेज की बात कर रहा हूं । दोनों में अन्तर है । एक तो प्रशासनिक कार्य है उनका । यह अन्तर तो स्पष्ट है । अब इस पर चर्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ? इस पर आपको निर्णय जरूर चाहिये कि प्रशासनिक मामलों पर बोला जा सकता है या नहीं । लेकिन दोनों इश्यूज को मिलाया नहीं जा सकता, दोनों इश्यू बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल एपरेन्ट हैं । राइटिंग ऑन दी वाल जैसे हैं यह तो । एक तो जुडिशियल प्रोनाउंन्समेंट और जुडिशियल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ....

श्री अध्यक्ष : In discharge of his duties इसमें अन्ततोगत्वा प्रश्न इस पर आकर टिकता है कि जजेज की ड्यूटीज केवल जुडिशियल फैसला देने तक ही सीमित मानी जायं या प्रशासनिक दायित्व उनका है वह भी इसमें आता है या नहीं ? प्रश्न यह है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह इसमें नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसा है कि...

श्री अहमद बक्श सिंधी : All is covered.

श्री अध्यक्ष : ...... कोई प्रिसिडेंस हो, कोई पूर्व के फैसले हों तो जुबानी राय माननीय सदस्यों को ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर दिया जाय । मैं आपको इसी सदन की प्रोसिडिंग्स बताऊंगा...

श्री भंवरलाल शर्मा : थोड़ा टाइम दे दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थोड़ा टाइम दे दें ।

श्री अध्यक्ष : इतने विधि मंत्रीजी तैयारी कर लें । अब स्वास्थ्य मंत्री जी को वक्तव्य देना था.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले इनका भाषण खतम हो जाये उसके बाद ।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जब तक आप व्यवस्था नहीं देंगे तब तक कोशिश यह की जायेगी कि उस प्रसंग को अवोइड करें ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : नहीं तो कोई डिस्टिंक्शन है कि एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज क्या हैं और जुडिशियल ड्यूटीज क्या हैं ? All duties are covered ।

श्री अध्यक्ष : इस पर कानून की व्याख्या कहीं न कहीं हुई होगी, न्यायालयों के निर्णय होंगे अथवा पार्लियामेंट और असेम्बलीज के अन्दर पूर्व में इस तरह के प्रश्न या इस तरह की समस्या आई होगी ।

(श्री अध्यक्ष)
कृपया उसका अध्ययन करके यदि थोड़े समय में मुझे बता सकें तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बाद में होगा फिर इनका भाषण ।

श्री अध्यक्ष : भाषण में यदि विषय उठाया जायेगा तो उस स्थिति में मैं माननीय सदस्या से निवेदन करूंगा कि वह उस विषय पर न बोलें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाह रहा था कि आर्टिकल 211 विपक्ष के नेता महोदय ने पढ़ा और हमारे विधि मंत्रीजी ने भी पढ़ा । बात यह आई कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन्स डिस्कशन में लाये जा सकते हैं या नहीं लाये जा सकते हैं । मैं सिर्फ एक ही पाइन्ट पर इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पार्ट एण्ड पार्शल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज नहीं होते, अध्यक्ष महोदय, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैपरेटली सलेक्ट करके नियुक्त नहीं किया जाता । One of the Judges of the High Court is edumbrated or nick-named as Administrative Judge besides the Chief Justice. और उसकी ड्यूटीज यही होती हैं, अध्यक्ष महोदय, to seek consent of the Chief Justice and then carry out those transfers etc. through the person of the Registrar of the High Court. और यह पूरा प्रोसेस नहीं होता, अध्यक्ष महोदय, तो then what else is judicial function or discharge of the judicial duties ?

श्री अध्यक्ष : जुडिशियल ड्यूटीज नहीं है वर्ड इसमें, वरना स्थिति स्पष्ट हो जाती । "In discharge of his duties" यह है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : Yes, discharge of duties, अध्यक्ष महोदय, After all what is the post of Administrative Judge is defined in the Judicial functions ? मैं आपको उसकी परिभाषा बताऊं, आप सैक्रेटरी महोदय से भले ही पूछ लें, "The Administrative Judge has certain functions to carry out and his functions are also not alone limited to transfers and postings. There are number of other things also, लेकिन ट्रांसफर्स एण्ड पोस्टिंग उनके दायरे में आता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर, यह आप का विषय नहीं है, सुरेन्द्रजी बहुत होशियार हैं ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो इसके बाबत मैंने मालूमात की है वह मैं सदन के सामने अर्ज कर दूं ··

(विराम)

इजाजत मांगी है मैंने । अध्ययन कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष हां । विधि मंत्रीजी ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मालूमात की उसके बिना पर मैं अर्ज करता हूं कि ऐसा कोई सवाल किसी विधान सभा में या इस विधान सभा में उठाया नहीं गया और न कोई हमारे सामने

(श्री ग्रहमद बक्श सिंधी)
मिसाल है इस किस्म की या कोई जजमेंट है। मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि यह ग्राटिकल 211 जो संविधान का है, इसमें कहीं भी डिस्टिक्शन नहीं किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज या जुडिशियल जो उनकी ड्यूटीज हैं वे क्या हैं, उनको ग्राप यहां सदन में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जुडिशियल ग्रौर एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ड्यूटीज हैं वो "इन दी डिस्चार्ज ग्रॉफ हिज ड्यूटीज" में कण्डक्ट को इस हाउस में डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो मेरी गुजारिश यह है माननीय सदन से कि जजों के कंडक्ट, चाहे वह ग्रापको पसन्द ग्रायें या नहीं ग्राये इसका सवाल नहीं है.........

सुश्री पुष्पा जैन : कण्डक्ट का सवाल नहीं है। सवाल इंसाफ का है।

श्री ग्रहमद बक्श सिंधी : ग्रापकी नजर में गलत हो सकते हैं ग्रौर सही भी हो सकते हैं लेकिन यह इस हाउस में डिस्कशन का मैटर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी जानकारी के लिये सदन को सूचना देना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि जजेज के कण्डक्ट के बारे में जजेज के परफार्मेंस के बारे में, विशेष तौर से...

श्री ग्रहमद बक्श सिंधी : कण्डक्ट के बारे में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एडमिनिस्ट्रेटिव परफार्मेंस ग्रौर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती.........

(व्यवधान)

......मेरी बात सुन लीजिये। ग्रापको तो जितना पढ़ाया है उतना ग्रापने बोल दिया है। फिर ग्राप दुवारा पूछने जाग्रोगे, मैं कह देता हूं ग्रापको।

श्री ग्रहमद बक्श सिंधी : इसके लिये शर्मिन्दा नहीं हूं। मैं ग्रापसे भी पूछ सकता हूं ग्रगर मुझे नहीं ग्राये तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत बढ़िया बात है। यह ग्रापका बड़प्पन है। जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस शैली ग्रौर जस्टिस हेगड़े, इनको जब सुपरसीड किया गया था उस समय पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह ग्रलग चीज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रलग क्या होता है। उस समय एक एक के कण्डक्ट के बारे में चर्चा की गयी कि इसको सुपरसीड इसलिये किया गया। जस्टिस रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया उस समय तीनों जजेज के बारे में पूरा एट लेन्थ डिस्कशन हुग्रा है। इतना ही नहीं, केशव भारती का जो इम्पार्टेन्ट केस है उस पर पूरे सदन में इस प्रकार की चर्चा हुई है...........

श्री ग्रध्यक्ष : वह तो जब निर्णीत हो जाता है उसके पश्चात् उस पर चर्चा हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निर्णीत हो जाय या निर्णयाधीन हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रध्यक्ष महोदय, यहां तो हम कोई केस ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : लेकिन कोई भी वाद है उसका हाई कोर्ट ग्रथवा सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो जाय उसके संबंध में चर्चा सदैव उठाई जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्या ने कोई केस का रेफरेंस नहीं दिया है। वह सारा पालियामेंट में डिस्कस हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसी कान्स्टीट्यूशन में इम्पीचमेंट का प्रोविजन है.........

श्री अहमद बक्श सिंधी : एडमिनिस्ट्रेटिव कण्डक्ट के बारे में आप बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, एडमिनिस्ट्रेटिव कण्डक्ट की चर्चा हो सकती है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय सदस्या को इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिये। माननीय सदस्या वकालत करती हैं.........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्या वकालत करती हैं इसलिये माननीय सदस्या को नाम लेकर वैसे ही हाउस में डिस्कशन नहीं करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन वकालत करता है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : पुष्पा जैन स्वयं वकालत करती हैं, उनके ऊपर इन्फ्लूएंस पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी तरह से नहीं पड़ता है..........

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह आपका गलत खयाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जजेज के कण्डक्ट के बारे में आज ही चर्चा नहीं हुई। एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे तारीख तो याद नहीं, सन् भी शायद मुश्किल से याद आ जाये। एक केशवसिंह का केस यू. पी. असेम्बली के अन्दर डिस्कस हुआ था। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के आरोप में केशवसिंह को सदन से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद केशवसिंह हाई कोर्ट में गये, हाई कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया। तो जिस वकील ने पैरवी की और हाई कोर्ट के जिस जज ने नोटिस इश्यू किये, उनके खिलाफ यू. पी. की विधान सभा में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन मूव हुआ और उनके खिलाफ वारन्ट इश्यू किये गये। उस समय की डिबेट्स आप निकाल कर देख लीजिये, मैंने आज के 6–7 दिन पहले डिबेट देखी है, किस तरह से जजेज की बातों की वहां चर्चा की गई है। ब्रीच आफ प्रिविलेज के कारण चर्चा हुई या डिमाण्ड के रूप में चर्चा हुई लेकिन सारी चर्चा जजेज के विषय में हुई थी। आखिर वह मामला प्रैसीडेंट के रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां डिसीजन हुआ। अध्यक्ष महोदय, जजेज के कण्डक्ट के बारे में मैं मान सकता हूं, यदि उनको हम लैजिस्लेचर के थ्रू या इस फोरम के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो अनुचित होगा। लेकिन कोई प्रमोशन गलत कर दिया जाय, अपाइंटमेंट गलत कर दिया जाय और करप्ट ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन दिया जाय, मैं समझता हूं, हमारे कॉन्स्टीट्यूशन बनाने वाले इस तरह के नहीं हो सकते कि उन्होंने इसके लिये इस तरह का कोई प्रोविजन न रखा हो और जुडिशियरी को पूरी छूट दे दी हो। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर के लिये भी है, उनके बारे में इस सदन के अन्दर चर्चा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुई है। गवर्नर के कण्डक्ट के बारे में चर्चा नहीं थी लेकिन मुझे याद है गवर्नर हाउस में खर्चा ज्यादा हुआ उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया। इसी सदन में चर्चा हुई। खर्चे के संबंध में मुख्य मंत्रीजी भी बोले। माननीय सदस्यों ने खर्चे के संबंध में प्रश्न उठाया, उन्होंने यह बात कही कि अमुक प्रकार का खर्चा गवर्नर हाउस में नहीं होना चाहिये। तो गवर्नर खुद का एक्शन, गवर्नर खुद की पर्सनलिटी, so far as the functions of the Governor are concerned they are protected one लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज गवर्नर अनाप शनाप खर्चा करें जगह वहां पर खाली पड़ी रहे और भरे नहीं, जुडिशियरी के अन्दर जजेज की जगह खाली रहे, इस विधान सभा में हम बोल नहीं सकते? आप कह दें, यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जजेज की वेकेन्सीज फिल अप की जायें। वे फिल अप नहीं कर रहे हैं तो क्या हम बोल नहीं सकते? यह हम नहीं कह सकते कि अमुक कारण से जजेज की खाली जगह भरने की उनकी नीयत नहीं है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसका दायरा बड़ा व्यापक है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को लेकर सदन की जबान बन्द कर दी तो इस डिमाण्ड को हाउस में रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर कौन सा विषय है जिस पर हम इस सदन में चर्चा कर सकते हैं? माननीय विधि मन्त्री जी, आपने सब कुछ बता दिया, यह भी बता दीजिये कि इस डिमाण्ड पर कौन सी बात इस हाउस में रख सकते हैं। वही बात हम बतायेंगे।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताइये, क्या बात कह सकते हैं?

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप सुनिये। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट का जज बहुत सोच समझकर, किसी जज का एन्टीसिडेंट, उसकी इनकम, उसका प्रिवियस रिकार्ड देखकर बनाया जाता है। इसकी प्रक्रिया है पूरी, वह आप जानते हैं। ऐसे जो न्याय मन्दिर हैं, सबसे ऊंची अदालत हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके जजों के कण्डक्ट और ड्यूटीज के बाबत में यहां पर अगर चर्चा की गई तो मैं समझता हूं कि उनकी सैंक्टिटी कायम नहीं रह सकेगी। जगह खाली है उसको भरवाना चाहें, उस पर यहां आप चर्चा कर सकते हैं आराम से। यह उसकी ड्यूटीज का फंक्शन है, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं है। जजेज की जगह खाली है, आप कह सकते हैं कि उनको भरना चाहिये। हम भी कहते, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजेज की जो जगह खाली हैं वह खाली जगह जल्दी भरी जानी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :........विधि मंत्री जी, एक बात बताइये।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप सुनते रहिये मेरी पूरी बात को। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट जज या मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के मुतालिक भ्रष्टाचार का या और कोई आरोप है तो उसके लिये एक व्यवस्था हमने कर रखी है, रजिस्ट्रार सतर्कता को हमने नियुक्त किया है। वह भ्रष्टाचार के मामलों की इन्क्वायरी करता है और इन्क्वायरी करने के बाद चीफ जस्टिस को रिपोर्ट देता है कि यह आदमी ऐसा है या यह आदमी इस तरह

(श्री अहमद बक्श सिंधी)
का है या नहीं है । फिर चीफ जस्टिस एक्शन लेते हैं······

एक माननीय सदस्य × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । एक्सपंज ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : इसके अलावा जो चर्चा उनकी ड्यूटी के बारे में, कण्डक्ट के बारे में है··········

(व्यवधान)

समझ गया आपका मतलब । अगर उसके बारे में यहां पर डिस्कस करने की इजाजत दे दी गई तो फिर वहां न्याय करने में बुरा असर पड़ेगा । इसलिये मैं कहता हूं कि आर्टिकल 211 की सही स्पिरिट (Spirit) को सामने रखते हुए इन मामलों पर चर्चा न की जाये तो अच्छा होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया·····

श्री अध्यक्ष : मैं दे रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके क्लेरीफिकेशन के लिये थोड़ा और बता दूं। आपने यह कहा था कि सारी जुडिशियरी का अमाउंट चार्ज्ड है·········

श्री अध्यक्ष : सारा किसने कहा ? हाई कोर्ट के जजेज का जो खर्चा है वह चार्ज्ड है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सैशन जजेज के बारे में चर्चा कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : हां, कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनके कंडक्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो खुलासा हो गया, अध्यक्ष महोदय । अब प्रश्न इतना सा है हाई कोर्ट के जजेज यदि कानून का और जगह उल्लंघन करें, जुडिशियरी में नहीं, अध्यक्ष महोदय, और कहीं कानून का उल्लंघन करें··········

श्री अध्यक्ष : वर्ड जुडिशियल नहीं है डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी··········

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Conduct of a Judge······

श्री अध्यक्ष : Conduct of a Judge in the discharge of his duties.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, जज अनधिकृत रूप से किसी जमीन पर कब्जा कर ले तो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह उसका व्यक्तिगत प्रश्न है । वहां जज बैठकर फैसला थोड़ा ही करता है । एज ए जज जो कार्य करें, मेरी व्यवस्था यह है कि कंडक्ट ऑफ जज में केवल उसके न्यायिक निर्णय ही नहीं आते हैं बल्कि जज के साथ जुड़े हुए जितने अधिकार और उत्तरदायित्व हैं वे सब आते हैं, उन पर चर्चा नहीं हो सकती । यह जो प्रोटेक्शन है वह केवल हाई कोर्ट के जजेज

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

को है। उदाहरण के लिये किसी मन्दिर में कोई पुजारी है, उसके लिये वहां मांस या किसी तरह की कोई नशीली वस्तु का प्रयोग करना ठीक नहीं है, आप केवल उसको पूजा पाठ तक सीमित रखें और साथ में कह दें कि यह रात को शराब पीता है और यह करता है, वह करता है तो यह उसका व्यक्तिगत चरित्र होगा। हाई कोर्ट के जजों के व्यक्तिगत चरित्र, जिसमें आलोचना का विषय होता हो, के मुद्दे हाउस में नहीं आयेंगे। लेकिन यह अवश्य है इसमें कोई रेखा खींचना बड़ा कठिन काम है, इस बात को मैं समझता हूं। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके संबंध में, न्याय व्यवस्था के संबंध में, मैं समझता हूं, यहां पर विचार कर सकते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि हाई कोर्ट जजेज के जो कार्यकलाप हैं उन पर तो संसद के अन्दर किसी प्रस्ताव के द्वारा ही चर्चा की जा सकती है लेकिन न्याय व्यवस्था कैसी है और क्या है नीचे की अदालतों में, उसके बारे में खुलकर चर्चा कर सकते हैं। इस बात का कृपया ध्यान रखें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय,......

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक पाइंट......

श्री अध्यक्ष : इसमें मैंने अर्ज कर दिया। मैंने कह दिया, यह बहुत बड़ा कठिन कार्य है क्योंकि काम उसमें कर रहे हैं जो सबोर्डिनेट-जुडिशियरी है उस पर तो चर्चा कर सकते हैं लेकिन कुछ मायने में उनके ऊपर हाई कोर्ट के जजेज का नियंत्रण है। तो यह नहीं होगा कि इसमें कोई एक लक्ष्मण रेखा खींची जाये कि इसके बियोण्ड नहीं जा सकते। इतना स्ट्रिक्ट इन्टरप्रिटेशन नहीं हो सकता। मैंने यह कह दिया कि फंक्शन ऑफ ए जज के अन्दर जुडिशियल और नॉन जुडिशियल जो उसके ओहदे के साथ जुड़े हुए कर्त्तव्य हैं वह सब भी उसमें आ जाते हैं इसलिए सीधी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री माणकमल मेहता : अध्यक्ष महोदय, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में भी कुछ फंक्शन होता है।

श्री अध्यक्ष : एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों मैटर्स जो हाई कोर्ट के जज के द्वारा किये जाते हैं एज ए जज, उसके लिये वे प्रोटेक्टेड हैं यहां पर।

मांग संख्या 6 पर वाद-विवाद

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जुडिशियरी और जुडिशियल ऑफिसर्स......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 17-1-82 को उदयपुर में जो वाकया जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा किया गया, मैं उसका जिक्र करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के लिये बहुत बड़ी कलंक की बात हुई है। जो कन्डक्ट एक जुडिशियल ऑफिसर ने 17-1-82 को उदयपुर में किया है उसको सुनकर आपके रौंगटे खड़े हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं, सरकार ने उस मुतल्लिक अब तक क्या कार्यवाही की? अध्यक्ष महोदय, 17-1-82 को लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर में मिस सुसान जेवुकी ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, एक प्रश्न करना चाहूंगा आपसे। यह मानहानि

(श्री अध्यक्ष)

करने का मसला है, क्या आपने इसमें कटौती प्रस्ताव देने का कष्ट किया है ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और मैं जब न्याय प्रशासन की डिमांड पर बोल रही हूं, अगर सरकार को……

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

मैं निवेदन कर दूं। ऐसा है कि यदि कोई माननीय सदस्य अपमानजनक, मानहानिकारक अथवा अन्य तरीके के कोई कार्यकलाप पर चर्चा करें तो उनके बारे में अपने नियमों में प्रावधान है कि बिना पूर्व सूचना के चर्चा में नहीं उठाये जा सकते हैं। इसलिये मेरा माननीय सदस्या से निवेदन है कि इस घटना विशेष के बारे में अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से अथवा कोई विशेष सूचना के तौर पर आपने पहले कहा है क्या ? हमें सूचित किया है क्या ?

(विराम)

तो फिर इसका जवाब तत्काल आ नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में, माननीय सदस्या, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न की अगर कोई पूर्व में सूचना नहीं दी है तो नहीं उठायें। ठीक है, आपके पास सहूलियत है, उसके तथ्य हैं……

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : मैं नाम नहीं लूंगी।

श्री अध्यक्ष : नाम का प्रश्न नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जो घटना हुई है……

श्री माणकमल मेहता : नाम तो आ गया।

श्री अध्यक्ष : स्थिति बिलकुल स्पष्ट है इस संबंध में नाम लेना, नहीं लेना……

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आज जुडिशियरी में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, सुझाव नहीं दे सकती, हालात नहीं बता सकती तो फिर बोलने का फायदा ही क्या है। ऐसे ही डिमांड पास कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कई त्रुटियां हैं, कई कमियां हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, त्रुटियां नहीं हैं सारी की सारी जुडिशियरी करप्ट बनी बैठी हुई है राजस्थान में……।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय आप खुद फरमा दीजिये ……।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वे नियम मेरे देखे हुए हैं लेकिन जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, आपने कट मोशन के साथ इस चीज को सीमित करने की कोशिश की है और आपकी व्यवस्था उस समय तक ठीक है………

श्री अध्यक्ष : नियमों के अनुसार तो ठीक है न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं, लेकिन अब तक की परम्परा क्या रही है ? कट मोशन कुछ सदस्य देते हैं लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ सदस्य किसी एक विषय पर तैयारी करके बोलते हैं । मैं समझता हूं, अब तक जो व्यवस्था चल रही है, नियम के अनुसार तो आप जो कह रहे हैं वह ठीक है लेकिन जिस तरह की परम्परायें पड़ गई हैं उन परम्पराओं की नियमों से कम मान्यता नहीं है । उन परम्पराओं के अनुसार माननीय सदस्या कटौती प्रस्ताव दें या नहीं दें, सारे जुडिशियल सिस्टम पर जब चर्चा कर रही हैं तो एक–दो उदाहरण देने पड़ते हैं कि किस प्रकार का यह सिस्टम चल रहा है और उसमें कहां इरोजन हुआ है, किस जगह इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इन बातों का तो उल्लेख होगा । जिस घटना का जिक्र कर रही हैं वह तो समाचार पत्रों में इतनी प्रकाशित हुई है, जो विधि मंत्रीजी हैं वे तो इतने सतर्क हैं कि उसको इशारे में समझ गये होंगे । जवाब उनकी जुबान पर है और कागज उनके पास हैं इसलिये इनको तो कोई समस्या ही नहीं है ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय से कि उदयपुर में सुसान जेबुकी अपने दोस्त पीटर के साथ आई थी, लक्ष्मी विलास पैलेस होटल में रुकी थी । माननीय जे. डी. जे. ×××ने उनके साथ······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब नाम नहीं लें, माननीया सदस्या ।

सुश्री पुष्पा जैन : ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी । I am sorry अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : नाम एक्सपंज किया जाय ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, वहां के जुडिशियल ऑफिसर लक्ष्मी विलास पैलेस में गये । उन्होंने उस औरत को कहा कि मैं पामिस्ट्री जानता हूं, मैं बता सकता हूं आपकी जिन्दगी के बारे में कि आपका क्या भविष्य है । लड़की ने कहा, आप बताइये क्या है । उन्होंने कहा यहां नहीं, मैं अकेले में बताऊंगा । उसे वे एक कमरे में अलग ले गये । उसके साथ जिस तरह का सलूक किया, जिस तरह से उसका चरित्र हनन किया, अध्यक्ष महोदय, हमारे लिये ही शर्म की बात नहीं है बल्कि हमारे देश के लिये शर्म की बात है । अध्यक्ष महोदय, पूरे तथ्यों को रखने की आपने मुझे परमिशन नहीं दी है । मेरे पास सुसान जेबुकी का वह पत्र है जो उन्होंने वहां की महिला समिति को भेजा है । उसकी फोटोस्टेट कॉपी, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को देना चाहूंगी और मांग करूंगी सरकार से कि आपने जस्टिस कुदाल को इसकी इन्क्वायरी के लिये लगाया था, जस्टिस कुदाल रिटायर हो गये उसके बाद क्या हुआ उस केस का ? अगर इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार विचार नहीं करेगी, सरकार सतर्क नहीं रहेगी तो क्या हालात होंगे इस देश के ? जिस कुर्सी पर बैठकर न्याय दिया जाता है, रक्षक ही अगर भक्षक हो जायेगा तो फिर न्याय की फरियाद किससे की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान हाई कोर्ट में कुछ वकील प्रेक्टिस कर रहे हैं मैं

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(सुश्री पुष्पा जैन)

उनका नाम लेना चाहूंगी कि वे एडवोकेट कौन हैं और उनके पिता कौन हैं। श्री रविकुमार शर्मा एडवोकेट हैं और उनके पिता कौन हैं, किस जगह पर तैनात है, किस तरह उनके द्वारा पद का दुरुपयोग किया जा रहा है इससे यह सदन ही नहीं, सारा जयपुर अवगत है। सदन अवगत है, सरकार अवगत है। इस मुतल्लिक राजस्थान बार ने कई बार आवेदन दिये, चीफ मिनिस्टर को दिये, लॉ मिनिस्टर को दिये, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को दिये। अध्यक्ष महोदय, उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह मोरल है हमारे जजेज का, यह कण्डक्ट है हमारे जजेज का, तो फिर किससे न्याय की फरियाद करेंगे ? श्री रवि कुमार शर्मा एडवोकेट, श्री के. एन. श्रीमाल एडवोकेट, श्री आर. एन. लोढ़ा एडवोकेट, मैं पूछना चाहती हूं राज्य सरकार से, क्या मोरल है इनका ? ये एडवोकेट हैं और इनके पिता किस पद पर हैं ? वे उस पद पर हैं जहां से वे स्वयं न्याय देते हैं। उनके द्वारा अपने पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जो एडवोकेट हैं, इन्होंने अपने ठेकेदार रख रखे हैं। कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर कानून चल रहा है, ठेकेदार वकालत करते हैं। उन्हें मालूम है कि फलां जज का लड़का है,

(4.06 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

इसका दोस्त है, इसके मार्फत क्लाइन्ट केस देगा तो वह सफल हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सारे वकीलों को मालूम है कि आज गिने-चुने हुए वकील हैं जो हमारे केस की पैरवी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे केस को जिताकर ला सकते हैं। इस तरह का मोरल हो उसके बारे में अगर हम यहां विवेचन नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे तो सरकार आगाह कैसे होगी।

अध्यक्ष महोदय, रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत Election petition must be decided within six months अध्यक्ष महोदय, एम. एल. एज. के चुनाव हुए, अगस्त 80 में..........

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, जजेज को वकील ही नहीं बिगाड़ते हैं महिला वकील का भी बिगाड़ने में हाथ रहता है..........

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : मि. व्यास उधर बैठे हुए हैं, आपने ठीक फरमाया........

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : तुक तो है नहीं, वैसे बोलने के अख्तियार हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : आपकी दया पर निर्भर नहीं हूं। आप मुझ पर कोई रहमो-करम मत कीजिये। आपको अगर जुडिशियरी को सुधारना हो, न्याय प्रशासन सही करना हो तो आप सुनिये वरना बाहर जाइये और पान खाइये।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपने कहा है कि मेरा कट मोशन दिया हुआ है वह गलत है, सही नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे चेयर ने इजाजत दी है इसलिये बोल रही हूं। अगर चेयर

(सुश्री पुष्पा जैन)
कहेगी बैठ जावो तो मैं बैठ भी जाऊंगी लेकिन आपके कहने से नहीं .... ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : नहीं, आप फरमायें ।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे फरमाना ही नहीं है, आप गौर कीजिये । सभापति महोदय, मैं जुडिशियरी का........

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप आसन को संबोधित करके बोलती रहें ।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैं जुडिशियरी के बारे में जिक्र कर रही थी उस पर माननीय मंत्री महोदय ने ऐतराज किया । मैं केवल इनको आगाह करना चाहती हूं । मेरा मकसद यह नहीं है कि किसी की इनसल्ट करूं या व्यक्तिगत किसी पर आरोप लगाऊं । मेरा मकसद यह है कि राजस्थान की जुडिशियरी में जिस प्रकार की चरित्रहीनता पैदा हो गयी है, करप्शन पैदा हो गया है अगर राजस्थान सरकार ने समय रहते उसको नहीं रोका तो हमारी इमेज खराब हो जायेगी । देश-विदेश में हमारी इमेज है । राजस्थान में कोई विदेशी युवती आये और उसके साथ इस तरह का सलूक हो तो विदेशों में लोग क्या कहेंगे ? यह हमारे मुंह पर तमाचा है । अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले मिस्टर भोजक की कोर्ट का जिक्र किया था । मैं कह रही थी कि 3-3-83 को जो घटना हुई है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उस घटना से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि 3-3-1983 को जो घटना हुई, मजिस्ट्रेट ने बहस सुनने से पहले फैसला लिख दिया और यह सबित हो गया, कई एडवोकेट्स के द्वारा रंगे हाथों मजिस्ट्रेट पकड़े भी गये, उनकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट जज को की गई, सभापति महोदय, डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या रिपोर्ट दी ? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, दूसरे ही दिन उसी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर्स की मीटिंग हुई । उनकी यह हिम्मत कैसे हो गयी, उन्होंने यह हिमाकत कैसे कर ली ? उन्होंने मीटिंग करके पूरी बार को कण्डेम किया । उन्होंने कहा कि बार के मैम्बर्स को ऐसा सलूक नहीं करना चाहिये, जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिये । हमारे साथ अत्याचार हो, इन्साफ की तराजू पैसों की झंकार से खरीद ली जाय और हम देखते हुए मक्खी निगल जायें । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चहती हूं, उस मजिस्ट्रेट का अपना कन्डक्ट क्या है । ग्यारसीलाल ठेकेदार, यह सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि कैसे चरित्र का व्यक्ति है । उसके घर में बिना किराया दिये वह मजिस्ट्रेट रहते हैं, लम्बे समय से रहते हैं । उनकी अपनी शानदार कोठी तैयार हो गयी है, उसको उन्होंने किराये पर दे रखा है और कोई पैसा दिये बिना ग्यारसी लाल ठेकेदार के यहां रहते हैं, ×××हाई कोर्ट बार ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार ने इसकी शिकायत की । उस शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई किसकी हुई ? ××× चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सुनवाई हुई । सुनवाई यह हुई

××× अभिव्यक्ति/नाम/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(सुश्री पुष्पा जैन)
कि उनका प्रमोशन करके उन्हें ए. डी. जे. बनाया गया ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, समाप्त कीजिये ।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैं इसलिये आगाह कर रही हूं कि यदि समय रहते सरकार सजग नहीं हुई तो जो यह दूसरे मजिस्ट्रेट पर, जुडिशियल ऑफिसर्स पर बार ने इल्जाम लगाये हैं, उनका भी बहुत ही शीघ्र प्रमोशन होने वाला है । ××× जो सी.जे.एम. थे, को आपने ए.डी. जे. बना दिया । ××× जो ए. डी. जे. हैं, को बहुत जल्दी डी. जे. बनाया जाने वाला है । अध्यक्ष महोदय, ××× जो ए. डी. जे. हैं, उनको डी. जे. बनाया जाने वाला है । ××× जो ए. डी. जे. हैं, को डी. जे. बनाया जाने वाला है । ××× ए. डी. जे. हैं ××× मैं माननीय सदस्य मिस्टर व्यास, जो सारी जानकारी रखते हैं, से बार के मैम्बर्स इस मुतल्लिक कई बार मिल चुके हैं । इसके बावजूद वे सरकार को आगाह नहीं कर रहे हैं, सतर्क नहीं कर रहे हैं तो, जिम्मेदारी सरकार की है, हम लोगों की नहीं ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सुरेन्द्र व्यास तो नहीं कह रही हैं ।

सुश्री पुष्पा जैन : जी ?

श्री यदुनाथ सिंह : कौनसे व्यास की बात कर रही हैं ?

सुश्री पुष्पा जैन : सुरेन्द्रजी की । ग्यारसीलाल ठेकेदार को भी अच्छी तरह से जानते हैं ।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : यह ग्यारसीलाल ठेकेदार कौन है ?

सुश्री पुष्पा जैन : वनस्थली मार्ग पर रहते हैं और पी. डब्ल्यू. डी. के ठेकेदार हैं ।

श्री शिवराम शर्मा : 1977 में जनता पार्टी का टिकट मांगा था, वही तो नहीं हैं ?

सुश्री पुष्पा जैन : पता नहीं उन्होंने कांग्रेस से मांगा या जनता पार्टी से मांगा, यह तो आप अपने पार्टी ऑफिस में फोन करके मालूम कीजिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : टिकट तो कई मांगते हैं ।

श्री शिवराम शर्मा : रोज 5-5, 7-7 आदमी उसके घर ही रहते थे....

सुश्री पुष्पा जैन : रहते थे । और आप उसको बहुत मानते हैं न, तो वही मैं कह रही हूं । जो बात आप कह रहे हैं, उसी बात को मैं कह रही हूं, माननीय सदस्य ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशु पालन) : आपका ही बिगाड़ा हुआ है ।

सुश्री पुष्पा जैन : हो सकता है लेकिन आप ही सुधारिये । हम कुएं में गिरें तो आप क्यों गिर रहे हैं ।

×××नाम/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय, जजेज भी गलती कर सकते हैं, वह भी इन्सान हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : आप तो सर्जरी कीजिये जाकर। यह कोर्ट का मामला है। सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी किये, इनकी प्रधान-मंत्री स्वयं ने कहा कि जिन अधिकारियों की आयु 55 वर्ष हो चुकी है, उनकी सेवाओं को अनावश्यक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाय। मैं जिक्र कर रही थी, हाई कोर्ट्स के जजेज के अपाइंटमेंट्स का। आपने स्वयं स्वीकार किया है, हाई कोर्ट्स में रिक्त स्थान पड़े हुए हैं क्योंकि लायक व्यक्ति नहीं मिलते। सभापति महोदय, इनको व्यक्ति भी वह मिलते हैं जो रिटायर होने जा रहे हैं। उनको एक-एक महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। एक्सटेंशन किसलिये दिया जा रहा है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्या, यह बात कह चुकी हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : हां, कह चुकी हूं। मैं उसमें नई बात बताना चाहती हूं। सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहती हूं, हैण्ड पम्प्स का घोटाला कांड। कौन व्यक्ति उसके लिये जिम्मेदार है ? जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है और इन्होंने सस्पेन्ड किया एक गरीब एल. डी. सी. को। उस एल. डी. सी. का क्या कसूर था, उस बेचारे ने तो सिर्फ फाइल ही सबमिट की थी। जिसने फाइल सबमिट की उसको सस्पेन्ड कर दिया गया लेकिन जिनका हाथ है, जिन्होंने साइन किये, जिन्होंने गलत तरीके से, अनधिकृत रूप से साजिश की, उनको एक्सटेंशन दिया गया। अब उनको बहुत जल्दी हाई कोर्ट जज अपा-इन्ट करने की तैयारी की जा रही है....

श्री सभापति : इस बात का आपको क्या पता ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मालूम है सब।

एक माननीय सदस्य : फाइल कैसे चल रही है।

श्री सभापति : अब आप कृपया समाप्त करिये, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन: सभापति महोदय, एडवोकेट्स ने एक एडवोकेट्स वैलफेयर फण्ड के लिये सरकार को आवेदन कर रखा है। मेरी समझ में नहीं आता कि एडवोकेट की इतनी जेनुइन डिमांड है उस डिमांड में आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, कोई टका खर्च नहीं हो रहा; एडवोकेट का उससे वैलफेयर होगा, आप उसको मंजूर क्यों नहीं करते ? आप उस फाइल को दबाकर क्यों बैठे हैं ? सभापति महोदय, आज एडवोकेट्स को बैठने के लिये चैम्बर्स नहीं हैं। वे मक्खी मच्छर की तरह से बैठे हुए हैं। कोई मूढ़े पर बैठा है, कोई जाजम बिछाकर बैठा है, कोई दरी बिछाकर बैठा है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय विधि मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि अगर आप अच्छा न्याय-प्रशासन करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था करना भी जरूरी है। आप चैम्बर्स की व्यवस्था कीजिये एडवोकेट्स के लिये। उन्होंने जो एडवोकेट्स वैलफेयर फण्ड एक्ट आपको सबमिट कर रखा है, आप उसको स्वीकृति दीजिये। लम्बे अर्से से हम सुन रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन जज की जो कोर्ट बिल्डिंग हैं, वह हाई कोर्ट बिल्डिंग

(सुश्री पुष्पा जैन)
के पास बन जायेगी ताकि क्लाइंट्स को सुविधा हो सके, न्याय सस्ता अच्छा और सुलभ हो सके। मंत्री महोदय बतायेंगे, कब उस कोर्ट को हाई कोर्ट की बिल्डिंग के पास शिफ्ट कर रहे हैं। सभापति महोदय, जुडिशियल ऑफिसर्स की तनख्वाह बहुत कम है, चाहे हाई कोर्ट जजेज हों, चाहे दूसरे जजेज हों। हम जिनसे न्याय की आशा करते हैं, हमारा यह भी पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स भी देखें अगर उनकी तनख्वाह दूसरे ऑफिसर्स, दूसरी सर्विसेज के मुकाबले कम होगी तो निश्चित रूप से वे न्याय नहीं दे सकेंगे। लिहाजा मैं आपसे यह दरख्वास्त करती हूं कि आप जुडिशियल ऑफिसरों की तनख्वाह के बारे में गम्भीरता से सोचें।

श्री सभापति : अब कृपया समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं कह रही हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : अन्य बहुत सदस्य बोलने वाले हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैं इलेक्शन पिटीशन्स के बारे में कह रही हूं। बहुत दिन से इलेक्शन पिटीशन्स अनिर्णीत पड़ी हुई हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि कुछ इलेक्शन पिटीशन्स माननीय चीफ जस्टिसजी के पास निर्णयाधीन हैं और कुछ दूसरों के पास हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आज की तारीख है एक इलेक्शन पिटीशन पर, लेकिन ×××

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय सभापति जी, यह बात आप सदन में नहीं उठा सकती। इसका जजों के कण्डक्ट से ताल्लुक है।

सुश्री पुष्पा जैन : चलिये। मैं कहना चाहूंगी कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं, वह बहुत गम्भीर हैं आप भी उनसे निश्चित रूप से सहमत होंगे। इन गम्भीर मुद्दों पर यदि समय रहते आप नहीं चेते, आपने मनन नहीं किया, इन कमियों को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया तो निश्चित रूप से राजस्थान में न्यायालयों पर से आस्था उठ जायेगी। इन्साफ के मन्दिर हैं ये, भगवान का घर हैं, ये। तो यह इन्साफ का मन्दिर, इन्साफ का मन्दिर नहीं रहेगा, पैसों की झंकार से इसे खरीद लिया जायेगा तो यह भगवान का मन्दिर नहीं रहेगा, राजनैतिक अखाड़ा बन जायेगा।

अन्त में मैं आपको कहना चाहती हूं कि न्याय प्रशासन को यदि स्वच्छ रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि सब गलियों से निराश व्यक्ति उस गली में जाय जिसे न्याय की गली कहते हैं और वहां से न्याय हासिल करे तो निश्चित रूप से आप इन सारी बातों से सहमत होकर इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे।

श्री सभापति : श्री सुजानसिंह !

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइंट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री सभापति : पाइंट ऑफ ऑर्डर।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तीन बजे यह निश्चित हुआ था कि सोलंकिया-तलां गांव में जो मौतें हुई हैं, उसके बारे में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे । मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय सदस्या का भाषण समाप्त हो गया है इसलिये माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय वक्तव्य दे दें, उस पर साढ़े चार तो बज गये हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह तो व्यवस्था उन्होंने रिजर्व रखी थी, व्यवस्था बाद में देंगे । उन्होंने कहा था कि व्यवस्था बाद में देंगे, इसलिये अब तो जब डिबेट खतम होगी तब देंगे वक्तव्य ।

श्री महादेवसिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से.........

श्री सभापति : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है । क्या व्यवस्था थी ?

एक माननीय सदस्य : हो गये सब पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था रिजर्व रखी थी । कितने बजे स्टेटमेंट दिलायेंगे, क्या दिलायेंगे शायद कुछ कक्ष में..........

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है, आज का जो हमको कार्यक्रम मिला है, उसके अनुसार साढ़े चार बजे तक हम बोल सकते हैं, उसके बाद में नहीं बोल सकेंगे । जो मांग है, उस मांग पर प्रथम वक्ता के.........

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने उस पर व्यवस्था दी थी कि अगर जरूरत हुई तो मुखबन्द का समय बदल दिया जायेगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जरूरत हो रही है, यही मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जरूरत है क्योंकि अभी......

श्री सभापति : आप समय आने तो दीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी आ जाता है 4.20 का टाइम था । It is already 4.20.

श्री महादेव सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं विधि मंत्रीजी को एक बात बताना चाहता हूं.........

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह फरमाया है कि पौने छः बजे तक के लिये आप टाइम बढ़ा दीजिये । वैसे तो जब तक गुलोटिन करके मांगें पास करवायें तब तक का टाइम है लेकिन पौने छः बजे गुलोटिन होगा । उन्होंने कहा है कि अभी स्टेटमेंट दे दें । अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्टेटमेंट देने को तैयार हूं ।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : पहले तो मुखबन्द के लिये प्रस्ताव कीजिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें प्रस्ताव की आवश्यकता होती है क्या ?

श्री सभापति : समय बढ़ाने के लिये अनुमति चाहिये । सदन की अनुमति से मुखबन्द का समय पौने छः बजे तक......

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : पौने छः बजे गुलोटिन हो जायेगा, उसके बाद में मांगें पारित की जावेंगी । मांगें पारित होवें तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से मुखबन्द का समय पौने छः बजे तक के लिये और सदन का समय मांगें पारित हों तब तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्री महादेवसिंह : पाइंट ऑफ ऑर्डर ।

श्री सभापति : अब आप वक्तव्य दे दें ।

शासकीय वक्तव्य

शेरगढ़ तहसील के ग्राम सोलंकियातलां में 200 लोगों की भूख से मृत्यु

श्री खेतसिंह राठौड़ : वक्तव्य में कोई ज्यादा गंभीर बात नहीं है । मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं, उसके बाद में, मेरा ख्याल है, क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : दो सौ लोग मर गये और आप कहते हैं कि गंभीरता ही नहीं है ।

श्री सभापति : आप कृपया सुनिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी सब पढ़ कर सुना देता हूं । यह सही है कि डेथ्स हुई हैं लेकिन जिस इंटेंशन से आपने पूछा है वह इंटेंशन सही नहीं है ।

दिनांक 10-3-83 को पटवारी, ग्राम सोलंकियातलां द्वारा सूचना दी गई कि उनके क्षेत्र में कुछ मृत्यु हुई हैं, जो बुखार खांसी के कारण हुई हैं । दिनांक 11-3-83 को दो चिकित्सा दल पहला डॉ. अरविन्द माथुर, लेक्चरर मैडिकल कॉलेज के नेतृत्व में तथा दूसरा डॉ. एस. सी. मोदी एवं डॉ. व्यास और सहायक चिकित्सा कार्यकर्त्ताओं के साथ पीड़ित क्षेत्रों में रोग की जानकारी एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भेजे गये । दलों ने वापस आने पर सूचित किया कि सरपंच ग्राम सोलंकियातलां, श्री नरपतसिंह द्वारा बताया गया कि गत 4-5 दिनों में वहां पर बुखार एवं खांसी आदि के रोगियों की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण मृत्यु हुई हैं । इस दल ने क्षेत्र के रोगियों का भी निरीक्षण किया तथा 50 से अधिक रोगियों की जांच की । उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो रोगी थे वे बुखार, खांसी एवं सांस की तकलीफ के थे । जिन रोगियों की जांच की गई उनमें से अत्यधिक ब्रोको निमोनिया से पीड़ित थे । उनमें से अत्यधिक ने कोई उपचार नहीं लिया था । दल ने खून व थूक की जांच भी की तथा रोगियों को उपचार दिया । वहां एक अस्थाई ऐड पोस्ट की स्थापना दिनांक 11-3-83 को सरपंच के घर में की तथा चिकित्सा अधिकारी प्रा. स्वा. के. सोमेसर तथा एक कम्पाउण्डर को वहां नियुक्त किया गया । चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय सेथरावा को भी रोगियों को देखने के लिये तथा पूर्व में हुई मृत्यु के कारणों की जांच का पता लगाने के निर्देश दिये । दिनांक 15-3-83 को जिलाधीश, जोधपुर एवं उप जिला विकास अधिकारी एवं अन्य स्टाफ क्षेत्र में सेवाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से गये । जिलाधीश, जोधपुर ने कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के लिये 10 क्विंटल गेंहू वितरित करने के आदेश दिये तथा पूर्व में चल रहे राहत कार्यों पर 250 अतिरिक्त

(श्री खेतसिंह राठौड़)

व्यक्तियों को रोजगार देने के निर्देश दिये गये ताकि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिल सके । दिनांक 15-3-83 को ही जयपुर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय से डॉ. विनोद कुमार अरोड़ा को भेजा गया जो उसी दिन वहां पहुंच गये और उनके साथ उप निदेशक खंड जोधपुर, डॉ.जी. एस. गहलोत एवं डॉ. छंगानी आदि भी गये । इस दल ने पूर्व में किये गये कार्य का अवलोकन किया तथा चिकित्सा सेवाओं को सशक्त बनाने संबंधी कार्यवाही की ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके ।

सेवाओं को और सशक्त बनाने के लिये दिनांक 16-3-83 को डॉ. आर. के. शर्मा तथा चार स्वास्थ्य सहायकों को वहां भेजा गया । इस दल ने वहां और परीक्षण कार्य तथा उपचार कार्य किया । दिनांक 17-3-1983 को अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर से जोधपुर भेजे गये । वहां पहुंच कर उन्होंने ग्रस्त क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें देने हेतु प्रधानाचार्य, मैडिकल कॉलेज, जोधपुर एवं प्रोफेसर आर. एन. सिंह एवं डॉ. बनर्जी से सम्पर्क स्थापित कर व्यवस्था की व स्वयं डॉ. आर. डी. शाह, प्रोफेसर इन मेडिसन, जोधपुर को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और जीवन रक्षक कीमती दवाइयां उस क्षेत्र के अन्दर लोगों को बांटी । अतिरिक्त निदेशक की देख रेख में 4 टीमों का गठन कर 250 ढाणियों में चिकित्सक दल उसी दिन भेजे गये । यह कहना आवश्यक होगा कि इस ग्राम पंचायत की कुल आबादी 7,500 की है और पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 ढाणियों में फैला हुआ है तथा एक परिवार साधारणतः एक ढाणी में रहता है । एक ढाणी से दूसरी ढाणी में आने-जाने का रास्ता नहीं है, टीवों को पार करके जाना आना पड़ता है । उपरोक्त 4 टीमों ने जो जांच ढाणी से ढाणी जाकर की उसका सारांश यह था कि दिनांक 1-2-83 से 19-3-83 तक इस गांव में 59 लोगों की मृत्यु हुई जिसकी रिपोर्ट पटवारी ने दी । इनमें से 26 मौतों की जांच दिनांक 18-3-83 को ही कर ली और शेष की जांच जारी है लेकिन 59 लोगों की मृत्यु की सूचना उपलब्ध है उनमें से 9 बच्चे 4 वर्ष से कम उम्र के थे, 8 व्यक्ति 5 से 14 वर्ष की आयु के थे । 11 व्यक्ति 15 से 49 वर्ष के थे और 31 व्यक्ति 50 से 70 वर्ष की आयु के दरमियान के थे । इन 31 लोगों में से 24 ऐसे थे जिनकी आयु 60 वर्ष से कहीं अधिक थी । जाति के आधार पर सबसे अधिक मौतें राजपूतों में उसके बाद में कुम्हारों व जाटों में हुई हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ये जाति कैसे बता रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह समाचार इसी तरह के ये पत्रिका में, इसलिये यह जाति बतानी पड़ी । इस टीम के विचार में इस क्षेत्र में घर व आस-पास का वातावरण न केवल साफ ही पाया गया और किसी मलेरिया या गेस्ट्रोएनटाइटिस महामारी भी कहीं नहीं पायी गई । इस क्षेत्र में साधारणतः लोगों का स्वास्थ्य स्तर ठीक है, केवल कुछ गरीब परिवारों में स्वास्थ्य स्तर कुछ कमजोर है उनके लिये राहत कार्य खोल दिये गये हैं जिन पर वे कार्य कर रहे हैं ।

(4.27 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री खेतसिंह राठौड़)
अधिकांश मृतकों की उम्र 50 से ऊपर की है । डॉक्टरी जांच एवं पूछ-ताछ के बाद चारों टीमें, जो ढाणियों में गई, इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि मृतक लोगों की मृत्यु का कारण निमोनिया था जिसमें अधिक अवस्था वाले वर्ग व बच्चों पर ज्यादा असर पड़ा है। कुछ व्यक्ति शायद क्षय रोग व दमा रोग से पीड़ित भी मिले । इन चार दलों ने लगभग 250 ढाणियों में भ्रमण कर जांच की वहां लगभग 140 रोगियों का मौके पर इलाज भी किया और उन्हें दवाइयां दीं । 59 को सांस, खांसी, बुखार से सम्बन्धित पाया गया बाकी मामूली साधारण बीमारियों से ग्रस्त पाये गये । इन दलों ने 59 मृतक परिवारों में से 26 की मौके पर ही उनके घर पर जाकर छान-बीन की जिससे यह भी सिद्ध हुआ कि इन व्यक्तियों की मृत्यु निमोनिया, लोवर निमोनिया के कारण हुई है । जांच के दौरान खून आदि के नमूने भी ले लिये गये हैं । लेबोरेट्री की रिपोर्ट आने से सही कारण भी ज्ञात हो जायेंगे । मौके पर जो रोगी देखे गये उसके अनुसार अधिकांश मौतें वाइरल निमोनिया से होना ही पाया गया जिसका मुख्य कारण इस वर्ष असाधारण तौर पर लम्बी अवधि की शीत लहर का होना पाया गया है और झौंपड़ों में रहने के कारण यह निमोनिया हुआ है ।

ग्राम पंचायत सोलंकियातला के सरपंच व पटवारी ने 1 फरवरी, 83 से 59 लोगों की मृत्यु होने की जो सूची विभाग को दी है वह भी मेरे पास है, आप चाहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा । इस सूची में 50 रोगियों की मृत्यु के कारणों का चिकित्सा दल द्वारा वेरीफिकेशन किया जा चुका है जिसकी सूची भी मेरे पास है और फिर यह उन्होंने जातिवार अलग से बताया है कि कुल किस-किस जाति के कितने मृतक हैं । अगर आप चाहें तो जातिवार नाम बता दूं, बार-बार सुनाने से कोई लाभ नहीं है ।

कल के दैनिक पत्र में जो समाचार छपा था, उसमें कई बातों को जोड़ कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि बीमारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है और भुखमरी से मृत्यु हुई है । वास्तव में यह समाचार असत्य ही नहीं निराधार है । इस वर्ष खांसी, बुखार व निमोनिया आदि की शिकायत इस क्षेत्र में है और लम्बे समय तक ठण्ड का मौसम रहने से ये मौतें हुई हैं ।

प्रधान, पंचायत समिति, बालोतरा, सरपंच पंचायत समिति, देचू ने भी जिलाधीश, जोधपुर को लिखित रूप में यह सूचना दी है कि उनके क्षेत्र में किसी असाधारण बीमारी की न खबर है और न इस प्रकार की कोई मौत ही हुई है और न ही उन्होंने अखबारों में कोई भी इस प्रकार का वक्तव्य दिया है ।

कल दिनांक 20-3-83 को डॉ.बी.बी. मैत्रे, प्रधानाचार्य, मैडिकल कॉलेज, जोधपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम और भेजी गई । उन्होंने वहां मौके पर जाकर सारी जांच की और यही पाया कि आमतौर पर जो यहां मौतें हुई हैं वह निमोनिया से हुई हैं । उन्होंने खून, मल, मूत्र, थूक आदि की जांच के लिये भी वहां प्रबन्ध किया और उससे भी यही साबित हुआ है कि निमोनिया के कारण यहां पर आम तौर पर मौतें हुई हैं ।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

श्री आर. एन. कौल, सचिव, रेडक्रोस सोसायटी के नेतृत्व में एक चिकित्सा दल प्रभावित क्षेत्र में सहायता देने के लिये भी वहां भेजा गया है और रेडक्रोस सोसायटी द्वारा एक हजार किलोग्राम दूध पाउडर, 200 किलोग्राम बटरआयल, 8 टिन बिस्कुट, 200 किलोग्राम चावल व अन्य आवश्यक औषधियां पहुंचाई गई हैं।

राजस्थान पत्रिका में दिनांक 20-3-83 व कुछ अन्य समाचार पत्रों में शेरगढ़ तहसील में कुछ गांवों में जो भुखमरी से मृत्यु होने के समाचार प्रकाशित हुए वे बिल्कुल निराधार हैं। उप जिलाधीश, जोधपुर श्री केसरीसिंह मौके पर भेजे गये थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। ग्राम पंचायत देचू एवं वालेसर ने अपनी लिखित रिपोर्ट दे दी है उससे यह साफ जाहिर है कि क्षेत्र में किसी की मृत्यु नहीं हुई है तथा यह सरासर निराधार बात कही गई है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है कई अन्तर विरोधों से भरा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इसमें लम्बी चर्चा नहीं होगी। इसमें ज्यादातर जिनकी मृत्यु हुई है, राजपूतों की बताते हैं। भूख से राजपूत मरते-वरते नहीं हैं, यह बात मैं आपको बता दूं। आप यह खतरा मत उठाना, जाकर कहीं पूछने लग जाओ आपके घर वाला, पिताजी, काका भूख से मरे क्या, तो और झगड़ा खड़ा हो जायेगा। नहीं हो तो आप मुझे बता दीजिये। यही स्थिति है। इसमें कोई बात है ही नहीं। आप, ठीक है, दो मिनट कुछ कह दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने राजपूत मरना तो गिना दिया उस मरने में इसलिये आपने बिल्कुल ठीक कहा है..........

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : शेरगढ़ से आप कभी जीत नहीं सकते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि कलेक्टर जब गये तब 250 लोग तो अतिरिक्त राहत कार्य पर लगा दिये। उन्होंने यह कहा, लोगों को दस क्विटल गेहूं भिजवा दिया। उन्होंने यह भी कहा, कोई दूसरी और संस्था गई थी वहां पर, उसने बटर आयल का प्रबन्ध कर दिया।

श्री अध्यक्ष :- मामे का ब्याह मां पुरसने वाली, जो भेज दिया होगा तो भेज दिया गया। खेतसिंह साहब का एरिया है, तीस साल से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी और को जमने दिया है नहीं। मेरे खयाल से, चर्चा करके समय लेना हो तो आपकी मर्जी की बात है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : केवल इसीलिये निवेदन करना चाहता हूं कि वह चिकित्सा मंत्री हैं, उस क्षेत्र का लगातार तीस साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किन्तु पता नहीं कौनसे झंझटों में यह उलझे हुए हैं कई दिनों से, जिसके कारण 200 मौतें हो गई वहां पर। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, जो आपने वक्तव्य दिया है, आज से कई दिन पूर्व ही 55 मौतों की सूचना अखबारों में आई, वहां से जानकारी के आधार पर आई।

श्री माणकमल मेहता : 59 मौतें बताई हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अरे आप, बोलते क्यों हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : राज्य सरकार ने आज से दस दिन पूर्व, आठ दिन पूर्व की घटना का कोई कांट्रेडिक्शन यहां नहीं किया। हो सकता है वह जिम्मेदार वहां के विधायक हैं, चिकित्सा मंत्री महोदय हैं। मैं आपको इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ उन्होंने अपने वक्तव्य में इन चीजों को देने की घोषणा की है, दूसरी तरफ कह दिया निमोनिया, खांसी, जुकाम से मृत्यु हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है, आप जमे हुए हैं, जमे रहें उसके लिये मुझे कुछ कहना नहीं है। किन्तु यह जो बीच के समय में कलेक्टर से बात की, कलेक्टर महोदय यह कहते हैं मैं 15 तारीख को वहां गया। 6 तारीख से 12 तारीख तक के बीच मौतें होने के समाचार हैं, आपने एक फरवरी कहा है। आपने अपने वक्तव्य में बताया, हमने जांच दल अभी भेजे। अगर आपके वक्तव्य की बात सही है, एक फरवरी से मौतें हो रही हैं इस प्रकार की, उनके विशेष प्रकार की कंपकंपी छूटती है, आदमी की इस प्रकार की स्थिति में मौत हो जाती है। चिकित्सा मंत्री महोदय हैं आप तो, एक फरवरी से मौत हो रही है यह बतायें, जांच कब हुई ? कौन अधिकारी पहुंचा ? अधिकारी पहुंचने की चर्चा आज कर रहे हैं..........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: वह स्पेसिफिक कारण से है। यह 55 मौतें 6 मार्च और 12 मार्च के बीच में हो गई। यह खबर आपके पास आ गई, खबर आने के बाद पूरी सावधानी नहीं बरती गई जिसका परिणाम यह हुआ बालेसर, देचू और सोलंकियातला गांव में और मौतें हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को, कलेक्टर गये, हनुमाना राम, जिसकी मृत्यु हो गयी, के घर गये उसके बच्चों की स्थिति क्या थी ? उन बच्चों की क्या हालत देख रहे थे, जिलाधीश श्रीवास्तव जब गये ? हनुमाना राम की तीन पुत्रियां हैं, एक पुत्री विधवा है, उनको भूखा प्यासा उन्होंने पाया। आप कहते हैं, भूख प्यास से मौत नहीं होती। हनुमाना राम तो मर गये। हनुमाना राम जब मर गये तब जिलाधीश उनके यहां मिलने गये। उसके बाद उन्होंने सारी सूचना ली। वह मर गये, यह फिक्र और इन सारे परिवार वाले लोगों का है। निश्चित रूप से यह बात सत्य है कि कई वर्षों से अकाल पड़ रहा है। वह गरीब लोग हैं मात्र राजपूतों की बड़ी संख्या बताकर यहां प्रभावित करना चाहें आप, ऐसा संभव नहीं है। वे कमजोर तबके के लोग हैं, भूख से पीड़ित हैं, लगातार अकाल पड़ने से उनमें कमजोरी पैदा हो गई है। वहां राहत कार्यों की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को काम देने से उस क्षेत्र में काम नहीं चल सकता। यह तो हम आपके विधान सभा क्षेत्र के फायदे के लिये कह रहे हैं, इसलिये, मंत्री महोदय, कुछ इस पर विशेष ध्यान दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : भाई, तीस साल से यह वहां रहेंगे तो क्या होगा? क्या इनसे आशा करते हो? तीस साल से तो जमे बैठे हैं यही हो रहा है और क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। समय जा रहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : चार भील परिवारों के लोग मृत पाये गये. उनको सौ-सौ, पचास पचास रुपया श्रीवास्तव देकर आये। उनके पास कोई काम नहीं था, खाने के लिये अन्न का दाना नहीं था। रोजगार की व्यवस्था नहीं थी इस कारण इस प्रकार की अवस्था हुई है। ठीक है, आप चिकित्सा मंत्री हैं, वहां के विधायक हैं, कुछ बहुत व्यस्त रहे होंगे इस प्रकार की स्थिति आ गई लेकिन यह स्थिति तो बहुत समय से चल रही है। लोगों में कमजोरी पैदा हो गई थी, आपने शुरू किये काम? जरा गौर से देखिये, पिछले समय में जो इतनी मौतें हुई हैं उसकी सूचना ठीक रूप से क्यों नहीं प्राप्त हुई मैडिकल विभाग को? आपको क्यों नहीं प्राप्त हुई? सारी सूचना आपके पास क्यों नहीं आयी? ऐसे लोगों को जरा निकालिये, कुछ उनके विरुद्ध एक्शन लीजिये। यही मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब क्या कहेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने स्टेटमेंट में निवेदन किया है कि 200 मौतें नहीं हुई हैं, टोटल 59 डेथ्स हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : कितने गांवों में?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह हुई तो सोलंकियातला में ही हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अकेले गांव में हुई हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सोलंकियातला में बीमारी इलाके के अन्दर और ढाणियों के अन्दर फैली हुई है। जांच के बारे में जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, रोजाना मैं टेलिफोन से बात कर रहा हूं, 11 तारीख को अरविन्द माथुर के साथ टीम भेजी गई, 12 तारीख को दूसरे मैडिकल कॉलेज के रीडर, डॉक्टर मोदी को भेजा गया, 13 तारीख को डॉक्टर गहलोत को भेजा गया। 14 तारीख को यहां से, डाक्टर अरोड़ा को भेजा गया। उनको दवायें वगैरह देकर भेजा गया। एडीशनल डायरेक्टर, मैडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज डॉक्टर जगदेव को भेजा गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को भेजा गया। जैसा श्रीमान्, आपने फर्माया, मेरे पास डिपार्टमेंट है-तब ही इतनी व्यवस्थायें लगातार कर दी गई। दवायें वगैरह की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मौत तो डॉक्टर की भी आती है तो आती है, वह तो रुकती किसी से है नहीं। प्रचार के लिये आप चाहे कुछ भी कहें लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उनकी देख-रेख के लिये, उपचार के लिये व्यवस्था करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है, यह मैं आपको निश्चित तौर से पक्का आश्वासन दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

मांग पर विचार हो रहा है, न्यायिक मंत्री जी 5.20 बजे से अपना उत्तर प्रारंभ

(श्री अध्यक्ष)
करेंगे । जैसा कि पूर्व में निवेदन किया गया था, 5.45 बजे मुखबन्द का प्रयोग किया जायेगा । अतः बोलने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि 8 से 10 मिनट तक का समय लें ।

श्री सुजान सिंह !

मांग संख्या—6 पर वाद-विवाद

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या–6 न्याय प्रशासन पर सदन में जो वाद-विवाद चल रहा है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हुवा जो मुझे टाइम बहुत थोड़ा दिया गया है उसमें अपने ही विधान सभा क्षेत्र की बात सदन का अधिक टाइम नहीं लेकर केवल दो-चार मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र, जिला उप मुख्यालय है जिसमें दो मजिस्ट्रेट, एक ए. सी. एम., एस. डी. एम. कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, सब-जेल, बिजली विभाग का दफ्तर, पी. डब्ल्यू. डी. का दफ्तर है । दूसरा, मेरे क्षेत्र से लगता हुआ क्षेत्र बानसूर है वहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित है । इससे पूर्व हमारे यहां अपर सत्र जिला न्यायाधीश का जो कैम्प कोर्ट लगता था । न्यायाधीश महोदय आते थे, 7 रोज का कैम्प कोर्ट लगता था । गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक वह कैम्प कोर्ट खत्म करके किशनगढ़बास में ए. डी. जे. की अदालत परमानेन्टली कायम कर दी । इस सिलसिले में 15 रोज तक बहरोड़ में इस बात की हड़ताल चली कि हमारा कैम्प कोर्ट किशनगढ़बास में ही रहना चाहिये न कि अलवर में । इसके बाद मैंने कुछ एश्योरेंस देकर वकीलों के सहयोग से उस हड़ताल को खतम करवाया । तत्पश्चात् हमारे यहां के वकील साहबान का शिष्ट-मण्डल यहां पधारा और विधि मंत्री और मुख्य मंत्री से मिला । उनको कुछ एश्योरेंस दिये थे इस कारण से भी उन्होंने अपना एक्शन वापस लेकर हड़ताल समाप्त की थी । मैं इस मुतालिक यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां लगभग 30-32 सैशन्स ट्रायल्स हैं और 406 अन्य प्रकार के मुकदमे हैं जबकि किशनगढ़बास में उसके मुकाबले में कम केसेज हैं । वहां तो परमानेन्टली अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट भी स्थापित हो चुका है, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है मगर मैं इस बात को अलवर से जोड़ना चाहता हूं जहां 1 डी. जे. और 2 ए. डी. जे. की अदालतें हैं और उनमें केवल 306 केसेज हैं । इस अनुपात को देखते हुए 406 केसेज बहरोड में हैं और 30 केस सत्र न्यायालय से संबंधित हैं जिनमें मर्डर केसेज हैं । मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके मुतालिक मैंने इस सत्र में एक प्रश्न भी रखा था । मंत्री महोदय ने कुछ एश्योरेंस भी दिया था । मैं इसी भावना को रखते हुए निवेदन करूंगा कि दो ए.डी.जे. कोर्ट जो अलवर में हैं उनमें से एक बहरोड़ में ट्रांसफर कर दिया जाय । इन केसेज को देखें तो 306 केस उनके पास हैं और 406 केसेज बहरोड़ में हैं । वहां पर अलग से कोर्ट बिल्डिंग भी है, रेजिडेंस की व्यवस्था भी है, सब-जेल भी है । इन हालात को देखते हुए, विधि मंत्रीजी, जनता को सस्ता न्याय देने की दृष्टि से और अन्य मामलों को देखते हुए बहरोड़ में ए. डी. जे. का न्यायालय स्थापित करने का

(श्री सुजानसिंह यादव)
मेरा आपसे अनुरोध है। मैं उम्मीद करूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय अपने जवाब में इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंसिंह गुर्जर !

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज न्यायालयों के परिसर में वकील और जो इस पेशे के लोग-बाग जाते हैं. वे क्या आम चर्चा करते नजर आते हैं और उस चर्चा के बारे में सरकार का क्या रुख है। हमारी सरकार ने कुछ समय पहले अपर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये एक पैनल बना कर भेजा था। अध्यक्ष महोदय, जो पैनल बना कर भेजा जाता है, मुख्य न्यायाधीशजी प्रस्ताव करते हैं, मुख्य मंत्रीजी की राय से राज्यपाल महोदय को वह पैनल भेजा जाता है और उनकी अनुमति से केन्द्र सरकार में लॉ मिनिस्टर के पास भेजा जाता है। केन्द्र सरकार उसको राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति के लिये भेजती है उसके बाद नियुक्तियां की जाती है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूं कि हमारी सरकार में नये लॉ मिनिस्टर बने थे बृजसुन्दर जी शर्मा, उस समय उन्होंने किसी ××× का नाम प्रस्तावित किया....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, किसी का नाम ना लें। हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के बारे में किसी का नाम न लें, माननीय सदस्य। प्रक्रिया के संबंध में कह दें, बस।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस समय एक अड़चन सामने आ गई थी कि मुख्य मंत्रीजी ने कुछ नाम सुझा दिये थे हाई कोर्ट में जज बनाने के लिये, एक तो ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, नाम न लें किसी का। सब नाम एक्सपन्ज किये जाते हैं। प्रक्रिया के बारे में आप कह दीजिये, माननीय सदस्य आपको कुछ शिकायत है या जो सुझाव हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जो लोग रह गये है......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। रह गये हैं, कर गये हैं इस बारे में न जायं, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं इस बारे में निवेदन करने जा रहा था कि मुख्य मंत्रीजी ने भी नाम प्रस्तावित किये थे, मुख्य मंत्रीजी और मुख्य न्यायाधीशजी में मतभेद उत्पन्न हुआ इस बात को लेकर कि मैं जो नाम प्रस्तावित करूं वह नाम आयें और मुख्य न्यायाधीश जी चाहते थे कि जो नाम मैं भेजूं उन की ए. डी. जे. पद पर नियुक्ति हो। उस मतभेद की आज न्यायालयों के परिसर में आम चर्चा है। इसमें मुख्य मंत्रीजी जिनको चाहते थे शायद उन सब के नाम पैनल में नहीं जा सके तो अन्ततोगत्वा उनमें से एक को अतिरिक्त महाधिवक्ता बना दिया गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसके बाद तय करके पांच नामों का पैनल भेजा गया जिनमें एक गवर्नमेंट एडवोकेट का

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

नाम है और दो नाम प्रजेन्ट में जो जज हैं उनके हैं, एक नाम उच्च न्यायालय में जो रजिस्ट्रार हैं उनका है और एक नाम उनका भेजा गया था जो हमारे विधि सचिव हैं। मैं आपसे इस बारे में निवेदन करूंगा कि उनमें से एक व्यक्ति तो अजमेर से कांग्रेस के विपक्ष में जिन्होंने चुनाव लड़ा उनका गोद लिया हुआ था। उनका यहां से पैनल में नाम भेजा। दूसरे व्यक्ति का भी राजनैतिक संस्था आर. एस. एस., जनसंघ से संबंध था। इन पांच में से दो ऐसे व्यक्ति थे। इस बीच में होता यह है, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने सूचित किया राज्य सरकार को कि ए. डी. जे. नहीं बना कर चार परमानेन्ट पोस्ट देते हैं, क्या आप यह चाहते हैं कि इन्हीं पांचों में से चार जज की परमानेंट पोस्ट पर नियुक्ति कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करूंगा कि पांच के पैनल में पांचों के रिमार्क सरकार ने अच्छे लगा कर भेजे थे, उनकी ए.डी.जे. के लिये नियुक्ति देनी थी। उसके बाद राज्य सरकार ने जब वापस परमानेन्ट पोस्ट पर नियुक्ति के लिये केन्द्र सरकार को लिख कर भेजा तो उनमें से जो एक व्यक्ति अल्पसंख्यक था उसके एडवर्स रिमार्क लगा दिया। वह यह लगाया कि उसकी उम्र कम है। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के इतिहास में आज तक हाई कोर्ट में कोई मुसलमान जज नहीं बना है। यह, मंत्रीजी, आपके लिये शर्म की बात है जबकि आप विधि मंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि उस अल्पसंख्यक व्यक्ति, जो गवर्नमेंट एडवोकेट भी हैं, के यह एडवर्स रिमार्क लगा दिया, तो यह बतायें कि जिन दो व्यक्तियों की पांच के पैनल में से नियुक्ति की गई है उस समय उनकी उम्र क्या थी, जो अल्पसंख्यक के एडवर्स रिमार्क लगा दिया? मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि विधि मंत्री जी इस बात का जवाब दें। आज वे लोग परमानेंट जज बन गये और वह अल्पसंख्यक व्यक्ति आज भी अधरझूल में है, उसके भविष्य का कोई पता नहीं। इसके अलावा जो एक व्यक्ति रजिस्ट्रार है और दूसरे विधि सचिव हैं उनके नाम भी पैनल में भेजे गये थे वह भी अधरझूल में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के इतिहास में आज तक किसी अल्पसंख्यक की नियुक्ति हाई कोर्ट जज के रूप में नहीं की गई। एडवर्स रिमार्क लगाकर भेजने से सरकार को क्या फायदा हो गया? एक अल्पसंख्यक हाई कोर्ट में जज होता तो राजस्थान भर के अल्पसंख्यक सराहना करते कि सरकार ने हमारे हितों की रक्षा की है। अध्यक्ष महोदय, यह भी आरोप लगाया गया, चूंकि मुख्य मंत्रीजी उस अल्पसंख्यक को जज बनाना चाहते थे और मुख्य न्यायाधीशजी नहीं चाहते थे कि मुख्य मंत्रीजी ने जो नाम प्रस्तावित किये हैं वे जज बनें इसलिये उस व्यक्ति का नाम रोका गया। यह भी आरोप लगाया गया कि वह मुख्य न्यायाधीश जी के जिले का रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमारा तो सरोकार इस बात से है कि एक अल्पसंख्यक भी हाई कोर्ट में जज बनना चाहिये। विधि मंत्रीजी, जो एडवर्स रिमार्क लगा दिया गया है, आप उसको कैंसिल करके वापस रिकमण्ड करके भेजें। यह आपके हित में है। आप राजस्थान विधान सभा में माइनोरिटी के विधायक हैं

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

और माइनोरिटी के सहयोग से आप चालीस साल वकालत करने के बाद विधि मंत्री बने हैं, आप नहीं चाहते क्या कि कोई अल्पसंख्यक, आपके समाज का कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जज बने ? मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि उन लोगों का, जो अयोग्य थे या योग्य थे, नाम भेज दिया गया। मुसलमानों के साथ में अन्याय हुआ है, इसलिये मैं चाहूंगा कि, विधि मंत्री जी, आप आज इस बात की घोषणा करें कि अल्पसंख्यक जज को हाई कोर्ट में भेजना चाहते हैं, जिसका नाम पैनल में भेजा हुआ है, उसके नाम की सिफारिश करेंगे। यहां मैं आपकी नॉलेज में ला दूं, जहां तक मुझे जानकारी है, केन्द्रीय सरकार भी चाहती है कि राजस्थान हाई कोर्ट में एक अल्पसंख्यक जज हो। अब आप कितना जोर लगाते हैं इस बात का पता आज चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि हम सस्ते न्याय की बात करते हैं परन्तु सस्ता न्याय हमें मिलता कहां है। कोर्ट से लम्बी पेशियां मिलती हैं। वर्षों तक केसेज का फैसला नहीं होता है। फैसला तो दूर, वर्षों तक चालान नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, आज न्यायालय में, छोटी कोर्ट में जितने मुकदमे चल रहे हैं, चाहे आपके एरिया में हों, चाहे मेरे एरिया में हों, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको झूठे मुकदमों में फंसा कर पुलिस कई बार उनका कोर्ट में चालान कर देती है। उन लोगों के पास कोर्ट में जाने के लिये पैसा नहीं होता है, वे रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। वे बेचारे कई वर्षों तक पेशियों में कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप जो सरकारी वकील रखते हैं, उनको किस बात का पैसा देते हैं ? मैं मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज से चार साल पहले ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे थे कि हाई कोर्ट से स्टे आ गया। आपके सरकारी वकील ने चार साल तक उस स्टे को वैकेट नहीं करवाया। इसके बाद जनता के हित के लिये वहां नगरपालिका बनवायी तो नगरपालिका पर भी हाई कोर्ट का स्टे आ गया। अध्यक्ष महोदय, आज भी सरकार इन सरकारी वकीलों को पाल रही है। ये सरकारी वकील क्या कर रहे हैं ? उस नगरपालिका पर स्टे आये कई महीने बीत गये लेकिन वह स्टे वैकेट नहीं करवायो। इस बारे में आप उनको ताकीद करिये। हमारी सरकार उनको पैसा देती है, उन पर जनता का धन लुटाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री को निवेदन करना चाहूंगा कि सोजत उप खण्ड के अन्दर दो न्यायालय हैं। एक मुंसिफ कोर्ट है और माननीय विधि मंत्री जी की मेहरबानी से एक एडीशनल सी. जे. एम. कोर्ट खोलने का निर्णय किया गया है। खारची पंचायत समिति राजस्थान के अन्दर दूसरी बड़ी पंचायत समिति है जिसके अन्दर 45 ग्राम पंचायतें हैं। सोजत में उससे कम से कम 10 ग्राम पंचायतें कम हैं। खारची तहसील, मारवाड़ जंक्शन तहसील और सोजत तहसील के जो मुकदमे होते हैं वे सोजत आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसमें यह स्पष्ट यह बताया गया था कि सोजत के मुकदमों से कई गुना ज्यादा मुकदमे खारची के हैं। मैंने कई बार निवेदन किया, जनता ने भी निवेदन किया, मुंसिफ कोर्ट खोलने के बारे

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

में। आप बार-बार आश्वासन दे देते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक मुझे ख्याल है, एक बार आप लोगों ने कोर्ट खोलने का निर्णय कर लिया था लेकिन वहां के जो वकील थे वे नहीं चाहते थे कि मारवाड़ जंक्शन में कोई मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खुले इसलिये उनकी बात मान कर आपने वह कोर्ट खोलने की प्रक्रिया बन्द कर दी और जनता की बात नहीं मानी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नई कोर्ट खोलना नहीं चाहते हैं तो यह व्यवस्था तो कर सकते हैं कि सोजत में जो दो कोर्ट है उनमें से एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट मारवाड़ जंक्शन में ट्रांसफर कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस रोज आपका आदेश होगा, उसी रोज कोर्ट के लिये भवन उपलब्ध करा दूंगा। आप आदेश तब प्रसारित करना जब मैं आपको वहां भवन की व्यवस्था कर दूं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विधि मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आर. एस. एस. और जनसंघ के वकीलों में जो लॉबी है किस प्रकार उसके माध्यम से हमारी सरकार से उनकी बार्गेनिंग होती है। हमारी सरकार उनके बहकावे और फुसलाने में आ जाती है। मैं आपको निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि बाली के अन्दर एडीशनल सी. जे. एम. कोर्ट खोलने का निर्णय लिया गया। वहां से कई लोग, वकील अपना एक डेपुटेशन लेकर आये। वे विधि मंत्री से मिले, मुख्य मंत्रीजी से मिले। हमारी सरकार को उन्होंने कहा कि आबूरोड, सिरोही जिला ट्राइबल एरिया में आता है इसलिये पाली जिले में कोर्ट न खोलकर आबूरोड में खोल दें। मैं आपसे कहूंगा कि पाली जिले में बाली भी ट्राइबल एरिया में आता है। आबूरोड के अन्दर जो केसेज आते हैं उसमें 10 पर्सेंट आबू के हैं और बाकी 90 पर्सेंट बाली एरिया के आते हैं। इसलिये, विधि मंत्री जी आप इन वकीलों की बार्गेनिंग में नहीं आयें और एडीशनल सी. जे. एम. कोर्ट पाली जिले में बाली के अन्दर ही खोलें।

श्री अध्यक्ष : समय हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : दो मिनट।

माननीय अध्यक्ष, सरकार की नीति है कि प्रत्येक जिले में सैशन जज हो, सैशन कोर्ट हो। सिरोही के अन्दर सैशन कोर्ट नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, एडीशनल सैशन कोर्ट है। इसके अन्दर जो मुकदमे आते हैं उनमें सिरोही जिले के कम हैं और पाली जिले के बाली उप-खण्ड के मुकदमे ज्यादा आते हैं। बाली के लोगों को सिरोही न्याय प्राप्त करने के लिये जाना पड़ता है। इस प्रकार उन्हें 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप सिरोही जिले को अगर ट्राइबल एरिया मानते हैं, वहां पर केसेज ज्यादा हैं तो मेहरबानी करके एक अलग से सैशन कोर्ट की स्थापना कर दें और पाली के अन्दर एक एडीशनल सैशन जज नियुक्त कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और वहां की जनता आपके गुण गायेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़! कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत लम्बी बात नहीं कहूंगा क्योंकि यह कानूनी मसला है। न्यायालयों में जो प्रक्रिया है, माननीय सदस्यों ने पहले ही कह दिया है कि लम्बी पेशियां पड़ती हैं। यह तो मेरा देखा हुआ है कि कई बार वकील लोग इसलिये पेशी डलवाते हैं कि उनको फीस लेनी होती है। वे बुला लेते हैं और फिर कहते हैं कि तेरी पेशी आज नहीं है, पेशी बदल गयी पांच रुपया ला। पांच रुपये, पन्द्रह रुपये के लिये बार-बार पेशी बदलवाते रहते हैं। इस तरह गरीब लोगों को कई साल तक लटकाये रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, न्यायालय में जो बाबू और क्लर्क होते हैं, उनके लम्बे टाइम तक एक ही जगह पर रहने के कारण वकीलों से सांठ-गांठ हो जाती है। जो मुंशी होते हैं वे उनको इस तरह पकड़ कर रखते हैं कि पांच, चार रुपये दिये तो ठीक वरना आदमी बैठा रहे उसको आवाज नहीं लगवाते। वे लोग चले जाते हैं। फिर वारन्ट निकल जाता है। वारंट जाता है तो वे वकील साहब को पकड़ कर लाते हैं। वकील साहब को फीस मिलेगी। वकील साहब को पैसा मिलेगा। इस कारण लम्बी पेशियां होती हैं। पुलिस के जो पैरोकार होते हैं वे भी इसी तरह से इन क्लर्क्स से मिले हुए होते हैं। गोगुन्दा क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर जो नया पुलिस का पैरोकार आया है उसको आप तुरन्त हटायें। जब मैं वहां गया था तब लोगों ने उसकी शिकायत की थी। जैसे एक बैल को पकड़ कर लाये...

श्री अहमद बक्श सिंधी : ए. पी. पी. का संबंध इस डिपार्टमेंट से नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट से है।

श्री मेघराज तावड़ : उससे है तो शिकायत किससे करें ? यह तो आपके न्याय प्रशासन विभाग की परिधि में आता है इसलिये आपको इस पर निगाह रखनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक बैल किसी का चोरी चला जाय और वह मिल जाय तो यह कहा जाता है कि पहले यहां लाकर जज के सामने पेश करो। अगर उनको फीस दें दो, 150 रुपया दे दो तो कहते हैं कि तेरे को बैल नहीं लाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, तमाम गरीब लोग हैं वह जो वकील कहता है, पुलिस कहती है, वही करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे इलाके में हमें सस्ता सुलभ न्याय कैसे मिल सकता है ?

एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा। एक तो हमारे यहां जहां पर मुन्सिफ कोर्ट है, मैं चाहे वह कोटड़ा में है, चाहे झाड़ोल में है, चाहे गोगुन्दा में है, वहां पर मकान की व्यवस्था नहीं है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के लिये मकान की व्यवस्था नहीं है। मेरे इलाके की जो जानकारी है उसके लिये अर्ज कर रहा हूं। दूसरे, वकीलों के लिये बैठने की जगह नहीं है। इनके लिये सुविधा जुटायी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सबसे मोटी बात यह है कि हमारे उदयपुर डिवीजन के तमाम वकीलों ने उदयपुर में एक सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन में मांग की गयी थी कि यह ट्राइबल एरिया है। एक मेरा प्रश्न भी आया था। मेरा यह प्रश्न था कि जोधपुर हाई कोर्ट में कितने केसेज पेंडिंग हैं ? उसका जवाब दिया गया था कि 2865 केसेज आज

(श्री मेघराज तावड़)

तक पैंडिंग हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। वहां के लोग इतने गरीब हैं कि वे कोर्ट में नहीं जा सकते मुझसे पहले उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात को रखा था। उदयपुर डिवीजन के जितने भी विधायकगण हैं, उन सबने इस बात को पुरजोर शब्दों में रखा है कि हाई कोर्ट की बैंच वहां पर स्थापित नहीं कर सकें तो कम से कम दो-तीन महीने में एक कैंप लगवा दें ताकि उदयपुर डिवीजन के जो आदिवासी लोग हैं, जो न्याय प्राप्त नहीं कर सकते, वे न्याय प्राप्त कर सकें। आज जितने लोग जेल में हैं उनमें से 25-30 लोग ऐसे हैं जो हाई कोर्ट जाकर अपील नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब तक सैशन कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। मेरे इलाके के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने झूठा केस बना कर 12 लोगों को मर्डर केस में जेल में रख रखा है और वास्तव में जो मुल्जिम हैं उनको नहीं पकड़ा है। पूरे परिवार के ये 12 लोग आज भी जेल में हैं।

वकील ने तय कर दिया कि तुम आपस में इस बयान को बदला लेना। एक पार्टी ने बयान बदल दिया और दूसरी पार्टी ने नहीं बदला तो वह आदमी जो बेगुनाह हैं वे आज जेल में सड़ रहे हैं। जब तक सैशन कोर्ट से उनका फैसला नहीं हो जाता तब तक वे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। हाई कोर्ट में जा भी नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह ट्राइबल इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, खाने को एक दिन का अनाज नहीं है ऐसे लोगों को न्याय सस्ता और सुलभ दिलाने के लिये हाई कोर्ट की बैंच, चाहे कैम्प के रूप में हो, उदयपुर में कायम कीजिये। इस संबंध में मंत्री महोदय गम्भीरतापूर्वक विचार करें, यही मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा !

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र के जो स्तम्भ कहे जाते हैं उनमें न्यायालय एक सबसे बड़ा सशक्त स्तम्भ है। इसका उदाहरण तो हिन्दुस्तान में पिछले वर्षों में प्रकट किया गया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की प्रधान मंत्री थीं उनके खिलाफ अगर किसी ने हिम्मत की यह कहने की कि उन्होंने चुनाव में भ्रष्ट आचरण किया है इसलिये उनका चुनाव रद्द कर दिया जाय तो यह साहस करने वाला इस न्यायपालिका का सदस्य था। अन्तुले, वे तुलते नहीं थे, बिना तुले ही रह रहे थे, न्यायालय ने उनको भी तोल दिया। ऐसा सशक्त स्तम्भ यह है। प्रजातन्त्र के जितने भी स्तम्भ हैं उनको मजबूत करना व उनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : उसके वाद-विवाद में नहीं पड़ें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो तारीफ कर रहा हूं। उनकी जो कठिनाइयां हैं उनको तो सामने रखना ही पड़ेगा ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। समय का ध्यान रखें। माननीय सदस्य, प्रारम्भ करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि ऐसे स्तम्भ को हम हमेशा मजबूत रख सकें, उसके लिये कुछ बातों की ओर ध्यान देना होगा । हम केवल न्यायाधिपतियों से अच्छे आचरण की ओर वे न्याय करते रहें, ऐसी आशा करते रहें तो यह उचित नहीं है । उनकी भी कुछ कठिनाइयां होती हैं । उनको बड़ी दिक्कत होती है, रहने को मकान नहीं मिलता है जब कि कार्यपालिका में जो छोटे अधिकारी हैं उनके लिये मकान ईयर मार्क होता है । विधि मंत्री खुद वकील रहे हैं, आपकी जानकारी में होगा कि लोअर कोर्ट में जो न्यायाधिपति काम करते हैं उनको सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करना पड़ता है कि जो एक आदमी के द्वारा करना फिजीकली संभव नहीं है । उनको बयान लिखने पड़ते हैं, छोटी-मोटी एप्लीकेशन्स का फैसला करना पड़ता है और सम्मन पर दस्तखत भी करने पड़ते हैं । इतना काम करना पड़ता है जो एक आदमी के लिये फिजीकली पॉसिबल नहीं है । हाई कोर्ट में जजमेंट लिखने पड़ते हैं उनके लिये आपने स्टेनो प्रोवाइड कर रखे हैं । सैशन कोर्ट में स्टेनो दे रखा है परन्तु उनको आपने स्टेनो नहीं दिया जिससे उनकी एफीशियेन्सी घट रही है । दूसरी बात यह है कि आप जब उनको परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अप्वाइंट करते हैं तब उनकी हैंड राइटिंग नहीं देखते । इससे कई बार तो यह दिक्कत आती है, माननीय लोअर कोर्ट के जो जज हैं उनका राइटिंग ऐसा है कि लिखने के बाद कई बार तो वे खुद ही नहीं पढ़ पाते और पढ़ना असंभव हो जाता है । फैसला होने के बाद जब मामला ऊपर चला जाता है तो न तो वकील पढ़ सकते हैं और न जज साहब पढ़ सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आज कल फोटो स्टेट कॉपी और होती है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसको भी पढ़ने में दिक्कत होती है । कई बार यह होता है उन जज साहब को ढूंढना पड़ता है कि लिखने वाले जज साहब कहां चले गये । जब यह पता लगता है कि वे तो ट्रांसफर होकर बाड़मेर बैठे हैं, तो भई उनको बुलाया जाय । जब वे आते हैं तो कहते हैं कि यह मेरा लिखा हुआ नहीं है । उनको समझाया जाता है उस समय आप यहां विराजमान थे इसलिये यह आपका ही लिखा हुआ है । तो साहब वे कहते हैं मेरे तो अब पढ़ने में नहीं आ रहा है । तो अब फैसला कैसे किया जाय ? इस प्रकार की कठिनाई आती है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस कठिनाई को दूर करें । उनकी एफीशियेन्सी बनी रहे इसके लिये आप भले ही और किसी कोर्ट से स्टेनो कम कर दीजिये लेकिन नीचे के जो कोर्ट हैं उनमें स्टेनो की व्यवस्था जरूर कीजिये । लिखने में उनका मददगार कोई न कोई जरूर रहे । इससे निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और जो शिकायतें जगह-जगह से आती हैं शायद वे भी नहीं आयेंगी ।

अध्यक्ष महोदय, इस स्तम्भ को मजबूत करने के लिये दूसरा पक्ष एडवोकेट्स का है । अगर आप उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा । जयपुर जैसे इतने बड़े शहर में यह स्थिति है कि आज वकीलों के बैठने के लिये जगह नहीं है । जैसे बाजार में दुकानदार खोमचे लगाकार बैठता है वैसे उनको बैठना पड़ता है । वे सेवा भाव से काम करत हैं इसलिये वहां पर उस परिस्थिति में बैठ कर काम

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कर लेते हैं। अब गर्मी आने वाली है, आपने प्रेस्क्राइब कर रखा है कि वकील को काला कोट पहनना जरूरी है। पहनता है, सेवा भाव है उनका, साधना है उनकी। उनको कोट पहन कर गर्मी में वहां बैठना पड़ता है, वहां न पंखा है, न क्या है।

श्री अध्यक्ष : कोट के बिना पता कैसे लगेगा कि यह वकील है या नहीं। यह तो साइन बोर्ड है इससे मालूम पड़ जाता है कि यह वकील है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह जरूरी है इससे मैं इन्कार नहीं करता लेकिन उनको बैठने में क्या कठिनाई आती है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत यह आती है कि सैशन कोर्ट, हाई कोर्ट में आप गर्मी में कूलर लगा देते हैं या ठण्डा रखते हैं जिससे वकील बहस करने के लिये जैसे ही अन्दर जाता है उस गर्म वातावरण में से, तो किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाता है या बहस करने के बाद जब उस गर्मी में आता है तो उससे वह किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाता है। इसलिये उनके बारे में आपको चिन्ता करनी पड़ेगी। उनके लिये बैठने की व्यवस्था करें। स्थान के अभाव में वह क्लाइन्ट्स से बात नहीं कर सकता, अपने कागज पत्र ठीक से नहीं रख सकता जबकि वह इस जुडिशियरी में मददगार होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय का एक बड़ा सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना चाहिये, न्याय आप कर रहे हैं केवल यही पर्याप्त नहीं है, न्याय किया जा रहा है, न्याय हो रहा है इस बात का विश्वास जनता को होना चाहिये। अगर यह नहीं होगा तो इसका जो एक पक्ष है वह अधूरा रहेगा। अब कुछ बातें, जो कटु हैं लेकिन सत्य हैं, मुझे कहनी पड़ेंगी। आजकल कुछ ऐसी स्थिति बन गई है कि लोगों का विश्वास न्यायालय पर से उठता जा रहा है। आपने भी सुना होगा, जब वकालत की होगी, किसी केस के संबंध में अपनी बात को मनवाने के लिये सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की रूलिंग पेश की जाती है लेकिन आजकल एक नया कोड बना है, मणिपुर की रूलिंग पेश करनी पड़ती है। आजकल तो मणिपुर की रूलिंग काम करती है।

एक माननीय सदस्य : आप वकालत करते हैं आपने भी ऐसी रूलिंग पेश की होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब मैं करता हूं या नहीं, यह अलग विषय है। आप मेरा समय खराब न करें। मैं उनसे अलग हूं क्या कोई ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज हाई कोर्ट की रूलिंग काम नहीं करती, सुप्रिम कोर्ट की रूलिंग काम नहीं करती आजकल तो मणिपुर की रूलिंग काम करती है। हाकिम जो सामने बैठे हैं, उनका बैक ग्राउण्ड तो मालूम पड़ जाता है, जब उनका मूड नहीं जमता है तो वकील कहते हैं ऐसा कीजिये, मुझे टाइम दे दीजिये, कई रूलिंग मेरे पास सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्ट की तो हैं लेकिन मणिपुर की रूलिंग ढूंढने के लिये मुझे टाइम दे दीजिये मैं कल परसों तक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मणिपुर की रूलिंग पेश करूंगा तब बहस करूंगा। यह रूलिंग क्या है ? मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वे ऐसे वकील को लाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे उनका संबंध होता है, चाहे वकालत में जूनियर होता हो। और फिर ऑर्डर जो हम चाहते हैं, जो क्लाइन्ट्स चाहते हैं वह मिल जाता है, उस मणिपुर की रूलिंग के आधार पर। आजकल क्लाइन्ट्स जब आते हैं तो पहले यह पूछते थे कि मेरा सिविल का मामला है, क्रिमिनल का मामला है, इसके लिये जयपुर में कौन होशियार वकील है। पहले तो वह यह तलाश करता था आज यह नहीं पूछता है। आज यह पूछता है कि मेरा कौन काम करा सकता है, कौन इस हाकिम का साथी है। वह उसको वकील करता है। ऐसी स्थिति में हम न्याय के प्रति कैसे विश्वास करें। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक केस में फैसला पहले लिख दिया और बहस बाद में शुरू हुई। फैसला पहले लिख रखा था। बाबू ने गलती से बस्ते में रख दिया होगा। वकील साहब फाइल देखने लगे वह फैसला दिख गया उनको। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका पर कोई कैसे विश्वास करेगा। वकीलों के बैठने का प्रश्न है, आप जवाब में कहें कि ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत ठीक चल रहा है। मैं समझता हूं, विधि मंत्रीजी, आपने भी 40 साल वकालत की है ऐसे मामले आपके भी नोटिस में आये होंगे। आप भी भागीदार रहे होंगे, आप वकील हैं तो इससे बचकर जा नहीं सकते हैं। एक दूसरी बात यह है कि चैम्बर आपने बना रखे हैं न्यायधीशों के लिये, वे चैम्बर से बाहर आते ही नहीं हैं। एक मजेदार किस्सा है। मेरे पास एक केस था, ढाई तीन साल तक वह मुकदमा चला और उसमें वह आदमी बरी हो गया। 12 बजे फैसला हुआ था लेकिन वह 4 बजे तक बैठा रहा। मैंने उससे कहा कि तेरा फैसला हो गया अब क्यों बैठा है, जा भाई घर जा। तो उसने कहा कि मेरी एक विनती है, जिन हाकिम साहब की अदालत में मेरा मुकदमा तीन साल चला और सारी कार्यवाही हुई और जिन्होंने अब मुझको बरी कर दिया तीन साल के बाद, जिनकी कोशिश से मैं बरी हुआ मुझे उनके दर्शन करा दें तो बड़ी कृपा होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है, वे चैम्बर से बाहर आते ही नहीं हैं। यह सब बातें देखनी होंगी। यदि यह सब कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा जो न्यायपालिका का स्तम्भ प्रजातन्त्र को बचाने के लिये है उसको दीमक लग जायगी। यह दीमक लग गयी है, यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह आपके भी बस में नहीं रहेगी। आपकी नजर में यह हो कि न्यायपालिका को खतम करना है और कार्यपालिका के आधार पर ही कार्य करना है तो फिर आप यह कर सकते हैं। लेकिन यह सोचना होगा कि फिर आप प्रजातन्त्र के बहुत बड़े, हत्यारे तो नहीं कह सकता बहुत बड़ा शब्द है, बहुत कड़ा शब्द है लेकिन ऐसा ही कुछ कहलायेंगे। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि इन सब बातों पर ध्यान देकर यह जो करप्शन फैल रहा है ओपन करप्शन हो रहा है उसको समाप्त करें। आज आप जयपुर के कोर्ट्स में चले जायें, मंत्री महोदय, विधि मंत्री जैसे कपड़े न पहनकर फटे कपड़े पहनकर बात करें तो लोग बता देंगे कि एक-एक की रेट क्या है और किसका फलां-फलां से लिंक है। अगर यह ओपनली जयपुर में होगा तो न्यायपालिका का कोई मतलब न रहेगा केवल

(श्री भंवरलाल शर्मा)

खरीद-फरोख्त का मामला रह जायेगा। हालांकि जुडिशियरी की बात यहां पर नहीं कहनी चाहिये, मैं इसको कोई बहुत अच्छी बात नहीं समझता हूं, यह कष्टदायी है लेकिन नहीं कहेंगे तो इसका इलाज कैसे करेंगे ? क्या करेंगे, यह आप बतायेंगे। हमारे विधि मंत्री जी एक ईमानदार आदमी हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आप ईमानदारी का कोई प्रदर्शन तो करिये। एकाध जगह ही प्रदर्शन कर दें तो बाकी जगह ठीक हो जायेगा और आपका नाम भी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। अभी एक माननीय सदस्य को मुझे और अवसर देना है। 5.20 पर मंत्रीजी का उत्तर शुरू हो जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब मैं मेरा जो भाषण है उसमें कुछ बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं, वह रख देता हूं You are wise enough to understand it अकलमन्द को इशारा बहुत है। एडवोकेट के लिये एक तो कॉलोनी बना दीजिये। एक उनके बैठने की व्यवस्था कीजिये। पुस्तकें उपलब्ध कराई जायें। इस काम को करें। एक जो यह कोर्ट्स में टाउट नाम की चीज है जो नये-नये वकील हैं उनको फंसाकर अपना धंधा चलाते हैं, पहले तो डिक्लेयर करके आउट किया जाता था अब यह प्रथा बन्द है, उनको आप एक्शन लेकर खतम करवायें। दूसरा, यह जो कॉपिंग सैक्शन है, नकल लेने का जो सैक्शन है उसमें बहुत घपला होता है। गांव से लोग बेचारे आते हैं तो कहते हैं कि 10 तारीख को आ जाना। उस दिन नकल नहीं मिलती है तो उनको बड़ी परेशानी होती है और झक मारकर वही हथकण्डे करने पड़ते हैं जो वर्जित हैं। वे मजबूर हो जाते हैं। उसके लिये कोई व्यवस्था करें, ज्यादा बाबू लगायें कुछ भी करें लेकिन जो समय निर्धारित किया जाता है नकल देने का, उसमें उसको नकल मिल जाय। इससे लोगों को जो बहुत बड़ी परेशानी होती है, हैरानी होती है वह कम हो जायेगी। इसके साथ ही यह जो न्यायालय के न्यायाधीशों की तनख्वाह कम है उसको बढ़ायें। उनकी सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। उनको किसी प्रकार का टेंशन नहीं हो, उनके मन में किसी प्रकार की कुंठा नहीं रहनी चाहिये। अगर कुंठा रहेगी तो किसी से भी बहुत अच्छे न्याय की आशा नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि भ्रष्ट लोगों को ठीक करने की कार्यवाही करें। दूसरा, जो यह मणिपुर की रूलिंग है उसको बन्द करें, उसका कोई इलाज करें। जो लोग किसी न किसी बड़े अधिकारी से जुड़े हुए हैं जो उनके रिश्तेदार हैं उनका क्या उपाय करेंगे यह तो आप बतायेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट की ही रूलिंग चले और यह मणिपुर वाली रूलिंग हटवा दीजिये। तो मेरा विश्वास है कि लोगों का न्याय मिलने पर विश्वास कायम रहेगा और न्याय भी ठीक मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, उत्तर दीजिए।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं। उन पर मैं जरूर गौर करूंगा। जो बातें माननीय सदस्यों ने यहां पर कही हैं उनको अलग-अलग हैड्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। मसलन एक हैड ऐसा है,

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

विचाराधीन मुकदमों को शीघ्र निपटाया जाय एवं सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था कैसी हो, यह एक पाइन्ट है। इसके बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अर्ज करना है कि राज्य में लम्बित प्रकरणों एवं उनमें हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सप्तम् वित्त आयोग ने 9 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं 39 मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की सिफारिश की थी। तद्नुसार राज्य सरकार ने 48 नये न्यायालय राज्य में स्थापित किये हैं। धौलपुर एक नया जिला होने के कारण वहां पर भी एक सिविल जज एवं उच्च न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित किया गया है। इसी प्रकार आवश्यक वस्तु (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत 2 विशिष्ट न्यायालय जयपुर व जोधपुर में स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार न्यायालयों की वृद्धि के साथ-साथ मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों को 250 शीघ्रलिपिक इस शर्त के साथ दिये गये हैं कि वह अपना काम डेढ़ गुना बढ़ा दें। कुछेक स्थानों पर मुकदमों की संख्या को देखते हुए, सिविल न्यायालय खोलने की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार श्रम, औद्योगिक एवं भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के लिये स्थापित न्यायालय भी अपने-अपने क्षेत्र में शिविर लगाकर संबंधित मुकदमों का निपटारा करते हैं। रेलवे, मोटर, यातायात, हरिजनों पर अत्याचार, चम्बल कमांड एरिया में सिंचाई संबंधी मुकदमों एवं जयपुर में म्यूनिसिपैलिटी के मुकदमों की शीघ्र सुनवाई करने हेतु विशिष्ट न्यायालय की स्थापना भी की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय प्रशासन के रिक्त स्थानों की बाबत माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मैं उनको अर्ज कर दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा, आर. एच. जे. एस. के 13 पद रिक्त हैं तथा 15 पद मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के पद रिक्त हैं। यदि राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के 13 पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के 28 पद रिक्त हो जायेंगे। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के रिक्त पदों की पूर्ति उच्च न्यायालय द्वारा इस माह में किये जाने की संभावना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसको पढ़ा हुआ मान लेंगे।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के रिक्त पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। लोक सेवा आयोग को चयन एवं सिफारिश करने का अनुरोध किया जा चुका है और नियुक्तियां इस वर्ष में होने की संभावना है। अन्य रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय से नियमों के अनुसार यथासमय की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा मामला उठाया गया है वह भ्रष्टाचार के संबंध में उठाया गया है।

(व्यवधान)

आप जरा बैठकर सुनिये, हुजूर।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मणिपुर रूलिंग।

श्री अहमद बक्श सिंधी : हां, वहीं है मणिपुर वाला। राज्य सरकार ने हाल

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

हैं। मैं बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों पर न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान बहुत अच्छे निर्धारित किये हैं। यह वेतनमान अन्य कई राज्यों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। स्वतन्त्र, स्वस्थ और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिये वांछित सुविधा को हमेशा ध्यान में रखा जाता रहा है। न्यायिक सेवाओं में व्याप्त तथाकथित भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उच्च न्यायालय में एक रजिस्ट्रार, सतर्कता कार्यरत है, जो कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करते हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : कौन कार्यरत है?

श्री अहमद बक्श सिंधी : जांच के आधार पर पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध……

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदय, आपने भ्रष्टाचार के लिये सेल बताया। उसका नाम बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नियुक्त हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कौन नियुक्त है?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अभी बता रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : बता चुके आप।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप तशरीफ रखिये।

वर्तमान में 27 न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. रूल्स की धारा 16 एवं 17 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के मुताबिक न्यायिक अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियन्त्रण पूर्णतया उच्च न्यायालय का होता है। सरकार उच्च न्यायालय के कार्यों में संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

माननीय भंवरलालजी ने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं। उन्होंने दलालों, टाउटों की तरफ इशारा किया है, जो अदालतों में घूमते फिरते है। पहले इनको टाउट डिक्लेयर करके अदालतों से बाहर निकाल दिया जाता था लेकिन अब उसके अनुसार उन पर कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सी.आई.डी. के आला अफसरों को कचहरी के अहाते में भेजूंगा, अदालतों में जो नकलें दी जाती हैं वहां भी भेजूंगा ताकि उनको मौके पर पकड़ा जा सके और उनको सस्पैंड करके कार्यवाही की जा सके। जहां तक मेरा सवाल है………

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कैसे करोगे?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : घर का राज है क्या आपका?

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट को शिकायत कर सकता हूं। उसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करे ताकि जो भ्रष्ट लोग हैं या भ्रष्ट मजिस्ट्रेट हैं, चाहे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हों या जज हों, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। ऐसा मैं उनसे अनुरोध करूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक दिन आप मेरे साथ चुपचाप पधारेंगे अदालत में।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपने सवाल उठाया, इसलिये मुझे कहना पड़ा । अब तो बात खुल गयी, अब वह सतर्क हो जायेंगे । इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा ।

हुजूर तशरीफ रखिये ।

मेरे इस ऐलान का उन भ्रष्ट अफसरों, क्लर्कों, मजिस्ट्रेटों और जजों पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, यह मुझे यकीन है । यह खाली बात नहीं है, उन टाउटों के पीछे बाकायदा आदमी लगाये जायेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है । हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं अनुरोध करूंगा । वकीलों के बैठने के सिलसिले में मेरे पास मामला आया है । मैं फुरसत में मौका देखकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला हूं । वैसे वकीलों के जलसे में भी मैंने कुछ बातें कही थीं, वह आपको याद होंगी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पूरी नहीं हुई ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जजेज की बाबत बात कही गयी है कि वह चैम्बर से बाहर नहीं निकलते हैं । माननीय सदस्यों से मैं कहूंगा, सारे जजेज और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ऐसे नहीं हैं जो चैम्बर में ही बैठे रहते हों । एकाध कोई होगा तो उसका चुपचाप मुझे नाम बता दीजिये चैम्बर में, तो मैं उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही करने में सक्षम हो सकूंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमको तो नहीं मरवा दोगे ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : जजों से यह अपेक्षा की जाती है कि ज्यादा टाइम अदालतों में बैठकर काम करें । अगर कोई खाना-वाना खाना हो तो एक बजे के वक्त में चैम्बर में जा सकते हैं या कोई जजमेंट लिखाना हो तो चैम्बर में लिखा सकते हैं । इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है । दूसरे, हिन्दी की खुशखती की बाबत कहा कि ऐसा खत होता है जो पढ़ने में नहीं आता है । ऐसे जज हैं कि उनका लिखा हुआ खुद वह भी नहीं पढ़ सकते हों, यह बात सही है आप की, बहुत हद तक जो मिसाल आपने दी उसमें कोई शुबहे की बात नहीं हो सकती । कुछ इसमें कोशिश करेंगे हम कि अच्छी, खुशखत हिन्दी लिखने वालों को ही मौका दें । नकल के मामले में उनको डायरेक्शन भेजने की कोशिश करेंगे कि बयान या जजमेंट की कॉपी देते वक्त यह देखें कि लेजीबिल होनी चाहिये, ऐसी लैंग्वेज हो ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मजिस्ट्रेट साहब जो बयान लिखते हैं, उनका हैंड राइटिंग ऐसा होता है जो पढ़ा नहीं जा सकता ।

श्री भगवानदास शास्त्री : स्टेनो की नियुक्ति·······

श्री अहमद बक्श सिंधी : स्टेनो तो हमने प्रोवाइड कर दिये हैं । सारे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास स्टेनो नहीं हैं । तमाम सी. जे. एम., डी. जे., ए. डी. जे., को स्टेनो प्रोवाइड कर दिये हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले से हैं ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : उसमें काम का जल्दी निपटारा होने की, फैसलों की, मुकदमों की·······

श्री भंवरलाल शर्मा : सारा काम उन बेचारों को खुद करना पड़ता है, हाथ से ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय सुजान सिंहजी ने बहरोड़ में ए. डी. जे. कोर्ट की स्थापना के बारे में कहा। मैं पहले तो.....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो कर दो साहब।

श्री अहमद बक्श सिंधी : ए. डी. ज. कोर्ट अलवर में कैम्प करता है इस वक्त। बहरोड़ में ए. डी. जे. कोर्ट खोलने पर सरकार विचार करेगी। श्री भैरूंसिंह गुर्जर को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि खारची में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने पर विचार करेंगे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : विचार तो कब से कर रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत में 2.........

श्री अहमद बक्श सिंधी : जब तक खोल नहीं दें, उस वक्त तक विचार ही समझना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी कच्चे वायदों में विश्वास नहीं करते।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सोजत में 2 कोर्ट हैं, एक ट्रांसफर कर दें आप। अल्पसंख्यक वाला क्या हुआ ?

श्री अहमदबक्श सिंधी : मैं विलीव नहीं करता, अल्पसंख्यक हो या और कोई हो। यह बात सही है कि हाई कोर्ट में 6 जजेज की पोस्ट खाली हैं। 3 नाम गये हुए हैं, मैं नहीं बोलूगा, कौन-कौन हैं। उनके लिये मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं प्रयत्नशील हूं। मैं यूनियन लॉ मिनिस्टर से मिला हूं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिला हूं इसके लिये कि जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्ति हो जाय।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एडवर्स रिमार्क्स का क्या हुआ ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा तीन जज और नियुक्त करने हैं, इसके लिये मैंने चीफ जस्टिस साहब को सिफारिश की है कि जल्दी नामों की सिफारिश भेज दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अल्पसंख्यक के एडवर्स रिमार्क लगाया है और रिमार्क यह लगाया है कि उसकी उम्र कम है जब उससे भी कम उम्र वालों की नियुक्ति की गई है तो फिर अल्पसंख्यक के ऊपर ही यह रिमार्क क्यों लगाया गया है, इस बात का स्पष्टीकरण दें ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। इस विषय पर चर्चा न हो

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय विधि मंत्रीजी, आप हमें उनके नाम बता दीजिये। हम किसी को नहीं बतायेंगे ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : किन के ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप हमें जजों के नाम बता दें, हम किसी को नहीं बतायेंगे।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : आप लोग जानते हैं सब अच्छी तरह से, कोई छिपी हुई बात नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अल्पसंख्यक का क्या हुआ ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : कम उम्र की बात नहीं है, उम्र बराबर है उनकी।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप स्वयं अल्पसंख्यक समाज से है, सारे अल्पसंख्यक आपके ऊपर निगाह लगाकर बैठे हैं।

169

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली बात में विश्वास नहीं करता हूं। मैं साफ बात कहता हूं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : यह हम मानते हैं, अध्यक्ष महोदय, ये तो हमारे समाज से हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कोई विश्वास नहीं है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जो काबिल आदमी है, चाहे किसी समाज से ......

श्री अध्यक्ष : योग्यता के आधार पर विचार करते हैं।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जो स्टेण्डर्ड पर पूरा उतरता हो, मैं तो सबसे पहले उसकी सिफारिश करने को तैयार हूं। यह नहीं है चूंकि यह एक विशेष समाज से सम्बन्ध रखता है इसलिये उस आधार पर कंसीडर करने लग जायं, फिर न्यायपालिका, न्याय पालिका नहीं रहेगी।

श्री भेरूसिंह गुर्जर : अल्प संख्यक के मंत्री तो बने हैं और अल्पसंख्यक की बात नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक के आधार पर मंत्री बने हैं।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : वह ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मणिपुर का क्या हुआ ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप सुनिये, सुश्री पुष्पा जैन ने कुछ बात कही कि जजों के लड़के प्रैक्टिस करते हैं। यह तो कोई बुराई की बात नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : प्रैक्टिस ही करते हैं, ऐसा नहीं कहा है............

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आप विधि मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिये।

श्री अहमद बक्श सिंधी : उनको केस देने से जीत जाते हैं। यह तो एक जनरल एलीगेशन है। उसको कोई केस......

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने यह किस तरह से कहा और आप जवाब किस तरह से दे रहे हैं.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री अहमद बक्श सिंधी : वह केस जीतने की गारन्टी देते हो, तो आप साफ बतायें। हम उसकी इन्क्वायरी करा देंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : जो चार्जेज मैंने लगाये हैं आप उनको तो करवायें........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्या।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जहां तक जजों की तनख्वाह बढ़ाने वाली बात है, तनख्वाह पहले से अच्छी बढ़ी हुई है। कोई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी स्टेटों से हमारे यहां जजों की तनख्वाह ज्यादा है। ग्रेड अच्छी है। जहां तक जजों के कमरों का सवाल है.........

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या ज्यादा है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): आपके पास तुलनात्मक आंकड़े हैं क्या ? केवल एक प्रदेश के बता दें, अगर हैं तो। आप गुजरात के और यहां के आंकड़े बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्या।

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय सदस्या, एक बात का आपने जिक्र किया कि एक कोई जज साहब हैं जिन्होंने फैसला बहस सुनने से पहले लिख दिया। उसकी इन्क्वायरी होगी। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, इन्क्वायरी चल रही है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर ने.........

श्री अध्यक्ष : उनको आप वापस क्यों छेड़ रहे हैं? उनको तो जवाब दे दिया आपने।

श्री अहमद बक्श सिंधी : एक बात और कही थी उन्होंने। बाली में सी. जे. एम. कोर्ट की बाबत बात कही थी। उस पर भी बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। जो बाली के लोगों को सिरोही के डी. जे. कोर्ट में जाना पड़ता है.........

श्री यदुनाथ सिंह : मंत्री महोदय, वह तो आदेश हो गये हैं.......

श्री अहमद बक्श सिंधी : तो उसके लिये कैम्प की व्यवस्था करने पर विचार किया जायेगा।

श्री मेघराज तावड़: माननीय सदस्य ने ट्राइबल एरिया की परेशानी की बाबत रोशनी डाली कि पेशियां बदलती रहती हैं। उसके लिये मैंने कहा कि हम जजों की संख्या बढ़ा रहे हैं और उनको शीघ्रलिपिक दे रहे हैं। तो यह पेशियां बदलनी कम होंगी और मामले जल्दी निपटेंगे। हाई कोर्ट की बैंच जहां तक उदयपुर में खोलने का सवाल है.........

श्री अध्यक्ष : उसमें तो आपने उत्तर दे दिया है, पूर्व में।

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह खोलना संभव नहीं है।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : जयपुर से हाई कोर्ट की बैंच जोधपुर भेजने की बात.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। देख लें, कोई समस्या रह नहीं गई हो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जोधपुर की जनता मांग कर रही है कि हाई कोर्ट की बैंच जोधपुर भेजी जाय।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अन्त में मैं यह गुजारिश करता हूं कि मेरी मांग को स्वीकार किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : महिला स्पेशल कोर्ट खोलने की बात सदन में बार-बार आयी है। जिन महिलाओं पर अत्याचार किये जाते हैं वे जजों के सामने बयान नहीं दे सकतीं। महिला स्पेशल कोर्ट खोलने के बारे में आप कोई विचार करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्या, वाद-विवाद में नया विषय ला रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समझती हूं गलत बात होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुखबन्द का प्रयोग 5-45 पर होने को था। यदि माननीय सदस्यों की अनुमति हो तो तत्काल ही इसका प्रयोग कर दिया जाय।

((श्री अध्यक्ष)

पहले जो विचाराधीन मांग है उस पर मतदान करा लिया जाता है उसके बाद में मुखबन्द का प्रयोग करके अवशेष मांगें पारित की जायेंगी।

मांग संख्या 6 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–6, न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,19,67,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत))

मांग स्वीकार की गई।

मुखबन्द

शेष अनुदान की मांगों का पारण

अब मुखबन्द का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न यह है कि मांग सख्या 1—राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,18,12,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2–मंत्री परिषद् के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62,91,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3—सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,33,01,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग सख्या 5—प्रशासनिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,47,15,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7—निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 67,61,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8–राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को 21,24,71,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9—वन के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 15,12,71,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10—विविध सामान्य सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,95,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11—विविध सामाजिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्य-पाल महोदय को 2,67,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12—अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,40,98,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13—आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,39,03,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14—बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,10,14,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15—पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 32,36,25,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,95,97,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जनसम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 1,36,18,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,42,78,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,67,79,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,04,83,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 2,53,03,44,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,92,19,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28-सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)
राज्यपाल महोदय को 2,20,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30—जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,05,96,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31—पुनर्वास एवं सहायता के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,02,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32—नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,16,45,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,55,13,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35—विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,36,26,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36—सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,08,89,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38—लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,08,27,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,37,73,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,42,38,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,76,10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,18,08,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत् के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84,77,15,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान विनियोग(संख्या-2)विधेयक, 1983

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि वित्त मंत्री जी अस्वस्थ्य हैं इसलिये उन्होंने सदन से अनुपस्थिति के लिये अनुमति चाही है, अतः उनके स्थान पर अन्य मंत्री महोदय विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनुमति कितने दिनों के लिये चाही है ?

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेकय, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक,

(176)

(श्री अध्यक्ष)

1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म.प. 5.55 बजे, मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(177)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 634 की सूची

इकाइयों की सूची जिनकी परिसम्पत्ति को निगम द्वारा अन्तरण किया गया

क्र. सं.	इकाई का नाम	शाखा का नाम	विक्रय मूल्य
1	2	3	4
1.	मै. रेश्मा आयरन इण्डस्ट्रीज	टौंक	1.24
2.	,, कपूर कैमिकल्स, दौसा	जयपुर	0.97
3.	,, राजस्थान डाइंग एण्ड प्रिंटिंग	उदयपुर	0.49
4.	,, शर्मा इण्डस्ट्रीज	चूरू	0.60
5.	,, रामा टैक्सटाइल्स	जयपुर	0.39
6.	,, यादवेन्द्र टैक्सटाइल्स	जयपुर	[illegible].32
7.	,, मैटल्स एण्ड मैटल्स	टौंक	0.18
8.	,, महामाया माइनिंग इण्ड.	विश्वकर्मा, जयपुर	13.10
9.	,, श्री इन्दरसेन मित्तल	बांसवाड़ा	1.15
10.	,, सुन्दरसन्स इण्डस्ट्रीज (प्रा. लि.)	जयपुर	5.30
11.	,, श्री पदमसेन जैन	बांसवाड़ा	1.27
12.	,, राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी	बालोतरा	2.52
13.	,, पारीक उद्योग	बून्दी	0.15
14.	,, जेमल मार्बल इण्डस्ट्रीज	नागौर	0.45
15.	,, जगदीश इसबगोल इण्डस्ट्रीज	सिरोही	0.62
16.	,, श्रीराम आयल इण्डस्ट्रीज	टौंक	0.08
17.	,, गोल्डन प्लास्टिक उद्योग	चूरू	0.05
18.	,, कमल कैमिकल्स	चूरू	0.42
19.	,, रोमटन इण्डस्ट्रीज	जयपुर	0.30
20.	,, मधु सरिता ग्रामोद्योग	टौंक	0.05
21.	,, ट्रक नं. आर. आर. बी. 7299	जयपुर	0.50
22.	,, मार्डन सुगर वर्क्स प्रा. लि.	झालावाड़	0.60
23.	,, जैन एण्ड कम्पनी	जयपुर	0.40
24.	,, राजस्थान कैमिकल्स प्रोडक्ट्स	अलवर	0.36
25.	,, स्वास्तिक एन्टरप्राइजेज	चूरू	0.48
26.	,, पीलीबंगा आइल मिल्स, पीलीबंगा	श्री गंगानगर	3.36

(178)

1	2	3	4	
27.	मै. विजय ड्रग हाउस	सिरोही	0.62	
28.	,, विजय ग्रायल मिल	उदयपुर	0.45	
29.	,, मारूती स्टोन क्रशर	जयपुर	0.68	
30.	,, जैकब जोसेफन्टेक्सी	जयपुर	0.60	
			37.70	
31.	मै. विनय ग्लास वर्क्स	ग्रलवर	1.71	सिर्फ प्लाट व मशीनरी
32.	,, राजस्थान ग्लास कन्टेनर्स	ग्रलवर	0.22	,, ,,
33.	,, पुरोहित प्लास्टिक रिप्रोसेस मै.	ग्रलवर	0.32	,, ,,
34.	,, महावीर कोल्ड स्टोरेज एण्ड ग्राइस फैक्ट्री	टोंक	1.00	,, ,,
35.	,, ग्रर्चज ग्राइल मिल्स	ग्रजमेर	0.46	,, ,,
			41.41	

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 637 की सूची

राजस्थान होमियोपैथिक मेडिसन बोर्ड में मनोनीत सदस्यों एवं निर्वाचित सदस्यों की सूची

मनोनीत सदस्यगण

1. डॉ. कृष्णगोपाल राजवंशी, जयपुर ।
2. डॉ. एच. आर. चौहान, टौंक ।
3. डॉ. रेखा जैन, सी-109 शिवाजी मार्ग, तिलक नगर, जयपुर ।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) आयुर्वेद विभाग, अजमेर ।

निर्वाचित सदस्यगण

1. डॉ. राममोहन-गुप्ता, 561-नाटानी भवन, मनिहारों का रास्ता, जयपुर ।
2. डॉ. पंकज शर्मा, तेल मिल के सामने, घाटगेट वाहर, जयपुर ।
3. डॉ. सम्पत कुमार जैन, राजस्थान होमियो स्टोर, ढढ्ढा मार्केट, जयपुर ।
4. डॉ. शीतल प्रसाद कंसल, जैन होमियो. डिसपेन्सरी, हल्दियों का रास्ता, जयपुर ।
5. डॉ. भागचन्द छाजेड़, बी-35, पांच भाइयों की कोठी, आदर्श नगर, जयपुर ।
6. डॉ. सरदार मल जैन, मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, नागौरियों का चौक, मकान नं. 2601, जयपुर ।
7. डॉ. हरीप्रकाश, प्रिन्सिपल, युवराज प्रतापसिंह मेमोरियल होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अलवर ।

(180)

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा वार्ड के किराये का गबन

638. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर-लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के रेजीडेन्ट मेडिकल ऑफिसर के अन्तर्गत मरीजों को किराये पर दिये जाने वाले कोटेजेज/स्पेशल वार्ड के अलॉटमेंट एवं किराया वसूली हेतु सरकार के वित्तीय एवं सेवा नियमों के विपरीत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लगा रखा था ?

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले कई सालों से इस कर्मचारी द्वारा वसूल किये गये किराये के लाखों रुपये उसने गबन कर लिये और उन्हें खजाने में जमा नहीं कराया ?

(3) यदि हां, तो किस-किस साल के कितने-कितने रुपयों का गबन हुआ है और इसकी जानकारी कब कैसे हुई और आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(4) उक्त गबन में सुपरवाइजरी नेगलिजेंस व सहयोगी रूप से कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां । कार्य की अधिकता के कारण राजस्व वसूली का कार्य शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिया गया ।

(2) जी हां ।

(3) रिपोर्ट के आधार पर 1-1-79 से 30-11-82 तक 1,18,299 रु. का गबन बताया गया है ।

(4) मामले की जांच चल रही है । अन्तिम रिपोर्ट आने पर दोषी अधिकारियों के व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), जयपुर के क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण

639. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1982-83 में कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), जयपुर के क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गयीं तथा उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? कृपया पंचायत समितिवार स्वीकृत सड़कों की सूची एवं इन सड़कों के लिये दी गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1982-83 में कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), जयपुर के क्षेत्र में कितनी लम्बी पक्की सम्पर्क सड़कें बनायी गयीं ? कृपया पंचायत समितिवार सम्पर्क सड़कों की लम्बाई का विवरण सदन की मेज पर पर रखें ।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) विवरण परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

181

परिशिष्ट—क

विवरण

कृषि उपज मंडी समिति, जयपुर (अनाज) के मंडी क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों की सूची एवं व्यय का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत सड़कों का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाखों में)	वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	लम्बाई कि. मी. में	वर्ष 82-83 में में व्यय (फरवरी, 83 तक)
1	2	3	4	5	6
	पंचायत समिति—शाहपुरा				
1.	नवलपुरा से श्योसिंहपुरा वाया श्री परमानन्दजी	6.40	1.20	2.0	–
2.	सिवाड़ से बिसनगढ़ वी. टी.	1.20	0.80	3.0	0.19
3.	नीम का थाना रोड से चिमनपुरा	0.80	0.80	2.0	0.33
4.	करीरी से बिलन्दरपुर	1.60	1.00	4.0	0.38
5.	साहीवाड़ मोड़ से पीपलोद	1.20	–	3.0	–
6.	बिलन्दरपुर से धानोता	4.80	1.40	3.0	0.16
7.	मनोहरपुर से बिसनगढ़	3.20	1.40	2.0	–
8.	खोरा लाडखानी रोड छारसा	3.20	1.40	2.0	–
9.	ग्राम धवली से नया वास	4.80	–	3.0	–
	योग....	27.20	8.00	24.0	0.96
	पंचायत समिति—सांगानेर				
1.	सांगानेर से सिकारपुर	4.80	–	3.0	–
2.	सोडाला रोड से मांगियावास	4.80	2.10	3.0	–
3.	मुहाना से कपूरवाला	4.80	2.50	3.0	–
	योग ..	14.40	4.60	9.0	–

1	2	3	4	5	6
	पंचायत समिति—आमेर				
1.	कुण्डा ग्रेड से नांगल सुसावतान	3.20	3.00	2.0	0.71
2.	नेशनल हाइवे देहली रोड, लाखेर	1.60	1.60	1.0	0.17
3.	नेशनल हाइवे देहली रोड, चिताणु वाया जुगलपुरा	4.80	3.00	3.0	–
4.	चोप से जैतपुरा वाया बिलोंची (राडो की ढाणी)	4.80	–	3.0	–
5.	दौलतपुरा से बगवाड़ा	3.20	–	2.0	–
6.	मांडी से राधाकिशनपुरा वाया देवपुरा, खनीपुरा	4.80	–	3.0	–
7.	ताकरों की ढाणी से तनबिहारीपुरा, सिरसी रोड	6.00	2.00	4.0	1.29
	योग..	28.40	9.60	18.0	2.17
	पंचायत समिति—झोटवाड़ा				
1.	चुंगी चौकी आगरा रोड से सुमेल	4.80	2.00	3.0	0.02
2.	कालवाड़ रोड से दूजनियावास	3.20	2.00	2.0	–
3.	मुकन्दपुरा से बिन्दायका	3.20	2.00	2.0	–
4.	सरना डूंगरी से बावड़ी	1.60	1.00	1.0	0.12
5.	चम्पापुरा से ताकरो का वास	3.20	–	2.0	–
6.	नारी का वास से सरना चोड़	3.20	–	2.0	–
	योग..	19.20	7.00	12.0	0.14
	पंचायत समिति—बस्सी				
1.	जटवाड़ा से बड़वा फार्म वाया टोड़ा-पडासोली	1.20	0.60	3.0	0.22
2.	तूंगा से देवगांव वाया धनाऊ	0.80	0.80	2.0	–
3.	बस्सी से साम्भरिया	3.20	–	2.0	–
4.	जटवाड़ा से पाटन	3.20	1.00	2.0	0.42
5.	बांसखों से लवाण	3.20	–	2.0	–
	योग..	11.60	2.40	11.0	0.64

1	2	3	4	5	6
	पंचायत समिति—जमुवा रामगढ़				
1.	टोडामीणा से भानपुर कलां	3.20	1.40	2.0	–
2.	मेन रोड से धौलाई (प. मु.)	1.60	1.60	1.0	–
3.	मेन रोड से नीमला वाया धौलाई	4.80	2.00	3.0	0.39
4.	वृज से चांडिया (प. मु.)	1.60	–	1.0	–
5.	मेन रोड से माथासूला (प. मु.)	3.20	1.00	2.0	–
6.	मेन रोड से सांडकोटड़ा (प. मु.)	2.20	–	2.0	–
7.	महंगी से भावनी वाया दांतीली	4.80	–	3.0	
8.	धूला से नकटी घाटी	3.20	–	2.0	–
9.	चिताणु से चन्दवाजी (प. मु.)	4.80	–	3.0	–
10.	लालवास से नकटी घाटी	–	–	10.0	–
	योग..	30.40	6.00	29.0	0.39
	पंचायत समिति—विराटनगर				
1.	साठ्याणा से देवली	3.20	–	2.0	–
2.	बाडीजोडी से सार्वी पुल नेशनल हाइवे वाया रामचन्द्रपुरा, छापड़ाखुर्द, छापड़ा-कलां, गोविन्दपुरा, घा भाई, नीझर	6.40	–	4.0	–
3.	अलवर रोड से जयरामपुरा	2.40	0.80	1.5	0.27
4.	रामपुरा से शाहपुरा	3.20	–	2.0	–
5.	अलवर रोड से बागावास चौरासी	2.40	0.60	1.5	2.03
6.	बडोतिया से मनोहरपुर वाया कुमावास	3.20	1.00	2.0	0.71
7.	नेकी ढाणी से बयावास	1.60	1.60	1.0	0.19
	योग..	22.40	4.00	14.0	3.20

परिशिष्ट—ख

कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), जयपुर के क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई की सूचना

क्र. सं.	स्वीकृत सड़कों का नाम	वर्ष 82-83 में निर्मित सड़क की लम्बाई	
		बिना तारकोल की सड़क कि. मी. में	तारकोल की सड़क कि. मी. में
1	2	3	4
	पंचायत समिति—शाहपुरा		
1.	नवलपुरा से श्योसिंहपुरा वाया श्री परमानन्द जी	–	–
2.	सिवाड़ से बिसनगढ़ वी. टी.	–	1.0
3.	नीमकाथाना रोड से चिमनपुरा	–	1.0
4.	करीरी से बिलन्दरपुर	–	–
5.	साहीवाड़ मोड से पीपलोद	–	–
6.	बिलन्दरपुर से धानोता	1.0	–
7.	मनोहरपुर से बिसनगढ़	1.0	–
8.	खोरा लाडखानी रोड से छारसा	1.0	–
9.	ग्राम धवली से नया बास	–	–
	योग..	8.0	2.0
	पंचायत समिति—सांगानेर		
1.	सांगानेर से सिकारापुरा	–	–
2.	सोडाला रोड से मांगियावास	–	–
3.	मुहाना से कपूर वाला	–	–
	योग.	–	–

(185)

1	2	3	4
	पंचायत समिति—आमेर		
1.	कुण्डा ग्रेड से नांगल सुसावतान	–	1.5
2.	नेशनल हाईवे देहली रोड से लाखेर	–	1.0
3.	नेशनल हाईवे देहली रोड चिताणु वाया जुगलपुरा	–	–
4.	चौप से जैतपुरा वाया बिलोची (राणों की ढाणी)	–	–
5.	दौलतपुरा से बगवाड़ा	–	–
6.	मांडी से राधाकिशनपुरा वाया देवपुरा-खनीपुरा	–	–
7.	ताकरों की ढाणी से तनबिहारीपुरा सिरसी रोड	–	–
	योग:—	–	2.5
	पंचायत समिति—झोटवाड़ा		
1.	चुंगी चौकी आगरा रोड से सुनेल	2.0	–
2.	कालवाड़ रोड से दुजनियावास	–	–
3.	मुकन्दपुरा से बिन्दायका	–	–
4.	सरना डूंगरी से बावड़ी	–	–
5.	चम्पापुरा से नारी का बास	–	–
6.	नारी का बास से सरना चौड़	–	–
	योग:—	2.0	–
	पंचायत समिति—बस्सी		
1.	जटवाड़ा से बड़वा फार्म वाया टोड़ा पड़ासोली	–	–
2.	तूंगा से देवगांव वाया घनाऊ	1.0	–
3.	बस्सी से साम्भरिया	–	–
4.	जटवाड़ा से पाटन	2.0	–
5.	बांसखों से लवाण	–	–
	योग:—	3.0	–

186

1	2	3	4
	पंचायत समिति—जमुवा रामगढ़		
1.	टोडा मीणा से भानपुर कलां	—	—
2.	मेन रोड से धौलाई (प. मु.)	—	—
3.	मेन रोड से नीमला वाया धौलाई	—	—
4.	बूज से चांडिया (प. मु.)	—	—
5.	मेन रोड से माथासूला (प. मु.)	—	—
6.	मेन रोड से सांडकोटड़ा (प. मु.)	—	—
7.	महंगी से भावनी वाया दांतली	—	—
8.	धुला से नकटी घाटी	—	—
9.	चिताणु से चन्दवाजी (प. मु.)	—	—
10.	लालवास से नकटी घाटी	—	—
	योग:—	—	—
	पंचायत समिति—विराट नगर		
1.	साढ्याणा से देवली	—	—
2.	बाड़ी जोड़ी से साबी पुल नेशनल हाईवे वाया रामचन्द्रपुरा, छापड़ा खुर्द, छापड़ाकलां, गोविन्दपुरा, धाभाई, नीझर	—	—
3.	अलवर रोड से जयरामपुरा	—	1.0
4.	रामपुरा से शाहपुरा	—	—
5.	अल्वर रोड से बागावास चौरासी	—	1.0
6.	बड़ोतिया से मनोहरपुर वाया कुमावास	1.0	—
7.	नेकी ढाणी से बयावास	1.0	—
	योग:—	2.0	2.0

राज्य के पश्चिमी जिलों से मध्यप्रदेश को भेड़ों का निष्क्रमण

640. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के पश्चिमी जिलों से मध्यप्रदेश को वर्ष 1981–82 में कितनी भेड़ किस-किस मार्ग से निष्क्रमण हुई ? निष्क्रमण मार्ग एवं निष्क्रमण अवधि का विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस एवं भेड़ व ऊन विभाग की चौकसी के अभाव में कई लोग झगड़े के कारण मारे गये एवं घायल हो गये ? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले में भेड़ पालकों द्वारा कितने कहां के निवासी मारे गये एवं घायल हुए ?

(3) राज्य सरकार ने इन मृतकों के परिवारजनों को एवं घायलों को क्या-क्या आर्थिक सहयोग कब-कब दिया ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान के पश्चिमी जिलों से मध्यप्रदेश को वर्ष 1981–82 में स्थाई निष्क्रमण की 5,45,000 भेड़ें एवं अस्थाई निष्क्रमण की 3,25,000 भेड़ें निष्क्रमण हुई । निष्क्रमण मार्ग एवं निष्क्रमण अवधि का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "क" एवं "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी नहीं । पुलिस एवं भेड़ व ऊन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार उपयुक्त व्यवस्था की गई है परन्तु इसके बावजूद भी वर्ष 1981–82 में चित्तौड़गढ़ जिले में ईंटों का तालाब स्थान पर हुए झगड़े में केवल पन्ना पुत्र सरा रैबारी भेड़पालक निवासी सोसड़ी घायल हुआ था । इस झगड़े में किसी भेड़ पालक की मृत्यु नहीं हुई ।

(3) जी नहीं ।

विवरण

परिशिष्ट "क"

राजस्थान के पश्चिमी जिलों से मध्यप्रदेश में स्थाई/अस्थाई निष्क्रमण पर जाने वाली भेड़ों के मार्गों की सूचना:—

स्थाई निष्क्रमण भेड़ों के मार्ग:—

1. जिला सवाईमाधोपुर :—
   (क) खण्डार, पालघाट और फिर मध्यप्रदेश
   (ख) करोली, सरमुथरा, धौलपुर और उसके बाद मध्यप्रदेश
2. जिला चित्तौडगढ़ :—
   (क) बेगू, सिंघोली, रतनखेड़ा, बूजर का घाटा, रावतभाटा, भैंसरोडगढ़, वडिया, चेचट सुकेत, भवानीमंडी, गैरोल, आगर, शाहजहांपुर (म. प्र.)
   (ख) बेगू घाटावाली, निम्बेड़ा, सती का घाट, धमोतरा, सेहलाना, प्रतापगढ़, राजोट, धार (म. प्र.)

3. जिला कोटा :—

(क) कोटा, बारां, शाहबाद, शिवपुरी (म. प्र.)

(ख) कोटा, बारां, छबड़ा, गुनी (म. प्र.)

(ग) कोटा, दर्रा, झालावाड़, पाटन, इकलेरा (म. प्र.)

4. जिला झालावाड़ :—

(क) पाटन, रायपुर, सुनेल, ससनेर, आगर, शाहजहांपुर, सोनकच्छ (म. प्र.)]

5. जिला बून्दी :—

(क) बून्दी, खटका, लाखेरी, देवरी, केलवाड़ा, भंवरगढ़, शाहबाद, शिवपुरी (म. प्र.)

(ख) बीसवामील, गोलपुर, मोरूंका बीड़, कोटा एवं मध्यप्रदेश

6. जिला भीलवाड़ा :—

(क) बून्दी, कोटा, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़ से मध्यप्रदेश।

अस्थाई निष्क्रमण भेड़ों के मार्गः—

1. जिला जोधपुर :—

(क) ब्यावर, देवली, कोटा होती हुई मध्यप्रदेश।

2. जिला पाली :—

(क) तख्तगढ़, साण्डेराव, फालना, देसूरी, चारभुजा, चित्तौड़गढ़, सादड़ी, प्रतापगढ़ होती हुई मध्यप्रदेश।

(ख) पाली, सोजत, बर, ब्यावर, आसीन्द, भीलवाड़ा, माण्डलगढ़, बेगु, रावतभाटा होती हुई मध्यप्रदेश।

3. जिला जालौर :—

(क) आहोर, तख्तगढ़, साण्डेराव, गोगुन्दा, मावली, बन्सी, प्रतापगढ़ से मध्यप्रदेश।

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1981-82 में मध्य प्रदेश में निष्क्रमण पर जाने वाली भेड़ों का विवरण

क्र. स.	निष्क्रमण का प्रकार	नाम जिला	भेड़ संख्या	अवधि		विशेष विवरण
				राज्य में	मध्यप्रदेश में	
1.	स्थाई	जोधपुर	50,000	जुलाई से	नवम्बर से	
2.		नागौर	1,50,000	अक्टूबर	जून तक	
3.		पाली	2,00,000	बून्दी, कोटा झालावाड़,		
4.		जालौर	1,45,000	चित्तौड़गढ़ के वन भू-खण्ड		
			5,45,000			
1.	अस्थाई	जालौर	1,00,000	सितम्बर से	नवम्बर से	अस्थाई निष्क्रमण पर भेड़ें पश्चिमी जिलों से साधारणतया माह नवम्बर से निष्क्रमण करती हैं, परन्तु वर्ष 81-82 में पश्चिमी राजस्थान के जिलों में प्रारम्भ में वर्षा का अभाव होने से अपने मूल स्थानों से समय से पूर्व माह सितम्बर में ही निष्क्रमण पर जाना पड़ा।
2.		पाली	1,00,000	नवम्बर	जून तक	
3.		नागौर	50,000	अजमेर, जयपुर		
4.		सिरोही	25,000	दौसा, सवाई माधोपुर		
5.		जोधपुर	50,000			
			3,25,000			

उदयपुर के पेस्टीसाइड्स इंडिया उद्योग द्वारा अनावश्यक तरल पदार्थों के निस्तारण से हानि

641. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) उदयपुर में महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन के पास पेस्टीसाइड्स इंडिया नामक उद्योग में प्रयोग में आने वाले कीटाणु-नाशक तथा सह-पदार्थ का प्रयोग करने के बाद के रिफ्यूज या अनावश्यक तरल पदार्थ के निस्तारण की वर्तमान में क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि इस उद्योग में मान्यता प्राप्त मजदूर संघ ने एवं पड़ोस के रहने वालों ने समय समय पर इस कार्य से कुओं के पानी विषाक्त होने व मनुष्यों व पशुओं के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की ओर सरकार का ध्यान खींचा है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) उद्योग द्वारा तरल पदार्थ के निस्तारण हेतु उपयुक्त उपचार व्यवस्था का निर्माण करवा दिया है । रिफ्यूज को इन्सिनरेटर्स (Incinerators) में जलाया जाता है ।

(2) जी नहीं । राज्य मंडल को उद्योग के मान्यता प्राप्त मजदूर संघ अथवा आस पास में रहने वाले लोगों से कुओं का पानी विषाक्त होने के संबंध में तथा मनुष्यों व पशुओं के जीवन पर भी प्रभाव पड़ने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । रिफ्यूज का इन्सिनरेटर्स से जलाने के बाद जलस्राव को फैक्ट्री आहते से बाहर ही नहीं ले जाया जाता है अतएव विपरीत प्रभाव पड़ना सम्भव नहीं है ।

बिक्री कर सरलीकरण समिति द्वारा आमंत्रित सुझाव

642. **श्री महावीरप्रसाद जैन** (टौंक) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सदस्य सचिव, बिक्री कर सरलीकरण समिति मुख्यालय कर विभाग, जयपुर ने 6 जनवरी, 1983 तक एक प्रश्नावली के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या महत्वपूर्ण सुझाव आये एवं सरकार तथा समिति ने सरलीकरण हेतु क्या क्या निर्णय लिये ? उनको कब तक लागू किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उस पर समिति की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा ।

ए. डागा स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज मदरामपुरा, अजमेर रोड से होने वाले शोरगुल की रोकथाम

643. श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) व **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड, जयपुर पर बम्बई वालों के बाग के पूर्व में आवासीय भूमि पर स्टील आलमारी, कूलर आदि बनाने वाली मैसर्स ए. डागा स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज फैक्ट्री चल रही है ? यदि हां, तो क्या उस फैक्ट्री ने नगर परिषद् के एन. ओ. सी. व अनुमति-पत्र आदि की औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्री की हैमर, इलेक्ट्रिक वैल्डिंग आदि मशीनों के शोरगुल से परेशान मदरामपुरा बस्ती वालों ने उसे वहां से हटाने के लिये मुख्य मंत्री एवं उच्च अधिकारियों से बार बार निवेदन किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्री द्वारा स्थापना काल से अब तक नगर परिषद्, जयपुर को देय चुंगी व करों की चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो कृपया उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) उस फैक्ट्री से कब तक बकाया कर की राशि मय जुर्माने के वसूल कर ली जायेगी ।

उत्तर

(1) जी हां । परन्तु इस फैक्ट्री ने नगर परिषद् से एन. ओ. सी. व अनुमति-पत्र आदि की औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं ।

(2) जी हां । फैक्ट्री को हटाने की कार्यवाही की गई, परन्तु स्थगन आदेश आ जाने के कारण नहीं हटाया जा सका ।

(3) जी नहीं । यह सही नहीं है ।

(4) प्रश्न के उत्तर भाग 3 के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

पशु चिकित्सालय, बेगूं का कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

644. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशु चिकित्सालय बेगूं में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कबसे कार्यरत था ?

(2) इसे बन्द कब किया गया व क्यों ?

(3) क्या सरकार उसे पुनः प्रारम्भ करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पशु चिकित्सालय : बेगूं में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना नहीं की गई थी ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक

646. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या जन अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठकें नियमानुसार कितने समय में आमन्त्रित की जानी चाहिये थी ? वर्ष 1982-83 में कितने जिलाधीशों ने उस नियम की पालना नहीं की और क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

बारां, जिला कोटा में उप जिला स्तरीय अभाव अभियोग समिति का गठन दिनांक 14-7-80 को हुआ । गठन के पश्चात् इस समिति की अब तक चौदह (14) बैठकें हुई हैं ।

जी नहीं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय के बीच-बीच में आवश्यक राज्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बैठकें बुलाई नहीं जा सकी ।

जिला कोटा की पंचायत समितियों के अधीन हैण्ड पम्प्स

647. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) कोटा जिले की किस-किस पंचायत समिति ने अपने क्षेत्र के कितने कितने हैण्ड पम्प अपने अधिकार में ले लिये हैं ? जिसने नहीं लिया है ऐसी पंचायत समितियों के पास कितने हैण्ड पम्प हैं ?

(2) जिन पंचायत समितियों ने हैण्ड पम्प अपने अधिकार में ले लिये हैं उनके पास हैण्ड पम्प की मरम्मत की क्या व्यवस्था है ? जिन पंचायत समितियों ने हैण्ड पम्प अपने अधिकार में नहीं लिये हैं, वहां उनके मरम्मत की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, अन्ता, लाडपुरा, खैराबाद में अधिकतर हैण्ड पम्प खराब हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक ठीक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता (ड्रिलिंग एवं हैण्ड पम्प) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग कोटा के अनुसार कोटा जिले की सभी पंचायत समितियों ने अपने क्षेत्र में लगे चालू 974 हैण्ड पम्प अपने अधिकार में लिये हैं । ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं है, जिसने हैण्ड पम्प अपने अधिकार में नहीं लिये हों । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) हैण्ड पम्पों के रखरखाव के लिये ग्राम पंचायतों को 150/- रु. प्रति-हैण्डपम्प प्रतिवर्ष के हिसाब से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है । हैण्डपम्प मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने की कार्यवाही की जा रही है । जिन हैण्डपम्पों का हस्तान्तरण ग्राम पंचायतों को नहीं किया गया है उनका रखरखाव जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

(3) पंचायत समिति अन्ता, लाडपुरा व खैराबाद के कुछ हैण्डपम्प खराब हैं जिन्हें ठीक करवाया जाकर संबंधित पंचायतों को हस्तान्तरित करवाया जावेगा ।

सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति का का नाम	कुल हैण्ड पम्प की संख्या	हस्तान्तरित किये गये हैण्ड पम्प की संख्या	खराब होने के कारण हस्ता. नहीं हुए है. पम्प की संख्या	सरपंच द्वारा नहीं लिये गये है. प. की संख्या	हस्ता0 किये जा रहे है. पम्प की संख्या
1.	अटरू	85	71	4	—	10
2.	बारां	184	72	—	—	32
3.	छीपाबड़ौद	135	96	25	—	14
4.	छबड़ा	60	44	11	—	5
5.	सुल्तानपुर	79	66	3	5	5
6.	किशनगंज	81	58	3	—	20
7.	लाडपुरा	138	111	14	—	13
8.	अन्ता	75	54	14	—	7
9.	इटावा	99	71	1	10	17
10.	सांगोद	71	51	3	12	5
11.	खैराबाद	230	187	27	16	—
12.	शाहबाद	110	93	7	—	10
	कुल योग——	1267	974	112	43	138

दानदाताओं द्वारा दी गई भूमि व औषधालय भवन का विभाग के नाम होना

648. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के पास सरकारी तथा दानदाताओं द्वारा बनाई गई औषधालयों की बिल्डिंग हैं ? यदि हां, तो यह बताया जावे कि यह पूर्ण राजस्थान में कितनी लागत की हैं और इनके रखरखाव हेतु प्रति वर्ष कितने लाख का बजट पास कर खर्चा लिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि कई स्थानों पर दानदाताओं द्वारा भूमि, औषधालय बनाने हेतु तथा कई जगह औषधालयों का भवन बना कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनको विभाग के नाम करवा ली गई हैं या उन्हीं के नाम है और अब तक राजस्थान में इस प्रकार के कितने मामले हैं तथा उनको कब तक विभाग के नाम करवा लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्तमान में इनकी लागत अनुमानतः लगभग तीन करोड़ रुपये है । भवनों के जीर्णोद्धार हेतु वर्तमान में एक लाख रुपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है ।

(2) जी हां । कतिपय भवनों की रजिस्ट्री विभाग के नाम हो चुकी है एवं कुछ भवनों की रजिस्ट्री विभाग के नाम कराने की कार्यवाही चल रही है । दानदाता उपलब्ध होने पर एवं उनकी सुविधानुसार रजिस्ट्री कराने की कार्यवाही की जा रही है । दान में प्राप्त भवनों पर पूर्णरूपेण विभाग का कब्जा है ।

नगरपालिका नीमाज (पाली) में आवासीय योजना

649. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या 20 संकल्प कार्यक्रम अन्तर्गत समाज के कमजोर तबके को भू-खण्ड आवंटन हेतु नगरपालिका नीमाज, जिला पाली ने एक आवासीय योजना बनाई थी जिसके लिये भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर अवाप्ति की कार्यवाही 4-5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गयी थी ? यदि हां, तो अब यह कार्यवाही किस स्टेज पर है और कब तक समाज के कमजोर तबकों के लोगों को आवासीय भू-खण्ड आवंटित करने हेतु भूमि नगरपालिका नीमाज को सौंप दी जायेगी ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां । भूमि अवाप्ति की कार्यवाही उप जिलाधीश (भूमि अवाप्ति अधिकारी) जैतारण के यहां विचाराधीन है । उप जिलाधीश को पुनः ताकीद भी की गई है कि वे नगरपालिका नीमाज को अवाप्त की गई भूमि शीघ्र सौंपने की कार्यवाही करें ।

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) उदयपुर के कार्यालय के मृत कर्मचारियों के पेंशन के मामले

650. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया), उदयपुर कार्यालय में विगत तीन वर्षों में कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई ? उनके पेंशन केस कितने दिनों में बनाकर परिवार वालों को भुगतान कराया गया ? क्या पेंशन का भुगतान समय पर नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया), उदयपुर के निम्न कर्मचारियों की मृत्यु हुये कई साल गुजर जाने पर भी पेंशन केस बना कर नहीं दिये गये :—

(1) हामजी डामोर, कोटड़ा
(2) शंकर लाल जोशी, सलूम्बर
(3) तोला राम, उदयपुर
(4) डूंगर सिंह

यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में 9 कर्मचारियों की मृत्यु हुई, जिनमें 6 कर्मचारियों के पेंशन केस तैयार करा कर 6 माह में भुगतान कराया गया । 2 के पेंशन केस मुख्य पेंशन अधिकारी के पास स्वीकृति हेतु भेज दिये गये हैं । सिर्फ एक का पेंशन केस बकाया है । विलम्ब के कारण संलग्न तालिका में में दिये गये हैं ।

(2) केवल श्री तोला राम का पेंशन केस नहीं बनाया गया है इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है । विलम्ब का कारण उक्त तालिका में दिया गया है । शेष व्यक्तियों के पेंशन केसेज की प्रगति संलग्न तालिका में बतादी गई है ।

तालिका

क्र. सं.	नाम कर्मचारी एवं पद	सेवा निवृत्ति की तिथि	मृत्यु होने की तिथि	पेंशन केस मुख्य पेंशन अधिकारी को भेजने की की तिथि	पी. पी. ओ. जी. पी. ओ. जारी होने की तिथि	पी. पी. ओ. सं.	जी. पी. ओ. संख्या	विवरण
1.	श्री तोलाराम एम. एस. डब्ल्यू	1-7-76	1-9-78	—	—	—	—	श्री तोलाराम को दि. 1-7-76 को राज्य सेवा से निवृत्त किया गया एवं उनके पेंशन केस तैयार करने की तिथि रिकार्ड के अनुसार 1-9-76 है एवं बाद में कर्मचारी का दि. 1-9-78 को स्वर्गवास हो चुका है। कर्मचारी इस विभाग में आने से पूर्व उद्योग विभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर रह कर आये थे, फलस्वरूप कर्मचारी का सेवाभिलेख अपूर्ण होने से कई स्थानों पर पूर्ण किये जाने हेतु भेजा गया। वर्तमान में यह केस पूर्ण

किये जाने हेतु जोधपुर भेजा गया है, अतः वापस आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

2.	श्री भैरू लाल छीपा एम. एस. आई.	—	6-4-80	14-5-80	7-2-81	0427	5567	
3.	श्री फैयाज अहमद एम. एस. आई	—	17-11-80	6-5-81	29-6-81	1296	—	
4.	श्री डूंगरसिंह वाहन चालक	—	31-7-81	3-10-81	26-12-81	1738	17221 दि. 29-1-83	
5.	श्री भंवरलाल चीता एम. एस. डब्ल्यू.	—	21-4-81	11-9-81	15-10-81	1578	9370	
6.	श्री उम्मेदसिंह एम. एस. डब्ल्यू.	—	1-6-81	30-11-81	26-12-81	1736	13050	
7.	श्री पूंजा लाल जैन, एम. एस. डब्ल्यू.	—	5-4-82	12-7-82	23-8-82	238	15013 दि. 6-9-82	
8.	श्री हामजी डामर एम. एस. डब्ल्यू.	—	20-6-82	9-3-83	—	—	—	
9.	श्री शंकर लाल जोशी एम. एस. डब्ल्यू.	—	19-10-82	7-3-83	—	—	—	

क्र. सं. 8 एवं 9 के पेंशन केस को तैयार कर मुख्य पेंशन अधिकारी, राज., जयपुर को भेजने में जो विलम्ब हुआ है वह संबंधित कर्मचारियों के संबंधियों से चाही गयी सूचना देर से प्राप्त होने के कारण ही हुआ ।

(198)

तहसील चौमूं में सब्जी एवं फलों के विकास हेतु योजना

651. श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार चौमूं तहसील में फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, भू-संरक्षण की विशिष्ट योजना तैयार कर लागू करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार चौमूं क्षेत्र में सब्जी एवं फलों के उत्पादन को मद्दे नजर रख कर क्षेत्र के भावी विकास के लिये तथा इन चीजों के निर्यात के लिये कोई विशेष योजना तैयार कर लागू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चौमूं तहसील में वर्तमान में फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन एवं भू-संरक्षण की कोई योजनायें लागू नहीं की जा रही हैं । चौमूं तहसील क्षेत्र का विशिष्ट योजनायें तैयार करने की संभावनाओं का अध्ययन नहीं किया गया है । योजनाओं की संभावनाओं के अध्ययन के बाद ही योजना तैयार की जा कर लागू की जाती है ।

(2) चौमूं क्षेत्र में सब्जी एवं फलों के उत्पादन एवं इनके निर्यात के लिये कोई विशिष्ट योजना तैयार करने का वर्तमान में प्रस्ताव नहीं है ।

शारीरिक महाविद्यालय, जोधपुर

652. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) **एवं श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष दिनांक 5-4-1982 को शारीरिक महाविद्यालय, जोधपुर के करीब 90 छात्र-छात्राओं को प्रातः 6.30 बजे से 8.40 बजे तक लगातार दो घन्टे दस मिनट तक बिना किसी विश्राम के 200 मीटर ट्रेक पर 35 चक्कर लगवाये गये और सायंकाल भी इस ट्रेक के 9 चक्कर लगवाये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि शारीरिक शिक्षा देने के मापदण्डों के अनुसार छात्रों को इतनी लम्बी दौड़ साधारणतः नहीं लगवाई जाती और छात्राओं को तो बिल्कुल ही नहीं लगवाई जाती ?

(3) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय खिलाड़ी इन छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर इस दौड़ का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इनमें से अधिकांश कई दिनों तक बीमार रहे ?

(4) क्या इस घटना की शिकायत सरकार को भी मिली थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? कृपया शिकायतों की प्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 5-4-82 को शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर

(राज्य मन्त्री, खेल कूद)
के सी. पी. एड. व डी. पी. एड. के छात्र-छात्राओं को प्रातः 30-35 एवं सायंकाल 7-8 चक्कर लगवाये गये ।

(2) जी हां, मापदण्डों (पाठ्य-क्रम) के अनुसार इतनी लम्बी दौड़ साधारणतः नहीं लगवाई जाती है ।

(3) जी नहीं, सामान्य छात्रों में से 2 छात्र-छात्रा अस्वस्थ्य हुए ।

(4) जी हां, मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

अध्यक्ष नगर न्यास, उदयपुर द्वारा दिये गये विज्ञापन

653. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या नगर आयोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान अध्यक्ष नगर विकास न्यास, उदयपुर की नियुक्ति से 31 जनवरी, 1983 तक न्यास द्वारा कितने विज्ञापन दिये गये ? कृपया विज्ञापनों की सूची मय राशि विवरण, दिनांक तथा पत्र पत्रिका या स्मारिका का नाम सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे पत्र-पत्रिकाओं को भी विज्ञापन दिये गये जो अभिस्वीकृत सूची में नहीं हैं ? यदि हां, तो किस-किस के ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या नगर विकास न्यास के बजट में विज्ञापन हेतु धनराशि का प्रावधान है ? यदि हां, तो वर्ष 1980–81 से 1981–82 व 1982–83 में इस मद में कितनी राशि रखी गई व कितनी खर्च की गई ?

उत्तर

(1) वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति दिनांक 11-6-81 से 31-1-1983 तक न्यास द्वारा कुल 383 विज्ञापन दिये गये । विज्ञापनों की सूची मय राशि विवरण दिनांक तथा पत्र पत्रिका या स्मारिका का नाम सदन के पटल पर रख दिया गया है । सूची "क व ख" ।

(2) जी हां । कुछ ऐसे पत्र को भी विज्ञापन दिये गये जो अभिस्वीकृत सूची में नहीं हैं । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । सूची "ग" ।

(3) जी हां, नगर न्यास के बजट में विज्ञापन हेतु मद में नीचे लिखी धनराशि का प्रावधान किया गया था उसके अन्तर्गत जो राशि व्यय की गई वह प्रत्येक के सामने अंकित है ।

वर्ष	प्रावधान	खर्च की गई राशि
1980–81	30,000.00	47,610.00
1981–82	60,000.00	58,558.00
1982–83	60,000.00	48,865.00
(31 जनवरी, 83 तक)		

सूची

सूची–क

क्र. सं.	पत्र पत्रिकाओं या स्मारिकाओं का नाम	विज्ञापनों का विवरण	दिनांक पत्र	राशि
1	2	3	4	5
1.	युगदृष्टा	निविदा सूचना	10-6-81	117.00
2.	दैनिक अणिमा	प्लाट नीलामी की सूचना		352.00
3.	उदयपुर एक्सप्रेस	सीमेंट आवंटन की सूचना	2-6-81	88.20
4.	जय राजस्थान	,, ,,	20-6-81	100.80
5.	प्रातःकाल	टेण्डर नोटिस	20-6-81	441.00
6.	दैनिक नवजीवन	,, ,,	20-6-81	273.00
7.	प्रातःकाल	निविदा सूचना	25-6-81	125.00
8.	जय राजस्थान	सीमेंट आवंटन की सूचना	25-6-81	100.80
9.	जय राजस्थान	प्लाट नीलामी की सूचना	20-6-81	480.00
10.	राष्ट्रदूत दैनिक	,, ,,	20-6-81	484.50
11.	जनपद विभाग	,, ,,		114.00
12.	अधिकार	टेण्डर नोटिस	20-6-81	1211.70
13.	यंगपावर	,, ,,	20-6-81	81.90
14.	दृष्टिकोण	,, ,,	20-6-81	81.90
15.	जय राजस्थान	सीमेंट आवंटन की सूचना	2-7-81	72.00
16.	नवजीवन	निविदा सूचना	1-7-81	39.00
17.	उदयपुर एक्सप्रेस	सीमेंट आवंटन की सूचना	18-6-81	88.20
18.	उदयपुर एक्सप्रेस	,, ,,	2-7-81	72.75
19.	प्रातःकाल	,, ,,	16-7-81	63.00
20.	दैनिक नवजीवन	,, ,,	16-7-81	63.00
21.	,,	ग्राम सूचना	6-7-81	156.00
22.	भारतीय लोककला मंडल	,,	5-5-81	500.00
23.	उदयपुर एक्सप्रेस	शुद्धि-पत्र	27-6-81	13.65
24.	उदयपुर एक्सप्रेस	निविदा शुद्धि-पत्र	28-4-81	23.40
25.	,,	,, ,,	19-6-81	13.65
26.	,,	सीमेंट आवंटन की सूचना	5-5-81	135.20

1	2	3	4	5
27.	उदयपुर एक्सप्रेस	आम सूचना	28-4-81	113.75
28.	,,	एरियर अन्य बिलों की दर बढ़ोतरी के	25-5-81	13.65
29.	,,	,, ,,	28-4-81	9.75
30.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद, जयपुर	आम सूचना	19-6-81	500-00
31.	नवजीवन साप्ताहिक	निविदा सूचना	13-4-81	547.80
32.	नवज्योति दैनिक	टेण्डर नोटिस	20-6-81	1927.80
33.	नवजीवन दैनिक	आम सूचना	12-8-81	420.00
34.	ऋद्धि सिद्धि साप्ताहिक	आम सूचना	13-8-81	201.00
35.	बदलता राजस्थान	आम सूचना	13-8-81	201.00
36.	लैक एण्ड	आम सूचना	13-8-81	201.00
37.	मेवाड जन साप्ताहिक	आम सूचना	13-8-81	201.00
38.	न्याय दैनिक	,, ,,	12-8-81	242.00
39.	मार्शल साप्ताहिक	,, ,,	13-8-81	201.00
40.	जनपद विभाग	,, ,,	17-8-81	100.00
41.	जन मंगल साप्ताहिक	,, ,,	13-8-82	201.00
42.	बढ़ते चरण	,, ,,	13-8-82	201.00
43.	हमारा हिन्दुस्तान	,, ,,	13-8-82	201.00
44.	नव जीवन साप्ताहिक	,, ,,	13-8-81	201.00
45.	नेता साप्ताहिक	,, ,,	13-8-81	201.00
46.	साप्ताहिक पुकार	,, ,	13-8-81	200.00
47.	तरलाग्नि	,, ,,	13-8-81	201.00
48.	दृष्टिकोण	,, ,,	13-8-81	201.00
49.	उदयपुर एक्सप्रेस	,, ,,	12-8-81	485.00
50.	प्लीडर दैनिक	,, ,,	13-8-81	201.00
51.	फटकार	,, ,,	13-8-81	201.00
52.	अधिकार दैनिक	,, ,,	13-8-81	201.00
53.	जय राजस्थान	प्लाट नीलामी सूचना	22-6-81	480.00
54.	प्रातःकाल			480.00
55.	उदयपुर एक्सप्रेस	सीमेंट आवंटन की सूचना	24-8-81	72.75
56.	युगद्रष्टा	आम सूचना	13-8-81	201.00

1	2	3	4	5
57.	जय राजस्थान	सीमेंट आवंटन की सूचना	24-8-81	72.75
58.	यंगपावर	आम सूचना	13-8-81	201.00
59.	आर्थिक पोष	,,	13-8-81	201.00
60.	उदयपुर साप्ताहिक	,,	13-8-81	201.00
61.	प्रातःकाल	सीमेंट आवंटन की सूचना	13-8-81	63.00
62.	दैनिक नवजीवन	सीमेंट आवंटन की सूचना	2-9-81	63.00
63.	प्रगति साप्ताहिक	आम सूचना	13-8-81	201.00
64.	दैनिक नवज्योति	,,	12-8-81	624.25
65.	राष्ट्रदूत दैनिक	,,	12-8-81	535.50
66.	नमामी साप्ताहिक	,,	13-8-81	200.00
67.	अरावली साप्ताहिक	,,	13-8-81	201.00
68.	प्रातःकाल दैनिक	सीमेन्ट आवंटन की सूचना	14-9-81	100.80
69.	ज्वाला साप्ताहिक	आम सूचना	13-8-81	201.00
70.	अनुप ज्योति साप्ताहिक	,,	13-8-81	201.00
71.	दैनिक नवजीवन	,,	13-8-81	201.00
72.	उदयपुर एक्सप्रेस	अनधिकृत आधिपत्य हटाने की सूचना	14-9-81	116.40
73.	जय राजस्थान	,,	14-9-81	115.20
74.	उदयपुर एक्सप्रेस	सीमेंट आवंटन की सूचना	21-9-81	72.75
75.	जय राजस्थान	,, ,,	21-9-81	72.00
76.	साप्ताहिक युवा तूफान	आम सूचना	13-8-81	166.40
77.	राजस्थान साप्ताहिक	,,	13-8-81	200.00
78.	जनपद विभाग	विभिन्न योजना में अ. आ. न करने की सूचना	14-9-81	57.00
79.	प्रातःकाल दैनिक	,, ,,	30-9-81	315.00
80.	दैनिक नवजीवन	,, ,,	30-9-81	315.00
81.	मार्शल	आम सूचना	13-8-81	100.00
82.	मूल प्रश्न	आम सूचना	1-10-81	500.00
83.	न्याय की तुला	,,	13-8-81	100.00
84.	उदयपुर एक्सप्रेस	योजना में अ. आ. हटाने की सूचना	1-10-81	363.75
85.	ऋद्धि सिद्धि	आम सूचना	13-8-81	100.00

1	2	3	4	5
86.	प्रकाश	अ. आ. पर रोक लगाने की	6-10-81	265.20
87.	प्रकाश	आम सूचना	1-11-81	273.00
88.	26 जनवरी	आम सूचना	13-8-81	100.00
89.	उदयपुर साप्ताहिक	,,	13-8-81	100.00
90.	दैनिक अणिमा	प्लाट नीलामी की सूचना	10-10-81	480.00
91.	प्रातःकाल	,, ,,	5-10-81	189.00
92.	नवजीवन	,, ,,	12-10-81	186.75
93.	दैनिक नवजीवन	देहली गेट फव्वारा का उद्‌घाटन	25-10-81	840.00
94.	जय राजस्थान	,, ,,	25-10-81	960.00
95.	उदयपुर एक्सप्रेस	,, ,,	25-10-81	1008.80
96.	प्रातःकाल	,, ,,	25-10-81	852.60
97.	जय राजस्थान	आम सूचना	1-10-81	360.00
98.	दृष्टिकोण	आम सूचना	19-10-81	35.00
99.	न्याय दैनिक	,, ,,	13-8-81	100.00
100.	विकराल साप्ताहिक	,, ,,	13-8-81	201.00
101.	नवजीवन	प्लाट नीलामी की सूचना	26-9-81	100.00
102.	ल. एण्ड जनपद विभाग	,, ,,	—	114.00
103.	लेक एण्ड	आम सूचना	13-8-81	100.00
104.	उदयपुर एक्सप्रेस	दीपावली के अवसर पर बधाई	27-10-81	218.25
105.	दैनिक नवजीवन	,, ,,	27-10-81	189.00
106.	,,	,, ,,	27-10-81	189.00
107.	प्रातःकाल	,, ,,	27-10-81	189.00
108.	साप्ताहिक पुकार	निविदा सूचना	25-10-81	507.00
109.	जय राजस्थान	निविदा सूचना	27-10-81	216.00
110.	उदयपुर साप्ताहिक	निविदा सूचना	24-10-81	212.16
111.	प्लीडर दैनिक	आम सूचना	13-8-81	100.00
112.	26 जनवरी	आम सूचना	13-8-81	100.00
113.	जनमंगल	दीपावली संदेश	2-11-81	117.00
114.	तिरंगनी	दीपावली संदेश	2-11-81	100.00
115.	नेता साप्ताहिक	,, ,,	2-11-81	100.00
116.	लेक एण्ड	,, ,,	2-11-81	150.00

204

1	2	3	4	5
117.	आर्थिक घोष	दीपावली संदेश	2-11-81	100.00
118.	साप्ताहिक पुकार	,, ,,	2-11-81	58.50
119.	युवा तूफान	,, ,,	2-11-81	100.00
120.	दृष्टिकोण	,, ,,	2-11-81	100.00
121.	बागड दूत	,, ,,	2-11-81	100.00
121.(क)	बढ़ते चरण	,, ,,	2-11-81	100.00
122.	हमारा हिन्दुस्तान	,, ,,	2-11-81	100.00
123.	उदयपुर एक्सप्रेस	सीमेंट आवंटन की सूचना	14-11-81	72.75
124.	उदयपुर एक्सप्रेस	मुख्य मंत्री जी के आगमन पर स्वागत पत्र	16-11-81	504.40
125.	युगदृष्टा	दीपावली संदेश	2-1-81	100.00
126.	यंगपात्तर	,, ,,	2-11-81	100.00
127.	जनपद विभाग	,, ,,	2-11-81	150.00
128.	अरावली साप्ताहिक	,, ,,	2-11-81	100.00
129.	जय राजस्थान	सीमेंट आवंटन की सूचना	14-11-81	72.00
130.	नवजीवन दैनिक	मुख्य मंत्री जी के आगमन पर	16-11-81	420.00
131.	फटकार	दीपावली संदेश	2-11-81	100.00
132.	प्रातःकाल	मुख्य मंत्री जी के आगनमन पर	16-11-81	420.00
133.	नवज्योति दैनिक	दीपावली पर बधाई संदेश	31-10-81	826.00
134.	राजस्थान पत्रिका	,, ,,	31-10-81	100.00
135.	तृतीय राज्य स्तरीय उ. प्रा. वि. छात्र खेलकूद	आम सूचना	17-11-81	400.00
136.	विकराल साप्ताहिक	,,	15-11-81	100.00
137.	जनपद विभाग	,,	3-12-81	114.00
138.	प्रगति साप्ताहिक	,,	8-10-81	205.90
139.	प्रातःकाल दैनिक	,,	14-12-81	315.00
140.	दैनिक नवजीवन	,,	13-12-81	252.00
141.	उदयपुर एक्सप्रेस	,,	14-12-81	363.75
142.	जय राजस्थान	,,	14-12-81	547.50
143.	जन मंगल	,,	22-12-81	195.00
144.	साप्ताहिक हिन्दुस्तान	,,	11-12-81	46.80

1	2	3	4	5
145.	उदयपुर साप्ताहिक	बधाई संदेश	15-12-81	117.00
146.	प्रगति साप्ताहिक	,,	16-11-81	200.00
147.	पुकार साप्ताहिक	,,	15-11-81	200.00
148.	प्रगति साप्ताहिक	,,	15-11-81	70.20
149.	नेता साप्ताहिक	आम सूचना	30-1-82	100.00
150.	प्रगति साप्ताहिक	निविदा सूचना	16-12-81	93.60
151.	पुकार साप्ताहिक	बधाई संदेश	30-1-82	117.00
152.	प्रात:काल	,, ,,	25-1-82	189.00
153.	प्रात:काल	अधिसूचना	25-1-82	142.80
154.	नवजीवन	,, ,,	25-1-82	142.80
155.	राजस्थान पत्रिका	निविदा सूचना	25-1-82	160.00
156.	ऋद्धि सिद्धि	आम सूचना	30-1-82	100.00
157.	दारवेश विद्यापीठ	,,	23-11-81	400.00
158.	नवजीवन दैनिक	,,	25-1-82	225.00
159.	जय राजस्थान	अधिसूचना	22-1-82	346.50
160.	जय राजस्थान	,, ,,	25-1-82	346.50
161.	जय राजस्थान	सीमेंट आवंटन सूचना	4-2-82	161.70
162.	जय राजस्थान	आम सूचना	5-2-82	831.60
163.	उदयपुर एक्सप्रेस	सीमेंट आवंटन की सूचना	4-2-82	261.00
164.	उदयपुर एक्सप्रेस	आम सूचना	25-1-82	121.80
165.	जनपद विभाग	,, ,,	26-1-82	100.00
166.	राजस्थान पत्रिका	अधिसूचना धारा 33	23-1-82	320.00
167.	जय राजस्थान	निविदा सूचना	22-1-82	131.40
168.	जन मंगल साप्ताहिक	निविदा सूचना	22-1-82	116.00
169.	प्रात:काल	सीमेंट आवंटन की सूचना	8-2-82	88.20
170.	युवा तूफान	निविदा सूचना	25-1-82	35.10
171.	दृष्टिकोण	आम सूचना	25-1-82	100.00
172.	उदयपुर एक्सप्रेस	सीमेंट आवंटन की सूचना	8-2-82	121.80
173.	उदयपुर साप्ताहिक	आम सूचना	26-1-82	69.00
174.	प्लीडर साप्ताहिक	,,	10-2-82	100.00
175.	हमारा हिन्दुस्तान	,,	3-1-82	100.00
176.	26 जनवरी	,,	6-2-82	100.00
177.	युगदृष्टा	,,	30-1-82	117.00

1	2	3	4	5
178.	उदयपुर एक्सप्रेस	आम सूचना	25-10-81	190.00
179.	उदयपुर एक्सप्रेस	निविदा सूचना	14-11-81	95.00
180.	उदयपुर एक्सप्रेस	सीमेंट आवंटन सूचना	1-10-81	71.25
181.	उदयपुर एक्सप्रेस	शुद्धि-पत्र	14-11-81	14.25
182.	उदयपुर एक्सप्रेस	सीमेंट आवंटन की सूचना	14-12-81	71.25
183.	सचिवालय संदेश	आम सूचना	18-12-81	350.00
184.	अधिकार दैनिक	आम सूचना	20-1-82	100.00
185.	जय राजस्थान	निविदा सूचना	23-2-82	759.20
186.	तिरलाग्नी	आम सूचना	30-1-82	100.00
187.	आर्थिक घोष	,, ,,	28-1-82	225.00
188.	भू खान	आम सूचना	28-1-82	150.00
189.	विकराल साप्ताहिक	,,	27-1-82	100.00
190.	विकराल साप्ताहिक	,,	27-1-82	100.00
191.	यंगपावर	,,	27-1-82	100.00
192.	लैक एण्ड	,,	16-2-82	100.00
193.	युगदृष्टा	निविदा सूचना	22-2-82	195.00
194.	अरावली साप्ताहिक	,,	25-2-82	100.00
195.	प्रातःकाल	,,	15-2-82	315.00
196.	मेवाड़ जन	आम सूचना	1-11-81	100.00
197.	मेवाड़ जन	,, ,,	3-2-82	100.00
198.	नवजीवन दैनिक	पुराने बिलों में बढ़ोतरी का एरियर		36.00
199.	नवजीवन दैनिक	,, ,,		36.00
200.	नवजीवन दैनिक	,, ,,		80.00
201.	नवजीवन दैनिक	,, ,,		48.00
202.	प्रगति साप्ताहिक	आम सूचना	2-1-82	70.00
203.	राजस्थान पत्रिका	आम सूचना ओ. टी. सी. योजना	19-2-82	112.00
204.	राजस्थान साप्ताहिक	,, ,,	27-1-82	180.75
205.	नवजीवन दैनिक	,, ,,	26-2-82	120.00
206.	विकराल साप्ताहिक	आम सूचना	10-2-82	100.00
207.	नवजीवन	,,	26-1-82	225.00
208.	उदयपुर साप्ताहिक	,,	26-2-82	174.00
209.	नूतन साहित्य संगम	,,	25-12-81	1000.00

वर्ष 1982-83 (दि. 31-8-82)

सूची–ख

क्र. सं.	पत्र पत्रिकाओं या स्मारिकाओं का नाम	विज्ञापनों का विवरण	दिनांक पत्र	राशि
1	2	3	4	5
1.	साहित्य संस्थान राजस्थान विद्यापीठ	आम सूचना ,,	5-3-82	300.00
2.	उदयपुर साप्ताहिक	,,	14-11-81	100.00
3.	राजकीय मुद्रणालय	,,	15-3-82	300.00
4.	दैनिक नवजीवन	निविदा सूचना	23-3-82	500.00
5.	उदयपुर एक्सप्रेस	,, ,,	23-3-82	580.00
6.	विकराल साप्ताहिक	आम सूचना	3-10-81	100.00
7.	प्रातःकाल दैनिक	निविदा सूचना	23-3-82	315.00
8.	नेहरू स्मारक खेल-कूद प्रतियोगिता	आम सूचना	26-3-82	500.00
9.	महाराणा कुम्भा संगीत समारोह	,, ,,	26-3-82	500.00
10.	यंग पावर	प्लाट नीलामी	26-3-82	35.10
11.	दैनिक नवजीवन	प्लाट नीलामी	10-4-82	225.00
12.	प्रातःकाल	प्लाट नीलामी	10-4-82	225.00
13.	जय राजस्थान दैनिक	निविदा सूचना	24-3-82	480.00
14.	जनपद विभाग राजस्थान विद्यापीठ	प्लाट नीलामी की सूचना	27-2-82	100.00
15.	राजस्थान पत्रिका	,, ,,	25-3-82	192.00
16.	राजस्थान पत्रिका	निविदा सूचना	24-3-82	224.00
17.	लेक एण्ड	प्लाट नीलामी की सूचना	9-4-82	224.00
18.	दृष्टिकोण	,, ,,	24-4-82	35.10
19.	उदयपुर एक्सप्रेस	निविदा सूचना	14-4-82	121.80
20.	जय राजस्थान	,, ,,	14-4-82	161.00
21.	राजस्थान पत्रिका	,, ,,	22-2-82	1152.00
22.	अणिमा दैनिक	,, ,,	31-3-82	96.00

1	2	3	4	5
23.	सांस्कृतिक समन्वय समिति	आम सूचना	1-10-82	300.00
24.	जनपद विभाग	प्लाट नीलामी की सूचना	24-4-82	114.00
25.	प्रात:काल दैनिक	,, ,,	13-6-82	225.00
26.	नवजीवन दैनिक	,, ,,	13-6-82	225.00
27.	जय राजस्थान दैनिक	निविदा सूचना	16-6-82	316.00
28.	जय राजस्थान दैनिक	प्लाट नीलामी की सूचना	13-6-82	396.00
29.	उदयपुर एक्सप्रेस	,, ,,	12-6-82	261.00
30.	दैनिक नव ज्योति	,, ,,	11-6-82	992.25
31.	राजस्थान पत्रिका	शुद्धि-पत्र	15-6-82	72.80
32.	उदयपुर एक्सप्रेस	प्लाट नीलामी की सूचना	19-7-82	522.00
33.	नवजीवन दैनिक	,, ,,	18-7-82	450.00
34.	प्रात:काल दैनिक	,, ,,	18-7-82	450.00
35.	राजस्थान पत्रिका	,, ,,	19-7-82	196.56
36.	जय राजस्थान दैनिक	,, ,,	19-7-82	792.00
37.	यंगपावर	,, ,,	23-7-82	20.70
38.	जनपद विभाग	,, ,,	2-8-82	157.00
39.	मार्शल साप्ताहिक	आम सूचना	16-8-82	200.00
40.	न्याय की तुला	,, ,,	16-8-82	200.00
41.	जन मंगल	,, ,,	2-8-82	195.00
42.	प्लीडर दैनिक	,, ,,	13-8-82	200.00
43.	राजस्थान पत्रिका	शुद्धि-पत्र	26-7-82	34.80
44.	जनपद विभाग	आम सूचना	16-8-82	200.00
45.	जय राजस्थान	निविदा सूचना	26-7-82	105.60
46.	ऋद्धि सिद्धि	आम सूचना	16-8-82	200.00
47.	नेता साप्ताहिक	आम सूचना	19-8-82	200.00
48.	प्रात:काल	आम सूचना	15-8-82	200.00
49.	दैनिक लोक जीवन	आम सूचना	15-8-82	200.00
50.	दैनिक न्याय	,, ,,	18-8-82	200.00
51.	लैक एण्ड पाक्षिक	,, ,,	11-8-82	200.00
52.	जमंजू	,, ,,	15-8-82	200.00
53.	दैनिक नवजीवन	,, ,,	15-8-82	225.00
54.	उदयपुर एक्सप्रेस	आम सूचना	16-8-82	261.00

1	2	3	4	5
55.	जय राजस्थान	ग्राम सूचना	11-8-82	228.80
56.	मेवाड़ जन	,, ,,	23-8-82	200.00
57.	नवजीवन साप्ताहिक	,, ,,	15-8-82	225.00
58.	जय राजस्थान दैनिक	,, ,,	15-8-82	396.00
59.	फटकार साप्ताहिक	,, ,,	18-8-82	200.00
60.	जलते दीप	स्वाधीनता दिवस ग्राम सूचना	18-8-82	200.00
61.	उदयपुर साप्ताहिक	,, ,,	15-8-82	100.00
62.	साप्ताहिक पुकार	,, ,,	17-8-82	117.00
63.	युग की मांग	,, ,,	28-8-82	200.00
64.	लेक सिटी एक्सप्रेस	,, ,,	27-8-82	200.00
65.	शरफ मेवाड़	,, ,,	20-8-82	200.00
66.	राजस्थान पत्रिका	,, ,,	19-8-82	261.00
67.	लहर	,, ,,	17-8-82	200.00
68.	26 जनवरी	,, ,,	15-8-82	100.00
69.	जन मंगल	,, ,,	23-8-82	117.00
70.	युगदूत	,, ,,	17-8-82	200.00
71.	राजस्थान पत्रिका	नीलामी सूचना	25-8-82	58.00
72.	पुकार साप्ताहिक	ग्राम सूचना	24-7-82	312.00
73.	दैनिक नवज्योति	ग्राम सूचना ख. नं. 309 रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा पर किये गये अनधिकृत कब्जे बाबत	11-8-82	992.25
74.	जय राजस्थान	अनधिकृत स्वामित्व हटाने हेतु	25-8-82	158.40
75.	नव ज्योति	निविदा सूचना	18-8-82	3570.00
76.	तरलांगनी	स्वाधीनता दिवस ग्राम सूचना	20-8-82	200.00
77.	हमारा हिन्दुस्तान	,, ,,	18-8-82	200.00
78.	दैनिक अणिमा	,, ,,	21-8-82	200.00
79.	युगदृष्टा साप्ताहिक	नीलामी सूचना	22-7-82	234.00
80.	,, ,,	स्वाधीनता दिवस सूचना	15-8-82	117.00
81.	अधिकार दैनिक	,, ,,	16-8-82	618.75
82.	आर्थिक घोष	,, ,,	3-9-82	200.00
83.	यंग पावर	,, ,,	—	200.00

218

1	2	3	4	5
84.	प्रगति साप्ताहिक	स्वाधीनता दिवस सूचना	18-8-82	70.20
85.	युवा तूफान	निविदा सूचना	18-8-82	35.10
86.	अरावली साप्ताहिक	स्वाधीनता दिवस ग्राम सूचना	27-8-82	100.00
87.	प्रात:काल	निविदा सूचना	28-8-82	90.00
88.	,, ,,	शुद्धि-पत्र सूचना	14-8-82	90.00
89.	किरण कम्बलि मेमोरियल	ग्राम सूचना	25-9-81	400.00
90.	जय राजस्थान	निविदा सूचना	8-6-82	264.00
91.	उदयपुर एक्सप्रेस	प्लाटों की नीलामी सूचना	7-10-82	603.20
92.	लेक एण्ड	निविदा सूचना	5-10-82	300.00
93.	राजस्थान साहित्य एकादमी	ग्राम सूचना	29-8-82	500.00
94.	मनु टाइम्स	नीलामी सूचना	4-10-82	500.00
9.5	क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल	,, ,, ग्राम सूचना	22-10-82	500.00
96.	दृष्टिकोण	निविदा सूचना	19-8-82	70.20
97.	उदयपुर एक्सप्रेस	प्लाट नीलामी सूचना	18-11-82	435.00
98.	,, ,,	निविदा सूचना	18-11-82	348.00
99.	ऋद्धि सिद्धि	दीपावली के शुभ अवसर पर सूचना	15-11-82	100.00
100.	जय राजस्थान	निविदा सूचना	18-11-82	660.00
101.	राजस्थान पत्रिका	नीलकंठ महादेव की भूमि की सूचना	10-11-82	81.20
102.	दृष्टिकोण	दीपावली की ग्राम सूचना	21-11-82	100.00
103.	प्रात:काल	,, ,,	18-11-82	375.00
104.	नवजीवन	,, ,,	15-11-82	100.00
105.	मेवाड़ जन	,, ,,	22-11-82	100.00
106.	मनु टाइम्स	,, ,,	17-11-82	390.00
107.	नवजीवन दैनिक	,, ,,	14-11-82	375.00
108.	जय राजस्थान	,, ,,	10-11-82	264.00
109.	प्रात:काल	,, ,,	17-11-82	300.00
110.	उदयपुर एक्सप्रेस	निविदा सूचना	9-11-82	174.00
111.	जय राजस्थान	,, ,,	15-11-82	528.00

1	2	3	4	5
112.	दैनिक नवजीवन	निविदा सूचना	15-11-82	300.00
113.	नेता साप्ताहिक	,, ,,	23-11-82	112.00
114.	नेता साप्ताहिक	दीपावली के अवसर पर आम सूचना	23-11-82	100.00
115.	लेक एण्ड	निविदा सूचना	18-11-82	58.50
116.	,,	दीपावली के अवसर पर आम सूचना	12-11-82	100.00
117.	न्याय दैनिक	,, ,,	15-11-82	100.00
118.	न्याय की तुला	,, ,,	19-11-82	100.00
119.	बागड़ दूत	,, ,,	17-11-82	99.84
120.	मार्शल साप्ताहिक	,, ,,	23-11-82	100.00
121.	साप्ताहिक पुकार	,, ,,	17-11-82	100.00
122.	अधिकार दैनिक	,, ,,	15-11-82	100.00
123.	आजाद साप्ताहिक	,, ,,	13-11-82	100.00
124.	परिचर्या सन्देश	,, ,,	23-11-82	100.00
125.	बढ़ते चरण	,, ,,	19-11-82	100.00
126.	अभय दूत	,, ,,	20-11-82	100.00
127.	जनपद विभाग	,, ,,	19-11-82	100.00
128.	शेर-ए-मेवाड़	,, ,,	20-11-82	100.00
129.	हमारा हिन्दुस्तान	,, ,,	17-11-82	100.00
130.	जन मंगल	,, ,,	26-11-82	100.00
131.	युगदूत	,, ,,	22-11-82	100.00
132.	प्लीडर दैनिक	,, ,,	8-12-82	100.00
133.	जलते दीप	निविदा सूचना	20-11-82	570.00
134.	,,	दीपावली के अवसर पर आम सूचना	20-11-82	100.00
135.	यंगपावर	,, ,,	10-12-82	100.00
136.	तरलाग्नि	,, ,,	20-11-82	100.00
137.	जय राजस्थान	शुद्धि-पत्र	2-12-82	88.00
138.	मंडी एक्सप्रेस	दीपावली के अवसर पर आम सूचना	15-11-82	100.00
139.	इकानामिक ब्यूटी	,, ,,	30-11-82	100.00
140.	दृष्टिकोण	प्लाटों की नीलामी	1-12-82	117.00

(212)

1	2	3	4	5
141.	आर्थिक घोष	आम सूचना	3-12-82	100.0
142.	राजस्थान पत्रिका	नीलामी सूचना	2-12-82	34.8
143.	दैनिक नवजीवन	,, ,,	11-12-82	300.0
144.	प्रात:काल	शुद्धि पत्र	3-12-82	70.0
145.	जनपद विभाग	प्लाट नीलामी की सूचना	6-12-82	57.0
146.	,,	,, ,,	27-12-82	114.0
147.	आजाद साप्ताहिक	प्लाट नीलामी की सूचना	27-11-82	400.0
148.	आजाद सन्देश	दीपावली के अवसर पर आम सूचना	20-11-82	100.0
149.	राजस्थान साप्ताहिक	,, ,,	28-11-82	100.0
150.	प्रगति साप्ताहिक	,, ,,	18-11-82	100.0
151.	दैनिक राजस्थान लीडर	,, ,,	14-11-82	100.0
152.	उदयपुर साप्ताहिक	,, ,,	22-1-82	100.0
153.	अधिकार दैनिक	निविदा सूचना	16-12-82	825.0
154.	,,	दीपावली के अवसर पर आम सूचना	—	200.0
155.	मथुरा प्रसाद	कला क्षेत्र आम सूचना	3-1-82	300.
156.	प्रात:काल	निविदा सूचना	27-12-82	75.0
157.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, जगदीश चौक	आम सूचना	12-1-82	500.
158.	अरावली साप्ताहिक	दीपावली के अवसर पर आम सूचना	22-11-82	100.0
159.	बेधड़क आवाज	,, ,,	15-11-82	100.
160.	26 जनवरी (पाक्षिक)	,, ,,	15-11-82	100.
161.	नवज्योति दैनिक	दीपावली संदेश व आम सूचना	18-11-82	1785.
162.	राजस्थान पत्रिका	निविदा सूचना	24-12-82	185.
163.	राष्ट्रदूत	,, ,,	29-12-82	167.
164.	प्रात:काल	,, ,,	14-12-82	750.
165.	साप्ताहिक युवा तूफान	,, ,,	28-7-82	58.

1	2	2	4	5
166.	उदयपुर साप्ताहिक	निविदा सूचना	27-7-82	117.00
167.	प्रगति साप्ताहिक	,, ,,	24-7-82	93.60
168.	दैनिक अणिमा	,, ,,	15-12-82	1440.00
169.	राजस्थान पत्रिका	,, ,,	27-12-82	810.00
170.	राष्ट्रदूत	,, ,,	22-12-82	2505.00
171.	प्रातःकाल	,, ,,	27-7-82	375.00
172.	दैनिक नवजीवन	,, ,,	22-7-82	375.00
173.	उदयपुर एक्सप्रेस	,, ,,	20-7-82	348.00
174.	नवजीवन साप्ताहिक	,, ,,	26-7-82	300.00

सूची–ग

कार्यालय नगर विकास न्यास, उदयपुर (राजस्थान)

सूची उन पत्रिकाओं की जो अभिस्वीकृति सूची में नहीं हैं

क. सं.	नाम पत्र, स्मारिका आदि
1	2
1.	भारतीय लोक कला मंडल (पत्रिका)
2.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद स्मारिका
3.	ऋद्धि सिद्धि साप्ताहिक
4.	बदलता राजस्थान
5.	मेवाड़ जन साप्ताहिक
6.	मार्शल साप्ताहिक
7.	बढ़ते चरण
8.	हमारा हिन्दुस्तान
9.	नेता साप्ताहिक
10.	तरलाग्नि
11.	प्लीडर दैनिक
12.	फटकार साप्ताहिक
13.	नमामी साप्ताहिक
14.	ज्वाला साप्ताहिक
15.	अनूप ज्योति साप्ताहिक
16.	मूल प्रश्न

1	2
17.	न्याय की तुला
18.	प्रकाश
19.	26 जनवरी, साप्ताहिक
20.	विकराल साप्ताहिक
21.	बागड़ दूत साप्ताहिक
22.	तृतीय राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक वि. छात्र खेलकूद (पत्रिका)
23.	साप्ताहिक हिन्दुस्तान
24.	द्वारकेश विद्यापीठ (पत्रिका)
25.	सचिवालय संदेश
26.	भू-दर्शन
27.	नूतन साहित्यक संगम (पत्रिका)
28.	साहित्य संस्थान राजस्थान विद्यापीठ (पत्रिका)
29.	राजकीय मुद्रणालय (पत्रिका)
30.	नेहरू स्मारक खेलकूद प्रतियोगिता (पत्रिका)
31.	महाराणा कुम्भा संगीत समारोह (पत्रिका)
32.	सांस्कृतिक समन्वय समिति (पत्रिका)
33.	जंगूज
34.	युग की मांग
35.	लेक सिटी एक्सप्रेस
36.	युगदूत
37.	किरणकम्बलि मेमोरियल बास्केट बाल चैम्पीयनशिप (पत्रिका)
38.	राजस्थान सहित्य अकादमी संगम (पत्रिका)
39.	मनु टाइम्स सायंकालीन दैनिक
40.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल स्मारिका (पत्रिका)
41.	आजाद साप्ताहिक
42.	परिचर्या संदेश
43.	शेर-ए-मेवाड़
44.	मंडी एक्सप्रेस
45.	इकानामिकल व्यूटी
46.	आजाद संदेश
47.	श्री मथुरा प्रसाद कला क्षेत्र (पत्रिका)
48.	राजकीय बालिका मा. विद्यालय, जगदीश चौक (पत्रिका)
49.	अभय दूत
50.	अरावली साप्ताहिक
51.	बेधड़क आवाज

कोटा नगर के वड़े उद्योगों पर बिक्रीकर की बकाया

654. **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) व **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वित्त मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर के किन-किन बड़े उद्योगों पर कब से कितनी-कितनी राशि का बिक्री कर बकाया है तथा क्यों ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार ने उक्त राशि को वसूल करने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) कोटा नगर के वड़े उद्योगों पर बिक्री कर बकाया का विवरण व स्थिति परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई है ।

(2) करीब करीब सभी मामलों में अनेकों न्यायालयों व विभागीय अधिकारियों के स्थगन हैं । न्यायालयों के स्थगनों का निपटारा शीघ्र करने हेतु समय समय पर राजकीय अभिभाषकों द्वारा न्यायालय से शीघ्र निर्णय हेतु निवेदन किया जाता रहा है । अन्य मामलों का निपटारा त्वरित गति से करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

परिशिष्ट "क"

सूची बड़े उद्योगों की जिनमें बिक्री कर की राशि बकाया है।

कोटा खण्ड

क्र. सं.	नाम उद्योग	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण दिनांक	बकाया मांग राशि	बकाया का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	मै. जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा।	73–74	31-10-80	7,00,538.24	टायर कोर्ड की बिक्री पर कम्पनी, द्वारा क्रेता से बिक्री कर राशि अनुमानित बतौर वसूल की गई है परन्तु राज्य में जमा नहीं करवाया है। कर निर्धारण आदेश में टायर कोर्ड पर कर आरोपित किया जाकर मांग राशि कायम की गई है। कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन सं. 99/1978 प्रस्तुत की गई है जिसमें दि. 3-5-80 को कर निर्धारण के फलस्वरूप कायम होने वाली मांग राशि की वसूली को स्थगित किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश दि. 20-11-81 के जरिये कम्पनी का संशोधन प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया है। अन्तिम कर निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप धारा 7 (बी) में अन्तरिम कर निर्धारण के खिलाफ प्रस्तुत रिट में संशोधन की प्रार्थना की गई थी उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल मिसलेनियस पिटीशन सं. 28708/80–81 से दि. 8-12-81 को स्थगन आदेश जारी किया गया। बैंक गारन्टी प्रस्तुत की गई है।
		74–75	4-3-81	20,13,875.19	
		75–76	4-10-81	19,60,244.15	

		76—77	12-2-82	29,60,191.19	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल मिसलेनियस
		77—78	21-5-82	25,45,708.99	पिटीशन संख्या 28708/81 दि. 8-12-81 को आदेश पारित कर टायर कोर्ड से संबंधित कम्पनी के आगामी कर निर्धारण के अन्तर्गत कायम की जाने वाली मांग राशि को स्थगित किया गया है। बैंक गारन्टी प्राप्त कर ली है।
		76—77	12-2-82	1,34,217.88	सीमेंट विक्रय से संबंधित भाड़े की राशि पर ब्याज से संबंधित मांग है जिसको सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नं. 1310/76 दिनांक 29-4-82 के आदेश द्वारा स्थगित किया गया है।
		77—78	21-5-82	1,17,699.54	सीमेंट विक्रय से संबंधित भाड़े की राशि पर ब्याज की मांग है। जिसको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-7-82 द्वारा स्थगित किया है।
		78—79	30-9-82	73,103.90)	उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया।
		78—79	30-9-82	25,40,188.55)	
				1,30,45,767.63	
2.	मै. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा।	73—74	10-8-81	25,334.00	वसूली की कार्यवाही चल रही है।

1	2	3	4	5	6
3.	मै. इण्डो. इंजिनियरिंग प्रा. लि., कोटा ।	72–73	17-5-78	23,000.00	राजस्व मंडल से स्थगन प्राप्त है ।
		73–74	4-5-78	8,830.16	
		69–70	26-2-79	5,150.00	
		71–72	30-11-81	51,603.79	
				88,583.95	
4.	मै. मंगलम सीमेंट लि,. दशहरा स्कीम, कोटा ।		13-6-80	14,290.00	राजस्व मंडल अजमेर द्वारा स्थगन दि. 14-10-80 से ।
			17-6-80	15,066.00	राजस्व मंडल अजमेर द्वारा स्थगन दि. 24-10-80 से ।
				39,356.00	
5.	मै. ओरियन्टल पावर कं. लि., कोटा ।	68–69	5-10-79	18,340.00	उच्च न्यायालय के आदेश दि. 22-1-80 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है । यह मांग राशि विलम्ब से कर राशि जमा कराने पर किया गया है व ब्याज व शास्ति से संबंधित है ।
		72–73	26-10-81	11,000.00	सी फार्म कम राशि के प्रस्तुत करने के कारण मांग राशि कायम की गई । अतिरिक्त आयुक्त महोदय के आदेश दि. 1-3-82 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है । बैंक गारन्टी प्राप्त कर ली गई है ।
		78–79	26-7-82	27,826.27	वसूली कार्यवाही जारी है ।
				57,166.27	

6.	मै. देहली क्लाथ मिल्स एण्ड जनरल मिल्स लि., जयपुर।	72—73	13-9-82	81,779.63	स्थगन आदेश (अतिरिक्त आयुक्त) क्रमांक 124 दि. 11-1-83 रु. 64,200— (बैंक गारन्टी प्राप्त हो चुकी है) शेष की वसूली जारी है।
		73—74	13-9-82	93,453.40	स्थगन आदेश (अतिरिक्त आयुक्त) क्रमांक 127 दिनांक 11-1-83 रु. 74,250— (बैंक गारन्टी प्राप्त हो चुकी है) शेष की वसूली जारी है।
	आर. एस. टी.	74—75	29-9-82	1,11,024.36	स्थगन आदेश (अतिरिक्त आयुक्त) क्रमांक 130 दिनांक 11-1-80 रु. 99,144— (बैंक गारन्टी प्राप्त हो चुकी है) शेष की वसूली जारी है।
		75—76	29-9-82	2,59,002.88	स्थगन आदेश (अतिरिक्त आयुक्त) क्रमांक 121 दिनांक 11-1-83 रु. 1,14,480— (बैंक गारन्टी प्राप्त हो चुकी है) शेष की वसूली जारी है।
		76—77	30-9-82	1,53,933.17	स्थगन आदेश (अतिरिक्त आयुक्त) क्रमांक 118 दिनांक 11-1-83 रु. 69,870— (बैंक गारन्टी प्राप्त हो चुकी है) शेष की वसूली जारी है।
	सी. एस. टी.	69—70	30-10-79	9,59,398.40	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट सं. 402 स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 347 में दि. 3-3-81 से वसूली स्थगित है।
		70—71	30-10-79	6,06,933.60	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट सं. 403 (स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 348) में दि. 3-3-81 से वसूली स्थगित है।
		71—72	30-10-79	1,96,639.60	सिविल रिट सं. 404 (स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 349) दि. 3-3-81 से वसूली स्थगित है।

219

1	2	3	4	5	6
		72–73	13-9-82	15,43,294.27	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रु. 2,65,544.90 की वसूली पर सिविल रिट सं. 405 (स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 350) दि. 3-3-81 से स्थगन प्राप्त है। जो कि व्याज की है। जो प्राथमिक कर निर्धारण से सृजित की गई थी एवं अन्तिम दर निर्धारण में सम्मिलित की गई है। यह व्याज टायर कोर्ड फेब्रिक्स की बिक्री पर लगाये गये कर के संबंध में है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस वर्ष के मामले की एक अन्य रिट सं. 1686/82 विचाराधीन है। जो अधिकाँश मांग राशि टायर कोर्ड फैब्रिक्स पर कर एवं व्याज की है। जो विवादग्रस्त है।
		73–74	13-9-82	7,839.92	वसूली की कार्यवाही जारी है।
		75–76	29-9-82	9,492.23	वसूली की कार्यवाही जारी है।
					उपरोक्त मांगें टायर कोर्ड, व्याज, शास्ति इत्यादि से संबंधित हैं।
				40,22,791.36	
		कुल योग		1,72,68,999.21	

जमुवा रामगढ़ क्षेत्र में पशु सुरक्षा के उपाय

655. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमुवा रामगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चुनाव क्षेत्र जमुवारामगढ़ में पशुपालन का धंधा बहुत बड़े तादाद में किया जा रहा है और पशुओं की संख्या करीब 5 लाख से भी अधिक है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय सरकार ने खोल रखे हैं ? क्या पशुओं की संख्या को देखते हुए मौजूदा रोगोपचार व्यवस्था पर्याप्त है ?

(2) क्या जमुवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र के ग्राम आंधी में एक विशेष की-विलेज स्कीम पहले से चलती थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्कीम को यहां से बिना जनता को सूचना दिये हस्तान्तरण कर दिया ? यदि हां, तो क्यों और कहां ?

(3) क्या उक्त बड़ी योजना के स्थान पर सरकार कोई दूसरी योजना इस क्षेत्र में चालू करेगी ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस पशु बाहुल्य क्षेत्र के बड़े-बड़े गांवों जैसे गठवाड़ी, बोवाड़ी ताला, रायसर, आंधी, नीमला, चावंडिया, खवारानी, चिताणु में निकट भविष्य में पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनुसार गणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जमुवा-रामगढ़ तहसील में कुल पशु संख्या 2,49,542 वर्ष 1977 की पशु गणना के अनुसार है। इस क्षेत्र में 1 पशु चिकित्सालय एवं 2 पशु औषधालय कार्यरत हैं।

उपलब्ध साधनों के अनुसार चिकित्सा की व्यवस्था पर्याप्त है।

(2) जी हां।

राज्य नीति के अनुसार जहां जहां डेयरी कोआपरेटिव की स्थापना की गई वहां से विभागीय ग्राम आधार योजनायें अन्यत्र स्थानान्तरित की गईं।

(3) राज्य की नीति के अनुसार जिला जयपुर में पशु प्रजनन व्यवस्था का दायित्व राजस्थान राज्य डेयरी फैडरेशन का है। इस क्षेत्र में डेयरी निगम द्वारा दवाइयों का वितरण 179350 और 3227 कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। इस प्रकार जमुवारामगढ़ तहसील में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रही है।

(4) नये पशु चिकित्सालय-औषधालय खोलते समय विचार किया जाना संभव है।

नेशनल पार्क, रणथम्भौर के पशुओं की गणना

656. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नेशनल पार्क, रणथम्भौर की वार्षिक योजना में कितनी राशि रखी जाती रही है ? क्या इसमें विचरण करने वाले पशुओं, जिसमें शेर भी सम्मिलित हैं, की गणना करायी गयी थी ? यदि हां, तो कब ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नेशनल पार्क, रणथम्भौर के निर्माण में अब तक वार्षिक योजनाओं में निम्न राशि रखी जाती रही है :—

1974-75 में	3,99,800 रु.
1975-76 में	6,48,000 रु.
1976-77 में	8,46,000 रु.
1977-78 में	6,36,000 रु.
1978-79 में	6,00,000 रु.
1979-80 में	7,00,000 रु.
1980-81 में	3,00,000 रु.
1981-82 में	8,00,000 रु.
1982-83 में	8,00,000 रु.

पशुओं की गत गणना मई, 1982 में करवाई गई थी। ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

222

ब्यौरा

CENSUS REPORT OF THE ANIMALS FOUND IN THE TIGER PROJECT NATIONAL PARK RANTHAMBHORE, SAWAIMADHOPUR.

S. No.	Name of Species		Year 1982
1.	Tiger	बाघ	32
2.	Penther	पेंथर	18
3.	Langoor	लंगूर	2616
4.	Cheetal	चीतल	1848
5.	Sambhar	सांभर	1142
6.	Wild Boars	जंगली सूअर	623
7.	Blue Bull	नील गाय	721
8.	Chinkara	चिकारा	265
9.	Jackal	गीदड़	148
10.	Hyana	हैना	53
11.	Sloth Bear	स्लोथ रीछ	61
12.	Common Fox	लोमड़ी	25
13.	Jungle Cat	जंगली बिल्ली	19
14.	Ratel	रातल	—
15.	Mangoose	मंगूसा	167
16.	Caracal	कराकल	15
17.	Common Hare	खरगोश	255
18.	Crocodile	मगरमच्छ	23
19.	Grey Jungle fowl	भूरी जंगली लोमड़ी	6
20.	Goyara	गौरा	1
21.	Peacock	मोर	612
22.	Parcupine	पारकोपीन	29
23.	Ceirt Cat	बिल्ली	6
			8685

पुल सड़क, वहज ग्राम (भरतपुर) की क्षमता बढ़ाना

657. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर फीडर पर जो पुल सड़क पर वहज ग्राम के पास बना है उसमें से कितना क्यूसेक्स पानी आसानी से बिना रुकावट के निकल सकता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल में से 300 क्यूसेक्स पानी नहीं निकल पा रहा है ? यदि हां, तो इसकी क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) इस पुल से लगभग 0.7 फीट के एफलक्स (चढाव) के साथ 300 क्यूसेक्स पानी निकल सकता है ।

(2) जी नहीं ।

केशवरायपाटन के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

658. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, केशवरायपाटन के 8 पार्षदों ने अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच कराने की मांग की है ? यदि हां, तो कृपया शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) शिकायत की जांच परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा करवाई जा रही है ।

प्रति

सेवा में,

1. श्रीमान सचिव, स्वायत्त शासन, जयपुर ।
2. श्रीमान निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ।
3. श्रीमान जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
4. श्रीमान क्षेत्रीय सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय, उदयपुर ।

विषय :—अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की भ्रष्ट एवं गैर कानूनी कार्यवाहियों की जांच कराने बाबत ।

महोदय,

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता (नगर पार्षद) नगरपालिका केशोरायपाटन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजेवाद, अवैध रूप से भूमि पर कब्जे, अनियमित पालिका के धन का दुरुपयोग, चुंगी चोरी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रति उदासीनता, अनावश्यक खरीद, राजनैतिक पक्षपात का रवैया, अवैध निर्माण कार्य, प्रशासनिक व्यवस्था एवं आय में गिरावट, कर्मचारी अनियंत्रित आदि के संबंध में निम्नांकित शिकायतें प्रस्तुत करते हुए जांच कराने की मांग करते हैं ।

जाँच बड़े स्तर पर होना आवश्यक है। अधिशासी अधिकारी का कहना है कि मेरा कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चूंकि उप जिलाधीश, जिलाधीश, स्वायत शासन सचिव श्री रूंगटा साहब मेरे खास मिलने वाले हैं।

उदाहरणार्थ :--

1--सभा की कार्यवाहियों का उल्लेख

1. बोर्ड की सभा 24-2-82 से अब तक लिये गये प्रस्तावों के विरुद्ध कार्य करना, बोर्ड की सभा की कार्यवाहियों अध्यक्ष के इशारों पर तोड़ मरोड़ कर लिखना, सदन में वांछित सूचनायें प्रस्तुत न करना। मासिक आय व्यय का हिसाब अब तक भी बोर्ड की सभा में प्रस्तुत न कर लेखा नियमों का उल्लंघन, सभा की कार्यवाही अन्दर अवधि न लिखना, कार्यवाही की नकलें न देना। सदन को कानूनी राय चाहने पर न देना, प्रस्ताव लेते समय नियमों की जानकारी न देना और बाद में (नोट आफ डिसेंट) लगाना, जो सभा में न बोला जावें वह बाद में दर्ज कर देना। पालिका प्रशासन द्वारा नागरिकों की दी जाने वाली वह न दी जाने वाली भवन निर्माण की पत्रावलियों का अब तक सभा में प्रस्तुत न करना, जैसे दरवाजा, रोशटोड, खिडकी, लैट्रिन आदि। जमीन बिक्री की पत्रावलियों का सभा में प्रस्तुत न करना। 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सभा में प्रस्तुत न करना। बोर्ड द्वारा लिये गये प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही न करना, जैसे सार्वजनिक मार्ग व मूल्यवान भूमि पर अवैध कब्जे व निर्माण कार्यों को हटाना। श्री कासम हाडोतिया द्वारा बोर्ड सभा दिनांक 23-8-82 में निर्माण कार्य करने की मजदूरी का भुगतान 3 माह से न किये जाने पर सदन का ध्यान आकर्षित किया था हजत पर प्रशासन की ओर भुगतान बाकी होना नहीं बताया जबकि बाद में भुगतान कर दिया गया इस प्रकार सदन को गुमराह किया या फिर फर्जी भुगतान किया। कासम हाडोतिया ने कहां कार्य किया है। कार्यों की जाँच आवश्यक है। बोर्ड की सभा काल कर अधिशासी अधिकारी का अनुपस्थित रहना। अध्यक्ष लगातार 3 माह से अनुपस्थित रह कर बोर्ड की सभा बुलाना आदि।

उप समितियां बाबत

उप समितियों का गठन अवैध करार देते हुए भी समितियों की सभा कागजों में बुलवाकर झूंठी कार्यवाही लिखकर सदस्यों के हस्ताक्षर करवाकर अपने अनियमित खरीद एवं कार्यों की स्वीकृति प्राप्त कर लेना कोरम पूरा न होने पर भी कार्यवाही लिखना, इन अनियमितता से तंग होकर दिनांक 10-12-82 की बोर्ड की सभा में उपस्थिति सदस्य संख्या 9 में 7 के बहुमत से समितियों का अवैध करार देते हुए भंग की गई इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि उन समितियों में अधिकांश सदस्यों का विश्वास न होते हुए भी अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने अपनी मनमानी से सभा की कार्यवाही लिखकर अपने कार्यों की पुष्टि करवाई गई।

भ्रष्टाचार :

1. बिजली के सामान की खरीद :–रोड लाईट के फ्यूज बल्बों व ट्यूब डण्डों को बदलने हेतु एक ही स्थानीय फर्म के कुल.................रुपये का टुकडों-टुकडों में सामानों का क्रय किया जाना, यह सामान बिना टेंडर कोटेशन प्राप्त किये ऊंची दर पर, बिना मांग पर फर्जी बिल बनाकर एक ही फर्म को लाभ पहुंचाकर कमीशन कमाना, प्राप्त सामानों का भौतिक सत्यापन न करना, उपयोग की तरादीक न करना यह सब भ्रष्टाचार होने का सबूत हैं। बोर्ड में हमसे कुछ सदस्यों द्वारा इस बात पर नाराजगी प्रकट करने पर कि सामान एक ही फर्म से क्यों खरीदा जाता है तो अधिशासी अधिकारी ने कोटा जाकर स्थानीय फर्म से मिलकर स्थानीय सप्लायर की दर पर ही यह साबित करने के लिये कि दरों में कोई अन्तर नहीं है। कुल 5334.00 रुपये का सामान बिना टेंडर कोटेशन प्राप्त किये खरीदा गया। यह सामान इलेक्ट्रोन कम्पनी का था जिसकी दर 22.00 मूल में थी जबकि 28.50 प्रति ट्यूब का बिल बनाया जाकर कमीशन प्राप्त किया। इस प्रकार पूरे बोर्ड को गुमराह किया गया। उक्त खरीद बिना टेंडर प्रणाली के किये जाने से नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

2. स्टेशनरी :—अधिशासी अधिकारी जब भी जयपुर यात्रा करते हैं तब जयपुर की फर्मों से जैसे राजस्थान पंचायत प्रकाशन कमल प्रकाशन से केवल कमीशन एवं (झूठे बिल बनवाकर) लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से स्टेशनरी क्रय की जाती है। उदाहरण के बतौर पर कमल प्रकाशन जयपुर से 700 रुपये की स्टेशनरी का सामान क्रय किया गया और इस सामान की बिल्टी नं. 2707, दिनांक 18-7-81 जयपुर से कोटा जनता ट्रांसपोर्ट कं. भेजी गई, यह बिल्टी जरिये बैंक से प्राप्त होने पर 700 रुपये का भुगतान कर छुड़वाली गई, किन्तु अब तक भी कार्यालय में सामान आया जाना नहीं बताया गया। इस प्रकार यह माना जाना उचित है कि स्टेशनरी खरीदी ही नहीं गई। झूठा बिल बनाकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है।

कोटा की फर्म राजेन्द्र जनरल स्टोर भी कमीशन प्राप्त करने का एक मात्र संस्थान है जहां से जब भी अधिकारी जी कोटा जाते हैं तो स्टेशनरी क्रय कर लाते हैं और मनमाने ढंग से सामान की दरें ऊंची लगवाकर कमीशन प्राप्त किया जाता है। कमीशन के लालच में यह भी भूल जाते हैं कि स्टेशनरी की क्या आवश्यकता है या नहीं, स्टोर में है या नहीं, उपयोग कहां हो रहा है।

ट्रेक्टर मरम्मत खर्चा :–अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष मिलकर कचरे के कार्य में आने वाले जीटर ट्रेक्टर की मरम्मत पर स्थानीय फर्मों से अकारण ड्राइवर से झूठी रिपोर्ट प्राप्त कर बेरिंग अन्य पार्ट्स अत्यधिक मात्रा में ऊंची दर पर दिल्ली मेड यानि बोगस कं के 30 रुपये में प्राप्त होने वाले बेरिंग 95.00 रुपया में खरीद करना और इतने खरीद कर लेना कि हर सप्ताह में एक बेरिंग लगने का अनुमान है तथा ऐसे ही बिना नाप डीजल व अन्य आयलों का बेशुमार खर्चा किया जा रहा है। यह अनुमान किया जाता है कि यदि वित्तीय वर्ष में इस पर खर्चा जोड़ा जावे तो ट्रेक्टर आधी कीमत हर वर्ष मरम्मत में लगी हुई पावेगी।

ट्रेक्टर के टायर खरीद :--अधिशासी अधिकारी ने कुछ माह पूर्व ट्रोली के 2 टायर खराब बताकर कोटा से बिना कोटेशन प्राप्त किये खरीद किये गये इनमें भी अधिकारी द्वारा 800/- रुपये का भ्रष्टाचार किया है ।

कर्मचारियों की वर्दी क्रय करना :--अधिशासी अधिकारी ने नगरपालिका कर्मचारियों की मांग के अनुसार वर्ष 1981 की बकाया वर्दी देनेहेतु कोई टेन्डर प्रणाली न अपना कर बूंदी की जैनसन फर्म से मिलकर लाखेरी के उपभोक्ता भण्डार से बिना बोर्ड की स्वीकृति के 6500/- रुपये की वर्दी का कपड़ा खरीदा गया । इस संबंध में न तो टेंडर लिये गये, न कपड़ा पास किया गया, न कपड़े की किस्म व रेट मालूम किये बिना ही कपड़ा खरीदा गया । कर्मचारियों द्वारा यह बताया गया कि कपड़ा जीर्ण है एवं पुराना कोई नई कम्पनी का है जो पहनते ही फट गया तथा सुकड़ गया । यह कपड़ा 30/- रु. मीटर का है जो 65/- रुपया प्रति मीटर का भाव लगा कर भ्रष्टाचार किया गया है । जांच की जानी आवश्यक है । इसी वर्दी के खरीद के लिये अधिशासी अधिकारी ने मार्च, 82 में किसी कर्मचारी को 7000/- रुपया बिना चैक के नकद रूप से दिये जाकर कोटा वर्दी खरीदने का झूठा नाटक रच कर 7000/- रुपया का अस्थाई अपहरण करने की योजना बनाई थी किन्तु किसी को पता लगने पर यह राशि 15-20 दिन पश्चात् वापिस जमा करादी गई ।

फर्नीचर खरीद :--बिना टेंडर कोटेशन प्राप्त किये बिना बोर्ड की स्वीकृति के कोटा के जुनेजा एण्ड कम्पनी से 5000/- रुपये की कुर्सियां केवल भ्रष्टाचार के लालच में खरीदी गई । किन्तु बोर्ड के ध्यान तक यह बात नहीं लाई गई जब कि कुर्सियों के स्टाक की जांच की जाय तो पर्याप्त है, अभी भी कुर्सियां भण्डार में पड़ी है, आवश्यक राशि का दुरुपयोग किया है ।

नगरपालिका भूमि पर अतिक्रमण :--नगरपालिका भूमि पर अत्यधिक मात्रा में अवैध मकानों का निर्माण अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की अनदेखी के कारण हो चुके हैं । बोर्ड द्वारा अतिक्रमण हटाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव होने के पश्चात् भी अवैध मकानों को नहीं तोड़ा गया व कब्जों को न हटाना केवल मात्र अधिशासी अधिकारी अतिक्रमी को तोड़ने का नोटिस देकर सीमित रहते हैं जैसे ही अतिक्रमी भेंट चढ़ा जाते हैं कार्यवाही स्थगित करदी जाती है, जिसकी पुष्टि इनके कार्यकाल में हुए अतिक्रमणों की पत्रावलियों के अवलोकन से हो सकती है । यह अतिक्रमण सड़कों की मूल्यवान भूमियों पर हुए हैं एवं करवाये गये हैं ।

गबन :--ऑडिट द्वारा गबन पकड़े जाने के पश्चात् भी ऐसे मामले बोर्ड के ध्यान में नहीं लाये जाकर संबंधित कर्मचारी को डरा धमकाकर सैकड़ों रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर मामले को अपने समय तक दबा देना, राज्य सरकार एवं बोर्ड को अभी तक जानकारी न देना व कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही न करना यह प्रकट करता है कि यह मामला भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है ।

निर्माण कार्य हेतु खरीदे गये सामान :—बिना टेंडर कोटेशन प्राप्त किये निर्माण कार्यो का सामानों के बिलों का भुगतान किया गया, निर्माण कार्य बिना तकनीकी राय, बिना तखमीना बनाये, बिना एम.बी. दर्ज किये, सामान बिना स्टोर इन्द्राज किये, बिना उपयोगिता जांचे किस प्रकार भुगतान किया गया। इस प्रकार यह खरीद व भुगतान भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।

कार्यालय प्रशासक :—अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने कार्यालय प्रशासन को घरेलू तरीके से चला रखा है। कार्यालय की मान मर्यादा शांति व्यवस्था समाप्त हो चुकी है आये दिन कार्यालय में झगड़े फसाद, असामाजिक तत्वों द्वारा नागरिकों को डराने धमकाने की कोशिश; कर्मचारियों में अधिकारियों के विरुद्ध असंतोष, कार्यालय कार्य में कोई भी जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं। माह से कार्यालय का कार्य ठप्प। अधिशाषी अधिकारी माह अक्टूबर में 15 दिन काम दिनांक 8-12-82 से अब तक यानि 23-12-82 से 3-1-83 तक सरकारी यात्रा के नाम पर गायब। किसी वरिष्ठ कर्मचारी को या अन्य कर्मचारी को चार्ज देकर न जाने से कार्यालय का काम-काज ठप्प। अध्यक्ष को ही मौखिक कह कर यात्रा पर चले जाना। अध्यक्ष अपनी मर्जी से कार्यालय में एक दो घंटा बैठ कर अधिशाषी अधिकारी के पद पर स्वयं के हस्ताक्षरों से कार्य करना, अनियमित रूप से बिना कोषाधिकारी के भुगतान आर्डर करना आदि।

आर्थिक समस्या :—कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अभाव में नगरपालिका की मुख्य आय चुंगी में भारी चोरी हो रही है, आय में गिरावट। आय बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। बकाया वसूली का अभाव लाखों रुपया भूमि विक्रय व अन्य वसूली के बाकी। कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिलने से असंतोष, अन्य देनदारियों अनुमानित 3 लाख रुपये नगरपलिका घाटे में कोष पर नियंत्रण नहीं, भुगतान नकद में किया जाना, निर्माण कार्य अपने चहेतों के क्षेत्र में करवाया जा रहा है। स्टोर का भौतिक सत्यापन न करना, सम्पत्ति पर निगरानी इधर-उधर चोरी होने आदि से आर्थिक समस्या सामने खड़ी हो गई है। कार्यालय की संपत्ति सरे आम नीलाम होने की नौबत। चुंगी चौकियों का अपने कार्यकाल में निरीक्षण नहीं किया है। लेखा नियमों का खुला उल्लंघन दैनिक राशि नकद में रखना।

उक्त शिकायतों को लेकर नगरपालिका बोर्ड की विशेष साधारण सभा दिनांक 10-11-82 में बहुमत से श्री विश्वनाथ मिश्रा, अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पास कर इनके कार्य कलापों व शिकायतों की कड़ी भर्त्सना की है अत: उक्त शिकायतों के आधार पर अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के विरुद्ध पदों का दुरुपयोग करने व भ्रष्टाचार करने की अविलम्ब जांच कर दण्डित करने का कष्ट करें।

पूर्ण आशा एवं विश्वास के साथ,

भवदीय,

ह. सदस्य—8
सदस्य, नगरपालिका
केशोरायपाटन

228

ग्राम पंचायतों को सहायतार्थ अनुदान राशि

659. **श्री भैरूलाल** (मनोहरथाना) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान राशि जनसंख्या के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा यह धन राशि पंचायतों के लिये संबंधित पंचायत समितियों को प्रति वर्ष आवंटित की जारही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति, मनोहर थाना को भी वर्ष 1981-82 की सहायता अनुदान राशि आवंटित की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी और क्या विकास अधिकारी द्वारा क्षेत्र की सभी पंचायतों में इस राशि का वितरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी पंचायतें अपने हिस्से राशि से वंचित रही और क्यों ? कृपया विस्तृत ब्यौरे सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। पंचायत समिति मनोहरथाना को वर्ष 1981-82 की सहायता अनुदान राशि रु. 1,98,978.80 पैसा आवंटित की गई है। विकास अधिकारी द्वारा अधीनस्थ सभी पंचायतों को राशि का वितरण कर दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण पंचायतवार सदन के पटल पर रख दिया है।

विवरण

ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान की दी गई राशि की सूची
पंचायत समिति मनोहरथाना 81-82

क्र. सं.	नाम पंचायत	प्रथम व द्वितीय किस्त	तृतीय व चतुर्थ किस्त	कुल भुगतान राशि योग	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	शोरती	3329.76	3359.49	6689.25	7-6-82
2.	खेरखेडा	1760.64	1776.36	3537.00	7-6-82
3.	चन्दीपुर	2952.32	2978.68	5931.00	10-12-82
4.	जावर	2983.68	3010.39	5994.07	9-6-82
5.	बनेट	2751.84	2776.41	5528.25	9-12-82

1	2	3	4	5	6
6.	समरील	2413.60	2435.15	4848.75	16-10-82
7.	ठीकरिया	2212.90	2231.75	4443.75	4-6-82
8.	मनोहरथाना	5122.88	5168.62	10291.50	29-1-83
9.	टोडरीमीरा	2298.24	2318.76	4617.00	2-6-82
10.	कोलूखेडीमालियान	2403.52	2423.98	4828.50	4-6-82
11.	खासिया	2544.64	2567.36	5112.00	2-6-82
12.	टोडरी जगन्नाथ	2647.68	2671.32	5319.00	18-10-82
13.	समलीहाट	2478.56	2500.69	4979.25	7-6-82
14.	दांगापुरा	1919.68	1936.82	3856.50	7-6-82
15.	पिण्डोला	2560.32	2583.18	5143.50	19-8-82
16.	खाताखेडी	2253.44	2273.56	4527.00	3-8-82
17.	गरवोलिया	2699.20	2723.30	5422.50	3-8-82
18.	चांदपुरा भीलान	2022.72	2040.78	4063.50	2-6-82
19.	कोलूकलां	3055.36	3082.64	6138.00	2-6-82
20.	ग्रांवलहेडा	3148.32	3176.71	6324.73	14-10-82
21.	मनपसर	2311.68	2332.32	4644.00	2-6-82
22.	बांसखेडी	2681.28	2705.22	5386.50	3-6-82
23.	बांसखेडी	2668.96	2692.77	5361.73	13-7-82
24.	सरेडी	3106.88	3134.69	6241.57	7-6-82
25.	बडबद	3321.92	3351.58	6673.50	4-6-82
26.	थनावद	3164.00	3192.25	6256.25	7-6-82
27.	मिश्रोली	4398.24	4437.51	8835.75	27-1-83
28.	थडोल	2972.48	2999.02	5971.50	7-6-82
29.	मेठून	2470.72	2492.78	4963.50	7-6-82
30.	तुरकाडिया	2232.16	2252.04	4484.20	7-6-82
31.	ल्हास	3301.76	3331.24	6633.00	7-9-82
32.	देवरीकलां	3333.12	3362.28	6696.00	2-6-82
33.	चुरलिया	3323.04	3352.71	6675.75	2-6-82
34.	लसूडियाशाह	3118.08	3145.92	6264.00	2-6-82
35.	सरखण्डिया	3084.48	3112.02	6196.50	7-6-82
	योग:	99,047.20	99,931.60	1,98,978.80	

बाड़मेर जिले की ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा

660. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार वर्ष 1982-83 में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने, नये प्राथमिक स्वा. केन्द्रों की स्थापना नये उप केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण डिस्पेन्सरीज को सहा. स्वा. केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां कहां ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की जनता ग्रामों में अपने अपने खेतों में ढाणियों में बिखरी हुई है ? यदि हां, तो उन्हें चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिये वर्ष 1982-83 में उपरोक्त चिकित्सा सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान करते समय क्या सरकार विशेष ध्यान देगी ? यदि हां, तो क्या-क्या चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982–83 में अब कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्ष 1982–83 में बाड़मेर जिले में चौहटन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत किया गया एवं पचपदरा में एक सबसिडरी सैंटर एवं ग्राम कोटड़ा, तहसील शिव में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है। इससे ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होंगी।

बालोतरा में गन्दे पानी की समस्या का हल

661. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नगरपालिका, बालोतरा में डोकियों का गन्दा पानी निकालने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या और इस योजना की क्रियान्विति कब तक हो जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर शीघ्र ही कार्य पूर्ण करवाया जा सकेगा।

जल महल विकास योजना की क्रियान्विति

662. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जलमहल के विकास की कोई योजना है ? यदि हां, तो कृपया उसके ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है तथा उसमें से कितनी राशि का व्यय किस-किस मद में हो चुका है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तत्कालीन मंत्री ने उक्त योजना की क्रियान्विति एशियाड से पूर्व करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
पूर्ति होने में क्या बाधा रही और अब इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना का ब्ल्यू प्रिन्ट सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त योजना के लिये पूर्व में नगर विकास न्यास के बजट में (वर्ष 1982-83) 13 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। जिसमें से एक लाख रुपया सिंचाई विभाग द्वारा खर्च हुआ है, जिसमें प्रस्तावित बंधे का कुछ कार्य हुआ।

(3) पत्रावली पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ब्ल्यू प्रिंट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले के अस्पताल व डिस्पेन्सरीज में डॉक्टर व नर्स के रिक्त पद

663. श्री बन्शी लाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) भीलवाड़ा जिले में अस्पतालों व डिस्पेंसरीज में डाक्टर्स व नर्सों के कितने पद रिक्त हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों पर अब कब तक डाक्टर्स व नर्सेज का पद स्थापन कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) रिक्त पदों परपदस्थापन की प्रक्रिया प्रगति पर है व योग्य प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होते ही रिक्त पद भर दिये जायेंगे।

विवरण

भीलवाड़ा जिले के अस्पतालों/डिस्पेन्सरी में रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है :--

महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा	डाक्टर्स 3	नर्सेज 7
सामान्य चिकित्सालय, शाहपुरा	1 (दन्त चिकित्सक)	--
राजकीय अस्पताल, मांडलगढ़	2	--
राजकीय चिकित्सालय, महेन्द्रगढ़	--	1 प्रसाविका
राजकीय चिकित्सालय, सिंगोली	1	--
राजकीय चिकित्सालय, बोरड़ा	--	1 प्रसाविका

केयर संस्था द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में बच्चों के नाश्ते में वृद्धि

664. श्री देवनाथ तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि केयर संस्था की ओर से प्राइमरी स्कूल को जो दलिया दिया जा रहा है, उसकी मात्रा इतनी कम कर दी गई है कि वह एक तिहाई छात्रों को भी उपलब्ध नहीं होता ?

(2) क्या सरकार दलिया की मात्रा में वृद्धि करवाने का प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्या दलिया उन्हीं छात्रों को खिलाने की व्यवस्था करेगी जिन्हें कि खिलाया जाना अति आवश्यक है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जहां तक दलिये की मात्रा में वृद्धि का प्रश्न है यह केयर संस्थान पर ही निर्भर करता है । जब उन्होंने भारत सरकार को पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराने में असमर्थता प्रकट की है, तो वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता है । संबंधित विकास अधिकारियों को पूर्व में निर्देश दिये जा चुके हैं कि केवल कुपोषित एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को इस कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाये ।

बाड़मेर जिले के राहत कार्यों में धन के दुरुपयोग की जांच

665. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान ने बाड़मेर जिले में गत वर्ष चल रहे अकाल राहत कार्यों में राजकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में कुछ मुकदमे भारतीय दण्ड संहिता एवं प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट के अन्तर्गत दर्ज किये हैं ? यदि हां, तो कितने मुकदमे दर्ज हैं व किस किस व्यक्ति के खिलाफ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच के दौरान कुछ सड़कों पर ठेकेदारों द्वारा डाले गये ग्रेवल की मात्रा के बारे में भी जांच करवाई है ? यदि हां, तो किस किस सड़क की जांच हुई व कितना प्रतिशत ग्रेवल कम डाला गया कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या भ्रष्टाचार विभाग ने कुछ मस्टरोल्स की जांच भी करवाई ? यदि हां, तो कितने मजदूरों की कितने दिन की हाजरी फर्जी पाई गई और कितने धन का दुरुपयोग हुआ ?

(4) भ्रष्टाचार विभाग द्वारा जांच करने से कुल कितने धन का दुरुपयोग पाया गया ?

(5) भ्रष्टाचार विभाग इन मुकदमों का कब तक चालान पेश कर देगा ?

उत्तर

(1) जी हां । इस संबंध में एक प्राथमिक जांच पंजीबद्ध की गई है तथा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है । एफ. आई. आर. नामजद नहीं है अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(2) मामला अनुसंधानाधीन है ।

(गृह मंत्री)

(3) जी हां। जांच जारी है।

(4) मामला अनुसंधानाधीन है।

(5) प्रकरण की तफतीश शीघ्राति-शीघ्र पूर्ण कराकर चालान पेश किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला चूरू में घटित डकैतियां

666. श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत दिनों जिला चूरू थाना हमीरवास के तहत ग्राम थरपाली-बड़ी में किसी किसान के यहां 70-80 हजार रुपयों के जेवरात की चोरी हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत माह जिला चूरू के थाना राजगढ़ के गांव बेरासर छोटा में किसी महाजन के घर में 50-60 हजार रुपयों के जेवरात की चोरी हुई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के थाना राजगढ़ के गांव रतनपुरा में किसी किसान के घर से एक लाख रुपयों के जेवरात चोरी गये थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष जिला चूरू के थाना राजगढ़ के गांव लाखवाणा में किसी किसान के यहां से 40-50 हजार रुपयों के जेवरात की चोरी हुई थी ?

(5) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष इसी जिले के थाना राजगढ़ के ग्राम भगेला में एक महाजन के घर डाकुओं द्वारा डाका डालकर 1 लाख रुपये के जेवरात लूट लिये थे ?

(6) उपरोक्त पांचों मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा कौन-कौन मुल्जिम पकड़े गये और उनसे कितना माल बरामद हुआ ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) दिनांक 18-8-82 को श्री ताराचंद जाट निवासी थरपाली बड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उसके घर में से करीब 22,000 रुपयों की चोरी हुई।

(2) जी नहीं, अपितु दिनांक 26-8-82 को श्री मनोहरलाल महाजन निवासी-बेरासर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उसके करीब 22,000/- रुपयों की सम्पत्ति की चोरी हुई है।

(3) दिनांक 22-1-80 को श्री मालाराम जाट निवासी रतनपुरा की रिपोर्ट के अनुसार उसके घर 64,000 रुपयों की सम्पत्ति चोरी गई।

(4) दिनांक 29-8-82 को श्री लिखमाराम जाट निवासी लाखवाणा बड़ी की रिपोर्ट के अनुसार उसके घर में करीब 23,000 रुपयों की संपत्ति की चोरी हुई।

(5) जी नहीं।

(6) उपर्युक्त मामलों में बाद तफ्तीश एफ. आर. दे दी गयी है। अतः वांछित विवरण सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

स्थानान्तरित अनूपगढ़ डिस्पेंसरी को पुनः अनूपगढ़ लाना

667. श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने अनूपगढ़ जिला गंगानगर की डिस्पेंसरी का वहां से स्थानान्तरण कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जनहित में इस डिस्पेंसरी को पुनः वहां स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अनूपगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के कारण।

(2) जी नहीं। वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्यों की प्राप्ति

668. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

छठी पंचवर्षीय योजना में अब तक वर्षवार लक्ष्यों से कितना अतिरिक्त योजनागत व्यय किया गया ? क्या यह व्यय राशि "एडवान्स प्लान" में से काटी जावेगी ? यदि हां, तो इससे योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति सरकार क्यों कर कर पायेगी ?

उत्तर

छठी पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1980-81, 1981-82, एवं 1982-83 हेतु वार्षिक योजना के अन्तर्गत मूल प्रावधान तथा व्यय निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजना हेतु मूल प्रावधान	व्यय
1980-81	333.86	309.06
1981-82	340.00	352.47
1982-83	340.00	348.65 (संभावित)

जी नहीं। योजना आयोग द्वारा स्वीकृत मूल राशि से अधिक व्यय किये जाने पर अतिरिक्त राशि एडवान्स प्लान असिस्टेंस से नहीं काटी जायेगी।

जोधपुर जिले के ग्रामों में गोदाम व हाट बाजार का निर्माण

669. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम व हाट बाजार बनाने की योजना की क्या रूपरेखा है ? यह योजना कब प्रारम्भ हुई व अब तक इस योजना के अन्तर्गत राज्य में कितने गोदाम व हाट बाजार बनाये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के कई ग्रामों से इस योजना के तहत कई प्रस्ताव विभाग को भेजे गये हैं ? यदि

(श्री रामसिंह विश्नोई)
हां, तो इन ग्रामों में कब तक गोदाम व हाट बाजार बनाने हेतु कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) रूपरेखा सदन के पटल पर रख दी गई है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण गोदाम की योजना वर्ष 1980-81 तथा हाट बाजार की योजना वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ हुई थी। 40 ग्रामीण गोदामों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। 60 ग्रामीण हाटों का निर्माण कार्य चालू है।

(2) जी हां, ग्रामीण गोदामों का कार्य चालू है। हाट बाजार का निर्माण कार्य भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा।

पिड़ावा पुलिस स्टेशन

670. **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन), **श्री बालचन्द्र आर्य वीर** (डग): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पिड़ावा पुलिस स्टेशन पर कार्यरत थानेदार के विरुद्ध वहां के ग्रामवासियों द्वारा कई बार शिकायत मंत्री महोदय, जिलाधीश एवं जिला पुलिस अधीक्षक को की गई कि वह रात दिन शराब पीकर बाजार में घूमता रहता है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) पिड़ावा में पिछले माह में कितनी चोरियां व डकैतियां हुई तथा किस किस से कितनी बरामदगी हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत की जांच उप अधीक्षक पुलिस झालावाड़ कर रहे हैं।

(2) पिछले 6 माह में 9 चोरी के व एक लूट का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमों की विवरण मय बरामदगी की सूचना के सदन के पटल पर रख दिया है।

विवरण

क्र. सं.	अपराध	नाम थाना	मु. नं. तारीख	जुर्म		माल मसरूका	बाजा-याफ्ता	चालान का दिनांक	एफ. आर.	जैर तफ. व नाम मुल.
1.	नकबजनी	पिडावा	55 10-9-82	457	ता.हि.	—	—	21-9-82	—	—
2.	”	पिड़ावा सदर	88 11-12-82	457 380	”	140	—	—	एफ. आर.	—
3.	”	”	89 11-12-82	457 380	”	250	—	—	अदम पता	—
4.	”	”	94 30-12-82	457 380	”	3000	—	—	”	जेर-तफ.
5.	”	”	95 31-12-82	457 380	”	1000	—	—	—	जेर तफ.
6.	सरकासादा	”	57 12-9-82	379	”	—	—	—	—	अदम तफ. 157 बी
7.	लूट	”	11 5-2-83	394	”	250	—	—	—	जेर. तफ.
8.	नकबजनी	”	12 8-2-83	457 380	”	325	—	—	—	”
9.	सरकासादा	”	6 21-1-83	379 392	”	—	—	—	अदमवक.	—
10.	सरकासादा	”	9 4-2-83	380	”	500	500	चालान मुल. अज्जु खां	—	—

बास व ढाणियों में पेयजल सुलभ कराना

671. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अब भी विभाग केवल राजस्व गांवों को ही पानी की योजनाओं से लाभान्वित करता है उसके सरहद में बसने वाले बास व ढाणियों को नहीं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार बास व ढाणियों, जिनकी आबादी हजारों की तादाद में है, को भी पेयजल योजनाओं से जोड़ने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। यदि बास या ढाणी योजना का स्रोत हो तो पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है।

राज्य में सीमेंट उद्योग हेतु दिये गये लाइसेन्स

672. श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1981-82 व 1982-83 में राज्य में सीमेंट के नये कारखानों की स्थापना के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं और इन करखानों की स्थापना और उत्पादन की क्या स्थिति है ?

उत्तर

राजस्थान में नये 9 बड़े सीमेंट के 9 मिनी सीमेन्ट के कारखाने स्थापित किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किये गये हैं। इन कारखानों की स्थापना एवं संभावित उत्पादन की स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

238

विवरण

राजस्थान में सीमेंट मिनी सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु स्वीकृति अनुज्ञप्ति/आशय-पत्रों का प्रगति विवरण

क्र. सं.	नाम इकाई	स्थान	उत्पादन क्षमता (लाखों) में	आशय-पत्र क्रमांक एवं दिनांक	प्रगति विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स श्री सीमेंट लि.	ब्यावर	12.00	एस.आई. 79 (78) दिनांक 26-4-78	भूमि आवंटित की जा चुकी है, फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मशीनों हेतु आर्डर दिया जा चुका है इस परियोजना पर पूंजी विनियोजन लगभग 5220 लाख रुपये का होगा एवं 1250 व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। उत्पादन वर्ष 1983 में शुरू होने की संभावना है।
2.	मैसर्स श्रीराम केमिकल्स लि.	लाडपुरा कोटा	2.00	एल आई 302 (80) दिनांक 11-7-80	संसार के वृहद सीमेंट उत्पादकों में से एक मैसर्स लाफरेज फ्रांस एवं भारत की मैसर्स एसोसीयेटेड सीमेंट कं. लि. द्वारा परियोजना स्थापित करने की दिशा में प्रोसेस फिजीब्लिटी की गई है। लाइम स्टोन की आवश्यकता की पूर्ति निमोदा की खान से की जावेगी। जिसके लिये सर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत हो चुका है।

					विद्युत व कोल हेतु आवेदन किया जा चुका है। प्रदूषण मंडल का एन. ओ. सी प्राप्त हो गया है। उत्पादन वर्ष-1985 के प्रथम त्रैमास में शुरु होने की संभावना है। पूंजी लागत 17.5 करोड़ रुपये की है, तथा 245 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।
3.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	पिण्डवाड़ा सिरोही	6.20	एल आई 410 (80) दिनांक 27-8-80	भूमि का कुछ भाग आवंटित किया जा चुका है एवं शेष भाग आवंटित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। विद्युत हेतु आवेदन किया गया है। मशीनों का आर्डर प्रेषित कर दिया है। माइनिंग लीज के आवेदन पर खनिज विभाग ने माइनिंग लीज स्वीकृति के लिये भारत सरकार को सिफारिश प्रेषित की है।
4.	श्री कुशल चन्द सुराणा	किवरली	4.00	एल आई 183 (81)	माईनिंग लीज अनुमोदित, कुछ क्षेत्र वन विभाग का होने के कारण पर्यावरण विभाग, भारत सरकार के क्लियरेंस हेतु भारत सरकार को लिखा गया है परियोजना की फिजीब्लिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। पूंजी विनियोजन लगभग 1045 लाख रुपये का होगा एवं 560 व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। उत्पादन वर्ष 1984 के अन्त तक होने की संभावना है।
5.	श्री सी. पी. कनोई	शंभूपुरा (चित्तौड़)	4.20	एल आई 143 (81) दिनांक 31-3-81	पार्टी द्वारा सीमेंट प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार को आशय पत्र निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। भारत सरकार का उत्तर अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6
6.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	शंभूपुरा (चित्तौड़)	7.20 6.00 विस्तार	एल आई 216 (81) दिनांक 18-4-1981	भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रगति पर है। प्लान्ट एवं मशीनरी के लिये आर्डर शीघ्र दिया जावेगा। विद्युत सप्लाई के लिये आवेदन किया जा चुका है। माइनिंग एरिया के लिये कम्पनी द्वारा खनिज विभाग को आवेदन किया जा चुका है जिस पर कार्यवाही प्रगति पर है इस परियोजना पर पूंजी विनियोजन लगभग 4200 लाख रुपये का होगा एवं 450 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है।
7.	मैसर्स जेनिथ स्टील पाईप्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	पारसोली (चित्तौड़)	5.00	एल आई 289 (81) दिनांक 14-5-81	कम्पनी द्वारा पारसोली में बड़े प्रोजेक्ट के लिये लाइम स्टोन का समुचित क्षेत्र उपयुक्त न होने के कारण उन्हें अन्य उपयुक्त क्षेत्र बतलाते हुए आवेदन-पत्र प्रेषित करने हेतु लिखा गया है। कम्पनी का उत्तर अपेक्षित है।
8.	मैसर्स जनरल इण्डस्ट्रीज सोसायटी	रेवदर (सिरोही)	1.00 सफेद सीमेंट	एल आई 849 (81) दिनांक 31-12-81	मैसर्स हेमके एण्ड ग्लास कं. लि., बम्बई से परियोजना की टैक्नोइकोनोमिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। माइनिंग लीज के लिये आवेदन किया जा चुका है। लीज स्वीकृति की कार्यवाही खनिज विभाग में प्रगति पर है। इस परियोजना पर

					पूंजी विनियोजन लगभग 690 लाख रुपये का होगा एवं 419 व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे ।
9.	मैसर्स राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि.	मांडलगढ (भीलवाड़ा)	10.42	एल आई 530 (82) दिनांक 26-7-82	लाइम स्टोन के लिये प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस स्वीकृत होने पर कम्पनी द्वारा प्रोस्पेक्टिंग कार्य शुरू किया जा चुका है । इस परियोजना पर पूंजी विनियोजन लगभग 7045 लाख रुपये का होगा एवं 847 व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध होने की संभावना है ।
10.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	गोटन (नागौर)	0.50 सफेद सीमेंट	एल आई 66 (79) दिनांक 24-3-79	परियोजना हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है एवं फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रगति पर है । कम्पनी द्वारा आयतित मशीन हेतु आर्डर दिया जा चुका है विद्युत, माईनिंग लीज व कोल के लिये भी आवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं । इस परियोजना पर पूंजी विनियोजन लगभग 532 लाख रुपये का किया जावेगा एवं 100 व्यक्तियों को रोजगार के साधन प्राप्त होंगे । जून, 1983 तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है ।
11.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.	गोटन (नागौर)	0.66	एल.आई. 400 (80) सफेद सीमेंट दिनांक 27-8-1980	निगम (रीको) ने इस परियोजना के लिए मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक्स लि. के साथ संयुक्त भागीदारी का समझौता किया है । इस परियोजना पर कुल लागत 694 लाख रुपये की संभावित है एवं लगभग 387 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा ।

1	2	3	4	5	6
12.	मैसर्स एस.एल. राजपुरोहित	पिण्डवाड़ा (सिरोही)	0.66	एल आई 393 (80) दिनांक 27-8-80	पार्टी द्वारा वित्तीय सहायता संस्थाओं को आवेदन किया गया है। भूमि आवंटित की जा चुकी है। आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तन किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को सिफारिश भिजवाई जा चुकी है। लाइम स्टोन क्षेत्र के लिये अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया जा चुका है। इस परियोजना पर पूंजी विनियोजन लगभग 322 लाख रुपयों का होगा एवं 276 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है।
13.	मैसर्स राजस्थान राज्य औ. विकास एवं विनियोजन	आबूरोड़ (सिरोही)	0.66	एल आई 297 (79) दिनांक 20-9-79	लाइम स्टोन क्षेत्र के लिये प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस प्राप्त हो गया है। संयुक्त साझेदार का चयन अभी अन्तिम नहीं हुआ है। इस परियोजना पर कुल लागत लगभग 694 लाख रुपयों का होगी एवं 387 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।
14.	,, ,,	बिलाड़ा (जोधपुर)	0.66	एल आई 296 (79) दिनांक 20-9-79	संयुक्त साझेदार का चयन किये जाने की कार्यवाही जारी है इस परियोजना पर कुल लागत लगभग 694 लाख रु. एवं 387 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।

15.	मै. राजस्थान राज्य ग्रो. विकास एवं विनियोजन	वांसवाड़ा	0.66	एल. ग्राई 298 (79) दिनांक 20-S-79	निगम ने इस सीमेंट परियोजना के लिये श्री संजय मोदी के साथ संयुक्त क्षेत्रिय समझौता दि. 18-2-82 को किया। इस 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाली सीमेंट परियोजना की कुल लागत 200.00 लाख रुपये है। वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वीकृत हो गया है। इस परियोजना में लगभग 176 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। उत्पादन सितम्बर, 1983 में शुरू होने की संभावना है।
16.	मैसर्स राजस्थान-राज्य ग्रोद्यो. विकास एवं विनियोजन, निगम लि.	कोटपूतली	0.66	एल ग्राई 295 (79) दिनांक 20-9-79	निगम (रीको) ने इस सीमेंट परियोजना के लिये निर्मल कुमार रुंगटा एण्ड कम्पनी के साथ संयुक्त क्षेत्रिय समझौता दिनांक 29-7-81 को दिया है। इस 200 टन प्रतिदिन क्षमता वाली सीमेंट परियोजना की कुल लागत 694 लाख रुपये है। वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वीकृत हो गया है। इस परियोजना में 387 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। उत्पादन मार्च, 1984 में शुरू होने की आशा है।
17.	,, ,,	अजमेर	0.66	एल. ग्राई 299 (79) दिनांक 209-9-79	निगम ने इस परियोजना के लिये मैसर्स सुन्दरम् एण्ड (प्रा.) लि. के साथ संयुक्त क्षेत्रीय समझौता दिनांक 5-12-79 को किया गया था।— परियोजना के लिये

1	2	3	4	5	6
					रूपनगढ़ के पास चूने के पत्थर के लिये प्रोस्पेक्टिंग लाइ-सेंस भी प्राप्त कर लिया गया था। तथा प्रोस्पेक्टिंग का कार्य खान एवं खनिज निदेशालय, उदयपुर से करवाया गया है। इस विभाग द्वारा किये गये प्रोस्पेक्टिंग कार्य की प्रोस्पेक्टिंग/सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद संयुक्त क्षत्रीय साझेदार ने इस परियोजना को लगाने का अपना प्रस्ताव वापस लेने का फैसला किया है। इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव निगम के विचाराधीन है।
18.	मैसर्स जनरल सीमेंट उद्योग लि. सिरोही		0.66	एल आई 955 (82) दिनांक 31-12-82	इस परियोजना को नीमका थाना में स्थापित करने हेतु इकाई द्वारा आवेदन किया गया था। आशय पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु राज्य सरकार की सिफ़ारिश भी नीमका थाना (सीकर) के लिये ही भारत सरकार को भिजवाई गई थी, किन्तु भारत सरकार द्वारा यह परि-योजना सिरोही में स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी किया गया था। सिरोही के बजाय स्थान नीम का थाना (सीकर) परिवर्तन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनः भारत सरकार को निवेदन किया गया है।

ग्राम सिंघाना (खेतड़ी) में पेयजल व्यवस्था

674. श्री सुन्दरलाल (सूरतगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है की हिन्दुस्तान कॉपर-कॉम्पलेक्स खेतड़ी, नगर में कॉपर प्लांट एंव फर्टिलाइजर प्लान्ट की वजह से ग्राम सिंघाना के सभी कुओं का पानी खराब हो गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस से सिंघाना के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार स्वच्छ पेयजल के लिए क्या योजना बना रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सिंघाना जलदाय विभाग की मशीनें अक्सर खराब हो जाती हैं जिससे सिंघाना के नागरिकों को थोड़ा बहुत पानी जैसे-तैसे मिलता है वह भी महीने में 15 दिन से ज्यादा नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो सरकार पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) खेतड़ी के कॉपर प्लान्ट एवं फर्टिलाइजर प्लान्ट से जो उच्छिष्ठ निकलता है उससे सिंघाना पेयजल योजना के कुएं का पानी आंशिक रूप से खराब हो गया है।

(2) नागरिकों के स्वास्थ्य खराब होने के बारे में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। ग्राम सिंघाना के लिये 10.00 लाख रुपये की संवर्धन योजना विचाराधीन है।

(3) ग्राम सिंघाना को 2 कुओं से पानी उपलब्ध कराया जा रहा था जिसमें से एक कुआं मुख नदी के बीच में था, परन्तु प्रदूषण की आशंका के कारण इससे पानी नहीं लिया जा रहा है। केवल एक ही खुले कुएं से पानी वितरित कराया जा रहा है। कुएं में एक माह पूर्व नया पम्प लगा दिया गया है, जिससे अब नियमित रूप से जल वितरित किया जा रहा है।

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 782 की सूची

कृषकों की सूची, जिन्हें तिलहन फसल में वर्ष 1977–78 में डाइमेक्रोन दवाई प्रदर्शन हेतु दी गई।

क्र. सं.		नाम काश्तकार	गांव	पं. स.	दवाई की मात्रा	क्षेत्रफल 1 है. (सरसों फसल)
1		2	3	4	5	6
1.	श्री	उमराव/छोटेलाल	पलखड़ी	ऊमरेन	दो बार छिड़काव	
2.	,,	मानसिह/लठ्ठा	,,	,,	,,	
3.	,,	रामसिह/रामदेवा	,,	,,	,,	
4.	,,	रहीमुद्दीन/नूरा	,,	,,	,,	
5.	,,	समरु/चन्दर	,,	,,	,,	
6.	,,	अब्दुल/मूसा	माचड़ी	,,	,,	
7.	,,	जगमाल/जसमाल	,,	,,	,,	
8.	,,	चान्द सिह/सुंचा	पलखड़ी	,,	,,	
9.		सुब्बी/भूपसिह	सावड़ी	,,	,,	
10.	,,	जसमल/हसमल	,,	,,	,,	
11.	,,	गमरू/जोधा	पलखड़ी	,,	,,	
12.	,,	चावला/लाडला	माचड़ी	,,	,,	
13.	,,	छुट्मल/माज्ञ	सावडी	,,	,,	
14.	,,	छोटेखां/लाडखां	पलखड़ी	,,	,,	
15.	,,	खिलाडी/बख्शी	माचड़ी	,,	,,	
16.	,,	मुन्शी/वीरा	,,	,,	,,	
17.	,,	काला/भालू	,,	,,	,,	
18.	,,	दनमीरा/महताब	पलखड़ी	,,	,,	
19.	,,	सुलतान/भोला	सावड़ी	,,	,,	
20.	,,	रामनारायण/किशन	अकबरपुर	,,	,,	
21.	,,	श्योदयाल/भौंरेलाल	,,	,,	,,	
22.	,,	घीसा/भौंरेलाल	,,	,,	,,	

1		2	3	4	5	6
23.	श्री	छाजा/धर्मा	धर्मपुरा	ऊमरेन	दो वार छिड़काव	
24.	,,	जयराम/रामनारायण	,,	,,	,,	
25.	,,	खेड़मल/रामनारायण	,,	,,	,,	
26.	,,	मांग्या/रतना	अकवरपुर	,,	,,	
27.	,,	अली खां/खुदावक्स	धर्मपुरा	,,	,,	
28.	,,	कमरू/गप्पू	अकवरपुर	,,	,,	
29.	,,	दौरजी/सप्पू	,,	,,	,,	
30.	,,	पृथ्वीराज/राजाराम	सोहनपुर	,,	,,	
31.	,,	सोहनपाल/अजीपाल	रोंगड़ा	,,	,,	
32.	,,	गोदनराम/नत्थूराम	सोहनपुर	,,	,,	
33	,,	दीवानचन्द/मंहगाराम	दयालपुर	,,	,,	
34.	,,	किशन/जस्सीराम	डहरा	,,	,,	
35.	,,	गोकलचन्द/नारायण	इम्मीपुरा	,,	,,	
36.	,,	गुरुवक्ससिंह/बीरपालसिंह	अलवर	,,	,,	
37.	,,	वनालाल/भगवान	मालाखेड़ा	,,	,,	
38.	,,	अमरसिंह/रेवड़राम	केशरपुर	,,	,,	
39.	,,	त्रिलोकचन्द/चेतनदास	हरवाड़ा	,,	,,	
40.	,,	शंभू/उत्तमसिंह	लिवारी	,,	,,	
41.	,,	सरदारा/मम्मन	दलेड़ा	,,	,,	
42.	,,	आनन्दीलाल/नारायण	धोलीदूब	,,	,,	
43.	,,	रामनिवास/भौंदू	चान्दोली	,,	,,	
44.	,,	प्यारेलाल/छुट्टनलाल	ऊमरेन	,,	,,	
45.	,,	पूरनसिंह/हरिसिंह	गढ़ी	थानागाजी	600 मी. ली.	
46.	,,	मंगु/साधू	अजवपुरा	ऊमरेन	,,	
47.	,,	तुलसीराम/रामदेवा	मादड़ी	थानागाजी	,,	
48.	,,	कैलाशचन्द्र/भीमाराम	थानागाजी	,,	,,	
49.	,,	मंगल/चन्दा	विजयपुरा	,,	,,	
50.	,,	कानसिंह/हरिसिंह	कालाहेड़ा	,,	,,	
51.	,,	हीरा-श्योवक्स	गढ़ी	थानागजी	600 मी. ली.	
52.	,,	वीरवल/विरदा	,,	,,	दो वार	
53.	,,	सलमा/सामा	निवारी	ऊमरेन	,,	
54.	,,	घन्नू/जीवन	केरवावाल	,,	,,	

1		2	3	4	5	6
55.	श्री	शिवलाल/कनैवा	निवारी	ऊमरेन	दो बार	—
56.	,,	मानसिंह/जीवन	केरवावास	,,	,,	—
57.	,,	देवीसहाय/कनैया	निवारी	,,	,,	—
58.	,,	रामाखिलारी/कनैता	,,	,,	,,	—
59.	,,	मंगल/मंगला	पैमपुरा	थानागजी	,,	—
60.	,,	रामदेवा/गंगाराम	कानपुर	,,	,,	—
61.	,,	सरदारा/भगता	गढ़बसई	,,	,,	—
62.	,,	हरी/लल्लूराम	मेवखेड़ा	रामगढ़	600 मि. ली.	—
63.	,,	ठाकुरसिंह/ज्ञानसिंह	वाधांली	,,	,,	—
64.	,,	जिन्दा/सरदार	जाड़ोली	,,	,,	—
65.	,,	चिरंजी/दीना	बास	,,	,,	—
66.	,,	लच्छी/मानाराम	शेखपुरा	,,	,,	—
67.	,,	बक्शी/फूलचन्द	,,	,,	,,	—
68.	,,	भगत/महेन्दर	औलेड़ा	,,	,,	—
69.	,,	दीना/गिर्राज	सुनेहड़ा	,,	,,	—
70.	,,	गिर्राज/खेमचन्द	वामनीखेड़ा	,,	,,	—
71.	,,	चीवखां/फूला	नीकम	,,	,,	—
72.	,,	सूबेदार/उमराव	लाडपुर	,,	,,	—
73.	,,	जगरमा/दाताराम	गलेशपुर	,,	,,	—
74.	,,	उमराव/दीना	मिलकपुर	,,	,,	—
75.	,,	दीना/हीरा	,,	,,	,,	—
76.	,,	बुद्धाराम/सेवाराम	नंगला	,,	,,	—
77.	,,	बीरबल/भूरा	जुगरावर	,,	,,	—
78.	,,	चावखां/बदल	जलालपुर	,,	,,	—
79.	,,	जोगेन्दर/ईश्वर	जाडला	,,	,,	—
80.		रसला/महराव	वजीरका	,,	,,	—
81.	,,	रामप्रसाद/हट्टू	खुटेराकलां	,,	,,	—
82.	,,	चन्द्रभान/दौलत	रसवाडा	,,	,,	—
83.	,,	अमरसिंह/तारासिंह	नखोपुर	,,	,,	—
84.	,,	अरमत/मोदी	खाबड़ाकट वाली	,,	,,	—
85.	,,	भवानी/पौची	लालपुर	,,	,,	—
86.	,,	बरखाना/बहादुर	रसवाड़ा	,,	,,	—

1		2	3	4	5	6
87.	श्री	चामन्डीया/छुट्टन	नसोपुर	रामगढ़	600 मि. मी.	—
88.	,,	जीम्मा/माला	,,	,,	,,	—
89.	,,	छाजुराम/रामसुख	नांगलटका	,,	,,	—
90.	,,	हरीराम/कालू	,,	,,	,,	—
91.	,,	जीवन/वन्दूराम	पाली	,,	,,	—
92.	,,	खैराती/भाली	पाली	,,	,,	—
93.	,,	रामजीलाल/शुभरा	खुंटेटाकलां	,,	,,	—
94.	,,	विशन/ग्यारसा	मंगलेशपुर	,,	,,	—
95.	,,	अमरसिंह–चिरंजी	जुगरावर	,,	,,	—
96.	,,	अन्सारी/घासी	कलसावा	,,	,,	—
97.	,,	महेन्द्र/जागरसिंह	कारोली	,,	,,	—
98.	,,	लाखन/दयाल	कुंडाखेड़ी	,,	,,	—
99.	,,	ब्रजलाल/गंगाराम	खाजकां	,,	,,	—
100.	,,	छोटूराम/बालाराम	नीकच	,,	,,	—
101.	,,	श्री फूलचन्द–ख्याली	गोठड़ी	किशनगढ़	,,	—
102.	,,	हरबन्श/खजानचन्द	विलंवा	,,	,,	—
103.	,,	ज्ञानचन्द/प्यारा	किथूर	,,	,,	—
104.	,,	लालचन्द/चेलाराम	बाघोर	,,	,,	—
105.	,,	सत्जु/धोकल	सुरपुर	,,	,,	—
106.	,,	गर्जासिंह/राजसिंह	घोडाथाना	,,	,,	—
107.	,,	सम्पत/छज्जू	सेकपुर	,,	,,	—
108.	,,	करतारसिंह/जागीरसिंह	नांगलहीरा	,,	,,	—
109.	,,	रोशनलाल/वेलीराम	वाहदुरपुर	,,	,,	—
110.	,,	कमला/लाडखां	पहाड़ा	,,	,,	—
111.	,,	लल्लूराम/झम्मनराम	मौटुका	,,	,,	—
112.	,,	छोटुमल/लालुमल	भानोठडी	,,	,,	—
113.	,,	मंगलराम/रामसिंह	बाखोड़ा	,,	,,	—
114.	,,	मनीराम/घालीराम	मुंडियाखेड़ा	,,	,,	—
115.	,,	गजराज/सदरखां	मीरजापुर	,,	,,	—
116.	,,	अमरसिंह/सज्जनसिंह	हुसेनपुर	,,	,,	—
117.	,,	बन्नेसिंह/लल्लू	नांगल मोहम्मदपुर	,,	,,	—
	,,					

(250)

1		2	3	4	5	6
118.	श्री	जुम्मा/मेदखां	सरपुर	किशनगढ़	600 मि. ली.	—
119.	,,	सरदारा/रामसिंह	चौकड़ी	,,	,,	—
120.	,,	बालकिशन/प्यारेलाल	रसेपुर	,,	,,	—
121.	,,	कुन्दन/रतीराम	कोटकासिम	,,	,,	—
122.	,,	जनकसिंह/रघुनाथसिंह	पुर	,,	,,	—
123.	,,	श्रीचन्द/हेमकरण	आलमपुर	,,	,,	—
124.	,,	रामकरण/रूडचन्द	मकलावा	,,	,,	—
125.	,,	जगराम/दोलीराम	टांकाहेड़ी	,,	,,	—
126.	,,	मांराज/मोती	खेड़ा	,,	,,	—
127.	,,	मुखराम/भौंदू	नगलिया	,,	,,	—
128.	,,	मंगली/कालिया	सांथलका	,,	,,	—
129.	,,	पैमला/सेवता	जाटका	,,	,,	—
130.	,,	जुम्मा/कमला	हलालपुर	,,	,,	—
131.	,,	रोशलाल/दौलतराम	बहादुरपुर	,,	,,	—
132.	,,	नेमीचन्द/रामकुमार	खानपुर	,,	,,	—
133.	,,	रामकिशन/मोलूराम	देवता	,,	,,	—
134.	,,	सोनिया/भोलू	हरसोली	,,	,,	—
135.	,,	कमला/समेला	बासड़ा	,,	,,	—
136.	,,	कुन्दन/मौजी	नूरुरहाडी	,,	,,	—
137.	,,	तोताराम/गंगासहाय	कांकडा	,,	,,	—
138.	,,	तोतनदास/रीझूमल	इस्माइलपुर	,,	,,	—
139.	,,	जहारी/मिगला	साथलका	,,	,,	—
140.	,,	सफेदा/जोहरू	मुशखेडा	,,	,,	—
141.	,,	बलीमल/कुन्दनलाल	सादुका	,,	,,	—
142.	,,	दलीपसिंह/बहादुरसिंह	नूरनगर	,,	,,	—
143.	,,	छुट्टन/पासी	कजाकपुर	,,	,,	—
144.	,,	फकीरा/बुला	दांगडा	,,	,,	—
145.	,,	पल्टु/नन्दराम	माचाड़ी	,,	,,	—
146.	,,	सुमेर/लहरू	औदरा	,,	,,	—
147.	,,	अब्दुल/मौहम्मदहनीस	कट्टास बाजौट	,,	,,	—
148.	,,	रामदयाल/जयदयाल	नयागांव	,,	,,	—
149.	,,	गोकलसिंह/रतनसिंह	गांवपुर	कोटकासिम	,,	—

1		2	3	4	5	6
150.	श्री	वजीरसिंह–सादुलसिंह	टहटला	किशनगढ़	600 मि. ली.	—
151.	,,	हुनमामल/भारूमल	झीरंडिया	,,	,,	—
152.	,,	बनारसी/रामलाल	डूछाका	,,	,,	—
153.	,,	कालिया/बलवीरसिंह	बबेरी	,,	,,	—
154.	,,	ममन/बुला	चिरखाना	,,	,,	—
155.	,,	अमरू/खेमचन्द	खिरची	,,	,,	—
156.	,,	ताराचन्द/रामजीलाल	छतरपुर	,,	,,	—
157.	,,	हरलाल/भीमसिंह	करवड़	कोटकासिम	,,	—
158.	,,	भूरजी/हीरालाल	अरूआं	कठूमर	,,	—
159.	,,	इन्दर/शिवलाल	अरूआं	,,	,,	—
160.	,,	दौलतमल/नन्नूमल	कानेटी	,,	,,	—
161.	,,	दयाजीराम/हरीसिंह	कठूमर	,,	,,	—
162.	,,	सांवलसिंह/रूडयासिंह	बहरामपुर	,,	,,	—
163.	,,	धीरजसिंह/रामप्रसाद	गारू	,,	,,	—
164.	,,	रामजीलाल/बिस्सुराम	पहाड़ी	,,	,,	—
165	,,	बिस्सुराम/दिलसुख	,,	,,	,,	—
166.	,,	बाबूलाल/गिर्राजप्रसाद	कठूमर	,,	,,	—
167.	,,	मोहरसिंह/परभातीराम	भांवर	,,	,,	—
168.	,,	रामजीलाल/भूरा जाट	जरेला	,,	,,	—
169.	,,	सामन्ताराम/दयाजीराम	कठूमर	,,	,,	—
170.	,,	गिर्राजप्रसाद/बन्डाराम	तिगरिया	,,	,,	—
171.	,,	खिल्लूराम/चिरमाली	हाड़का	,,	,,	—
172.	,,	छोटी/हरदेव	सहजपुरा	,,	,,	—
173.	,,	घड़ेसिंह/देवबकश गुर्जर	मैथला	,,	,,	—
174.	,,	अमरसिंह/हुकमसिंह	सौंख	,,	,,	—
175.	,,	शोभाराम/रेखाराम	गहलावता	,,	,,	—
176.	,,	मोतीलाल/हीरालाल	टोडा	,,	,,	—
177.	,,	मोहरपाल/कन्हैया	बड़ेर	लक्ष्मणगढ़	,,	—
178.	,,	राधेश्याम/दुर्गाप्रसाद	हसनपुर	,,	,,	—
179.	,,	बद्रीप्रसाद/जयनारायण	अन्तावाड़ा	,,	,,	—
180.	,,	प्रभूदयाल/छाजूराम	रोणपुर	,,	,,	—
181.	,,	रामजीलाल/लक्ष्मणराम	,,	,,	,,	—
182.	,,	नन्दकिशोर/रामजीलाल	सेहरा	,,	,,	—

(252)

1		2	3	4	5	6
183.	श्री	पन्नालाल/हजारीलाल	बिचगांवा	लक्ष्मणगढ़	600 मि. लि.	—
184.	,,	लालसिंह/तोता	हरसाना	,,	,,	—
185.	,,	मोतीलाल/लालाराम	लीली	,,	,,	—
186.	,,	देवीसिंह/हजारीलाल	लीली	,,	,,	—
187.	,,	देवीसिंह/हरिसिंह	गंडूरा	,,	,,	—
188.	,,	नाथूराम/हेमाराम	बेड़ला	,,	,,	—
189.	,,	शिवप्रसाद/रामगोपाल	खीरा	,,	,,	—
190.	,,	मिट्ठनलाल/किशनलाल	कचावा	,,	,,	—
191.	,,	किशनलाल/जयपाल	,,	,,	,,	—
192.	,,	सुखपाल/रामपाल	हरसाना	,,	,,	—
193.	,,	रमजानखां/ईश्वरखां	त्रिमरावली	,,	,,	—
194.	,,	दोना मेव/हसरत मेव	टोडानागर	,,	,,	—
195.	,,	हरीराम/घमण्डी	माण्डीवास	,,	,,	—
196.	,,	हुमसिंह/नवला	वैहरपुरी	,,	,,	—
197.	,,	केशवसिंह/हरचन्दी	बिचगांव	,,	,,	—
198.	,,	हरज्ञान/बुदाराम	लीली	,,	,,	—
199.	,,	प्रभुलाल/रामलाल	जावली	,,	,,	—
200.	,,	सोहनपाल/बंशी	खुडीयाना	,,	,,	—
201.	,,	हीरा/पतराम	नीवाजी	,,	,,	—
202.	,,	मातादीन/श्योलाल	उलहाडी	मण्डावर	,,	—
203.	,,	रामप्रसाद/नानगराम	कनवाड़ा	लक्ष्मणगढ़	,,	—
204.	,,	रामजीलाल/लाचारीराम	महराना	,,	,,	—
205.	,,	पातीराम/पूरनसिंह	करीरीया	,,	,,	—
206.	,,	गिर्राजसिंह/रूपसिंह	शीतल का वास	,,	,,	—
207.	,,	धनीराम/टुण्डाराम	पचावा	,,	,,	—
208.	,,	रामकिशन/प्रहलाद	अन्तापाड़ा	,,	,,	—
209.	,,	हरीसिंह/चिरंजी	लीली	,,	,,	—
210.	,,	मोहनसिंह/दीपसिंह	शहरपुरी	,,	,,	—
211.	,,	मांगीलाल नाई/सुखदेव नाई	त्रिमरावली	,,	,,	—
212.	,,	सुरेन्द्रसिंह/जलदेवसिंह	मालपुर	,,	,,	—
213.	,,	मातादीन/श्योलाल	उल्हाड़ी	मण्डावर	,,	—

1		2	3	4	5	6
214.	श्री	केशरसिंह/विजयसिंह	बड़ौद	बहरोड़	600 मि. ली.	—
215.	,,	विशंभरदयाल	सराय	मंडावर	,,	—
216.	,,	मातादीन/जगराम	मुण्डियाखेड़ा	,,	,,	—
217.	,,	प्रहलाद/जगराम	मऊ	,,	,,	—
218.	,,	रघुवीर हरीजन/मंघाराम	चांदपुर	,,	,,	—
219.	,,	टेकचन्द/रामचरण	सरायकला	,,	,,	—
220.	,,	लक्ष्मन/रामस्वरूप	मोलावास	,,	,,	—
221.	,,	रामसिंह/हरफूल	सियाखों	,,	,,	—
222.	,,	यादराम/रामजीलाल	,,	,,	,,	—
223.	,,	जयसिंह/पन्नाराम	उल्हाड़ी	,,	,,	—
224.	,,	सूरजमल/फूसाराम	उल्हाड़ी	,,	,,	—
225.	,,	प्रभूसिंह/अर्जुनसिंह	सूरजपुरा	,,	,,	—
226.	,,	भगवानसिंह	,,	,,	,,	—
227.	,,	तुलसीराम/रामदेव	मंढ़ा	,,	,,	—
228.	,,	जयदयाल/झूंथर	सूरजपुरा	,,	,,	—
229.	,,	इन्दर/जीवनराम	मऊ	,,	,,	—
230.	,,	रामजीलाल/सुक्खा	महल	,,	,,	—
231.	,,	रामजीलाल/कालूराम	ततारपुर	,,	,,	—
232.	,,	झुंथाराम/गोविन्दा	,,	,,	,,	—
233.	,,	बुद्धाराम/शंकर	सुखमेड़ी	,,	,,	—
234.	,,	उमराव/सूरजा	सोरखां	,,	,,	—
235.	,,	जम्मन/टीकम सिंधी	मातौर	,,	,,	—
236.	,,	मोढूमल/सेवकमल	रसगन	,,	,,	—
237.	,,	जुगलकिशोर/गणपतसिंह	जसाई	,,	,,	—
238.	,,	कालूराम/जीवनराम	,,	,,	,,	—
239.	,,	ब्रह्मानन्द/शिवदयाल	नांगल	,,	,,	—
240.	,,	घनश्याम/चेतराम	उडीया	,,	,,	—
241.	,,	सुरजा/घन्सी	मऊ	,,	,,	—
242.	,,	अर्जुनसिंह/गणपत	पलाना	,,	,,	—
243.	,,	कन्हैयालाल सोहन	पलावा	मंडावर	,,	—
244.	,,	मानसिंह/रूपसिंह	बर्डोद	,,	,,	—
245.	,,	उम्मेदसिंह/माधोसिंह	,,	,,	,,	—

1		2	3	4	5	6
246.	श्री	दुर्जनसिंह कुशलसिंह	बर्डोद	मंडावर	600 मि.ली.	—
247.	,,	सीताराम/धन्सीराम	भानोत	,,	,,	—
248.	,,	हजारीलाल/लेखराम	पेहल	,,	,,	—
249.	,,	सूरजभान/हरलाल	,,	,,	,,	—
250.	,,	कालूराम/जीवनसिंह	गण्डाला	बहरोड़	,,	—
251.	,,	बीरबल/कन्हैयालाल	खोहरी	,,	,,	—
252.	,,	हनुमान/मनोहर	उल्हाड़ी	मंडावर	,,	—
253.	,,	बनवारी/बख्तावर	,,	,,	,,	—
254.	,,	श्रीराम शर्मा	सरायकलां	,,	,,	—
255.	,,	कन्हैयालाल शर्मा	,,	,,	,,	—
256.	,,	महावीर/रामदयाल	उल्हाड़ी	,,	,,	—
257.	,,	सोवकश/केवलसिंह	भीवाड़ा	,,	,,	—
258.	,,	घीसाराम/जीवणराम	भीवाड़ा	,,		—
259.	,,	श्रीराम/ओंकार	चांदपुर	,,	,,	—
260.	,,	राधेश्याम/बुद्धाराम	,,	,,	,,	—
261.	,,	सुवेसिंह/खुबाराम	,,	,,	,,	—
262.	,,	रनवीर/बुद्धाराम	मुखखेड़ी	,,	,,	—
263.	,,	अमरसिंह/मुकन्द सिंह	बर्डोद	बहरोड़	,,	—
264.	,,	रामचन्द्र/प्रभूसिंह	,,	,,	,,	—
265.	,,	नारायण/गुलाबसिंह	,,	,,	,,	—
266.	,,	छोटूसिंह/बल्देवसिंह	भीवाड़ा	मंडावर	,,	—
267.	,,	रामस्वरूप शर्मा	सराय	,,	,,	—
268.	,,	परसराम शर्मा	,,	,,	,,	—
269.	,,	रामसिंह	बीजवाड़ा	,,	,,	—
270.	,,	बिहारीलाल शर्मा	,,	,,	,,	—
271.	,,	जगदीश प्रसाद शर्मा	,,	,,	,,	—
272.	,,	बाबूसिंह	बिचला	,,	,,	—
273.	,,	हनुमन्तसिंह	,,	,,	,,	—
274.	,,	भवानीसिंह	,,	,,	,,	—
275.	,,	उमरावसिंह	,,	,,	,,	—
276.	,,	रामप्रसाद शर्मा	अजीका	,,	,,	—
277.	,,	कन्हैयाराम जाट	,,	,,	,,	—
278.	,,	छीतरमल शर्मा	,,	,,	,,	—

1		2	3	4	5	6
279.	श्री	रोहितास तिवाड़ी	सोडावाल	मंडावर	600 मि. लि.	—
280.	,,	रतीराम चौधरी	राजावाड़ा	,,	,,	—
281.	,,	सोहनसिंह/अर्जुनसिंह	सूरजपुरा	,,	,,	—
282.	,,	गुलखान/कल्लूखां	जिन्दोली	,,	,,	—
283.	,,	हनुमानसिंह/इन्दरसिंह	बर्डोद	बहरोड़	,,	—
284.	,,	बनवारी/गिरधारी	,,	मंडावर	,,	—
285.	,,	रामेश्वर/हरीजन मेघाराम	बर्डोद	बहरोड़	,,	—
286.	,,	नन्दकिशोर	बैरोज की की ढाणी	मंडावर	,,	—
287.	,,	धर्मचन्द जाट	जसाई	,,	,,	—
288.	,,	रामकिशोर शर्मा	बैरोज की ढाणी	,,	,,	—
299.	,,	दीनदयाल यादव	जसाई	,,	,,	—
290.	,,	भीमाराम जाट	,,	,,	,,	—
291.	,,	मुरलीधर शर्मा	हटुण्डी	,,	,,	—
292.	,,	मूलाराम/देवीसहाय	चांदपुर	,,	,,	—

परिशिष्ट--5

अतारांकित प्रश्न संख्या 783 की सूची

पंचायत समिति, सांगानेर

पूर्ण सड़कों की सूची

1. अजमेर रोड से बगरू खुर्द
2. अजमेर रोड से बगरू काजवा
3. अजमेर रोड से सब यार्ड बगरू
4. महापुरा से झाई वाया लाल्या का बास
5. अजमेर रोड से फकोडियावाला
6. अजमेर रोड से रामचन्द्रपुरा
7. अजमेर रोड से ठीकरिया
8. महापुरा से लाल्या का बास
9. अजमेर रोड से देवलिया
10. स्टोन पेविंग अजमेर रोड से सब यार्ड बगरू
11. महापुरा से लाल्या का बास नई सड़क

निर्माणाधीन सड़कें

1. जयपुर डिग्गी रोड से बालेवाला वाया लाखना
2. जयपुर अजमेर रोड से भम्भोरिया वाया सांरगपुरा
3. दुर्गापुरा से मानियावास वाया जाट देवरी
4. ठीकरिया से सांझरिया
5. बगरू से सुवाका बास
6. मुहाना से सुखिया
7. सोहाला रोड से मांगिया बास
8. मुहाना से कपूरावाला
9. भांकरोटा से मुकन्दपुरा

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 784 सूची)

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1979-80, 1980-81, एवं 1981-82 में लक्ष्यों के मुकाबले प्राप्ति निम्न प्रकार रही :—

(क्षेत्रफल लाख हैक्टेयर में)
(उत्पादन लाख टनों में)

फसलें		1979-80		1980-81		1981-82	
		क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1. खाद्यान्न							
खरीफ							
	लक्ष्य	79-10	30-90	84-70	32-00	81-40	15-65
	प्राप्ति	78-46	12-80	90-42	27-04	88-21	23-51
रबी							
	लक्ष्य	44-20	48-15	43-00	52-00	43-75	55-75
	प्राप्ति	19-06	39-66	23-01	17-92	41-73	47-97
2. तिलहन							
खरीफ							
	लक्ष्य	6-30	2-20	8-25	3-35	8-70	4-01
	प्राप्ति	6-16	0-85	6-51	1-28	6-76	1-68
रबी							
	लक्ष्य	3-90	2-30	4-75	2-85	4-80	2-88
	प्राप्ति	4-29	1-66	4-02	2-61	7-36	4-86
3. गन्ना							
	लक्ष्य	0-50	23-25	0-50	24-00	0-50	24-85
	प्राप्ति	0-34	21-60	0-29	11-64	0-37	14-13
4. कपास							
	लक्ष्य	3-40	5-70 (उत्पादन लाख गांठों में)	4-00	5-90 (उत्पादन लाख गांठों में)	4-20	6-65 (उत्पादन लाख गांठों में)
	प्राप्ति	3-92	4-84	3-75	3-88	3-80	4-26
5. अन्य							
	लक्ष्य	30-30	--	29-50	--	30-25	--
	प्राप्ति	31-48	--	28-18	--	21-43	--
	लक्ष्य	167-70	--	175-00	--	175-40	-
कुल योग	प्राप्ति	163-75	--	168-96	--	168-00	--

परिशिष्ट–"ख"

वर्ष 1979–80, 1980–81 एवं 1981–82 में अनुमानित उत्पादन का वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(उत्पादन लाख टनों में/गांठों में)

	फसलें	1979–80		1980–81		1981–82	
		अनुमा.	वास्त.	अनुमा.	वास्त.	अनुमा.	वास्त.
1.	गेहूं	17-45	27-01	16-70	23-94	26-00	29-42
2.	चावल	0-90	1-00	2-68	1-50	2-00	1-39
3.	ज्वार	1-00	1-53	2-71	3-38	2-50	4-08
4.	बाजरा	4-25	3-81	6-95	11-35	7-50	8-03
5.	मक्का	4-20	5-75	5-62	7-86	6-10	7-47
6.	तिलहन						
	खरीफ	0-90	0-85	1-72	1-28	2-30	1-68
	रबी	1-43	1-66	2-25	2-61	3-30	4-86
7.	दलहन						
	खरीफ	1-10	0-70	1-92	2-93	2-90	2-48
	रबी	8-95	7-74	7-20	8-76	15-63	12-71
8.	गन्ना	15-00	11-60	13-70	11-64	16-00	14-12
9.	कपास	2-20	4-84	5-30	3-88	5-00	4-26

परिशिष्ट "ग"

उर्वरक विवरण का लक्ष्य एवं उपलब्धि

उर्वरक	वर्ष 1979–80				1980–81				1981–82			
	खरीफ, 79		रबी, 79–80		खरीफ, 80		रबी, 80–81		खरीफ, 81		रबी, 81–82	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
नत्रजन	43400	53649	108824	97678	150000	47147	104320	81228	66385	4278	114370	96674
फास्फोरस	9905	15441	23152	24617	8300	11242	24500	25504	12520	18464	26050	32041
पोटाश	2050	3642	5013	6144	2200	2935	5430	3570	2732	2558	7556	5315

परिशिष्ट—"घ"

वर्ष 1979–80, 1980–81, 81–82 में विभिन्न किस्मों के बीज वितरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्न प्रकार है :—

	बीज का नाम	1979–80				1980–81				1981–82			
		लक्ष्य	प्राप्ति रा. रा. बीज नि.	अन्य	योग	लक्ष्य	प्राप्ति रा. रा. बीज नि.	अन्य	योग	लक्ष्य	प्राप्ति रा. रा. बीज नि.	अन्य	योग
1.	बजरा	13750	8634	8420	17054	21250	7009	14760	21769	39930	12175	22043	34218
2.	ज्वार	700	522	131	633	1740	1216	300	1516	6500	2828	946	3774
3.	मक्का	4500	1960	731	2691	4500	2710	1616	4326	8100	2619	1772	4321
4.	चावल	1250	696	513	1209	2000	908	219	1127	3400	2087	458	1545
5.	मूंग	390	122	—	122	860	173	92	2065	1000	512	212	724
6.	मोंठ	—	—	—	—	—	2	11	13	—	3	42	45
7.	उड़द	55	50	—	50	260	125	3	128	250	121	46	167
8.	चौला	20	20	—	20	100	14	9	23	150	9	12	21
9.	अरहर	535	40	—	40	1260	363	120	483	1000	116	55	171
10.	मूंगफली	1700	92	53	145	1145	290	132	421	2365	5	333	338
11.	तिल	—	—	18	18	—	—	94	94	—	15	224	239
12.	सोयाबीन	—	—	2	2	1	1	114	214	—	—	152	152
13.	गेंहू	115000	48597	13403	62000	120000	39680	31285	72948	127500	38414	38255	76667
14.	जौ	4000	369	2044	2413	4000	145	1849	1994	5000	1212	768	1980
15.	गन्ना	10000	6004	3221	9225	1000	813	5528	13571	14100	3111	10745	14256
16.	सरसों	300	530	813	1243	1000	381	2786	3167	1700	776	3349	4125
17.	कपास	2400	467	4	461	3980	3028	3707	6735	7000	2068	1703	3371
18.	ग्वार	—	453	—	53	250	147	237	382	500	602	335	937

261

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 787 की सूची)

व्यय की विगत वर्षवार पैडोक्स कार्यालय भू-संरक्षण सहायक कोटा सन् 1962 से नवम्बर, 1982 तक

वर्षों का विवरण																	
65–66	66–67	67–68	68–69	69–70	70–71	71–72	72–73	73–74	74–75	75–76	77–78	77–78	78–79	79–80	80–81	81–82	82–83
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
634-95	1974-00	2328-06	2002-26	2555-25	2799-08	3494-67	2812-20	1253-67	2339-65	3951-17	3935-82	5130-12	2631-62	19445-75	3155-00	4636-00	[illegible]
999-21	2869-66	3139-14	4044-68	3985-00	3128-41	3146-83	3235-77	883-33	1319-35	3255-00	2465-48	2509-91	1362-25	1555-25	–	–	–
152-92	10965-66	2904-49	5037-23	4351-08	7568-95	5498-25	5158-65	2787-68	2794-84	5677-42	1975-00	1899-74	3121-66	1482-50	3650-00	8523-00	[illegible]
432-39	10085-00	8225-50	7505-11	9805-10	9841-03	8823-91	9151-06	–	4946-70	4423-62	2116-45	8120-89	3676-62	6693-68	3534-45	3691-60	331[illegible]
889-41	21295-73	8312-97	4577-68	4411-52	3076-07	4250-64	4528-64	1833-51	2846-45	2786-87	1586-95	2142-07	935-50	350-00	392-00	–	–
–	–	–	–	26542-85	18385-23	2983-75	7701-79	7542-18	2860-55	4574-10	4052-32	1605-41	–	1560-00	1480-00	–	172[illegible]
–	–	–	–	–	—	–	11736-00	12816-46	1742-04	1035-33	2974-52	1211-08	2041-52	515-00	357-00	3584-00	856-00

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 790 की सूचियां व विवरण)

उरमूल डेयरी द्वारा चलाये गये अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित पशु आहार समिति/केन्द्रवार विवरण, वर्ष 1980–81 :—

क्र. सं.	नाम केन्द्र	वितरित पशु आहार (कि. ग्रा.)
तहसील बीकानेर :—		
1.	शरेरा	122.20.0
2.	जखारा	381.94.2
3.	रूणिया बड़ावास	85.33.8
4.	मौलानिया	78.13.4
5.	कतरियासर	314.67.8
6.	करणीसर-बीकानेर	61.85.0
7.	गैरसर	114.70.4
8.	मालासर	134.28.8
9.	गुसाईंसर छोटा	407.38.6
10.	बम्बलू	468.25.8
11.	केसरदेसर जाटान	113.77.8
12.	जसनाथपुरा	58.21.2
13.	लाडेरा	70.50.4
तहसील नोखा :—		
14.	बादनू	46.25.6
15.	जसरासर	44.00.2
तहसील लूणकरणसर :—		
16.	सूई	208.34.8
17.	सहजरासर	243.43.2
18.	कपूरीसर	185.22.0
19.	कागासर	110.93.6
20.	छटासर	71.93.2
21.	कालू	738.36.0
22.	कुजटी	76.14.6
23.	रावांसर	17.15.0
24.	नाथवाना	267.02.6
25.	गारबदेसर	127.30.2
26.	ढाणी छिपलाई	115.24.8
27.	हंसेरा	165.45.0

(263)

उरमूल डेयरी द्वारा चलाये गये अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित पशु आहार समिति/केन्द्रवार, वर्ष 1981–1982 :—

क्र. सं.	नाम केन्द्र	वितरित पशु आहार (कि. ग्रा.)
1	2	3
	बीकानेर तहसील :—	
1.	गुसाईंसर	926.22.4
2.	करणीसर बीकानेर	559.72.0
3.	मालासर	700.58.8
4.	सवाई शहर	537.02.6
5.	गैरसर	474.11.0
6.	"ए" केसरदेसर जाटान	957.23.6
7.	'बी'" केसरदेसर जाटान	676.95.6
8.	गाढ़वाला	396.28.4
9.	वरसिंहसर	883.66.6
10.	तेजरासर	652.06.4
11.	लालमदेसर	996.65.4
12.	राजेरा	480.03.2
13.	पलाना	654.62.6
14.	रामसर 'ए"	523.86.6
15.	रामसर "बी"	202.55.2
16.	हमेरा	925.34.4
17.	मोलानिया	571.34.0
18.	राणीसर	675.58.4
19.	शरेरा	702.05.8
20.	नौरंगदेसर	190.26.0
21.	मूण्डसर	85.00.8
22.	नूरसरजालवाली	860.28.6
23.	नागासर	279.69.2
24.	रूणियाबड़ावास	123.15.8

1	2	3
तहसील नोखा :—		
1.	जयसिंह देसर "ए"	1035.45.4
2.	गजरूपदेसर	562.81.4
3	वन्धाला	859.09.6
4.	पिथरासर	1033.92.8
5.	जांगलू	1032.96.2
6.	ढीगसरी	68.65.0
7.	जसरासर	546.16.8
8.	उडसर	807.95.4
9.	लालमदेसर बड़ा	513.59.0
10.	सिंधु	189.92.4
11.	मन्याणा	323.51.2
12.	कुचोर आथुनी	593.71.2
13.	बिदासरिया	516.85.6
14.	रासीसर (तालरियाबास)	763.21.4
15.	देसलसर	639.60.4
16.	जेंगला	883.39.8
17.	साधासर	427.21.0
18.	सुरपुरा	23.85.6
19.	बनिया	324.10.0
20.	लालासर	243.62.8
21.	सुरतसिंहपुरा	221.35.0
22.	सिनियाला	612.06.0
23.	धरनोक	174.38.4
24.	जांगलू-वी	529.67.6
25.	रोड़ा	116.29.8
26.	जयसिंहदेसर "वी"	159.15.2
27.	लालमदेसरछोटा	—
तहसील लूणकरणसर		
1.	कारडा	585.55.0
2.	कपूरीसर	732.74.6
3.	सुई	913.35.8
4.	ढाणी गोपेरा	550.11.6

1	2	3
5.	खियेरा	865.87.2
6.	कालू–ए	1054.57.0
7.	रामबाग	783.50.6
8.	छटासर	273.63.0
9.	धीरदान	832.13.2
10.	सहजरासर	723.57.6
11.	अमरपुरा	988.79.2
12.	ढाणी पाण्डूसर	513.58.300
13.	मनाफरसर	766.16.4
14.	करणीसर	921.95.6
15.	शुभलाई	920.63.3
16.	खोखराणा	780.97.8
17.	शेखसर	707.01.4
18.	सुरनाणा-ए	833.36.4
19.	खोडला	765.39.4
20.	कालू "बी"	844.09.4
21.	रावासर	280.61.6
22.	आड़सर	596.65.1
23.	जैतपुर	459.45.2
24.	भुवाला	704.85.8
25.	हंसेरा	840.35.0
26.	लखावर	699.70.9
27.	अजीतमाना	677.48.8
28.	किसनासर	687.69.4
29.	शेखसरबास (खोडला "ए")	726.01.2
30.	कुजटी	568.40.0
31.	शेरपुरा–ए	773.71.0
32.	कंकरालिया	330.77.8
33.	काकडवाला	698.67.0
34.	बडेरन	333.14.4
35.	मोखमपुरा	570.63.2
36.	मेऊसर	547.33.0
37.	ठुईयां	626.10.8

1	2	3
38.	डेलाना, बड़ा	430.94.8
39.	खिलेरिया	580.80.4
40.	बूदेर	450.61.8
41.	उदेशिया	272.83.6
42.	शेखसरबास (खोडाला-बी)	775.53.0
43.	भिखनेरा	549.72.8
44.	मेहराना	397.51.6
45.	जैसा	257.79.0
45 ए.	ढाणी छितला	222.40.4
46.	घेसूरा	427.98.0
47.	वीरमाना	427.00.0
48.	सुरनाणा "बी"	511.00.0
49.	मनोरिया	197.70.8
50.	मोटासर	571.11.6
51.	मोटोलाई	470.60.0
52.	कानोलाई	400.98.8
53.	रायमलवाली	343.00.0
54.	कुम्भाना	363.07.6
55.	चकरामपुरा	——
56.	सोड़वाली	—
57.	सुलेरा	296.49.2
58.	गारबदेसर	315.95.2
59.	कागासर	450.01.6
60.	राजासर–ए	890.90.4
61.	राजासर–बी	60.69.0
62.	सहजरासर	838.28.0
63.	ढाणी छिपलाई	256.20.0
64.	भादवा	283.83.6
65.	केला–बी	–
66.	शेरपुरा–बी	256.20.0
67.	डूडीयाली	229.62.8
68.	कपूरीसर–बी	198.82.8
69.	कुम्भाणावास	171.09.4
70.	गोपलान	599.69.0

1	2	3
71.	बेरावाला	105.00.0
72.	ढाणी गोपेरा	550.11.6
73.	ढाणी कुरवाना	178.476
74.	मकडासर	456.73.4
75.	केला–ए	896.37.8

उरमूल डेयरी द्वारा चलाये गये अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित पशु आहार समिति/केन्द्रवार, वर्ष 1982–1983 (संवत् 2038)

क्र. सं.	नाम केन्द्र	वितरित पशु आहार (कि. ग्रा.)
1	2	3
तहसील कोलायत :—		
1.	चक विजयसिंह पुरा	587.35.0
2.	सियाणा	298.28.0
3.	कोडमदेसर	231.56.0
4.	अक्कासर	72.23.0
तहसील नोखा :—		
1.	जयसिंहदेसर "ए"	1199.25.0
2.	धरनोक	1109.10.0
3.	पिथरासर	1630.73.2
4.	बन्धाना	1562.51.0
5.	दीयतरी	945.51.0
6.	मान्याणा	1038.62.0
7.	मोरखाना	1110.24.0
8.	जागलू "ए"	1808.71.0
9.	देसलसर	1018.30.0
10.	जेगला "ए"	1087.47.0
11.	कुदसु "ए"	502.60.0

1	2	3
12.	पारवा	465.17.0
13.	लालासर	516.77.6
14.	वनिया	516.72.4
15.	सिनियाला	1039.06.0
16.	उडसर	345.20.0
17.	बख्तावरपुरा	453.50.0
18.	जयसिंहदेसर "बी"	565.44.0
19.	सांईसर	212.05.0
20.	कुदसु "बी"	550.41.0
21.	किरतासर	300.52.0
22.	जांगलू "बी"	1071.40.0
23.	सिंघू	129.05.0
24.	भामटसर	292.25.0
25	जेगला "बी"	736.46.0
26.	कांडा	295.57.0

तहसील बीकानेर :—

1.	वरसिंहसर "ए"	1672.39.0
2.	पलाना	1229.07.5
3.	लालमदेसर	735.97.0
4.	सवाईसर	565.34.0
5.	लाडेरा	688.24.0
6.	रूनिया (वडावास)	438.42.0
7.	चेरेरा	574.12.0
8.	हमेरा	147.38.0
9.	राजेरा	575.99.0
10.	गैरसर	275.00.0
11.	खारा	650.59.0
12.	करणीसर (बीकान)	905.83.0
13.	मौलानियां	491.76.4
14.	कानासर	644.30.0
15.	बम्बलू	909.41.0
16.	कतरियासर	988.31.0

1	2	3
17.	राणीसर	883.48.0
18.	जालवाली	1015.73.0
19.	लाखूसर	704.20.0
20.	नौरंगदेसर	432.70.0
21.	गुसईसर	1384.09.0
22.	मालासर	858.41.0
23.	सुरधना	137.24.0
24.	केसरदेसर जाटान "ए"	623.93.0
25.	वरसिंहसर "बी"	537.83.0
26.	जसनाथपुरा	384.81.0
27.	हुसंगसर	193.30.0
28.	केसरदेसर जाटान "बी"	550.24.0
29.	कावनी	323.32.0
30.	बान्दरवाला	247.21.0
31.	खारड़ा	456.34.0

तहसील लूणकरणसर :—

1.	कालू "ए"	1800.08.0
2.	कुजटी	683.56.0
3.	खोडाला	1091.60.0
4.	धीरदान	1189.44.0
5.	शेखसर बासखी "ए"	1380.00.0
6.	शेखसर बासखी (बी)	1049.04.0
7.	मुई	1209.44.0
8.	शेखसर "ए"	1298.72.0
9.	ढाणी छिपलाई	779.72.0
10.	रावांसर "ए"	779.19.0
11.	शेखसर "बी"	773.38.0
12.	ढाणी पाण्डूसर "ए"	1139.15.0
13.	धेसूरा	485.90.0
14.	रामबाग	975.72.0
15.	शेरपुरा "ए"	1219.54.0
16.	अमरपुरा "ए"	1219.56.0

1	2	3
17.	गोपलान	999.86.0
18.	काकड़वाला	635.58.0
19.	रतनीसर	862.22.0
20.	पीपेरा	677.74.0
21.	ढाणी छिला	924.38.0
22.	ढाणी गोपेरा	459.25.0
23.	सुरनाणा "ए"	1023.72.0
24.	कंकरालिया	395.82.0
25.	रावासर "बी"	344.93.0
26.	डेलाना बड़ा	639.62.0
27.	कागासर	550.44.0
28.	मोखमपुरा	395.24.0
29.	किसनासर	872.80.0
30.	मेऊसर	415.18.0
31.	दुदर	632.38.0
32.	नाथवाणा	994.60.0
33.	मलेरा	862.42.0
34.	ढाणी भोपाला राम	904.44.0
35.	ढाणी खोड़ा	861.78.0
36.	लोडेरा	387.28.0
37.	भुवाला "ए"	1148.46.0
38.	भीखनेरा	600.00.0
39.	सरपुरा बी"	823.92.0
40.	अमरपुरा "बी"	1149.99.0
41.	ढाणी पाण्डुसर "बी"	1003.80.0
42.	राणीसर	563.08.0
43.	हंसेरा	1077.28.0
44.	मनाफरसर	794.52.0
45.	खारी	676.72.0
46.	ठुईया	704.44.0
47.	गारबदेसर	989.02.0
48.	रायमलवाली	551.46.0
49.	कुम्भाना	245.80.0

1	2	3
50.	सुलेरा	363.86.0
51.	सावनिया	304.00.0
52.	धन्नासर	449.26.0
53.	मोटासर	763.38.0
54.	ऊवाईडा	334.56.0
55.	उद्धेशिया	264.40.0
56.	डेलाना छोटा	596.28.0
57.	जेतपुर	495.04.0
58.	कालू–बी	1068.32.0
59.	कालवास	542.16.0
60.	छत्तासर	679.44.0
61.	कानोलाई	979.02.0
62.	बेरावाला	408.00.0
63.	सहजासर "ए"	738.28.0
64.	सहजासर "बी"	790.63.0
65.	लूणकरणसर	335.26.0
66.	सुरनाणा (बी)	838.96.0
67.	नाथवाणा "बी"	618.48.0
68.	डेलाववस्ती	301.40.0
69.	राजपुरिया	690.57.0
70.	गुसाईना	295.72.0
71.	मिठडिया	309.40.0
72.	कपूरीसर "ए"	779.68.0
73.	कपूरीसर "बी"	311.20.0
74.	मोटालाई	609.44.0
75.	भोजरासर	358.24.0
76.	ढाणी पुरवाना	326.36.0
77.	माछरों की ढाणी	363.26.0
78.	नाथूसर	254.17.0
79.	लखावर	1483.80.0
80.	राजासर "ए"	1641.76.0
81.	महराना	1042.64.0
82.	अजीतमाना	984.21.8
83.	शुभलाई	1139.21.0

1	2	3
84.	मकडासर	604.79.0
85.	डूडीयाली	679.88.5
86.	खिलेरिया	991.82.0
87.	खियेरा	1058.52.2
88.	भादवा	676.29.0
89.	जैसा	522.19.0
90.	हाफासर	454.68.0
91.	धीरेरा	577.26.0
92.	राजसर "बी"	494.28.0
93.	केला "ए"	817.55.0
94.	केला (बी)	
95.	सोठवाली	179.19.0

अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु आहार वितरण हेतु राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं पशुपालक से प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण :—

वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान (रु.)	पशुपालक से प्राप्त राशि
1980–81	3,39,581.00	2,03,748.60
1981–82	50,06,541.00	30,03,924.60
1982–83	84,21,654.00	44,91,548.80

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 791 का विवरण–पत्र

क्र. सं.	नाम उद्योग	प्राप्त मांग-पत्र	स्वीकृत मांग-पत्र	ऋण	सहायता
1	2	3	4	5	6
पंचायत समिति सुल्तानपुर					
1.	चर्म जूता	14	14	7500-00	5500-00
2.	ताड़पत्ती	2	2	600-00	200-00
3.	कुम्हारी	1	1	2250-00	1250-00
4.	सुथारी	2	1	1600-00	600-00
5.	लुहारी	1	—	—	—
6.	अनाजदाल	2	1	750-00	250-00
7.	रेशा	1	—	—	—
	योग	23	19	12700-00	7800-00
पंचायत समिति पीपल्दा (इटावा)					
1.	चर्मजूता मरम्मत	24	18	9900-00	9900-00
2.	चर्म रंगाई	4	2	4500-00	1500-00
3.	जूता	1	—	—	—
4.	सुथारी	4	2	3200-00	1200-00
5.	लुहारी	4	1	2200-00	1200-00
6.	कुम्हारी	5	—	—	—
7.	अनाजदाल	2	—	—	—
8.	आर्टवेयर	2	—	—	—
9.	ताड़पत्ती	2	2	600-00	200-00
	योग	48	25	20400-00	14000-00

1	2	3	4	5	6
पंचायत समिति सांगोद					
1.	साबुन	1	1	13000-00	3000-00
2.	चर्म उद्योग	34	34	35700-00	21700-00
3.	सुथारी	4	4	6400-00	2400-00
4.	कुम्हारी	3	3	9455-00	4195-00
5.	रेशा	4	4	3525-00	1811-00
6.	लुहारी	1	1	2200-00	1200-00
	योग:	47	47	70280-00	34306-00

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 795 का विवरण

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्रसाविकाओं की सूची

क्र. सं.	नाम मय पद	पदस्थापन स्थान	प्रति-नियुक्ति स्थान जहां कार्यरत हैं।	प्रतिनियुक्ति स्थान पर कार्यरत दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रमाकान्त स्टाफ नर्स	महिला चिकित्सालय, राजगढ़	सामान्य चिकित्सालय, अलवर	10-6-81	सामान्य चिकित्सालय अलवर में बैड्स के अनुसार नर्सिंग स्टाफ स्वीकृत न होने के कारण
2.	श्रीमती शान्तीदेवी डल्लूराम प्रसाविका	राजकीय चिकित्सालय, जोड़िया	–यथा–	17-6-78	–यथा–
3.	श्रीमती सरोज देवी माथुर प्रसाविका	एडपोस्ट खेड़ा	–यथा–	1-12-77	–यथा–
4.	श्रीमती किरन देवी प्रसाविका	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर सबसेन्टर, लेखड़ी	–यथा–	16-4-80	–यथा–
5.	श्रीमती पुष्पा शर्मा प्रसाविका	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावर सबसेन्टर, पलवा	–यथा–	23-9-78	–यथा–
6.	श्रीमती राजकुमारी सन्तराम प्रसाविका	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालाखेड़ा सबसेंटर, चान्दोली	–यथा–	19-10-82	–यथा–
7.	श्रीमती समा शर्मा प्रसाविका	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कठूमर सबसेंटर, डोरोली	–यथा–	1-9-79	–यथा–

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 797 की सूची

क. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	सी. ए. एस.	2	2
2.	मेल नर्स श्रेणी-2	2	1
3.	प्रसाविका	1	1
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	3
5.	पार्ट टाइम हरिजन	1	1
6.	बहुद्देशीय कार्यकर्ता	1	1

(277)

परिशिष्ट--12

अतारांकित प्रश्न संख्या 798 की सूची टेण्डर फ़ार्म

कार्यालय का नाम--अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, अजमेर।

ठेके की अवधि- 1-1-1983 से 31-12-1983 तक।

फर्म का नाम

क्र. सं.	वस्तु का नाम	चौथमल एण्ड संस	शंकर ट्रेडर्स	सत्यनारायण सतीश कुमार	राजेश कुमार वर्मा	हरि पैकिंग इण्डस्ट्रीज	बंन्सल ट्रेडर्स
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गेहूं सफेद फार्मी (छना, बिना व साफ किया हुआ)	—	244.70 प्रति क्विन्टल (पेड)	—	—	249.40 प्रति क्विन्टल एस. टी. पेड	259.85 प्रति क्विटल
2.	चावल वासमती साबुत	—	4.65 प्र. किग्रा. पेड	—	—	5.20 प्र. किग्रा. किग्रा. एस. टी. पेड	5.60 प्रति किग्रा.
3.	दाल अरहर (तूर)	590/– क्वि. एस. टी. पेड	5.60 प्र. किग्रा. पेड	595/ क्विंटल	—	6.20 प्र. किग्रा. एस. टी. पेड	6.30 प्रति किग्रा.
4.	दाल मूंग छिलका सहित	358/– क्वि. एस. टी. पेड	4.15 प्र. किग्रा. पेड	365/ क्वि.	—	4.50 प्र. किग्रा. एस. टी. पेड	4.70 ,, 4.70 ,,
5.	मूंग का मोगर	450/– क्वि. एस. टी. पेड	5.00 पेड प्रति किग्रा.	460/ क्वि.	—	5.50 प्र. किग्रा. एस. टी. पेड	5.90 ,,

6.	मिर्च पिसी हुई एग-मार्का	15/- प्र. किग्रा. पेड	16-70 किग्रा.	15-50 किग्रा.	-	16-00 प्र. किग्रा.	16-50 ,,
7.	हल्दी पिसी हुई एग मार्क	8/- प्र. किग्रा. एस. टी. पेड	9-70 किग्रा.	9-00 किग्रा.	-	9-20 प्र. किग्रा.	10-00 ,,
8.	धनिया पिसा हुआ एग मार्का	8/- प्र. किग्रा. एस. टी. पेड	9-70 प्र. किग्रा.	9-00 किग्रा.	-	9-20 प्र. किग्रा.	10-00 ,,
9.	नमक पिसा हुआ टाटा ब्रांड	0-85 प्र. किग्रा. एस. टी. पेड	1-00 किग्रा.	0-90 किग्रा.	-	0-95 प्र. किग्रा.	1-2) ,,
10.	जीरा साफ (मिट्टी एवं कचरा रहित)	21/- प्र. किग्रा. एस. टी. पेड	22-00 प्र. किग्रा.	23-00 किग्रा.	-	21-90 प्र. किग्रा.	23-00 ,,
11.	लकड़ी सूखी खेजड़ा	42 प्र. क्वि.	44/- प्र. क्वि.	-	-	45— प्र. क्वि.	45— प्र. क्वि.
12.	धोकड़ा सूखी लकड़ी	-	-	-	-	48— प्रति क्वि.	-
13.	लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े सूखे खेजड़ा भट्टी के लिये	-	45/- प्र. क्वि.	-	-	-	-
14.	ताजा अण्डे मीडियम साइज	-	70 पैसे प्र. नग	70 पैसे प्रति नग	59 पैसे प्र. नग	68 पैसे प्रति नग	75 पैसे प्रति नग
		नोट—हमारे द्वारा भरी गई सभी रेट्स कर सहित अर्थात एस टी पेड हैं।	नोट—यह सभी भाव एस. टी. पेड के है बारदाना वापस लेंगे।			नोट—सभी चीजों के भाव एस. टी. पेड के हैं।	नोट—यह सभी वस्तु के भाव एस. टी. पेड के हैं।

परिशिष्ट–

अतारांकित प्रश्न संख्या

जिला कोषालयों द्वारा प्रतिमाह अधिकृत औषधि विक्रेताओं को राज्य के

जिला	जून, 82	जुलाई, 82	अगस्त, 82
1. अजमेर	2,156.82	6995.59	19079.09
2. अलवर	--	4924.05	34415.38
3. भरतपुर	—	99.17	694.13
4. धौलपुर	--	8796.21	6809.25
5. जयपुर	—	1,03414.55	84829.15
6. सीकर	--	5551.28	5723.45
7. झुन्झुनू	—	1171.90	366.40
8. टोंक	—	2569.60	7240.55
9. स. माधोपुर	—	600.27	5297.37
10. बीकानेर	--	—	11735.10
11. गंगानगर	--	1934.00	5085.76
12. चूरू	819.89	3225.22	7120.44
13. नागौर	951.30	3546.71	5194.50
14. जोधपुर I	15185.36	--	53231.21
15. जोधपुर II	--	—	—
16. जालोर	—	—	787.85
17. बाड़मेर	865.29	--	4874.73
18. जैसलमेर	775.03	1789.59	1033.44
19. पाली	—	—	4948.33
20. सिरोही	2823.87	4184.31	7194.28
21. कोटा	--	--	35857.55
22. बारां	--	—	—
23. बून्दी	4372.85	8841.60	14367.90
24 झालावाड़	—	—	3983.55
25. उदयपुर	--	9585.75	10831.70
26. राजसमन्द	--	--	3424.84
27. चित्तौड़गढ़	800.15	10187.65	5462.70
28. भीलवाड़ा	—	4682.63	20138.00
29. डूंगरपुर	1155.75	2564.68	7651.00
30. बांसवाड़ा	1723.19	7127.95	7099.04
	31629.50	191786.71	374476.70

13 .

800 की सूचना

पेन्शनरों को दी गई दवाइयों के बिलों के भुगतान की सूचना

सितम्बर, 82	अक्टूबर, 82	नवम्बर, 82	दिसम्बर, 82	जनवरी, 83
18165.94	12340.19	35733.03	24550.92	29,686.35
32147.26	18948.45	38992.40	51291.70	29,282.15
1175.20	9683.10	4392.90	26178.85	19,530.50
11713.51	7071.30	7862.68	13861.91	—
26696.00	20629.95	1,40779.40	42991.50	69,008.90
6921.57	9812.55	20,101.85	1042.20	24,372.60
—	—	3644.66	1744.36	3,652.66
2318.45	27272.20	24107.05	23749.30	—
4089.16	6630.92	23629.58	20885.90	33,065.64
34129.45	8680.80	48389.80	38846.85	13,2900.50
5886.46	28866.11	28844.11	16881.86	22,862.00
9635.43	12339.82	9390.50	5321.35	20,923.20
3365.60	7504.65	11262.50	5618.55	15,553.05
50609.72	29099.50	46367.70	--	35,141.39
1032.03	1332.79	446.05	1084.97	1,725.15
4012.50	2128.00	7423.55	2331.45	7,547.70
--	5721.28	517.46	8297.60	29,514.36
—	5624.44	3715.50	1354.26	3,746.42
6491.50	3873.26	13349.66	21014.39	8,440.43
8120.83	6814.09	13067.41	4803.11	6,893.06
87611.78	43813.42	42359.08	—	43,264.52
3154.58	8558.22	9517.81	5076.53	45,772.70
16244.80	8051.85	8184.45	8103.25	7,715.05
2922.70	3500.70	8975.80	17920.65	24,720.90
36450.85	51065.60	—	108523.35	—
1143.54	2458.15	--	9068.25	3,679.85
15207.50	16370.00	37412.45	15954.00	28,259.90
23879.04	15458.98	28810.85	--	35,490.76
6347.13	--	10478.89	21527.15	—
10022.28	7062.28	18172.92	11692.43	12,345.11
429174.87	558324.20	635999.77	508516.68	67,5104.85

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 805 की सूची

क्र. सं.	नाम नगरपालिका	प्लाट संख्या
1.	नैनवां	90
2.	बूंदी	287
3.	केशोरायपाटन	21
4.	कापरेन	शून्य
5.	लाखेरी	शून्य

परिशिष्ट--15

अतारांकित प्रश्न संख्या 806 का विवरण

क. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	तारीख जबसे ठहराव है	अवधि ठहराव
1	2	3	4	5
1.	श्री विजयसिंह चौहान	व. लि.	30-8-76	6 वर्ष 6 माह
2.	,, कमलकान्त शर्मा	कार्या. मोह.	12-10-76	6 वर्ष 5 माह
3.	,, राधेश्याम रावत	नाका. मोह	12-12-73	9 वर्ष 2 माह
4.	,, गोपाल धाभाई	नाकेदार	19-1-77	6 वर्ष 2 माह
5.	,, हरिनारायण शर्मा	,,	1-4-75	7 वर्ष 11 माह
6.	,, श्याम सिंह राजावत	,,	19-9-77	6 वर्ष 1 माह
7.	,, रामकिशोर कुमावत	,,	,,	,,
8.	,, शंभूदयाल मीना	नाका. मोह.	1-9-73	9 वर्ष 6 माह
9.	,, मोहन सिंह	नाकेदार	1-10-74	8 वर्ष 5 माह
10.	,, हरिशंकर साठीवाल	,,	1-4-75	7 वर्ष 11 माह
11.	,, रामदास शर्मा	सब-नाकेदार	19-1-77	6 वर्ष 1 माह
12.	,, रामप्रसाद वाल्मीक	,,	,,	,,
13.	,, अब्दुल समी	,,	,,	,,
14.	,, प्रभुनारायण	,,	1-2-74	9 वर्ष 1 माह
15.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	,,	1-12-73	9 वर्ष 3 माह
16.	,, प्रेम नारायण कोली	,,	3-12-73	9 वर्ष 3 माह
17.	,, ईश्वरलाल गूजर	,,	1-10-74	8 वर्ष 5 माह
18.	,, रामकृपाल शर्मा	,,	4-12-73	9 वर्ष 3 माह
19.	,, घासीलाल रैगर	नाकागार्ड	1-3-74	9 वर्ष
20.	,, श्याम लाल बागड़ा	ड्राइवर	13-12-76	6 वर्ष 3 माह
21.	,, मदन पुत्र चौथ हरिजन	स. कर्म.	1-5-77	5 वर्ष 10 माह
22.	श्रीमती पांची देवी	,,	,,	,,
23.	,, सोडा देवी	,,	,,	,,
24.	,, दाखा देवी	,,	,,	,,
25.	,, लच्छादेवी	,,	,,	,,
26.	,, सुरतादेवी	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
27.	श्रीमती धापूदेवी	स. कर्म.	1-5-77	5 वर्ष 10 माह
28.	,, प्रेम देवी	,,	,,	,,
29.	,, मुन्नी देवी	,,	,,	,,
30.	,, सम्पत देवी	,,	,,	,,
31.	,, सुशीला	,,	,,	,,
32.	,, शांति	,,	,,	,,
33.	,, बुधाराम	,,	,,	,,
34.	,, सीताराम	,,	,,	,,
35.	श्रीमती दीनदयाल	,,	,,	,,
36.	श्रीमती गनेशाल लाल	,,	,,	,,
37.	श्रीमती चांद देवी	,,	,,	,,
38.	,, घीसी देवी	,,	,,	,,
39.	,, मुन्ना देवी-चांद	,,	,,	,,
40.	,, मुन्नी देवी	,,	,,	,,
41.	,, रामादेवी	,,	,,	,,
42.	,, सीतादेवी	,,	,,	,,

वर्ष 82-83 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जब जब से भर्ती किये गये हैं विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.	श्री चन्द्रभान	नाकागार्ड	18-9-82
2.	,, पूरणमल	नाकागार्ड	18-9-82
3.	,, राधेश्याम	नाकागार्ड	19-9-82

वर्षवार विवरण

वर्ष	संख्या
1980-81	42
1981-82	48
1982-83	48

284

परिशिष्ट—16
अतारांकित प्रश्न संख्या 810 की सूचियां

परिशिष्ट "क"

वाड़मेर जिले में सन् 1978 से 1982 तक काम के वदले अनाज योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत, पूर्ण तथा अधूरे कार्यों की पंचायत समितिवार सूची :—

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत कार्य काम के वदले अनाज योजना		पूर्ण कार्य		अपूर्ण कार्य	
			रा. ग्रा. रो. का.	काम के वदले अनाज योजना	रो. कार्यक्रम	काम के वदले अनाज योजना	रा. ग्रा. रो. का.
1.	वाड़मेर	210	22	205	22	5	—
2.	शिव	124	25	118	22	6	3
3.	वायतू	152	24	151	22	1	2
4.	चौहटन	107	19	57	9	50	10
5.	धोरीमना	143	23	134	19	9	4
6.	सिणधरी	138	24	138	24	—	—
7.	वालोतरा	125	27	125	25	—	2
8.	सिवाना	170	21	162	14	8	7
		1169	185	1090	157	79	28

वाड़मेर जिले में काम के वदले अनाज योजना/रा. ग्रो. रो. का. के अन्तर्गत 1978 से 1982 तक वनाये गये स्कूल, पंचायतघर, औषधालय, एवं धर्मशाला की सूची।

क्र. सं.	नाम पं. स.	स्कूल	पंचायत घर	औषधालय	धर्मशाला
1.	वाड़मेर	96	23	8	36
2.	शिव	67	17	4	22
3.	वायतू	82	22	3	4
4.	चौहटन	41	18	2	—
5.	धोरीमना	81	21	2	1
6.	सिणधरी	73	30	5	5
7.	वालोतरा	55	21	3	37
8.	सिवाना	55	17	3	36
		550	169	30	141

बाड़मेर जिले में काम के बदले अनाज योजना/रा. ग्रा. को. का. के अन्तर्गत 1978 से 1982 तक स्कूल, पंचायतघर, औषधालय एवं टांके के अधूरे रहे कार्यों की पं. सं. वार सूची।

क्र. सं.	नाम पं. स.	स्कूल भवन	पंचायतघर	औषधालय	टांके बनाना
1.	बाड़मेर	3	–	—	–
2.	शिव	1	–	2	4
3.	बायतू	1	–	1	–
4.	चौहटन	49	7	2	–
5.	धोरीमना	6	4	–	–
6.	सिणधरी	–	1		–
7.	बालोतरा	–	1	–	–
8.	सिवाना	9	6	–	–
		69	19	5	4

परिशिष्ट "ख"

जैसलमेर जिले में सन् 1978 से 1982 तक काम के बदले अनाज योजना व रा.ग्रा रो. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पूर्ण तथा अधूरे कार्यों की पंचायत समितिवार सूची:—

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत कार्य काम के बदले अनाज योजना	पूर्ण कार्य		अधूरे कार्य		
			रा. ग्रा. रो. का.	काम के बदले अनाज योजना	रा. ग्रा. रो. का.	काम के बदले अनाज योजना	रा. ग्रा. रो. का.
1.	जैसलमेर	119	97	86	69	33	28
2.	सम	271	117	228	82	43	35
3.	साकड़ा	238	66	193	51	45	15
	योग:	628	280	507	202	121	78

जैसलमेर जिले में काम के बदले अनाज योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978 से 1982 तक बनाये गये स्कूल, पंचायतघर, औषधालय एवं धर्मशाला की पंचायत समितिवार सूची:--

क्रमांक	नाम पंचायत	स्कूल	पंचायत	औषधालय	धर्मशाला
1.	जैसलमेर	53	5	2	–
2.	सम	67	10	–	2
3.	साकड़ा	44	6	2	–
	योग :	164	21	4	2

जैसलमेर जिले में काम के बदले अनाज योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978 से 1982 तक स्कूल, पंचायतघर, औषधालय एवं टांके जो अधूरे रहे पंचायत समितिवार सूची:—

क्र. सं.	नाम पंचायत	स्कूल भवन	पंचायतघर	औषधालय भवन निर्माण	टांके बनाना
1.	जैसलमेर	4	6	–	33
2.	सम	15	3	–	27
3.	साकड़ा	14	3	–	18
	योग :	33	12	–	78

287

परिशिष्ट--17

अतारांकित प्रश्न संख्या 811 की सूची

राज्य में मीनि सीमेंट इकाइयों के संबंध में विवरण की सूची

क्र. सं.	नाम इकाई	स्थान	उत्पादन क्षमता (लाख टनों में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक्स लि.	गोटन (नागौर)	0.50 (सफेद सीमेंट)
2.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम	,,	0.66 (सफेद सीमेंट)
3.	मैसर्स एम. एस. राजपुरोहित राजस्थान सीमेन्टस	पिन्डवाड़ा (सिरोही)	0.66
4.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लि. (श्री एन. के. रूंगटा के साथ संयुक्त साझेदारी में)	कोटपूतली (जयपुर)	0.66
5.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.	जैतारण (पाली)	0.66
6.	,, ,,	आबूरोड़ (सिरोही)	0.66
7.	मैसर्स राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. (कल्याण सुन्दरम के साथ संयुक्त साझेदारी में)	बाँसवाड़ा	0.66
8.	मैसर्स राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम	बिलाड़ा (जोधपुर)	0.66
9.	मैसर्स जन लघु सीमेंट उद्योग प्रा. लि.	सिरोही	0.66

उक्त मीनि सीमेंट परियोजनाओं में लगभग 5509.5 लाख रुपये का पूंजी विनियोजन होगा एवं इनके स्थापित होने से लगभग 2870 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। लघु उद्योग अस्थाई इकाइयों में 2176.89 लाख रुपयों का पूंजी विनियोजन तथा 6085 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा तथा स्थाई इकाइयों में 49.95 लाख रुपयों का विनियोजन किया गया है तथा 73 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 812 का विवरण

प्रस्तावित मिनी सीमेंट प्लांट का विवरण

क्र. सं.	नाम-इकाई	स्थान	उत्पादन क्षमता (लाख टनों में)
1.	मैसर्स जे के सिन्थेटिक्स लि.	गोटन (नागौर)	0.50 सफेद सीमेंट
2.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर	गोटन (नागौर)	0.66 सफेद सीमेंट
3.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. (श्री निर्मल कुमार रूंगटा के साथ संयुक्त साझेदारी में)	कोटपूतली	0.66
4.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर	जैतारण (पाली)	0.66
5.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर	आबूरोड़ (सिरोही)	0.66
6.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर	बिलाड़ा (जोधपुर)	0.66
7.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर (कल्याण सुन्दरम् के साथ संयुक्त साझेदारी में)	बांसवाड़ा	0.66
8.	मैसर्स एम. एस. राजपुरोहित (राजस्थान सीमेंट्स)	पिण्डवाड़ा (सिरोही)	0.66
9.	मैसर्स जन लघु सीमेंट उद्योग प्रा. लि.	सिरोही	0.66

परिशिष्ट--19

अतारांकित प्रश्न संख्या 813 की सूची

अजमेर में पदस्थापित पुलिस इंसपेक्टरों व सबइंसपेक्टरों (सिविल) के संबंध में तालिका :—

क्र. सं.	इंसपेक्टर/सबइंसपेक्टर (सिविल) का नाम	वर्तमान पदस्थापन की तिथि मय स्थान	पूर्व में अजमेर शहर के पुलिस स्टेशन पर पदस्थापन का विवरण	रिमार्क्स
1	2	3	4	5
1.	श्री शंभूसिंह, निरी.	थाना कोतवाली दि. 7-8-82 से	थाना कोतवाली दि. 1-4-80 से 28-2-81	—
2.	श्री घनश्यामसिंह, निरी.	यातायात पुलिस 7-10-82 से	यातायात पुलिस दि. 4-4-80 से 23-9-82 तक	—
3.	श्री शब्बीर मोहम्मद, निरीक्षक	एस. आई. एस. दि. 23-3-81 से	—	—
4.	श्री पुखराज पुरोहित, निरीक्षक	डी. एस. बी दि. 3-5-80 से	—	—
5.	श्री मानसिंह, निरीक्षक	उपमहा. निरी. पु. रेंज कार्यालय दि. 1-1-82 के पूर्व से	—	—
	सब इन्सपेक्टर			
6.	श्री रामरतन	थाना कोतवाली दि. 11-7-82 से	—	—
7.	श्री महावीर प्रसाद	थाना गंज दि. 1-9-82 से	थाना क्रिश्चियन गंज दि. 1-6-78 से 21-7-80 थाना सिविल लाइन दि. 22-7-80 से 1-9-82 तक	

1	2	3	4	5
8.	श्री रामस्वरूप	थाना सिविल लाइन दि. 10-2-83 से	थाना कोतवाली दि. 27-10-74 से 7-5-75 तक थाना आदर्श नगर दि. 30-4-76 से 6-1-78 तक थाना कोतवाली दि. 5-5-80 से 18-2-81 तक	—
9.	श्री रामदेवसिंह	थाना क्रिश्चियन गंज दि. 8-9-82 से	—	—
10.	श्री पूर्णप्रकाश	थाना क्लाक टावर दि. 10-2-83 से	—	—
11.	श्री महेन्द्रसिंह	थाना अलवर गेट दि. 2-7-82 से	—	—
12.	श्री किशोरपाल सिंह	थाना आदर्शनगर दि. 4-11-81 से	—	—
13.	श्री भैरूंलाल	थाना रामगंज दि· 3-11-82 से	थाना क्रिश्चियनगंज दि. 4-6-77 से दि. 1-6-78 तक थाना आदर्शनगर दि. 31-1-79 से 21-7-80 तक	—
14.	श्री राजेन्द्र कुमार	यातायात पुलिस दि. 14-2-81 से	थाना क्लाकटावर दि. 16-8-74 से दि. 19-12-74 तक, थाना रामगंज दि. 5-11-76 से दि. 27-6-77 तक, थाना क्लाक टावर दि. 30-11-77 से दि. 13-7-78 तक, थाना गंज दि. 18-7-78 से दि· 11-8-80 तक	—

1	2	3	4	5
15.	श्री अक्षयसिंह	यातायात पुलिस दि. 28-11-81 से	थाना कोतवाली दि. 23-3-78 से दि. 3-1-80 तक।	–
16.	श्री कमरुद्दीनखां	अपराध शाखा दि. 3-7-81 से	थाना क्रिश्चियनगंज दि. 21-2-81 से दि. 26-6-81 तक	स्थानान्तरण हो गया है। रिलीव नहीं हुए हैं।
17.	श्री मानसिंह	अपराध शाखा दि. 13-2-81 से	थाना क्लाक टावर दि. 20-1-72 से दि. 9-5-72 तक	
18.	श्री समुन्दरसिंह	अपराध शाखा दि. 1-6-82 से	–	–
19.	श्री मदनलाल टांक	एस. आई. एस. दि. 14-7-82 से		स्थानान्तरण हो गया है। रिलीव नहीं हुए हैं।
20.	श्री बद्रीनारायण	एस. आई. एस. दि. 7-3-83 से	थाना क्लाक टावर दि. 24-8-77 से दि. 24-10-77 तक	–
21.	श्री बलबीरसिंह	एस. आई. एस. दि. 7-3-83 से	–	–
22.	श्री निहालसिंह	डी. एस. बी. दि. 7-3-83 से	–	–
23.	श्री महमूद खां	कन्ट्रोलरूम दि. 10-5-81 से	थाना कोतवाली दि. 11-7-76 से दि. 20-7-77 तक तथा दि. 2-4-79 से दि. 21-7-80 तक थाना क्रिश्चियनगंज दि. 21-7-80 से 21-2-81 तक	–

1	2	3	4	5
24.	श्री हिम्मतसिंह	उ. म. नि. पु. रेंज. कार्यालय दि. दि. 27-4-82 से	—	—
25.	श्री भागीरथसिंह	एम. टी. श्रॉ पुलिस लाईन दि. 8-12-78 से	—	—
26.	श्री कंवरसेन जैन	पुलिस लाईन दि. 8-3-83 से	थाना कलीक टावर दि. 21-2-81 से दि. 29-8-81 तक, थाना सिविल लाइन दि. 1-9-82 से 8-2-83 तक	—
27.	श्री राजवीरसिंह	पुलिस लाईन दि. 25-1-83 से (थानागंज पर अस्थाई अटैच किया दि. 14-3-83 से)	थाना आदर्शनगर दि. 21-7-80 से दि. 30-10-81 तक, थाना गंज दि. 30-10-81 से दि. 23-7-82 तक	—
28.	श्री बालकिशन	पुलिस लाईन दि. 30-10-82 से	थाना अलवर गेट दि. 11-7-69 से 25-9-69 तक	—

परिशिष्ट--20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 826 की सूची व मानचित्र)

आबकारी आय के स्रोतों की सूची

1. देशी मदिरा
2. विदेशी मदिरा
3. अफीम एवं डोडा पोस्त
4. भंग

मानचित्र आबकारी आय का वर्ष 1977-78 से 1982-83 तक

वर्ष	आबकारी आय
1977-78	27,55,44,152
1978-79	24,47,71,604
1979-80	20,45,19,792
1980-81	13,45,50,155
1981-82	33,63,64,238
1982-83 (जनवरी तक)	42,62,85,763

परिशिष्ट--21

(अतारांकित प्रश्न 827 की सूची)

राजस्थान सरकार

सिंचाई विभाग

बस्सी सिंचाई परियोजना, चित्तौड़गढ़

मुख्य तकनीकी विवरण

1.	जल ग्राहन क्षेत्र (स्वतन्त्र)	127.7 वर्ग कि. मी.
2.	औसत वर्षा	754 मिली मीटर
3.	जल क्षमता	232 लाख घन मीटर
4.	सिंचित क्षेत्र	3250 हैक्टेयर
5.	बांध की कुल लम्बाई	717 मीटर
6.	बाईवारा की लम्बाई	227 मीटर
7.	मिट्टी के बांध की लम्बाई	490 मीटर
8.	बांध के ऊपर की चौड़ाई	6 मीटर
9.	बांध की अधिकतम ऊंचाई	28 मीटर
10.	मुख्य नहर की लम्बाई	15.6 कि. मी.
11.	बांध की अनुमानित लागत	618 लाख रुपये

परिशिष्ट—22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 828 की सूची)

भाग एक के संबंध में सूची

क्र. सं.	मशीन का प्रकार	रिगों की सं.	जमीन का प्रकार	सामान्यतया प्रति घण्टा खुदाई
1.	रोटरी	7	(रेतीली/हल्की पथरीली)	0.5 से 2.0 मी.
2.	परक्यूशन	6	,,	0.2 से 1.0 मी.
3.	डी. टी. एच.	77	पथरीली	
	(अ) स्वदेशी (67)			1.0 से 3.0 मी.
	(ब) आयातित (10)			2.0 से 6.0 मी.

प्रश्न के भाग 2 के संबंध में सूची

निजी पार्टियों द्वारा खुदवाये गये हैण्ड पम्पों की दर सूची

क्र. सं.	जमीन का प्रकार व बोर व्यास	दर (प्रति मीटर)
1	2	3
1.	हर किस्म की चट्टान (रॉक्स) में 100 मि. मी. व्यास का बोर बनाने के लिये।	240.00 प्रति मीटर
2.	हर प्रकार की मिट्टी (अलूवियल) में 100 मि. मी. व्यास का बोर प्रथम 10 मीटर खुदाई के लिये मय केसिंग पाइप	150.00 प्रति मीटर
3.	हर प्रकार की मिट्टी (अलूवियल) में 100 मि. मी. व्यास का बोर 10 मीटर के बाद की खुदाई के लिये मय केसिंग पाईप	175.00 प्रति मीटर

परिशिष्ट—23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 830 की सूची)

क्र. सं.	तहसील का नाम	गांव का नाम	योजना का नाम	वर्ष	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	जैसलमेर	बारा बाग	हैण्ड पम्प योजना	80—81	4.51
2.	,,	पोहर दयाल	,,	,,	
3.	,,	धनवा	,,	,,	
4.	,,	छत्ररोल	,,	,,	
5.	,,	भैरेटा	,,	,,	
6.	,,	खियाला	,,	,,	
7.	पोकरण	भैयासरा	,,	,,	[illegible]
8.	,,	लूना खुर्द	,,	,,	[illegible]
9.	,,	एखा	,,	,,	
10.	,,	वीरमदीश	,,	,,	[illegible]
11.	जैसलमेर	मूलसागर	,,	1981—82	0.90
12.	,,	बाटायी चरण	,,	,,	[illegible]
13.	,,	मंकरी	,,	,,	[illegible]
14.	,,	वनाडा	,,	,,	[illegible]
15.	,,	ओला	,,	,,	[illegible]
16.	,,	खोहरा	,,	,,	[illegible]
17.	,,	दूदिया	,,	,,	[illegible]
18.	,,	राजगढ़	,,	,,	[illegible]
19.	,,	बन्धा	,,	,,	[illegible]
20.	,,	कहाला	,,	,,	[illegible]
21.	पोकरण	लूनाकलांन	,,	,,	[illegible]
22.	जैसलमेर	याजलार	नलकूप यो.	80—81	0.35
23.	,,	कोटिया	,,	,,	[illegible]
24.	,,	मेटिसयाला	,,	81—82	1.47
25.	,,	शाहगढ	,,	,,	1.98

1	2	3	4	5	6
26.	जसलमेर	मिलानी	पम्पस टैंक जल वितरण योजना	67–68	0.29
27.	,,	देविकोट	,,	,,	0.62
28.	,,	सांगड	,,	79–80	1.06
29.	,,	अकाल	,,	67–68	1.60
30.	,,	जेरट	,,	,,	2.38
31.	,,	फतहगढ़	,,	,,	
32.	,,	कीटा	,,	,,	1.54
33.	पोकरण	रामदेवरा	,,	,,	6.48
34.	,,	भादरिया	,,	,,	—
35.	,,	संकरा	,,	80–81	1.54
36.	,,	लावन	परम्परागत स्रोत योजना	79–80	0.53
37.	,,	गोमट	,,	,,	0.87
38.	जैसलमेर	नग्गा	क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना	75–76	16.26
39.	,,	तेजपाला	,,	,,	
40.	,,	काकब	,,	,,	
41.	,,	ढाणी नग्गा	,,	,,	
42.	,,	संधाना	,,	,,	
43.	,,	रेमाला	,,	,,	
44.	,,	राधवा	,,	,,	
45.	,,	सेउवा	,,	,,	
46.	,,	रामगढ	,,	,,	
47.	,,	खोया	,,	,,	
48.	,,	अमरसागर	,,	76–77	49.46
49.	,,	चुन्दी	,,	,,	
50.	,,	लुदरवा	,,	,,	
51.	,,	सपसो	,,	,,	
52.	,,	लानेला	,,		
53.	,,	भादासर	,,	,,	
54.	,,	मोकला	,,	,,	

1	2	3	4	5	6
55.	जैसलमेर	भोजका	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	76–77	
56.	,,	सनवाला	,,	,,	
57.	,,	कानोड बीरमा	,,	,,	
58.	,,	कनोड राव लोटन	,,	,,	
59.	,,	जयसुराना	,,	,,	
60.	,,	ह्राड्डा	,,	,,	
61.	,,	मोहनगढ	,,	,,	
62.	,,	सोनू	,,	,,	
63.	,,	शेरावा	,,	,,	
64.	,,	हाबूर	,,	,,	
65.	,,	साम	,,	80–81	30.11
66.	,,	खुरो	,,	,,	
67.	,,	गंगा	,,	,,	
68.	,,	लूंनो की बस्ती	,,	,,	
69.	,,	लक्ष्मनो की बस्ती	,,	,,	
70.	,,	निम्बा	,,	,,	
71.	,,	कानोई	,,	,,	
72.	,,	बिडा	,,	,,	
73.	,,	कालेडी		,,	
74.	,,	झिकियाली	,,	78–79	46.60
75.	,,	नीमली	,,	,	
76.	,,	कुण्डा	,,	,,	
77.	,,	कोहरा	,,	,,	
78.	,,	रन्धा	,,	,,	
79.	,,	लखा	,,	,,	
80.	,,	वीरमानी	,,	,,	
81.	,,	भादली	,,	,,	
82.	,,	जोगीदासकागांव	क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना	78–79	
83.	,,	तेजमाल्टा	,,	,,	
84.	,,	मोडा	,,	,,	
85.	,,	कोठा	,,	,,	

1	2	3	4	5	6
86.	जैसलमेर	देग्रोरा	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना	78–79	
87.		गेर्णसिआ का गांव	,,	,,	
88.	,,	गुहरा	,,	,,	
89.	,,	बैया	,,	,,	
90.	,,	सिहरार	,,	,,	
91.	,,	तेजरावा	,,	,,	
92.	,,	भगु का गांव	,,	,,	4.95
93.	,,	बडोदा का गांव	,,	,,	
94.	,,	सुलताना	,,	80–81	
95.	,,	डिग्गा	,,	,,	
96.	,,	अरनान	,,	,,	
97.	पोकरण	लाठी	,,	74–75	9.39
98.	,,	घोलिया	,,	,,	
99.	,,	खेतोलाई	,,	,,	
100.	,,	चाचा	,,	,,	
101.	,,	ओडानिया	,,	,,	
102.	,,	केलवा	,,	,,	37.73
103.	,,	वानानियाई	,,	,,	
104.	,,	सनावाटा	,,	,,	
105.	,,	चौक	,,	,,	
106.	,,	गूठी	,,	,,	
107.	,,	मोडारदी	,,	,,	
108.	,,	थार	,,	,,	
109.	,,	जैमलान	,,	,,	
110.	,,	वीलिया	,,	,,	
111.	,,	झालोरा	,,	75–76	16.90
112.	,,	दांतल	,,	,,	
113.	,,	राजमथाई	,,	,,	
114.	,,	बलार	,,	,,	
115.	,,	ओंखोरानाई	,,	,,	
116.	,,	स्वामी जी की ढाणी	,,	,,	
117.	,,	फूलासर	,,	,,	

1	2	3	4	5	6
118.	पोकरण	फलसूंड	क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना	76–76	
119.	"	भीखोराइजोनि	"	"	
120.	"	रातड़िया	"	"	27.33
121.	"	वालूसिंघ की ढाणी	"	"	
122.	"	मानियाना	"	"	
123.	"	उपपदरा	"	"	
124.	"	वोरठ का गांव	"	"	
125.	"	मेडवा	"	"	
126.	"	संकरिया	"	"	
127.	"	पादरोदा	"	"	
128.	"	झालोरा पोक	"	79–80	18.27
129.	"	अजासर	"	"	
130.	"	वारदाना	"	"	
131.	"	चांदसर	"	"	
132.	"	लुहारकी	"	"	
133.	"	वीदु	"	80–81	23.69
134.	"	ताडाना	"	"	
135.	"	आसकन्दरा	"	"	
136.	"	सत्याया	"	"	
137.	"	चोया	"	"	
138.	"	टोटा	"	"	
139.	"	सांडा	"	"	
140.	जैसलमेर	सीतोलाई	"	82–83	6.97
141.	"	काथोडा	"	"	
142.	"	सुमालियाई	"	"	
143.	"	कोडा	"	"	
144.	"	खीयाला	"	"	10.95
145.	"	मेघा	"	"	
146.	"	बिजोटा	"	"	
147.	"	रामा	"	"	
148.	"	धायासर	"	"	5.33
149.	"	बुवास	"	"	

1	2	3	4	5	6
150.	जैसलमेर	रेवड़ी	क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना	82-83	निर्माणाधीन
151.	"	चेलक	"	"	
152.	"	नागराजा	"	"	
153.	"	कपूरिया	"	"	
154.	"	भियासर	"	"	
155.	"	जांवदनई	"	"	2.89
156.	"	जांवदजुणी	"	"	
157.	"	भोदवा	"	"	
158.	"	असायच	"	"	18.49 (निर्माणाधीन)
159.	"	बासनपीट साडथ	"	"	
160.	पोकरण	लोहरा	"	"	23.67 (निर्माणाधीन)
161.	"	रतन की बस्सी	"	"	
162.	"	चनानी	"	"	
163.	"	केटलिया	"	"	
164.	"	महेशों की ढाणी	"	"	
165.	जैसलमेर	कोडियासर	"	"	15.25 (निर्माणाधीन)
166.	"	सोठा	"	"	
167.	"	अकरलापड	"	"	23.35 (निर्माणाधीन)
168.	जैसलमेर	छवडीपार	"	"	
169.	"	फूलिया	"	"	3.40 (निर्माणाधीन)
170.	"	ऊंडा	"	"	0.67 (निर्माणाधीन)

1	2	3	4	5	6
171.	जैसलमेर	किशनघाट	विस्तार यो.	79-80	1.52
172.	,,	डावला	,,	,,	
173.	पोकरण	मदासर	,,	,,	
174.	,,	लखासर	,,	,,	
175.	जैसलमेर	कारडा	,,	,,	
176.	,,	अचला	,,	,,	
177.	,,	मेहराजोघ	,,	,,	
178.	,,	लाला	,,	,,	
179.	,,	रासला	,,	,,	
180.	,,	सनवाटा	,,	,,	
181.	,,	भोपा	,,	,,	
182.	,,	मुलाना	,,	,,	
183.	पोकरण	झावरा	,,	82-83	6.04
184.	,,	माडवा	,,	,,	
185.	,,	अजाला	,,	73-74	0.17
186.	,,	झालरिया	,,	,,	
187.	जैसलमेर	सागडा	,,	82-83	2.98
188.	,,	जेठा	,,	,,	,,
189.	पोकरण	बन्देवा	,,	,,	16.46 (निर्माणाधीन)
190.	,,	केसुलयाना	,,	,,	0.62 (निर्माणाधीन)
191.	,,	धोबा	,,	,,	15.25 (निर्माणाधीन)
192.	,,	हाटड	,,	,,	3.37 (निर्माणाधीन)

शहरी पेयजल योजनायें :—

1.	जैसलमेर	शहरी पेयजल योजना
2.	पोकरण	,,

(303)

परिशिष्ट—24

अतारांकित प्रश्न संख्या 835 का विवरण, सूची व
जांच रिपोर्ट की प्रति

चुंगी आय का माहवारी विवरण

परिशिष्ट—क

माह	वर्ष 1981–82	वर्ष 1982–83
अप्रेल	7,30,951.65	7,26,010.52
मई	10,68,468.26	15,66,039.75
जून	11,15,278.75	13,91,424.26
जुलाई	13,28,864.12	14,72,387.93
अगस्त	8,75,777.36	10,71,462.62
सितम्बर	11,52,442.86	15,87,567.34
अक्टूबर	9,50,666.68	13,55,979.35
नवम्बर	15,52,684.35	11,68,669.96
दिसम्बर	10,22,483.89	17,01,624.63
जनवरी	13,06,094.02	14,42,142.27
फरवरी	8,53,317.30	—
मार्च	16,16,218.71	—
योग:	1,35,73,247.95	1,34,83,308.63

नोट:—अप्रेल 81 से जनवरी, 82 तक की आय का योग 1,11,03,711.94

ह.
आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

3011

परिशिष्ट—ख

वर्तमान प्रशासक श्री सी. एल. खन्ना तथा इससे पूर्व के प्रशासक श्री सुन्दरलाल भट्ट के कार्यकाल में हुई चुंगी आय का विवरण :—

क्रम सं.	नाम प्रशासक	कार्यकाल	आय चुंगी
1.	श्री सी. एल. खन्ना	4-5-82 से कार्यरत	1,41,39,834.83 (28-2-83 तक)
2.	श्री सुन्दरलाल भट्ट	10-8-81 से 3-5-82 तक	98,30,743.25

ह.
आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा प्रशासक नगर परिषद, उदयपुर

दिनाक 1- 4-81 से 1-1-1983 विभिन्न चुंगी नाका

आज चुंगी नाका गोवर्धन विलास का निरीक्षण किया। नाके पर श्री नाथूलाल जी, फखरुद्दीन मिले। नाके पर जो भी बिल आवे उसे फाइल में दर्ज करें। रेकार्ड को सिस्टेमेटिक रखने की कार्यवाही करें। 15-9-81

ह.
सुन्दरलाल भटट
प्रशासक

नकल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 19-9-82

चुंगी नाका गोवर्धन विलास

आज दिनांक 19-9-82 को नाका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आर.ओ. II साथ थे। आज तक इस माह में करीब 95000 रु. की आय हुई है। आय को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जावे। ईरोज प्रोडक्शन (जेम्सवाण्ड फिल्म) का जो माल आ रहा है, उसकी और माल की कीमत के बारे में पूरी घोषणा लें। केवल पैकेज लिख देना सही नहीं। बिलों से मिलान कर के बिलों में दर्शाई गई कीमत प्रत्येक ट्रक में लाये गये माल के बारे में अंकित की जावे ताकि बाद में कीमत आंकने में दिक्कत नहीं आये। फर्म द्वारा 200 00) रुपये जमा करा रखा है। यदि यह देखने में आये कि चुंगी की राशि इससे बढ़ने वाली है तो तुरन्त और रकम जमा करवाई जाय।

नाका में जगह की कमी है व इस पर एक कमरा बनाया जाना आवश्यक है। आर. ओ. II इस संबंध में नोट प्रस्तुत करें ताकि इन्जिनियरिंग शाखा में उचित कार्यवाही हो सके। इस नाके पर एक लाइट की कमी है। अतः इस पर एक सोडियम लाइट लगाई जाने के लिये नोट भिजवाया जावे।

पुराना रिकार्ड बहुत जमा हो रहा है। गत वर्ष का रिकार्ड रिकार्ड रूम में भेजा जावे।

ह.
सी. एल. खन्ना
प्रशासक

नकल निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा आयुक्त नगर परिषद, उदयपुर
दिनांक 1-4-81 से 9-3-1983

नकल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 19-10-82 द्वारा आयुक्त चुंगी नाका गोवर्धन विलास।

आज दिनांक 10-10-82 को गोवर्धन विलास नाके का निरीक्षण किया।

नाके पर नजरमोहम्मद, लालसिंह तथा मुकुटबिहारी जी व अर्जुनलाल, अमजदअली मिले।

टी. पी. का गोश्वारा अभी तक कम्पलीट नहीं है अतः कम्पलीट करावें।

स्टाफ की ड्यूटी चेंज की है, उसी प्रकार कर्मचारी ड्यूटी अंजाम देवें।

ह.
भगवान सहाय पारीक
आयुक्त

नकल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 19-10-82 चुंगी नाका भुवाणा द्वारा आयुक्त।

आज दिनांक 19-10-82 नाका भुवाणा का निरीक्षण किया नाके पर ड्यूटी पर श्री कृष्णपाल मिला।

राजस्व निरीक्षक द्वारा जो नोट लगाया है रिकन्सोलेशन स्टेटमेंट माह अप्रेल, 82 से सितम्बर, 82 तक ही 2 दिन के अन्दर बना कर भी जावें और जसवन्त सिह चौहान के पास पहुँचाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा लगाये गये नोट्स के ऊपर इन्चार्ज नाकेदार ध्यान देवें और उसकी पूर्ति करें।

ह.
भगवान सहाय पारीक
आयुक्त

नकल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 9-3-83 चुंगी नाका सवीना द्वारा आयुक्त

आज चुंगी नाका सवीना का निरीक्षण किया। नाके पर श्री सत्यनारायण जी और हरिशचंद मिले। नाके की टी. पी. रोकड़ बन्द नहीं हुई। टी.पी. का मिलान कर रोकड़ वन्द करें। सभी कर्मचारी ड्यूटी पर वर्दी में मिले।

ह.
भगवान सहाय पारीक
आयुक्त

नकल निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा आयुक्त नगर परिषद, उदयपुर
दिनांक 1-4-81 से 9-3-1983

नकल निरीक्षण प्रतिवेदन दि. 12-1-1982 द्वारा आयुक्त चुंगी नाका प्रतापनगर।

नाके का निरीक्षण किया ड्युटी पर महेन्द्रसिंह, मुहम्मद हुसैन उपस्थित, नाके पर दैनिक चुंगी कलैक्शन कार्यालय में जमा नहीं होना पाया गया। भविष्य में दैनिक आय प्रति दूसरे दिन कार्यालय में जमा करवाने की व्यवस्था की जाय। पालना न होने पर इन्चार्ज नाकेदारजी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रभावशील होगी।

नाके पर रेकार्ड काफी मात्रा में पड़ा हुआ है इसे व्यवस्थित रूप से जमा थैलों में बन्द कर कार्यालय पहुँचवाने की व्यवस्था करें। इस संबंध में आर. ओ.सा. से सम्पर्क कर लें।

ड्यूटी रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। भविष्य में प्रत्येक कॉलम भरी जावे।

डिपोजिट लौटाते समय लौटाने वाला कर्मचारी अपने हस्ताक्षर रसीद के पीछे करेंगे। इसकी पालना सख्ती से की जावे।

ह.
कन्हैयालाल झंवर
आयुक्त

नकल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 15-10-82 द्वारा आयुक्त चुंगी नाका प्रतापनगर

(1) आज चुंगी नाका प्रतापनगर का निरीक्षण किया। नाके पर श्री नारायण लालजी, कालूलाल जी और भरतसिंहजी उपस्थित मिले।

(2) डी.आर. रजिस्टर में दिये गये रिमार्क अनुसार राशि जमा करावें व चुंगी आय में जमा करें।

(3) रेकार्ड का जमाखर्च नहीं करवाया है। कल तक कर बतावें।

(4) टी.पी. गोश्वारा नहीं मिलाया गया है सो टी. पी. गोश्वारा मिलावें।

ह.
भगवानसहाय पारीक
आयुक्त

परिशिष्ट—25

अतारांकित प्रश्न संख्या 836 की सूची

सूची देशी मदिरा दुकानात जिला कोटा वर्ष 1981–82 में चलो की स्थिति

क्र. सं.	नाम वृत्त	नाम दुकान	नाम ठेकेदार व पता	राशि जिस पर दुकान दी गई।
1	2	3	4	5
1.	कोटा नगर	नयापुरा	गुरुबचनसिंह एण्ड पार्टी 1–गुरुबचनसिंह पुत्र धरमसिंह अरोड़ा अशोक विहार, दिल्ली। 2–राकेश कुमार पुत्र हरबन्शलाल शर्मा नि. गुडगांव। 3–नरेश कुमार पुत्र हुकमचन्द अग्रवाल जनकपुरा नि. गुडगांव 4–अशोक भाटिया पुत्र बजलदास भाटिया नि. कोटा	56,96,000.00 ग्रुप में
2.	,, उप दुकान	लाडपुरा ई. रोड, कनसुवा	,, ,,	,,
3.	,, ,,	गुमान पुरा श्रीपुरा मोटर स्टेंड	,, ,,	,,

4.	,,		मोखापाडा (कैथनीपोल)		गुरु बचनसिंह एण्ड पार्टी	5696000
		उप दुकान	दाड़ाबाड़ी			
		,,	कोटड़ी	,,	,,	,,
		,,	रायपुरिया			
6.	,,		कुन्हाडी	,,	,,	,,
7.	,,		कोटा जंक्शन	,,	,,	,,
		,,	मालारोड			
8.	,,	,,	नई धानमंडी	,,	,,	,,
9.	,,	,,	बड़गांव	,,	,,	,,
	,,	,,	बैराज			
10.	,,		बैराज लाडपुरा (कैथून)	,,	,,	,,
11.	,,		बोरखन्डी	,,	,,	,,
12.	,,		नोनारा (पुरोहित जी की टापडी)	,,	,,	,,
13.	,,		रंगपुर	,,	,,	,,
14.			जगपुरा (विज्ञानगर तलवन्डी)	,,	,,	,,
	,,	उप दुकान	केवल नगर			

308

1	2	3	4	5
15.	कोटा नगर	रानपुर (खेडील-फाटक)	गुरुबचनसिंह एण्ड पार्टी	5696000
	उप दुकान	कोटा डेम		
16.	,,	भंवरा (छावनी)	,, ,,	,,
	,,	सीमलिया		
17.	लाडपुरा	चांदकाखडी (कोरोवास)	,, ,,	,,
18.	,,	रेल बोर खेडा)	,, ,,	,,
19.	,,	मन्डाना	,, ,,	74,700
20.	,,	दीगोद	,, ,,	68,100
21.	,,	कसार	,, ,,	75,300
22.	,,	सुलतानपुर	रामस्वरूप पुत्र नन्दकिशोर राव नि. सुलतानपुर	1,17,150
23.	,,	थोलपुरा	राकेशकुमार पुत्र हरबन्शलाल शर्मा नि. गुडगांव	19,800
24.	,,	अमोरी	,,	20,800
25.	,,	अरन्डखेडा	,,	29,000
26.	,,	बडोद	1–जगदीशसिंह पुत्र मिश्रासिंह सिख, कोटा 2–रामचन्द्र पुत्र भेरूलाल सिंधी, कोटा 3–ठाकरदास पुत्र जेठानन्द सिंधी, कोटा 4–किशोरकुमार पुत्र चतरभुज सिंधी, कोटा 5–रमेशकुमार पुत्र शंकरसिंह राजपूत, कोटा	29,700

27.	"		कोटडा दीपसिंह	" "	20,900
28.	"		मोरपा	रामस्वरूप पुत्र नंदकिशोर राव नि. सुलतानपुर	20,950
29.	"		मन्डावरा	रामस्वरूप पुत्र नंदकिशोर राव नि. सुलतानपुर	33,750
30.	"		फतहपुर	" "	21,650
31.	"		बुढादीत (उम्मेदगंज)	राधेश्याम पुत्र श्यामकिशोर जयसवाल नि. उन्नाव	32,200
32.	बारां		बारां नं. 1 (मुन्डोला वार्ड)	1–गोपाललाल पुत्र भेरूलाल कलार्ल, कलमन्डा	7,02,300 ग्रुप में
		उप दुकान	मोटर स्टैंड	2–अमरसिंह पुत्र गोरधन सिंह राजपूत नि. श्यामगढ़	
33.	"		बारां नं. 1	" "	"
34.	"		कलमन्डा	" "	"
35.	"		फतहपुर	" "	"
36.	"		बैंगनी	" "	"
37.	"		थामली	" "	"
38.	"		मांगरोल	श्री ज्ञानसिंह पुत्र श्याम सिंह सिख, मांगरोल	1,16,410
39.	"		इटावा	1–भेरूलाल पुत्र ओंकारलाल खटीक नि., पीपल्दा 2–हरिवल्लभ पुत्र देवीलाल खटीक नि., मांगरोल	1,31,500
40.	"		खातोली	1–सन्तोषीलाल पुत्र श्रीचंदवेश्य नि. जोरा जिला मुरेना 2–रमेशचन्द पुत्र धनीराम शिवहरे जिला चोडपुर बाडी 3–रामजीलाल पुत्र गंगाराम शिवहरे नि. जोरा 4–रामस्वरूप पुत्र देवीलाल शिवहरे नि. सबलगढ़	81,751.51
1	3		5		

1	2	3	4	5
41.	बारां	अन्ता	1–हजारीलाल पुत्र ओंकारलाल गुजर, पलसावा 2–गोपाललाल पुत्र छीतरलाल कलाल, सासदाली	1,08,600
42.	"	सीसवाली	1–महेन्द्रसिंह पुत्र जगदीश सिख, कोटा 2–रामचन्द्र पुत्र भेरूलाल सिंधी, कोटा 3–किशोर कुमार पुत्र चतुरभुज सिंधी, कोटा	69,200
43.	"	बडगांव	" "	36,100
44.	"	रायथल	" "	22,800
45.	"	बमूलिया	प्रतापसिंह पुत्र लाडूसिंह राजपूत, अन्ता	25,500
46.	"	बड़वा	मानसिंह पुत्र कजोडसिंह राजपूत, बारां	14,600
47.	"	जलोदा तेजाजी	1–गोपाल लाल पुत्र भेरूलाल कलाल, कलमन्डा 2–अमरसिंह पुत्र गोरधनसिंह राजपूत, श्यामगढ़	17,110
48.	"	सोरसन	अमरलाल पुत्र कन्हैयालाल गुजर, सांगोद	27,500
49.	"	वमोरीकलां	विजय बहादुर सिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत रमेशचन्द्र पुत्र भंवरलाल खटीक, मांगरोल	30,100
50.	"	बोथ	1–प्रहलाद सिंह पुत्र माधोसिंह राजपूत, बोथ 2–नाथूलाल पुत्र गंदीलाल खटीक, बेरथ	30,800
51.	"	पलायथा	लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथूलाल खटीक, पलायथा	43,310
52.	"	वामला	तेजसिंह पुत्र नृसिंह राजपूत, बारां	10,300
53.	"	बढावदा	मानसिंह पुत्र कजोड़सिंह राजपूत, बारां	11,400

54.	,,	चोकीबोरदा	1–तेजसिंह पुत्र नृसिंह राजपूत, बामला 2–युधराजसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत, खरकड़ा	14,300
55.	,,	कोयला	1–मोहनसिंह पुत्र हनुमन्त सिंह राजपूत, कोयला 2–जगमोहनसिंह पुत्र मदनसिंह राजपूत, रानपुरा	25,500
56.	,,	पीपल्दा	1–नन्दलाल पुत्र ओंकारलाल खटीक, पीपल्दा 2–फूलचन्द पुत्र ओंकारलाल खटीक, पीपल्दा	32,500
57.	,,	करवाड़	नन्दलाल पुत्र ओंकारलाल खटीक, पीपल्दा	14,210
58.	,,	ककरावदा	गोपाललाल पुत्र भेरूलाल कलाल, कलमन्डा	8,600
59.	,,	लुहावद	रामप्रसाद पुत्र नन्दकिशोर कलाल, अयाना	20.700
60.	,,	अयाना	गोपाललाल पुत्र भेरूलाल कलाल, कलमन्डा	34,600
61.	,,	बोरदा	रामप्रसाद पुत्र मन्नालाल खटीक, इटावा	12,150
62.	,,	गणेशगंज	रामेश्वर पुत्र भेरूलाल कलाल, कलमन्डा	20,010
63.	,,	गेता	अजीतसिंह पुत्र गुरुदयाल सिंह सिख, मांगरोल	20,010
64.	,,	विनायका	,, ,,	33,800
65.	छीपा बडोद	छीपा बडोद	खेमचन्द पुत्र ठाकुरदास खत्री, बारां	88,385
66.	,,	अटरू	नूरमोहम्मद पुत्र रमजानी मुसलान, खानपुर	74,000
67.	,,	कवाई	दिनेश कुमार पुत्र रामगोपाल कलाल, इकलेरा	66,900
	उप दुकान	स्टेशन सीलपुरा		
68.	,,	छबडा	अबदुल हफीज पुत्र अबदुल रसीद खां मु. सिरोज	2,15,910
69.	,,	कुन्जेड	बजरंगसिंह पुत्र चांदसिंह राजपूत, कठारिया	23,750
70.	,,	चरडाना	रामप्रसाद पुत्र नन्दकिशोर कलाल, अयाना	25,513

1	2	3	4	5
71.	छीपा बडोद	आटोन	मदनलाल पुत्र भवानीलाल खटीक, आटोन	19,500
72.	,,	सकतपुर	1—बन्शीलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा 2—बलबीर सिंह पुत्र चांदसिंह राजपूत, कराडिया	20,350
73.	,,	डोटी	1—प्रेमनारायण पुत्र गोरधनलाल धोबी, छीपा बडोद 2—कल्लू पुत्र श्रीलाल कोली, छीपा बडोद	9,250
74.	,,	मोठपुर	हुकमतराय पुत्र तेजकरण सक्सेना छीपा,बडोद	30,100
75.	,,	कडैयावन	गुलजारसिंह पुत्र बुर्धसिंह सिख, हमीरपुर	7,300
76.	,,	रीमच	दिनेशकुमार पुत्र रामगोपाल कलाल, इकलेरा	10,600
77.	,,	गोरधनपुरा	मन्नालाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड, गोरधनपुरा	22,700
78.	,,	बन्जारी	दिनेश कुमार पुत्र रामगोपाल कलाल, अकलेरा	6,000
79.	,,	बाम्बोरीघटा	,, ,,	9,500
80.	,,	सारथल	कल्लूखां पुत्र पीरबक्स मु. सारथल	18,250
81.	,,	हरनावदा	दिनेश कुमार पुत्र रामगोपाल कलाल, अकलेरा	27,100
82.	,,	कोटडी	,, ,,	5,000
83.	,,	बमोरा	बाबूखां पुत्र नजरमोहम्मद मु. छीपाबडोद	7,300
84.	,,	भिलवाडिया	पृथ्वीराज पुत्र लालजीराम मीना, भीलवाड़ा	14,7000
85.	,,	गुगोर	गुलाजार सिंह पुत्र बुधसिंह सिख, हमीरपुर	10,601
86.	,,	दीलोद	1—प्रेमनारायण पुत्र गोरधन धोबी 2—कल्लू पुत्र श्रीलाल कोली, छीपा,बडोद	8,550

314

87.	,,	खोपर	गुलजारसिंह पुत्र वुधसिंह सिख, हमीरपुर	14,400
88.	,,	मुसेतमाता	नूरमोहम्मद पुत्र रमजानी मु. खानपुर	3,500
89.	,,	शेरगढ़	हुकमतराय पुत्र तेजकरण सक्सैना, गोठपुर	4,400
90.	छीपा बड़ोद	बड़ोरा	रघुनाथ पुत्र बलराम कलाल, पाटी	15,110
91.	,,	भूलोन	शफीक अहमद पुत्र नजीरअहमद मु. छबडा	13,800
92.	,,	तीतरखेडी.	शिवनारायण पुत्र रामनाथ राजपूत, तीतरखेडी	16,700
[illegible]	,,	कडेयानूर	लक्ष्मीनारायण पुत्र मथुरालाल चंडाल, छबडा	10,300
94.	,,	पाली	1—बीवल्ला पुत्र अब्दुलावेग, छबडा 2—भोला पुत्र बजीरअली, कोटा	18,200
95.	,,	नपानिया	बद्रीलाल पुत्र कंवरलाल मीना, नीमथूर	19,000
96.	,,	बापचा	कस्तूरचन्द पुत्र भंवरलाल शर्मा, सारोला	14,310
97.	,,	जैपला	लाखनसिंह पुत्र देवीसिंह राज. जैपला	12 600
98.	,,	कडैयाहाट	बृजमोहन पुत्र संग्रामसिंह यादव, कडैयाहाट	8,028
99.	,,	आनन्दपुरा	नूरमोहम्मद पुत्र रमजानी, खानपुर	4,100
100.	रामगंजमंडी	रामगंजमंडी	मल्लू पुत्र विरधीलाल बसेडा, झालावाड़	2,22,222.22
101.	,,	सुकेत	1—कैलाशचन्द्र पुत्र गोविन्दनारायण शर्मा 2—सुखदेव पुत्र वचनराम ब्राह्मण रा. मंडी 3—हरजन्द्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह सिख	1,81,900
102.	,,	सांगोद	नरोत्तम कुमार पुत्र बाबूलाल कलाल, सांगोद	1,53,710
103.	,,	स्टे. मोडक	1—ताराचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण कलाल, बालागंज 2—जगदीश चन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता स्टेंड शामगढ़ जि. मन्दसोर	2,11,101
104.	,,	स्टे. दरा	गुरुबचनसिंह एण्ड पार्टी	1,05,100

1	2	3	4	5
105.	रामगंज मंडी	कनवास	1–हेमराज पुत्र मांगीलाल खींची, कोटा 2–गणेशराम पुत्र कन्हैयालाल कलाल, कोटा	72,100
106.	,,	चेचट	1–तिलोकसिंह पुत्र गुरूदयालसिंह सिख स्टे. मोडक 2–गुरजीतसिंह पुत्र जगतराम सिख	71,101
107.	,,	आवा	1–सुरेन्द्रसिंह पुत्र केसरीसिंह रा. आवा 2–बृजराजसिंह पुत्र केसरीसिंह	75,000
108.	,,	कमलपुरा	शंभूसिंह पुत्र अमरसिंह रा., आमली	44,600
109.	,,	उडवा	भेरूलाल पुत्र भवानाजीधाकड, कालाकोट	18,000
110.	,,	मोड़कला	बाबूलाल पुत्र मूलचन्द कलाल, सांगोद	9,610
111.	,,	खेडारूदा	1–कैलाशचन्द पुत्र गोविन्द नारायण शर्मा 2–सुखदेव पुत्र बचनराम शर्मा, रामगंज मंडी 3–हरजन्द सिंह पुत्र दर्शनसिंह सिख	29,100
112.	,,	नीगोदा	1–गुरजीतसिंह पुत्र जगतराम सिख, मोडक 2–तिलोकसिंह पुत्र गुरूदयाल सिंह सिख	17,500
113.	,,	देगनिया	1–हेमराज पुत्र मांगीलाल खींची, कोटा 2–गनेशराम पुत्र कन्हैयालाल कलाल, कोटा	22,600
114.	,,	कमोलर	गोवरीलाल पुत्र मूलचन्द कलाल, सांगोद	15,210
115.	,,	धानाहुडा	शंभूसिंह पुत्र अमरसिंह रा., आमली	20,500
116.	,,	कुन्दनपुर	1–मोहनलाल पुत्र गनेश खां मु. कलाल, बोरावास 2–प्रभलाल पुत्र रामचन्द कलाल माधोपुर	12,000

117.	,,	श्रोनपुर	1–जगन्नाथ पुत्र सांगाजी मीना, रेलगांव 2–किशनलाल पुत्र मदनलाल कलाल, रेलगांव	16,051
118.	,,	जुल्मी	चन्दलाल पुत्र सेवाजी रेगर, कुम्भकोट	50,500
119.	,,	गोयन्दा	1–जोगेन्द्रसिंह पुत्र दीवानसिंह सिख, रामगंजमंडी 2–कालूसिंह पुत्र भगवानसिंह रा., कुभगेट	20,001
120.	,,	धुलेट	देवीसिंह पुत्र गोरधन सिंह रा. केसोली	17,450
121.	,,	गुरायता	,, ,,	12,550
122.	,,	बपावर कला	राधवसिंह पुत्र ग्रमरसिंह राजपूत, ग्रभिली	55,400

इसके ग्रतिरिक्त 24 दुकानें कोटा जिले में गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलाई गई।

316

(317)

वर्ष 1981–82 में जिला कोटा में चल रही विदेशी मदिरा दुकानों की सूची

क. सं.	नाम दुकान व स्थान	अनुज्ञाधारी का नाम व पता	राशि जिस पर दुकान चली
1	2	3	4
1.	कोटा वाइन मर्चेंट ऐसोसियेशन, कोटा यूनिट नं. 1	1–हरभगवान साहनी पुत्र मूलचन्द साहनी कोटा,	50,000
		2–टी. आर. साहनी	
		3–सुधीर कुमार पुत्र टी. आर. साहनी कोटा,	
		4–किशन डी. भाटिया पुत्र धर्मदास भाटिया कोटा,	
		5–प्रेम भाटिया पुत्र जे. सी. भाटिया कोटा,	
		6–अशोक भाटिया पुत्र बी. एम. भाटिया	
		7–आशाराम पुत्र हीरानन्द कोटा,	
		8–पुरूषोत्तम लाल पुत्र महेशचन्द कोटा,	
2.	,, यूनिट नं. 2	9–कविराजा महिपत सिंह पुत्र के. दुर्गादास, कोटा	50,000
		10–हीरालाल पुत्र दयाराम मसन्द कोटा,	
3.	,, कैथून	11–राजेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दरसिंह, कोटा	10,000
4.	चम्बल पर्यटक विश्राम गृह, कोटा	मेनेजर ट्यूरिस्ट बंगला कोटा	10,000
5.	मसन्द वाइन, कोटा	1–हीरालाल पुत्र दयाराम मसन्द कोटा	50,000
		2–जसवन्त कुमार पुत्र दयाराम मसन्द, कोटा	
6.	कोटा वाइन स्टोर	1–आशाराम पुत्र हीरानन्द, कोटा	50,000
		2–श्रीमती दर्शना देवी पत्नि श्री आर. एन. गुप्ता, कोटा	
7.	साहनी वाइन स्टोर कोटा,	श्री हरभगवान साहनी पुत्र मूलचन्द, कोटा	50,000
8.	टी. आर. साहनी वाइन, कोटा,	टी. आर. साहनी पुत्र मूलचन्द साहनी, कोटा	50,000

9.	भाटिया वाइन स्टोर, कोटा	1—अशोक भाटिया पुत्र जी. एम. भाटिया कोटा 2—प्रेम भाटिया पुत्र जे. सी. भाटिया, कोटा	50,000
10.	पंजाब वाइन स्टोर कोटा	1—सुधीर कुमार साहनी पुत्र टी. आर. साहनी, कोटा 2—बी. आर. सत्यवान साहनी पुत्र टी. आर. साहनी, कोटा 3—टी. आर. साहनी पुत्र मूलचन्द साहनी, कोटा	50,000
11.	एस. एस. साहनी वाईन स्टोर कोटा	1—सुधीर कुमार पुत्र टी. आर. साहनी, कोटा 2—बी. आर. सत्यवान साहनी पुत्र टी. आर. साहनी, कोटा 3—पुरूषोत्तम लाल पुत्र महेश चन्द्र, कोटा	50,000
12.	रोयल वाइन स्टोर, कोटा	1—श्री किशन डी. भाटिया पुत्र धर्मदास भाटिया, कोटा 2—एन. डी. भाटिया पुत्र धर्मदास, कोटा	50,000
13.	आहूजा वाइन स्टोर, बांरा	अमीरचन्द पुत्र तोलाराम खत्री कोटा	20,000
14.	फामेजी बैरामजी वाइन, कोटा	फामोजी बैरामजी, कोटा	50,000
15.	मैसर्स गंगानगर शुगर मि., कोटा	मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स	50,000
16.	अशोक वाइन, स्टोर रामगंज मंडी	कृपाराम कोहली पुत्र तुलसीराम कोहली, कोटा	20,000
17.	रामगंज मंडी	मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स	[20,000
18.	बांरा	"	20,000
19.	सिन्ध वाइन स्टोर कोटा,	जेठानन्द पुत्र परश्यामल, कोटा	50,000
20.	महाराज वाइन स्टोर, कोटा	1—श्रीमती ईश्वरी भाटिया पत्नि बी. एम. भाटिया, कोटा 2—श्रीमती पारबती (द्रोपती) पत्नि जे. सी. भाटिया, कोटा	50,000
21.	रामरंग वाइन स्टोर, कोटा	कविराज महिपतसिंह पुत्र के. दुर्गादास, कोटा	50,000

नोट :—विदेशी मदिरा की गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा वर्ष 1981-82 में नहीं चलाई गई ।

318